

## Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका .....	0 1
02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board .....	04 / 05
03. Referee Board .....	0 6
04. Spokesperson .....	0 8

### (Science / विज्ञान)

05. Ethnobotanical Study Of Traditionally Used Medicinal Plants By Tribes Of District Guna, ..... Madhya Pradesh, India (Rakesh Samar, Manju Jain, P. N. Shrivastava)	10
06. Synthesis Of Ketones Derived From Malon P-Ehyl Anilic Acid Hydrazide As Biological ..... Evaluation (Malti Dubey)	16
07. पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले प्रभावों का शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में समीक्षात्मक अध्ययन .... (डॉ. अंजना पाटनवाला)	19

### (Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

08. राजसमन्द में पर्यटन प्रबन्धन एवं समस्याएँ (डॉ. तरुण दुबे).....	2 2
09. सतना जिले में स्थापित सीमेंट उद्योग के कारण पर्यावरण में आए परिवर्तन का अध्ययन ..... (डॉ. देवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, आशीष सिंह)	2 5
10. वाणिज्यिक वाहनों का मध्यप्रदेश के सामाजिक विकास में योगदान (सुस्मिता हिरवे, डॉ. पी. एल. पाटीदार) .....	2 7
11. दुग्ध व्यवसाय और स्वरोजगार - एक अध्ययन (डॉ. बालमुकुन्द बघेल) .....	2 9
12. मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन एवं प्रभाव का अध्ययन (डॉ. सीमा परमार) .....	3 2

### (Economics / अर्थशास्त्र)

13. A Study For Current Situation Of Solar Energy In Rajasthan (Harjeet Singh) .....	3 4
14. विपणन क्रियाओं का फसल के दौरान कृषकों पर आर्थिक प्रभाव (हरिमोहन बैरवा, डॉ. एन. के. पटेल) .....	3 7
15. जनजातीय कृषकों के आर्थिक विकास में नई कृषि तकनीकों का योगदान - (मध्य प्रदेश के खरगोन जिले ..... के विशेष संदर्भ में) (वन्दना कलमें)	4 1

### (Political Science / राजनीति विज्ञान)

16. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका (झाबुआ जिले के विशेष ..... सन्दर्भ में) (मुकेश डामोर, डॉ. नलिन सिंह पंवार)	4 4
17. स्वास्थ्य संबंधी मानवाधिकार एवं भारत - एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. संगीता विजय, सुनीता गुर्जर) .....	4 7

(History / इतिहास)

18. होमरूल आंदोलन एवं उसका सतपुड़ांचल पर प्रभाव (डॉ. संकेत कुमार चौकसे) ..... 51  
19. मैडम भीकाजी कामा का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान (डॉ. शिवा खण्डेलवाल) ..... 54

(Sociology / समाजशास्त्र)

20. सूचना प्रौद्योगिकी से शिक्षा विभाग में कार्यरत महिलाओं का सशक्तिकरण (संपत राठौड़) ..... 56  
21. स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्राओं के बीच शिक्षा के प्रति जागरूकता का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन ..... 60  
(छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में) (डॉ. फरहत मंसूरी)

(Geography / भूगोल)

22. Analysis Of Ground Water Level And Rainfall Patterns In Upper Narmada Basin ..... 63  
(Vinay Raikwar)  
23. समन्वित क्षेत्रीय विकास एवं नियोजन - जनपद सागर का प्रतीकात्मक अध्ययन (हरिदास अहिरवार) ..... 67  
24. आदिवासी बहुल्य क्षेत्र का विकासात्मक परिवर्तन (खरगोन जिले के विशेष संदर्भ में एक भौगोलिक अध्ययन) ..... 70  
(डॉ. आर. आर. गोरारस्या, प्रो. सुरेश अवासे)  
25. ग्वालियर संभाग के संदर्भ में पुरुष साक्षरता एवं महिला साक्षरता का तुलनात्मक कालिक विश्लेषण 2001-2011 .... 74  
(महिमा राठौड़)

(English Literature / अंग्रेजी साहित्य)

26. Resilient Women In The Works Of Amitav Ghosh (Dr. Sr. Hansa Paul) ..... 76  
27. The Rise Of Personal Essay In The Age Of Lamb (Dr. Jalaj Dixit ) ..... 78  
28. Autobiographical Touch In The Work Of Shanta Bai Kamble (Anuradha Shrivastava) ..... 80

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

29. मोहन राकेश के उपन्यासों में सामाजिक समस्याएं (डॉ. प्रणति बेहेरा) ..... 83  
30. अज्ञेय के सृजनात्मक साहित्य में स्वाधीनता के मूल्यों (आस्तिकता) के विविध आयाम (डॉ. अनुकूल सोलंकी) ..... 88  
31. कृष्णा अग्निहोत्री की कहानियों में स्त्री विमर्श-विविध सरोकार (राजश्री सेंगर, डॉ. चंदातलेरा जैन) ..... 91  
32. शिक्षा, व्यवस्था और प्रेमचन्द कृत 'बड़े भाईसाहब' (डॉ. जया प्रियदर्शिनी शुक्ल) ..... 94  
33. जयशंकर प्रसाद के नाटकों में गुप्तकालीन सामाजिक जीवन (डॉ. संदीप कुमार श्रीवास्तव) ..... 97  
34. समकालीन कहानियों में यथार्थवाद के बहुआयामी स्वरूप (संगीता बघेल, डॉ. ज्योति सिंह) ..... 100  
35. साहित्यकार अमृतराय के 'जंगल' उपन्यास में जीवन मूल्य की अभिव्यक्ति का अध्ययन ..... 103  
(डॉ. विनय कुमार सोनवानी)  
36. मुक्तिबोध के काव्य में युगीन चेतना (डॉ. रंजना मिश्रा) ..... 105  
37. मुंशी प्रेमचंद के कथा साहित्य में नारी संघर्ष (डॉ. आशा शरण) ..... 107

(Sanskrit / संस्कृत)

38. शिशुपालवध महाकाव्य में 'सत्यं-शिवं-सुन्दरम्' का शाश्वत-स्वरूप (अनिल मुवेल) ..... 109  
39. विश्वनाथदेव विरचित साहित्यसुधासिन्धु में काव्य प्रयोजन विमर्श (डॉ. आराधना) ..... 112

(Drawing / चित्रकला)

40. चित्रकला के कुशल पारखी - जहाँगीर (डॉ. निशा गुप्ता) ..... 114  
41. चित्रों की नई पृष्ठभूमि - पाल, जैन एवं अपभ्रंश शैली (डॉ. यतीन्द्र महोबे) ..... 118

(Education / शिक्षा)

42. Blending New Innovative Strategies In Teacher Education For Developing Teacher Learner ..... 120  
Bond (Anita Sahay)  
43. Teaching For Inclusion And Special Education Needs (Dr. Amita Kumari) ..... 123  
44. शिक्षा का अधिकार अधिनियम - चुनौतियाँ (डॉ. डी. एन. दानी, रंजना सालगिया) ..... 126  
45. जैन शिक्षा पद्धति का आदिकाल (डॉ. रूपेन्द्र मुनि अरोड़ा) ..... 130  
46. A Comparative Study Of Cardiovascular Endurance Between Government And Private ..... 134  
High School Boys Of Ujjain Division Madhya Pradesh (Punit Gupta)  
47. आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा का महत्व (सोनाली सिंह) ..... 136

(Others / अन्य)

48. An Impact Study On Decisional Jurisprudence Of Supreme Court - With Special ..... 138  
Reference To Environmental Protection Laws In India (Anita Parmar)  
49. पर्यावरण संरक्षण - चेतना एवं जागरूकता (डॉ. महुआ डे) ..... 141  
50. रियासी दा सिरमोर लेखक 'राज राही' (दविंदर सिंह) ..... 144  
51. वेदों का सामान्य परिचय (दुर्गेश लता भगत) ..... 145  
52. सन्त सिंगाजी की दीक्षा और निर्वाण से संबंधित मतों का विवेचन (डॉ. मधुसूदन चौबे) ..... 147  
53. निःशक्तजनों के विकास में सामाजिक न्याय मंत्रालय की भूमिका : एक राजनैतिक अध्ययन ..... 150  
(डॉ. गायत्री मिश्रा, सरदार कुमार चौधरी)  
54. Mauryas-Were They Shudras or Kshatriyas (Sunil Sharma) ..... 152  
55. यात्री की रचनाओं में सामाजिक परिवर्तन के स्वरों का विश्लेषण (अमलेन्दु शेखर पाठक) ..... 154  
56. व्यावसायिक लेन-देन में ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान का महत्व इन्दौर (म.प्र.) की अर्थव्यवस्था के ..... 159  
सदर्म में (डॉ. दीपक जैन)  
57. बघेलखण्ड में राजनीतिक दलों का राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवहार का अध्ययन (रामसिया चर्मकार) ..... 161  
58. भील जनजाति में बहुविवाह एवं गरीबी का परिप्रेक्ष्य (डॉ. धीरज मेघवाल) ..... 164  
59. Hydrocarbons from Plants as Renewable Source of Energy (Dr. Jolly Garg) ..... 166

## Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employability Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharashtra) India
18. Prof. Dr. Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof., Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anoopur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

## Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnood, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India

\*\*\*\*\*

## Referee Board

- Maths** - (1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
- Physics** - (1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
- Computer Science** - (1) Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
- Chemistry** - (1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
- Botany** - (1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)  
(2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
- Life Science** - (1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)  
(2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
- Statitics** - (1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
- Military Science** - (1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
- Biology** - (1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
- Geology** - (1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
- Medical Science** - (1) Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
- Microbiology Sci.** - (1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
- \*\*\*\*\* Commerce \*\*\*\*\*
- Commerece** - (1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)  
(3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)  
(4) Naresh Kumar, Assistant Professor, Sidharth Govt. College, Nadaun (H.P.)
- \*\*\*\*\* Management \*\*\*\*\*
- Management** - (1) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
- Human Resources-** (1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
- Business Administration** - (1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
- \*\*\*\*\* Law \*\*\*\*\*
- Law** - (1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
- \*\*\*\*\* Arts \*\*\*\*\*
- Economics** - (1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)  
(2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)  
(3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)  
(4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
- Political Science** - (1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)  
(3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
- Philosophy** - (1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
- Sociology** - (1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)  
(2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)  
(3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)



- Hindi** - (1) Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)  
(3) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)  
(4) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)  
(5) Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
- English** - (1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
- Sanskrit** - (1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
- History** - (1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
- Geography** - (1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)  
(2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
- Psychology** - (1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
- Drawing** - (1) Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)  
(3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
- Music/Dance** - (1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak), Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)  
(2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
- \*\*\*\*\* Home Science \*\*\*\*\*
- Diet/Nutrition Science** - (1) Prof. Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)  
(2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)  
(3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
- Human Development** - (1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)  
(2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
- Family Resource Management** - (1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
- \*\*\*\*\* Education \*\*\*\*\*
- Education** - (1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)  
(2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific Education College, Udaipur (Raj.)  
(3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)  
(4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana)  
(5) Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
- \*\*\*\*\* Architecture \*\*\*\*\*
- Architecture** - (1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal, School of Architecture, IPS Academy, Indore (M.P.)
- \*\*\*\*\* Physical Education \*\*\*\*\*
- Physical Education** - (1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)  
(2) Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)  
(3) Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)
- \*\*\*\*\* Library Science \*\*\*\*\*
- Library Science** - (1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

## Spokesperson's

1. Prof. Dr. Davendra Rathore - Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2. Prof. Smt. Vijaya Wadhwa - Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3. Dr. Surendra Shaktawat - Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4. Prof. Dr. Devilal Ahir - Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5. Shri Ashish Dwivedi - Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6. Prof. Manoj Mahajan - Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7. Shri Umesh Sharma - Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8. Prof. Dr. S.P. Panwar - Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9. Prof. Dr. Puralal Patidar - Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10. Prof. Dr. Kshitij Purohit - Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11. Prof. Dr. N.K. Patidar - Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12. Prof. Dr. Y.K. Mishra - Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13. Prof. Dr. Suresh Kataria - Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14. Prof. Dr. Abhay Pathak - Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15. Prof. Dr. Malsingh Chouhan - Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16. Prof. Dr. Gendalal Chouhan - Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17. Prof. Dr. Prabhakar Mishra - Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18. Prof. Dr. Prakash Kumar Jain - Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19. Prof. Dr. Kamla Chauhan - Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20. Prof. Abha Dixit - Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21. Prof. Dr. Pankaj Maheshwari - Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22. Prof. Dr. D.C. Rathi - Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23. Prof. Dr. Anita Gagraade - Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24. Prof. Dr. Sanjay Pandit - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25. Prof. Dr. Rambabu Gupta - Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26. Prof. Dr. Anjana Saxena - Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27. Prof. Dr. Sonali Nargunde - Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28. Prof. Dr. Bharti Joshi - Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29. Prof. Dr. M.D. Somani - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30. Prof. Dr. Priti Bhatt - Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31. Prof. Dr. Sanjay Prasad - Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32. Prof. Dr. Meena Matkar - Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33. Prof. Dr. Mohan Waskel - Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34. Prof. Dr. Nitin Sahariya - Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35. Prof. Dr. Manju Rajoriya - Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36. Prof. Dr. Shahjad Qureshi - Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37. Prof. Dr. Shail Bala Sanghi - Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38. Prof. Dr. Praveen Ojha - Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39. Prof. Dr. Omprakash Sharma - Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40. Prof. Dr. S.K. Shrivastava - Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41. Prof. Dr. Anoop Moghe - Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42. Prof. Dr. Hemlata Chouhan - Govt. College, Badnagar (M.P.)
43. Prof. Dr. Maheshchandra Gupta - Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44. Prof. Dr. Mangla Thakur - Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45. Prof. Dr. K.R. Kumhekar - Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)



46. Prof. Dr. R.K. Yadav - Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
58. Prof. Dr. A. K. Pandey - Govt. Girls College, Satna (M.P.)
58. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
59. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
60. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
61. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
62. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
66. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
68. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
70. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
71. Prof. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P.)
72. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapur (M.P.)
73. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
74. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
75. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
76. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
77. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
78. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
80. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
81. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
82. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
83. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
84. Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma - M.J.S. Govt. P.G. College, Bind (M.P.)
85. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
86. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
87. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh )
88. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
89. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
90. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
94. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
95. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi

# Ethnobotanical Study Of Traditionally Used Medicinal Plants By Tribes Of District Guna, Madhya Pradesh, India

Rakesh Samar\* Manju Jain\*\* P. N. Shrivastava\*\*\*

**Abstract** - The present study was undertaken to investigate the ethnobotanical study of some traditionally used plants by tribes of district Guna, Madhya Pradesh, India. Ethnobotanical study on traditional medicinal plants was conducted between April, 2015 and March, 2016 in Guna district and documented different types of traditional medicinal plants used by the indigenous peoples. A total of 26 medicinal plant species were collected and identified from the study area for treating 20 human ailments. The most common method of preparation is grinding and the route of administration was oral administration.

**Key Word** - Ethnobotany, Indigenous Knowledge, Medicinal Plants, Guna, Healers.

**Introduction** - The main aim of the present study is to collect information on plant species used traditionally for the treatment of various diseases in District Guna, Madhya Pradesh. In many parts of the Madhya Pradesh especially in the Guna District there is a rich tradition in the use of herbal medicine for the treatment of many diseases.

Guna, an administrative district of Madhya Pradesh is the gateway of Malwa and Chambal and is situated in Gwalior division of northern part of Madhya Pradesh, situated between 24°19' N latitude and 77°15' E longitudes, at a height of about 476 m above msl (Jain *et al.*, 2010).

Rural communities in particular tribes of Guna District, Madhya Pradesh, depend on plant resources mainly for herbal medicines, food, forage, construction of dwellings, making household implements, sleeping mats, and for fire and shade. The use of medicinal plants as traditional medicines is well known in rural areas of many developing countries (Samar *et al.*, 2012).

Today the field of ethno-botany requires a variety of skills: botanical training for identification and preservation of plant specimens, anthropological training to understand the cultural concepts around the perception of plants, linguistic training, at least enough to transcribe local terms and native morphology because the native healers are often reluctant to accurately share their knowledge to outsiders (Martin, 1983).

In India much literature relevant to ethno-botany can be traced in the Vedic literature, Charak and Shusruta and Charak Samhita appeared as the most important works. Very little organized work had been done till about twenty years ago. Several workers like Koche *et al.*, (2008); Rothe

*et al.*, (2004); Dubey *et al.*, (2001); Bajpai and Mitra, (1997); Jain, (1963a); Jain, (1963b) have been investigated the ethno botany of northern, southern and central India.

Today, nearly 88 % of the global population turns to plant derived medicines as their first line of defense for maintaining health and combating diseases. One hundred and nineteen secondary plant metabolites derived from plants are used globally as drugs; 15 % of all angiosperms have been investigated chemically and of that, 74 % of pharmacologically active plant derived components were discovered. Currently, people of Asia and India are utilizing plants as part of their routine health management (Perumal Samy *et al.*, 1999).

**Ethno-Botanical Survey Sites** - The present study was carried out at **Guna** district of Madhya Pradesh. It is the administrative district of Madhya Pradesh and is located on the banks of Parbati River. On the basis of diversity in habitats, edaphic condition, topography and intensity of biotic factors, all 5 Tehsils of the district Guna, were selected for the present study i.e. Gader, Garha, Kedarnath, Sanjay Sagar and Umarthana.

**Tribes Of Study Site (Guna District)** - *Bheel* and *Sahariya* are the major tribal communities of the district Guna, of which *Bheel* tribes comprise larger population (Jain *et al.*, 2010).

**Interviews** - Field diary was used to record the data during interviews of the Herbal healers, Herbalists, Ayurvedic practitioners, Vaidhyas, Hakims, plant collectors and local people. The interviews and group discussions were held with villagers that provided valuable information including all sorts of plant use.

\* (Botany) Govt. Girls College, Vidisha (M.P.) INDIA

\*\* (Botany) Govt. Girls College, Vidisha (M.P.) INDIA

\*\*\* (Botany) S. S. L. Jain P. G. College, Vidisha (M.P.) INDIA

**Questionnaire** - Based on the specific Performa designed by Jain and Goel (1995), questionnaires were prepared and questions were asked and the resultant information was recorded in the Ethnobotanical field not book along with the name of locality and local name. An attempt was also made to note whether the village herbalists prepare pastes, pills, powders, aqueous extracts, infusions and decoctions from some parts of medicinal plants for the treatment of various diseases and disorders.

**Observations (See in next page)**

As indicated from the above observation a total of 26 medicinal plant species were collected and identified by the researchers from the study area. Those 26 medicinal plant species were treated for various human and animal ailments. The healers responded that Garlic, Water, Butter, Honey and Sugar were some of the ingredients added to the medicinal plants in different mode of preparation.

**References :-**

1. Bajpai HR and Mitra M, Indigenous medicinal practices of hill Korwas of Madhya Pradesh, *Journal of Human Eco*, 9 (3) (1997) 295-298.
2. Dubey G, Shahu P and Shahu R, Role of plants in different religious ceremonies common to Bundelkhand region, Madhya Pradesh, *Jour of Med Arom Plants Sci*, 23 (11A) (2001) 542-545.
3. Jain AK, Vairale MG and Singh R, Folklore claims on some medicinal plants used by *Bheel* tribe of Guna district Madhya Pradesh, *Ind J Tradi Know*, 9 (1) (2010) 105-107.
4. Jain SK and Goel AK, Workshop Exercise -1. Proforma for field work: In A Manual of Ethnobotany (ed. Jain SK), Scientific Pub, Jodhpur, (1995) 142-147.
5. Jain SK, Observations on ethnobotany of tribals of Madhya Pradesh, *Vanjayati*, 19 (1963a) 177-183.
6. Jain SK, Studies in Indian ethnobotany – Less known uses of 50 common plants from the tribal areas of Madhya Pradesh, *Bull Bot Surv India*, 5 (1963b) 223-226.
7. Koche DK, Shrisat RP, Imran S, Nafees M, Zingare AK and Donode KA, Ethnobotanical and ethnomedicinal survey of Nagzira Wild Life Sanctuary, District Gondia (M.S.) India- Part I, *Ethnobotanical Leaflets*, 12 (2008) 56-69.
8. Martin AJS, Medicinal plant in Central Chile, *Econ Bot*, 37 (2) (1983) 216-217.
9. Perumal SR, Ignacimuthu S and Patric RD, Preliminary screening of Ethnomedicinal plants from India, *J Ethnopharmacol*, 66 (1999) 235-240.
10. Rothe SP, Suradkar SS and Koche DK, Study of some ethnomedicinal plant species from Melghat tribal region of Amaravati District. *Proc. XIV annual Conf. IAAT*, Thiruanantapuram, (2004) 160.
11. Samar R, Agrawal MK, Varma A and Jain M, Ethnobotanical documentation of some vegetable plants in the villages of Guna district, Madhya Pradesh, India, *Indian J L Sci*, 1(2) (2012) 75-78.

**Observations:**

Sr. No.	Plant Name	English Name	Local Name	Family	Part Used	Folk Uses
01	<i>Abelmoschus esculentus</i> Moench.	Lady's Finger	Bhindi	Malvaceae	Leaves, Fruits	Used as a vegetable. Extract of leaves mixed with egg albumin and applied on hair for black and silky.
02	<i>Acacia catechu</i> Linn.	Cutch Tree	Khair	Fabaceae	Stem	Dry gum is used in 'Paan' chewed after meal. It is used to prepare the musical instrument and cart wheel and 'Data'.
03	<i>Aegle marmelos</i> Linn.	Bael	Bel	Rutaceae	Leaves, Fruits	Tree is sacred to the tribes. Ripe fruits eaten raw and pulp is mixed with water for making 'Sharbat'. Unripe or half ripe pulp of fruits is boiled and is given in diarrhoea.
04	<i>Ageratum conyzoides</i> Linn.	Goat Weed	Visadodi	Asteraceae	Whole plant	5 to 7 leaves is taken orally twice a day for three days to cure seasonal fevers.
05	<i>Albizia lebbbeck</i> Linn.	Siris	Siris	Fabaceae	Fruits	Pounded fruits with the latex of <i>Euphorbia neriifolia</i> are applied over dog or fox bites.
06	<i>Allium cepa</i> Linn.	Onion	Kanda	Liliaceae	Bulb	Children suffering from nasal bleeding as well as person suffering from hysteria to inhale the smell of bulb of the plant. Bulb is eaten raw with food. One piece crushed bulb with a little turmeric powder and warmed, paste is tied with cloth bandage on corn for relief.
07	<i>Allium sativum</i> Linn.	Garlic	Lasan	Liliaceae	Bulb	Paste of the bulb (50g) is given orally twice a day for carminative and gastric stimulant to cattle. Bulb is used as spice and condiments.
08	<i>Aloe barbadensis</i> Mill.	Aloe	Gawarpatha	Liliaceae	Whole plant	A leaf used as pickles and pulp is eaten for the lever problems and is applied on boils.
09	<i>Anona squamosa</i> Linn.	Custard Apple	Sitaphal	Annonaceae	Fruits, Seeds	Ripe fruits are eaten. Paste of seeds is prepared in water and administrated twice a day for killing maggot's wounds of cattle.

Sr. No.	Plant Name	English Name	Local Name	Family	Part Used	Folk Uses
10	<i>Azadirachta indica</i> A. Juss.	Neem	Neem	Meliaceae	Whole plant	The twigs are used as tooth brushes. Dried stem is used as fuel. Ripe fruits are eaten. Leaves are used as a mosquito replant. To confirm whether the snake that had bitten was poisonous or not, for this, leaves are chewed the person and if it is test less than the snake is declared to be poisonous.
11	<i>Bambusa arundinaceae</i> Roxb.	Spiny Bamboo	Bans	Poaceae	Stem	Stem is cut down obliquely to prepare 'Nari' to fed buttermilk or milk to young one of cow and Buffalo. Stem is used in as a soil binder, preparation of toys, house building materials and to make the temporary temple for worship in various festivals and occasions.
12	<i>Bauhinia racemosa</i> Lamk.	Mountain Ebone	Gwiar	Fabaceae	Stem, Flowers	A pinch of dried powdered flowers with honey recommended for diarrhoea and vomiting.
13	<i>Boerhavia diffusa</i> Linn.	Hogweed	Punarnava	Nyctaginaceae	Whole plant	Leaves are boiled in water and applied on boils.
14	<i>Brassica campestris</i> Linn.	Mustard	Rai	Brassicaceae	Seeds	Seeds oil is used for body massage, making pickles and as edible oil. In toothache, oil with salt is rubbed on gums.
15	<i>Butea monosperma</i> Lamk.	Bastard Teak	Dhak	Fabaceae	Stem, Flowers	Stem used in preparation of seed drill. Flower buds are used as vegetable. The colors obtain by boiling flowers. Gum 'Lakh' in the bark of this plant is used in making the bangles.
16	<i>Calotropis procera</i> Ait.	Akund	Madar	Asclepiada-ceae	Whole Plant	Roasted corona is given orally twice a day for a week to cure cough. Latex applied to remove thrown from legs.



Sr. No.	Plant Name	English Name	Local Name	Family	Part Used	Folk Uses
17	<i>Cannabis sativa</i> Linn.	Indian Hemp	Ganja	Canabina- ceae	Inflores- cence, Leaves	Hindus in India celebrate Shivratri and 'Holi' festivals by preparing an intoxicating drink from its leaves to which are added sugar, milk and dry almonds. Unfertilized inflorescences of female plants 'Ganja' is smoked with tobacco.
18	<i>Cassia fistula</i> Linn.	Indian Laburnum	Amaltas	Fabaceae	Flowers, Fruits	Pulp of fruit is given orally to cure stomach ache.
19	<i>Catharanthus roseus</i> Linn.	Madagascar Peri Winkle	Sadabahar	Apocynaceae	Whole plant	2 teaspoon leaves juice is given orally twice a day for a week for diabetes. The flowers are offered to worship God.
20	<i>Curcuma longa</i> Linn.	Indian Saffron	Haldi	Zingiberaceae	Rhizome	A small quantity of turmeric is ground, slightly heated and mixed with jiggery. Made into small tablets and 1 tablet given morning and evening for three days to cure whooping cough and used as spice and condiments. It is also used as face pack for beauty, cleaning the skin and as an antiseptic for injuries. A small quantity of turmeric powder is eaten with milk to cure pain.
21	<i>Datura innoxia</i> Mill	Thorne Apple	Datura	Solanaceae	Flowers, Seeds	Flowers are used as offering to appease Lord 'Shiva' by the tribals to fulfill their wish. Seeds smoke with leaves of Indian hump for intoxication.
22	<i>Eucalyptus lanceolatus</i> Linn.	Eucalyptus	Nilgiri	Myrtaceae	Stem, Leaves	Extract of leaves is applied on child's chest to cure cough and cold. Oil of leaves is mixed with Pudina oil and applied on head for headache.
23	<i>Ficus bengalensis</i> Linn.	Banyan Tree	Bargad	Moraceae	Whole plant	In some villages of Guna district when any tribal suffer from bubo in the armpits it is advice to swing with columnar root of banyan tree, the bubo splits and patient feel relief.

Sr. No.	Plant Name	English Name	Local Name	Family	Part Used	Folk Uses
24	<i>Ficus religiosa</i> Linn.	Bo-Tree	Peepal	Moraceae	Whole Plant	Plant is worshipped and water is offered on a particular day ( <i>Shradh</i> and <i>Saturday</i> ) to get good health. Unripe fruits are used as vegetable.
25	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> Linn.	Shoe Flower	Jason	Malvaceae	Whole Plant	Chewing the petals of flower to cure diabetes. The flowers of this plant are dedicated to Goddess.
26	<i>Madhuca indica</i> Gmelin.	Butter Tree	Mahuwa	Sapotaceae	Flowers, Fruits	Flowers and fruits are eaten raw or cooked and used as raw material of the local liquor.

\*\*\*\*\*

# Synthesis Of Ketones Derived From Malon P-Ehyl Anilic Acid Hydrazide As Biological Evaluation

Malti Dubey\*

**Abstract** - Acid hydrazides and their condensation products have frequently been investigated for tuberculostatic activity, newly synthesised compounds have been tested for their antibacterial activity, antifungal activity and tuberculostatic activity, The synthesis p-ethyl melon anilic acid hydrazide and hydrazones have been established.

**Key Words** - Acid hydrazide, Acid hydrazones synthesis, Biological activity.

**Introduction** - Acid hydrazides and their derivatives are well known for their antituberculostatic activity<sup>1</sup>. Several derivatives are also known to possess Antimicrobial<sup>2,3</sup> Antifungal activity<sup>4,12</sup>. Anthelmntic<sup>13</sup> and Anticonbvisant<sup>14</sup>. So I have prepared a large number of hydrazides and their condensation products with various aldehydes and Ketones under the impression. That there was a possibility of their being less toxic as result of the blocking of the free- NH<sub>2</sub> group present in the parent hydrazide. Hydrazides have also been tested for antibacterial activity<sup>5,6,7</sup>.



p-Ethyl malon anilic acid hydrazide and their substituted hydrazones were Synthesised by the following sequence of the reaction.

p-ethyl aniline(I) was refluxed with diethyl malonate to get malon-p-ethyl dianilide (II) and ester (III), compound (III) treated with hydrazine hydrate. The hydrazide was obtained (IV) malon-p-ethyl anilic acid hydrazide has been condensed with a number of adehydes. Acid hydrazones of the type (V) were obtained.

**Experimental** - All chemicals used were of A.R grade. (ether of B.D.H, Extra pure quality)



(a) Preparation of p-ethyl melon anilic acid hydrazide

P-Ethyl aniline (1 Part) was refluxed with diethyl malonate (2 part) for forty minutes after cooling ethanol was added and the contents were left overnight when malon-p-ethyl dianilide (II) separated. The filtrate containing the ester (III) was concentrated and treated with hydrazide hydrate when the hydrazide was obtained in 73.3% yield.



(b) Preparation of substituted aryl hydrazone from p-ethyl-malon anilic acid hydrazide.

In order to see the effect of different substituents on the physiological activity, the new acid hydrazide (IV) has been condensed with number of aldehydes and ketones. Acid hydrazones of the type (V) have been obtained in 1.3% to 74.0% yield



Hydrazide (1 mole) in alcohol was added to substituted benzaldehyde (1 mole) in alcohol in presence of one drop conc.  $H_2SO_4$ . The contents were warmed when the title compounds were obtained as crystalline solid and recrystallised from alcohol.

The compounds thus prepared are listed along with their relevant data in table (Table III)

Most of the hydrazones are coloured looking to the variation in colours of acid hydrazones and their well defined melting points the acid hydrazide may be used as a reagent for the detection of compounds


The structure of the above compounds are confirmed by IR (Table I, II) supported by correct elemental analysis (Table III)

IR are recorded on a Perkin Elmer 283 spectrophotometer Melting points of the compound are determined in open capillary tubes. Purity of compounds in checked on TLC using silica Gel-G. Elemental analysis is performed on Carlo-Erba 1108 analyser.

Table I and II IR data of acid hydrazones derived from malon p-ethyl acid hydrazide, Table III physical and analytical data of compound of type III

**Table I (See in the next page)**

**Table II(See in the next page)**



**Biological Evaluation** - Tuberculostatic activity some new compounds have been tested for antituber activity in vitro using Mycobacterium tuberculosis. The compound (1 to 4 and 8,9 table III) inhibited the growth of Mycobacterium tuberculosis at 100mg/ml concentration other compound were found to be inactive.

**Tuberculostatic Activity (Table III)**

S. No	Compound	Growth at [mg/ml]10	Concentration 100
1		+	0
2		+	+
3		+	0
4		+	+

+ and 0 indicate presence and inhibition of growth

respectively.

**Conclusion** - New acid hydrazones have been synthesised by the reaction of malon-p-ethyl acid hydrazide with various carbonyl compounds, in 9.88 to 15.93% yield. Most of the hydrazones are white and brown, solids having high melting points the Structure of all compounds are confirmed by IR and supported by correct elemental analysis newly synthesized compounds (1 to 10) have been tested for their tuberculosis activity other compound were found to be inactive.

**Acknowledgment** - Thanks are due to the Director, C.D.R.I Lucknow for providing IR spectra.

**References :-**

- H.H. fox and J.T Gibes: J.Org chem. 1952, 17, 1653-1660
- K.F. Modi, N. Krishna Kumar: 26th Session Indian Pharmaceutical congre. Dec 28-30, 1974, Madras.
- S. Bahadur, A.K. Goal and R.S. Verma: J Ind. Chem. Soc, 15, 526 (1974)
- Rollas S, Kucukguzel, S.G. Moloecules 12, 1910-1939 (2007)
- Kalsi R., Shrimaili M., Bhalla T.N., Barthwal J.P., Indian J. Pharrn, Sci 41, 353-359 (2006)
- Nayyar A., Jain R., Med Chem. 12, 1873-1886 (2005).
- Bhat AK., Bhamaria R.P., Patel M.R., Bellare R.A. and Dulwalia, C.V., Indian J., chem. 10694 (1972)
- Kucukguzd S G, Mazi A., Sahin F., Ozturk S., Stables. J.P., Eur. J., Med Chem 38, 1005-1009 (2003).
- Sriram D., Yogeswari P., Madhu K, Bioarg, Med Chem. Lett 15, 4502-4502 (2005)
- Terzioglu N., Gursoy A., Eur J., Med Chem 38. 781-786 (2003) 26, 5235 (1970)
- I. Mir. MT Siddqui, A.Come Tetrahedron, 26, 5235 (1970)
- E. Degner, H. Scheinplug, H.G. Schemelzer Brit Patent, 1035. 474 (1967).
- Cavier R., Rips R., Med. J., Chem 8. 706-709 (1965)
- Aylward A., sawistowska M., Chem. and Indus 54, 404 (1961)
- Janin, Y. Antituberculosis drugs, boarg, Med. chem. 2007, 15, 2479-2513
- Nayyar A., Jain R., Recent advances in new structural classes of anti-tuberculosis agent. curr. Med chem. 2005. 12, 1873-1886.

**Table I**

S.No	Band or group	Absorption band (cm <sup>-1</sup> )	Band intensity
1	-CONH	1652	Strong and sharp
2	=C-CH <sub>2</sub> -C-	1710	Strong and sharp
3	-NH-	1635	Medium
4	-CH <sub>2</sub> -	1460	Strong and sharp
5	O-NO <sub>2</sub> (in aromatic ring)	1370	Strong and sharp
6	-N=C <	1570 1685	Strong and sharp Sharp
7	Phenyl- substituted (1, 4)	834	Strong and sharp
8	Phenyl tetrasubstituted (1.2:3:4)	800 815	Strong and sharp Medium and sharp

**Table II**

S. No	Ketone	Acid hydrazone		Colour	M.P °C.	Yield %	Formula	Nitrogen %	
		R	R <sub>1</sub>					Found	Regd.
1	Acetone	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	White	238	56.6	C <sub>14</sub> H <sub>19</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub>	15.88	16.09
2	Acetophenone	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	CH <sub>3</sub>	White	199	71.0	C <sub>19</sub> H <sub>21</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub>	12.61	13.00
3	Benzophenone	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	White	175	15.0	C <sub>24</sub> H <sub>23</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub>	10.72	10.90
4	p-chloroacetophenone	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> (C1)P	CH <sub>3</sub>	White	241	88.8	C <sub>19</sub> H <sub>20</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub> Cl	11.32	11.66
5	p-methoxy-acetophenone	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> (O CH <sub>3</sub> ) P	CH <sub>3</sub>	White	238	91.4	C <sub>20</sub> H <sub>23</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub>	10.89	11.57
6	p-bromoacetophenone	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> (Br)P	CH <sub>3</sub>	White	224	30.0	C <sub>19</sub> H <sub>20</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub> Br	9.92	10.29
7	o-hydroxy-acetophenone	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> (OH)O	CH <sub>3</sub>	White	217	29.3	C <sub>19</sub> H <sub>21</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub>	12.08	12.36
8	2,4-dihydroxy-benzophenone	C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> (OH) 2,4	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	Brown	140	1.3	C <sub>24</sub> H <sub>23</sub> N <sub>3</sub> O <sub>4</sub>	9.88	10.7
9	2,4-dihydroxy-3'-methoxy-4-allyloxy- benzophenone	C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> (OCH <sub>3</sub> ),3 (O-CH <sub>2</sub> -CH-CH <sub>2</sub> )	C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> (OH)2,4	brown	174	3.5	C <sub>27</sub> H <sub>25</sub> N <sub>3</sub> O <sub>6</sub>	11.09	10.96
10	Methyl-ethyl-ketone	CH <sub>3</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	White	268	33.5	C <sub>15</sub> H <sub>21</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub>	15.93	15.27

\*\*\*\*\*



## पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले प्रभावों का शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. अंजना पाटनवाला \*

**शोध सारांश** – पूर्व प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा के अगले स्तरों के लिए नींव का कार्य करती हैं। यह 3 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष उद्देश्यों को लिए हुए अनौपचारिक शिक्षा है, जो बच्चों की शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। निजी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पूर्व से ही संचालित है, जबकि शासकीय विद्यालयों में इनकी व्यवस्था नहीं होने से छात्रों में शैक्षिक गुणवत्ता स्तर न्यून पाया जाता है। अतः पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता एवं उसके प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। प्रस्तुत सर्वेक्षणात्मक अध्ययन के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त छात्रों की प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव को ज्ञात किया गया है।

**शब्द कुंजी** :- पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्रभाव।

**प्रस्तावना** – ‘पौधों का विकास कृषि द्वारा तथा मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है’। – लॉक

बाल्यावस्था में मस्तिष्क की ग्रहणशीलता अति तीव्र होती है। वर्तमान दौर में प्रचुर भौतिक संसाधनों के कारण बालक के सीखने की प्रवृत्तियों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। बालक के औपचारिक अधिगम की आयु में भी पूर्व की अपेक्षा कमी आई है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा के अगले स्तरों के लिए नींव का कार्य करती है। शैशवावस्था में बालक का सम्पूर्ण व्यवहार प्रायः मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही होता है, किन्तु जैसे-जैसे वह बड़ा होता जाता है, उस स्तर पर बालक को शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, जिसका माध्यम पूर्व प्राथमिक शिक्षा है।

निजी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं एवं वे निरंतर प्रगति पर हैं, किन्तु शासकीय विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने से अपेक्षाकृत अधिगम स्तर कम पाया जाता है तथा निजी एवं शासकीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर विभेद देखा जा सकता है। परिणामस्वरूप शहरी एवं ग्रामीण, शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के छात्रों में एक वर्ग भेद बन रहा है। अतः पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता को बढ़ाना परम आवश्यक है, ताकि ग्रामीण, निर्धन एवं वंचित तबके के बालक पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकें। प्राथमिक शिक्षा के सूचकांकों की प्राप्ति के लिए एवं प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता, गुणवत्ता एवं बेहतर कार्य निष्पादन हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा आधार प्रदान करती है तथा प्राथमिक शिक्षा को गति एवं दिशा प्रदान करती है। अतः पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता एवं उसके प्रत्यक्षतः प्रभाव को प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में देखा जाना इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है।

**पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता** – कोठारी आयोग (1964-66) ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए बताया कि – ‘पूर्व प्राथमिक शिक्षा विशेषकर ऐसे बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक

विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके घर का वातावरण संतोषजनक नहीं है’।

शिक्षाशास्त्रियों द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विकास की आवश्यकता निम्न प्रकार बताई गई है-

1. अधिकांश घरों में शिक्षा के वातावरण का अभाव।
2. बालक के शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की देखभाल।
3. संयुक्त परिवार प्रथा के अभाव की पूर्ति।
4. वर्तमान अर्थव्यवस्था एवं स्त्रियों का काम पर जाना।
5. बौद्धिक एवं भावात्मक विकास।
6. पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा पर अच्छा प्रभाव।

इनसे स्पष्ट है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ऐसा सामाजिक वातावरण बनाना है, जिसमें वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके।

**उद्देश्य** – पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले प्रभावों का शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में समीक्षात्मक अध्ययन करना।

**तकनीकी शब्द** –

**पूर्व प्राथमिक शिक्षा** – शिक्षा का वह स्तर जो तीन से छः वर्ष तक के बच्चों के लिए कक्षा 01 से पूर्व की अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करता है।

**प्राथमिक शिक्षा** – शिक्षा का वह स्तर जो छः वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कक्षा 01 से कक्षा 05 तक की औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करता है।

**प्रभाव** – प्रभाव से तात्पर्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा द्वारा प्राथमिक शिक्षा स्तर पर छात्रों के उपलब्धि स्तर को जानने से है।

**शोध विधि** – प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्रदत्त के संकलन के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। रतलाम जिले के कुल पाँच विकासखंडों में से रतलाम शहर विकासखंड के 48 शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में से 20 विद्यालयों तथा 135 अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों में से 20 विद्यालयों का उद्देश्यपूर्ण एवं निदर्शन विधि द्वारा न्यादर्श हेतु चयन किया गया।

प्रस्तुत अध्ययन में पूर्व प्राथमिक शिक्षा, स्वतंत्र चर तथा प्राथमिक शिक्षा आश्रित चर है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी के सीखने का स्तर एवं उपलब्धि स्तर सम्मिलित है।

अध्ययन कार्य सर्वेक्षणत्मक प्रकृति का होने के कारण स्वनिर्मित प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित किया गया है। शासकीय एवं अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्यक्षतः उपस्थित होकर शिक्षकों से चर्चा की एवं उनसे प्रश्नावली पूर्ण करवाई गयी। प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत के आधार पर कर निष्कर्ष प्राप्त किए गए हैं, जिन्हें दण्ड आलेख के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

विश्लेषण एवं परिणाम

प्रस्तुत अध्ययन के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव को ज्ञात किया गया है। परिणाम तालिका क्रमांक 1.1 (अ) एवं तालिका क्रमांक 1.1 (ब) में प्रस्तुत कर विवेचना की गयी है -

तालिका क्रमांक 1.1 (अ)  
छात्रों के सीखने की गति पर प्रभाव का अध्ययन

विकल्प	शिक्षक अभिमत			
	शासकीय		अशासकीय	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
अ	14	70	14	70
ब	05	25	04	20
स	01	05	02	10

#### दण्ड आलेख (देखें आगे पृष्ठ पर)

तालिका एवं दण्ड आलेख के अनुसार, पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने से छात्रों के सीखने की गति पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली द्वारा अभिमत एकत्रित करने पर ज्ञात हुआ कि - शासकीय विद्यालयों के 70 प्रतिशत शिक्षक मानते हैं कि इससे छात्र तीव्र गति से सीखते हैं, जबकि 22 प्रतिशत शिक्षक छात्रों के सीखने की गति सामान्य पाते हैं। अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का अभिमत, शासकीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लगभग अनुरूप पाया गया।

तालिका क्रमांक 1.1 (ब)  
उपलब्धि स्तर पर प्रभाव का अध्ययन

विकल्प	शिक्षक अभिमत			
	शासकीय		अशासकीय	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
अ	18	90	17	85
ब	-	-	-	-
स	02	10	03	15

#### दण्ड आलेख (देखें आगे पृष्ठ पर)

प्राथमिक शिक्षा में उपलब्धि स्तर पर, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रभाव

जानने हेतु एकत्रित आँकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि - शासकीय एवं अशासकीय स्तर पर शिक्षकों का अभिमत लगभग समान है। शासकीय स्तर पर 85 प्रतिशत एवं अशासकीय स्तर पर 90 प्रतिशत शिक्षक मानते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा में उपलब्धि स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

तालिका एवं दण्ड आलेख से स्पष्ट है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त छात्रों का उपलब्धि स्तर बिना पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त छात्रों से से बेहतर पाया गया। अर्थात् पूर्व प्राथमिक शिक्षा से प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि स्पष्टतः परिलक्षित होती है। साथ ही शासकीय विद्यालयों के शिक्षक मानते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त छात्र प्राथमिक स्तर पर तीव्र गति से सीखते हैं। इस तथ्य पर अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का अभिमत भी लगभग अनुरूप पाया गया।

**निष्कर्ष** - प्रस्तुत अध्ययन द्वारा प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार है-



- पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी, प्राथमिक स्तर पर तीव्र गति से सीखते हैं। उनकी अध्ययन के प्रति रूचि होती है, जिससे उनके उपलब्धि स्तर में भी वृद्धि परिलक्षित होती है।
- लगभग शत-प्रतिशत शिक्षक (शासकीय एवं अशासकीय) मानते हैं कि शासकीय स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों के साथ पूर्व प्राथमिक शालाओं को संचालित किया जाना अति आवश्यक है। निष्कर्षतः पूर्व प्राथमिक शिक्षा द्वारा प्राथमिक स्तर पर छात्र उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निश्चित ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए रीढ़ (नींव) साबित हो सकेगी।

#### सुझाव -

- शासकीय स्तर पर भी पूर्व प्राथमिक शिक्षण की व्यवस्था अनिवार्य की जाए।
- पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र, प्राथमिक विद्यालयों में सम्बद्ध कर संचालित किए जाने चाहिए।
- पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र के सकल संचालन हेतु शिक्षक-शिक्षिकाओं का वांछित प्रशिक्षण (मॉटेसरी, किंडरगार्टन आदि) अनिवार्य किया जाये।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल, जे.पी. (1997), पूर्व प्राथमिक शिक्षा का इतिहास एवं दर्शन, दो अरब हॉउस, नई दिल्ली।
2. भावे, कमल (1983), पूर्व प्राथमिक शिक्षण सिद्धांत एवं कार्यप्रणाली, म.प्र. हिंदी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
3. श्रीवास्तव के. एम. (2005), शैशवकालीन शिक्षण सिद्धांत, स्वरूप एवं शिक्षण, युवराज ऑफसेट रीवा।
4. शाला पूर्व शिक्षा संदर्शिका, शिशु शिक्षा एवं देखभाल केंद्र तथा आंगनवाडी केन्द्रों के लिए (2000), राज्य शिक्षा केंद्र, म.प्र. शासन भोपाल।



\*\*\*\*\*

## राजसमन्द में पर्यटन प्रबन्धन एवं समस्याएँ

डॉ. तरुण दुबे \*

**प्रस्तावना** – राजसमन्द जिला अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। इसे जिला बनाया गया सन 1991 में इससे पहले यह उदयपुर जिले का ही एक भाग कहलाता था। यह जिला राज्य में अपनी खनिज सम्पदा के कारण एक विशेष स्थान लिये हुए है। यहाँ पर बहुत तरह के खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि Marble, Quartz एवं Feldspar आदि। कांकोली में जे. के. टायर का बहुत बड़ा प्लांट भी है। यहाँ पर सैकड़ों मारबल गोदाम हैं, 150 से भी ज्यादा गैंगसा युनिट्स हैं, और काफी सारी मारबल कि माईन्स हैं। कहने का आशय यह है कि यह एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी है। यह जिला हर साल राजस्थान में सबसे ज्यादा रिवेन्यु चुकाता है सरकार को, पर फिर भी इस का जिले का विकास अन्य जिलों की तरह नहीं हो पाया है।

**अध्ययन के उद्देश्य** –

- राजसमंद के पर्यटन केन्द्रों व प्रबन्धन का अध्ययन करना।
- सामाजिक व नगरीय विकास की स्थिति का अध्ययन।
- प्रबन्धन व विकास में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।

**प्राकल्पनाएँ** –

- अध्ययन क्षेत्र पर्यटन प्रबंध की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है।
- क्षेत्र में आवागमन की सुविधाओं का अभाव है।

**अनुसंधान पद्धति** – उद्देश्य पूर्ण निदर्शन विधि से अनुसंधान कार्य हेतु राजसमन्द का चयन किया गया है। 60 पर्यटकों एवं 60 स्थानीय लोगों / उत्तरदाताओं का चुनाव किया गया है। जिसमें 30-30 पुरुष तथा 30-30 महिलाओं को सम्मिलित किया है। इनमें शिक्षा प्राप्त कर रहे, व्यवसाय कर रहे तथा नौकरी में संलग्न सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है।

**तथ्य संकलन प्रविधि** – अनुसंधान संबंधित तथ्य प्राथमिक व द्वितीयक तथ्यों से संकलित किए गए हैं।

**प्राथमिक स्रोत** – प्राथमिक स्रोत संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची प्रविधि का प्रयोग किया गया है। जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुसूची का निर्माण कर साक्षात्कार प्रविधि से जानकारी प्राप्त की गयी है। इसके साथ ही पर्यटन स्थल से सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक विकास से संबंधित अवलोकन एवं सत्यापन किए गए हैं।

**द्वितीयक स्रोत** – अनुसंधान विषय से संबंधित द्वितीयक स्रोत एवं सामग्री का संग्रहण विभिन्न पुस्तकालयों, दैनिक पत्र-पत्रिकाओं, सामाजिक पंचायतों एवं इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री से किया गया है।

राजसमन्द में पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों के साक्षात्कार के पश्चात प्राप्त तथ्यों की संगणना से सारणिय कर तथ्यों का प्रदर्शन किया गया है। साथ ही तुलनात्मक रूप से पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। पर्यटक एवं स्थानीय नागरिकों के

द्वारा 'पब्लिक ऑपिनीयन मैडथ' द्वारा राजसमन्द पर्यटन क्षेत्र के बारे में दृष्टिकोण जानने की प्रक्रिया को पूरा किया गया है, जहाँ पर्यटक भारी व्यक्ति हैं। उसका दृष्टिकोण स्थानीय नागरिक के दृष्टिकोण से परस्पर भिन्नता लिये हुए है। पर्यटन प्रबन्धन एवं समस्याओं को जानने हेतु पर्यटक एवं स्थानीय नागरिकों के सुझाव तार्किक है साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा प्राथमिक तथ्य संकलित किये गये हैं, जिसमें आयु के अनुसार उत्तरदाता, वर्ग के अनुसार उत्तरदाता, शिक्षा के अनुसार उत्तरदाता, उत्तरदाता की मासिक आय, पर्यटक क्षेत्र की यातायात व्यवस्था, महिला सुरक्षा, मोबाईल नेटवर्क की क्षमता, सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था, सम्पूर्ण स्वच्छता का स्तर, पर्यटन क्षेत्र में होटल एवं आवास की व्यवस्था, गाईड की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, आपदा से निपटने के लिए संसाधन, पर्यटन क्षेत्र में शिक्षा का विकास एवं महिला विकास का स्तर जैसे चरों को सम्मिलित करते हुए तथ्यों का सारणीयन किया गया है। उक्त तथ्यों में से यातायात, महिला सुरक्षा तथा होटल एवं आवास व्यवस्था के तथ्यों को इस शोध लेख में प्रमुखता दी गई है।

**यातायात की व्यवस्था** – परिवहन और यातायात पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। क्षेत्र की प्रतिव्यक्ति आय बढ़ती है और विकास होता है राजसमन्द क्षेत्र में यातायात की व्यवस्था में यह देखने में आया है कि पर्यटन एवं स्थानीय नागरिक स्वयं के वाहन एवं निजी टैक्सियों के द्वारा आवागमन करते हैं।

तालिका क्रमांक : 01 (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक 01 में राजसमन्द पर्यटन क्षेत्र के उत्तरदाताओं का यातायात की व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण के अनुसार विवरण प्रदर्शित किया गया है –

- पर्यटकों में से 3 पुरुष एवं 2 महिलाएँ और स्थानीय नागरिकों में से 11 पुरुष एवं 14 महिलाओं के अनुसार यातायात व्यवस्था बहुत अच्छी है।
- पर्यटकों में से 11 पुरुष एवं 6 महिलाएँ और स्थानीय नागरिकों में से 8 पुरुष एवं 11 महिलाओं के अनुसार यातायात व्यवस्था ठीक है।
- पर्यटकों में से 16 पुरुष एवं 22 महिलाएँ और स्थानीय नागरिकों में से 11 पुरुष एवं 5 महिलाओं के अनुसार यातायात व्यवस्था संतोष जनक नहीं है।

**महिलाओं के लिए सुरक्षा** – महिला से समाज की संरचना प्रारम्भ होती है, महिला अपने आप में सामाजिकरण का विश्वविद्यालय है। पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटन विकसित करने हेतु महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाना अति आवश्यक है। राजसमन्द पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा हेतु मिले-जुले तथ्य आए हैं। स्थानीय नागरिकों के सामाजिकरण में महिला सुरक्षा की भावना स्पष्ट देखी जा सकती है लेकिन पर्यटकों के भड़काऊ वस्त्रों के प्रति स्थानीय नागरिकों

की प्रतिक्रिया असहज है और यह एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। धीरे-धीरे स्थानीय नागरिकों को ऐसे परिधान पहनने वाली महिलाओं को देखने के अभ्यास से यह प्रतिक्रिया समय के साथ शिथिल हो जाएगी।

तालिका क्रमांक :- 02 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका क्रमांक 02 में राजसमन्द पर्यटन क्षेत्र के उत्तरदाताओं का महिलाओं की सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण के अनुसार विवरण प्रदर्शित किया गया है :-

- पर्यटकों में से 19 पुरुष एवं 13 महिलाएँ और स्थानीय नागरिकों में से 24 पुरुष एवं 21 महिलाओं के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है।
- पर्यटकों में से 7 पुरुष एवं 11 महिलाएँ और स्थानीय नागरिकों में से 3 पुरुष एवं 4 महिलाओं के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था ठीक है।
- पर्यटकों में से 4 पुरुष एवं 6 महिलाएँ और स्थानीय नागरिकों में से 3 पुरुष एवं 5 महिलाओं के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था संतोष जनक नहीं है।

**होटल एवं आवास की व्यवस्था** – पर्यटन क्षेत्रों में आवास की व्यवस्था महत्वपूर्ण चर होता है सस्ते एवं अच्छे होटल एवं धर्मशालाएं पर्यटन को बढ़ावा देते हैं।

तालिका क्रमांक : 03 **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका क्रमांक 03 में राजसमन्द पर्यटन क्षेत्र के उत्तरदाताओं का होटल एवं आवास व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण के अनुसार विवरण प्रदर्शित किया गया है :-

- पर्यटकों में से 11 पुरुष एवं 16 महिलाएँ और स्थानीय नागरिकों में से 25 पुरुष एवं 23 महिलाओं के अनुसार होटल एवं आवास व्यवस्था बहुत अच्छी है।
- पर्यटकों में से 6 पुरुष एवं 3 महिलाएँ और स्थानीय नागरिकों में से 2 पुरुष एवं 1 महिला के अनुसार होटल एवं आवास व्यवस्था अच्छी है।
- पर्यटकों में से 4 पुरुष एवं 5 महिलाएँ और स्थानीय नागरिकों में से 1 पुरुष एवं 4 महिलाओं के अनुसार होटल एवं आवास व्यवस्था संतोष जनक नहीं है।
- पर्यटकों में से 9 पुरुष एवं 6 महिलाएँ और स्थानीय नागरिकों में से 2 पुरुष एवं 2 महिलाओं के अनुसार सस्ते होटल एवं आवास व्यवस्था नहीं है।

**निष्कर्ष :**

- 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार यातायात व्यवस्था बहुत अच्छी

है एवं 30 प्रतिशत के अनुसार यातायात व्यवस्था ठीक है और 45 प्रतिशत के अनुसार यातायात व्यवस्था संतोष जनक नहीं है।

- 64 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है एवं 21 प्रतिशत के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था ठीक है और 15 प्रतिशत के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था संतोष जनक नहीं है।
- 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार होटल एवं आवास व्यवस्था बहुत अच्छी है एवं 10 प्रतिशत के अनुसार होटल एवं आवास व्यवस्था अच्छी है और 12 प्रतिशत के अनुसार होटल एवं आवास व्यवस्था संतोष जनक नहीं है तथा 16 प्रतिशत के अनुसार सस्ते होटल एवं आवास व्यवस्था नहीं है।

**सुझाव :**

- महिलाओं हेतु पर्यटन क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित बनाने हेतु स्थानीय नागरिकों का व्यवहारगत दृष्टिकोण बदलने का प्रशिक्षण अनौपचारिक रूप से किया जाना चाहिए जिसमें पोस्टर, बैनर का सहयोग ले सकते हैं।
- राजसमन्द क्षेत्र में मंहंगे एवं स्वच्छ होटलों की भरमार है लेकिन स्थानीय स्तर पर सस्ते होटल एवं धर्मशाला तो एक भी नहीं है। इस हेतु स्थानीय जाति-समाज द्वारा अपनी-अपनी धर्मशालाएँ बनवाई जाए एवं प्रशासन द्वारा सस्ते होटल एवं साफ डाक बंगले बनवा कर पर्यटकों को लुभाया जा सकता है।
- पर्यटन प्रबन्ध में प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। पर्यटन शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। पर्यटन उद्योग के सही एवं श्रम संचालन के लिए इस क्षेत्र में हुई आधुनिक तकनीकियों की जानकारी बहुत ही आवश्यक है, योजना के तहत क्षेत्रीय विकास के लिए यह आवश्यक है कि क्षेत्र विशेष हेतु उचित आधारित संरचना को उस क्षेत्र की भूमि, जल स्रोतों के साथ-साथ प्राथमिकता मिलनी चाहिए साथ ही एक पर्यटन उद्योग के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान की काफी आवश्यकता है ताकि भविष्य के विकास के लिए एक समुचित नींव डाली जा सके।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. "Census of India Search details". censusindia.gov.in. 10 may 2015
2. Rajsamad District Adminsitration, Official Website. "About Rajsamad". July 2012



तालिका क्रमांक - 01 - यातायात की व्यवस्था

यातायात की व्यवस्था	राजसमन्द जिला N (360)				कुल f	कुल %
	राजसमन्द पर्यटन क्षेत्र n (120)					
	पर्यटक n (60)		स्थानीय नागरिक n (60)			
	पुरुष n (30)f	महिला n (30)f	पुरुष n (30)f	महिला n (30)f		
बहुत अच्छी है	3	2	11	14	30	25
ठीक है	11	6	8	11	36	30
संतोष जनक नहीं है	16	22	11	5	54	45
कुल	30	30	30	30	120	100

तालिका क्रमांक - 02 - महिलाओं के लिए सुरक्षा

महिलाओं के लिए सुरक्षा	राजसमन्द पर्यटन क्षेत्र n (120)				कुल f	कुल %
	पर्यटक n (60)		स्थानीय नागरिक n (60)			
	पुरुष n (30)f	महिला n (30)f	पुरुष n (30)f	महिला n (30)f		
	बहुत अच्छी है	19	13	24		
ठीक है	7	11	3	4	25	21
संतोष जनक नहीं है	4	6	3	5	18	15
कुल	30	30	30	30	120	100

तालिका क्रमांक : 03

होटल एवं आवास की व्यवस्था

होटल एवं आवास की व्यवस्था	राजसमन्द पर्यटन क्षेत्र n (120)				कुल f	कुल %
	पर्यटक n (60)		स्थानीय नागरिक n (60)			
	पुरुष n (30)f	महिला n (30)f	पुरुष n (30)f	महिला n (30)f		
	बहुत अच्छी है	11	16	25		
ठीक है	6	3	2	1	12	10
संतोष जनक नहीं है	4	5	1	4	14	12
सस्ते होटल नहीं है	9	6	2	2	19	16
कुल	30	30	30	30	120	100

## सतना जिले में स्थापित सीमेंट उद्योग के कारण पर्यावरण में आए परिवर्तन का अध्ययन

डॉ. देवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय \* आशीष सिंह \*\*

**प्रस्तावना** - मध्यप्रदेश में सतना जिला सीमेंट उद्योग का केन्द्र बिन्दु माना जाता है इन उद्योगों से लोगो को रोजगार मिल रहा है, मगर इन उद्योगों से लगातार बढ़ता प्रदूषण शहरवासियों को जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर कर रहा है। जिन क्षेत्रों में ये उद्योग स्थापित है उन क्षेत्रों के 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र की जमीन पूरी तरह से बंजर हो गई है। जमीन, वायु और जल तीनों के प्रदूषण का स्तर निर्धारित मापदण्ड से काफी ज्यादा है, जो मानव के अस्तित्व के लिए खतरा है। इसे नियंत्रित करने के लिए किसी के पास ठोस उपाय नहीं है। जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे है, वह केवल कागजों तक सिमट तक रह गए है।

लांसेट मेडिकल जनरल की रिपोर्ट को माने तो भारत की जलवायु इतनी दूषित हो गई है कि यह सर्वाधिक मौतों का कारण बन रही है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 भारत में करीब 25 लाख लोगों की मौत प्रदूषण जनित बीमारियों की वजह से हुई है। विश्व के अन्य किसी देश में इतनी मौत प्रदूषण के कारण नहीं हुई है। आईआईटी कानपुर के एक अध्ययन में 30 प्रतिशत प्रदूषण देश में डीजल, पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से होता है, इससे निकलने वाले गैस और कण वातावरण में प्रदूषण की मात्रा को 40 से 60 प्रतिशत बढ़ा देते है।

इकोनामिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के आधे से अधिक आबादी प्रदूषित हवा एवं जल में रह रही है। दुनिया के शीर्ष 20 प्रदूषित शहरों में से तीन शहर भारत के है। वैज्ञानिक हूकुम सिंह के अनुसार, प्रदूषित शहरों में जो पेड़-पौधे लगाए गए है, उनकी पत्तियाँ प्रदूषण की वजह से ढँक गई है। ऐसे पेड़ों की पत्तियों में छिद्र बन्द पाए गए है। देश में पेड़-पौधों की यह स्थिति हो गई है कि वे वातावरण को साफ करने में सक्षम नहीं है। पेड़ों का कटाव रोकना अति आवश्यक है। भारत को यदि प्रदूषण मुक्त बनाना है तो विकास को ग्रामों की ओर विकेन्द्रीकरण करना होगा।

**शोध प्रविधि** - यह शोध पत्र सतना जिले में स्थापित सीमेंट उद्योग के कारण पर्यावरण में आए परिवर्तन का अध्ययन, एक प्रकार का द्वितीयक सामग्री का प्रयोग किया गया है। उपलब्ध स्रोतों को संकलित एवं अध्ययन करके, उनका विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। अध्ययन के लिए शोध जर्नल, पत्र - पत्रिकाओं, पुस्तकों, इन्टरनेट से प्राप्त जानकारियों एवं विद्वानों का मार्गदर्शन लेते हुए, एक निष्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया गया है।

**शोध पत्र का उद्देश्य** - पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पूरे विश्व स्तर पर प्रयास किए जा रहे है। भारत में इस विषय पर किए गए प्रयास केवल कागजों तक ही सीमित है, इसे वास्तविकता के धरातल पर लाना अति

आवश्यक है।

इस अनुसंधान के उद्देश्यों को हम निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट करेंगे -

- सतना जिले में बढ़ते प्रदूषण के स्तर से जन - सामान्य को अवगत कराना, जिससे पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े।
- पर्यावरण में आए परिवर्तन से लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और आने वाले वर्षों में इसकी कितनी भयावह तस्वीर सामने आयेगी इसकी एक तस्वीर प्रस्तुत की गई है।
- विकास के नाम पर पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है इसकी एक तस्वीर प्रस्तुत करने का प्रयास शोध पत्र में किया गया है।
- प्रदूषण को रोकने का कार्य केवल सरकार का नहीं है, समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयास से ही इस पर विजय पाई जा सकती है। यह बात जन- समुदाय तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

**सतना जिले में प्रदूषण का स्तर** - वायु प्रदूषण के मामले में सतना की स्थिति दिल्ली से कम नहीं है। औद्योगिक नगरी सतना में धूल के ना दिखने वाले कणों की मौजूदगी रिहायशी इलाको में 150 - 178 माईक्रोग्राम तक पहुंच गई है। जबकि औसत मानक पी .एम- 2.5, 60 माईक्रोग्राम घन मीटर का है। इसी प्रकार पी .एम- 10 जो कि 100 माईक्रोग्राम होना चाहिए। वह सतना जिले में 250 - 300 के मध्य रहा है। प्रदूषण का यह स्तर प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में गंभीर खतरे का संकेत है।

**(सारिणी देखे आगे पृष्ठ पर)**

**वातावरण में आए परिवर्तन का प्रभाव** - सतना जिले में वातावरण में आया परिवर्तन जनसमुदाय को गंभीर बीमारियों की ओर ढकेल रहा है। प्रदूषण से कई प्रकार की बीमारियाँ जैसे अस्कर्मण, दिल व हृद्यघात , मधुमेह, रक्तचाप, अस्थमा, दमा, और फेफड़ों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ हो रही है। दुनिया के करीब 92 प्रतिशत आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। वाटर एंड नामक संस्थान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जल प्रदूषण के मामले में भारत में उपलब्ध जल का 80 प्रतिशत भाग प्रदूषित है। देश की सबसे बड़ी नदियों में शामिल गंगा और जमुना नदी विश्व की दस सबसे प्रदूषित नदियों में शामिल है। सरकार द्वारा इन नदियों की सफाई पर करोड़ों रुपये प्रति वर्ष खर्च किये जाते है फिर भी ये नदियाँ प्रदूषित है। जब बड़ी नदियों का यह हाल है तो छोटी नदियों के बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है। इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है ? सतना जिला भी इससे अछूता नहीं है, कारखानों से निकला धुआं एवं जल जो सतना को प्रदूषण की राह पर तेजी से आगे बढ़ा रहा है। जिले की आधे से अधिक आबादी प्रदूषित जल एवं वायु में जीने को मजबूर है। संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा अक्टूबर 2016 में प्रस्तुत शोध

\*एसोसिएट प्रोफेसर, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (म.प्र.) भारत

\*\* शोधार्थी, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (म.प्र.) भारत

रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 30 करोड़ बच्चे प्रदूषण की वजह से बाहरी संपर्क में आते ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। येल विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार 2014 में प्रदूषित देशों की सूची में 178 देशों में भारत का स्थान 155 वाँ स्थान आता है। जो कि वातावरण में आये परिवर्तन की स्पष्ट तस्वीर प्रकट करता है।

केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड जो देश में प्रदूषण के स्तर का आंकलन करता है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार, 121 शहरों में तीन शहर को छोड़ कर शेष सभी शहर वायु प्रदूषित से ग्रसित हैं। इस प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण उद्योगों से निकलने वाला विषैला धुंआ है। जो वायुमण्डल को दिन-प्रतिदिन प्रदूषित करता जा रहा है।

**निष्कर्ष एवं सुझाव** - जलवायु में आए परिवर्तन का अध्ययन करने के पश्चात हम एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं-

1. जलवायु में आया परिवर्तन मानवीय अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा संकट है इसके सम्बन्ध में शासन स्तर पर सख्त कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है तथा इसका कडाई से पालन हो सरकार द्वारा इस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए।
2. उद्योगों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए प्रयास केवल कागजों पर चल रहे हैं। शासन स्तर पर इसकी सतत् निगरानी की जानी चाहिए।
3. पहाड़ों एवं चट्टानों का उत्खनन रोका जाना चाहिए, इनके कटाव के कारण प्रकृति को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है।
4. ऊर्जा के नये स्रोत के रूप में उपलब्ध सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना

चाहिए। सरकार के स्तर पर सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए व्यापक पैमाने पर प्रचार - प्रसार किया जाना चाहिए।

5. हमारे देश में पौधा रोपण का कार्यक्रम शासन स्तर पर बहुत चालाया जाता है किन्तु इनके देख-रेख की कोई व्यवस्था तय नहीं की गई है, पौधों की देख-रेख का दायित्व भी व्यक्तियों या समूहों को दिया जाना चाहिए।
6. जलवायु में आये परिवर्तन पर जन-जागरूकता अभियान शासन स्तर पर चलाये जाने चाहिए ताकि समाज पर्यावरण के प्रति जागरूक एवं सजग रहें।
7. विकास के नाम पर पर्यावरण को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार एवं समाज को आगे आना चाहिए।
8. वनों की कटाई रोकी जानी चाहिए, कटाई करने वालों पर सख्त कानून के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने वाले कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दैनिक पत्रिका न्यूज पेपर, प्रकाशन 30 अगस्त - 2015
2. हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट (एचईआई) शोध -पत्र 2015, अमेरिका।
3. केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड रिपोर्ट - 2015
4. संयुक्त राष्ट्रसंघ रिपोर्ट - 2016
5. प्रमोद भागवत, लेख पत्र - 2017 'इंडिया वाटर पोर्टल' वेब साइट्स।
6. एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट - 2018

#### एयर क्वालिटी इंडेक्स

Air Quality Index	Category
401-500	SEVERE
301-400	VERY-POOR
201-300	POOR
101-200	MODERATE
51-100	SATISFACTORY
0-50	GOOD

#### एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट - 2018 (दिनांक 5-12-2018)

S.No	City	AQI	Category
1	Mandideep	214.1	MODERATE
2	Gwalior	158.6	MODERATE
3	Satna	152.2	MODERATE
4	Bhopal	139.2	MODERATE
5	Ujjain	132.6	MODERATE
6	Singrouli	123.6	MODERATE
7	Sagar	103.2	MODERATE
8	Pithampur	100	SATISFACTORY
9	Katni	96.3	SATISFACTORY
10	Dewas	95.8	SATISFACTORY
11	Chhindwada	90.8	SATISFACTORY
12	Indore	89.5	SATISFACTORY
13	Jabalpur	82.5	SATISFACTORY
14	Shahdol	76.3	SATISFACTORY
15	Nagda	60.1	SATISFACTORY

## वाणिज्यिक वाहनों का मध्यप्रदेश के सामाजिक विकास में योगदान

सुरिमता हिरवे \* डॉ. पी. एल. पाटीदार \*\*

**प्रस्तावना** - किसी भी देश और प्रदेश के सामाजिक विकास में वहाँ के वाणिज्यिक वाहनों की भूमिका सराहनीय है। वाणिज्यिक वाहनों से देश का एक बहुत बड़ा अंश जुड़ा हुआ है। वाणिज्यिक वाहनों का प्रभाव आर्थिक व सामाजिक दोनों ही पक्षों पर पड़ता है। यहाँ हम बात करते हैं सामाजिक विकास की। विकसित वाणिज्यिक वाहनों की व्यवस्था के कारण रोजगार का एक बड़ा अंश उत्पादित होता है। इससे लोगों के जीवन स्तर में भी काफी हद तक वृद्धि संभव हुई है। वाणिज्यिक वाहनों के पर्याप्त विकास के परिणामस्वरूप देश के सामाजिक जीवन में अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगते हैं। जो कि सामाजिक विकास की दृष्टि से अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हैं। वाणिज्यिक वाहनों के प्रसार से उद्योग, व्यवसाय, रोजगार की भी उन्नति होती है। वाणिज्यिक वाहनों का पर्याप्त विकास होने से देश के सामाजिक जीवन में अलग-अलग प्रकार से सुधार आया है। सामाजिक विकास में वाणिज्यिक वाहनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। देश व प्रदेश का सामाजिक स्तर वाणिज्यिक वाहनों के चक्कों पर घूमता है।

**शोध विषय का चयन एवं उद्देश्य** - आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में वाणिज्यिक वाहनों का महत्वपूर्ण हाथ है। वाणिज्यिक साधनों का उपयोग, श्रम विभाजन, विशालकाय उत्पादन, बाजारों का विस्तार, श्रम की गतिशीलता, कृषि आदाओं की पर्याप्त पूर्ति, तकनीकी एवं सामान्य शिक्षा, बैंकिंग आदि सामाजिक विकास के प्रमुख तत्व हैं और इन तत्वों को वाणिज्यिक वाहनों की सहायता से ही भुनाया जा सकता है। हमने इस क्षेत्र का चयन मध्यप्रदेश के सामाजिक विकास व उस पर पड़ने वाले प्रभाव व परिवर्तन को स्पष्ट रूप से जानने के लिए किया है।

प्रस्तावित शोध विषय का उद्देश्य इस प्रकार है -

1. वाणिज्यिक वाहनों से मध्यप्रदेश की सामाजिक प्रगति में योगदान का अध्ययन करना।
2. वाणिज्यिक वाहनों में उपयोग की जा रही आधुनिक व नई तकनीकों से सही स्थिति का पता लगाना।
3. वाणिज्यिक वाहनों से सामाजिक हित का अध्ययन करना।
4. वाणिज्यिक वाहनों की प्रगति से सामाजिक विस्तार की ओर ध्यान आकर्षित करना।

शोध का उद्देश्य यह रहा है कि मध्यप्रदेश में वाणिज्यिक क्षेत्र में वाणिज्यिक वाहनों पर अनुसंधान नहीं हुए है। इस शोध के माध्यम से विगत वर्षों में वाणिज्यिक वाहनों से सामाजिक प्रगति का अध्ययन किया गया है। मध्यप्रदेश के सामाजिक विकास में वाणिज्यिक वाहनों की भूमिका को निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है।

1. **अध्ययन का क्षेत्र एवं अवधि** - प्रस्तुत शोध कार्य के क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश का चयन किया गया है। शोध अध्ययन की अवधि पिछले कुछ वर्षों के लिए रखी गई है।
2. **शोध की तकनीक** - प्रस्तुत शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए समकों की आवश्यकता होती है। कोई भी शोध कार्य बिना समकों के अधूरा होता है। क्योंकि समक ही विश्लेषण का आधार होते हैं। अध्ययन हेतु द्वितीयक समकों का संग्रहण कर विश्लेषण किया गया है।
3. **सामाजिक विकास में वाणिज्यिक वाहनों की भूमिका** - आर्थिक क्षेत्रों के साथ-साथ वाणिज्यिक वाहनों के साधनों ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया है। केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति या वस्तुओं को लाने ले जाने में वे अपने आप को कृतज्ञ नहीं समझते अपितु प्रगतिशील विचारधारा को सर्वत्र पहुंचाने में उनका योगदान असाधारण है। संचार साधनों का महत्वपूर्ण कार्य भी वे करते हैं। सम्पूर्ण विश्व एक परिवार की सत्यता का प्रतीक परिवहन के साधन मात्र है। यात्री वाहनों के साधनों से आचार-विचार, कलाकृतियाँ, भाषा-संस्कृति, सभ्यता, वेशभूषा, साहित्यिक ग्रंथ, धार्मिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक अविष्कार, रहन-सहन की शैली विश्व के विभिन्न देशों में पहुंचाने में उनका योगदान विशेष प्रकार का है। इस प्रकार सामाजिक रहन-सहन, खान-पान, अध्ययन-अध्यापन ये समान अवसर लाना संभव हुआ है। यात्राओं के माध्यम से क्षेत्रीयता, जात-पात, अमीर-गरीब, ऊँच-नीच, स्त्री-पुरुष तथा धार्मिक भेदभाव की दीवारों को दूषित बनाने के साथ आचार-विचारों में व्याप्त अंधविश्वास, रुढ़िवादिता, कट्टरवाद के दुष्परिणामों में क्रमशः परिवर्तन लाने में शिक्षा का प्रसार स्वास्थ्य सेवाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से उपलब्ध कराने में वाणिज्यिक वाहनों के साधनों की भूमिका सराहनीय है।
4. वाणिज्यिक वाहनों से रोजगार प्राप्ति - एक वाणिज्यिक वाहन का जब निर्माण किया जाता है, तो उसके निर्माण के लिए उसके एक-एक कलपुर्जे को बनाने से लेकर उस वाहन को पूर्ण रूप से बनाकर तैयार करके सड़क पर चलाने तक उसमें कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है।

मध्यप्रदेश में वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करने वाली कुल 5 कंपनियाँ हैं। वॉल्वो आयशर, जॉन डीर, महिन्द्रा, मान एवं फोर्स। इन कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों व उनके डीलरों को नीचे तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है।

(तालिका देखे आगे पृष्ठ पर)

\* पी. एच. डी. (वाणिज्य) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

\*\* विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) शासकीय राजीव गाँधी पी.जी. कॉलेज, मंदसौर (म.प्र.) भारत

तालिका द्वारा यह स्पष्ट हो रहा है कि कुल 93060 लोग केवल वाणिज्यिक वाहनों की कंपनी व डीलरों के यहाँ रोजगारित है।

वर्ष 2008 में भारी और हल्के वाणिज्यिक वाहन एवं छोटे और बड़े वाणिज्यिक वाहन सभी को मिलाकर कुल 529564 वाणिज्यिक वाहन पंजीकृत हुए हैं और एक वाहन पर दो व्यक्ति अर्थात् ड्राइवर व कंडक्टर को रोजगार प्राप्त होता है अर्थात् वर्ष 2008 में 1059128 लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न हुआ। इसी की तुलना में वर्ष 2009 में कुल भारी, हल्के, छोटे व बड़े सरकारी, गैर सरकारी वाहनों की मिलाकर कुल 559599 वाहन पंजीकृत हुए, जिससे 1119198 रोजगार उत्पन्न हुआ। इसका अर्थ यह है कि यदि दोनों वर्षों की तुलना की जाए तो 60070 लोगों के लिए रोजगार बढ़ा और इसी प्रकार प्रतिवर्ष वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण व परिवहन करने से रोजगार में वृद्धि हो रही है अथवा सामाजिक विकास भी संभव हो रहा है।

**5. वाणिज्यिक वाहनों से लाभान्वित क्षेत्र** - वाणिज्यिक वाहनों से कई क्षेत्र लाभान्वित हुए हैं। वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण होने से लेकर उसका नियमित उपयोग करने तक कई सारे क्षेत्र लाभान्वित हो रहे हैं जैसे वाणिज्यिक वाहन को चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल की आवश्यकता होती है, जो कि पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध है। पेट्रोल पंपों से रोजगार उत्पन्न हो रहा है। वाणिज्यिक वाहनों को चलाने के लिए अच्छी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। सरकार द्वारा कई प्रकार की सड़क योजनाओं का निर्माण हो रहा है, यहां से भी रोजगार उत्पन्न हो रहा है। ट्रांसपोर्टर्स वाहन को खरीद कर उन्हें चलायमान करने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं। जिससे रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। माल व सामान के विपणन के लिए भी लोगों की आवश्यकता होती है। माल वाहन पर लादने व उतारने, माल, सामान व यात्रियों एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए भी वाणिज्यिक वाहन की आवश्यकता होती है व इसके लिए व्यक्तियों को नियुक्त करना होता है। यहाँ भी रोजगार उत्पन्न हो रहा है।

#### निष्कर्ष -

- 1. म.प्र. के लोगों के सामाजिक जीवन स्तर में वृद्धि** - वाणिज्यिक वाहनों से जहाँ रोजगार उत्पन्न हो रहा है। वहीं लोगों के सामाजिक जीवन स्तर में भी वृद्धि हो रही है। जब व्यक्ति रोजगारित होगा तभी उसका परिवार भी आगे बढ़ेगा व बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे।
- 2. नई व आधुनिक तकनीकों का उपयोग** - नये व आधुनिक युग के वाणिज्यिक वाहनों में सुविधा उपलब्ध है। जिससे भ्रष्टाचार, चोरी व दुर्घटना सभी पर नियंत्रण किया जा सकता है।
- 3. बैंक व बीमा व्यवसाय में वाणिज्यिक वाहनों का महत्व** - वाणिज्यिक वाहनों ने ही बैंक व बीमा व्यवसाय आदि को बढ़ावा दिया है। अपर्याप्त वाणिज्यिक वाहनों की सुविधाएं ही अभी तक भारत में बैंकिंग व बीमा सुविधाओं के अभाव का प्रमुख कारण थी। अब वाणिज्यिक वाहनों के विकास के साथ-साथ इनका भी विकास हो रहा है, जिससे सामाजिक विकास बढ़ रहा है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नौलखा डॉ. आर.एल., व्यावसायिक प्रबंध।
2. मध्यप्रदेश की मोटर परिवहन सांख्यिकी, मध्यप्रदेश परिवहन विभाग।
3. डॉ. शिव ध्यानसिंह चौहान, आधुनिक परिवहन।
4. डॉ. एस.एम. अग्रवाल, परिवहन के सिद्धांत व समस्याएँ।
5. प्रो. रमेशचन्द्र शर्मा, परिवहन आधुनिक उपयोगिता।
6. Reed John (1983), Trucks in Camera Bedford.
7. C.A. Taff (1975), Commercial Motor Transportation.
8. Dunbar (1980), Goods Vehicle Operation.
9. Edwards F.K. (1999), Principles of Motor Transportation.
10. वेबसाइट्स
11. <http://www.eicher.com>
12. <http://www.autoindianmart.com>

कंपनी का नाम	कर्मचारियों की संख्या	डीलरों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या (एक डीलर पर)	कुल कर्मचारी डीलर पर
वॉल्वो आयशर	2274	18	150	2700
जॉन डीर	60476	107	120	12840
महिन्द्रा	1700	07	100	700
फोर्स मोटर्स	8500	03	90	270
मान ट्रक्स	600	20	150	3000
Total	73550		Total	19510

Source - www.google.com and Dealer branch office.

\*\*\*\*\*



## दुग्ध व्यवसाय और स्वरोजगार – एक अध्ययन

डॉ. बालमुकुन्द बघेल \*

**शोध सारांश** – शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निवास करने वाले नवयुवकों के लिए आत्मनिर्भरता का रास्ता चुनने में दुग्ध व्यवसाय उपयोगी साबित हो सकता है। विशेषकर जो लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं उनके लिए इस उद्यम को चुनने में ज्यादा कठिनाई नहीं है क्योंकि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती या पशुपालन से जुड़े होते हैं। दूध की आवश्यकता मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं में शामिल है तथा भारत के लोग दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे घी, मक्खन, मावा, दही, छाछ का उपयोग खूब करते हैं तथा ये उत्पाद लोगों के दैनिक भोजन में भी शामिल हैं। दूध एवं दूध से बने उत्पादों की माँग समय के साथ निरंतर बढ़नी ही है। माँग में कमी आने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए यदि इस उद्यम को नियोजित तरीके से शुरू किया जाए तो उद्यमी इसमें सफल ही होगा असफलता केवल नियोजन के अभाव में ही हो सकती है। इस उद्यम को हर वह व्यक्ति चुन सकता है, जिसके पास साहस, आत्मविश्वास, निश्चित योजना और कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है। दुग्ध व्यवसाय या डेयरी उद्यम में जोखिम नाममात्र का है।

**शब्द कुंजी** – उद्यमी उद्यम दूध रोजगार स्वरोजगार आत्मनिर्भरता योजना उत्पादन।

**प्रस्तावना** – भारत कृषि प्रधान देश है तथा भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गाँव से नाता है। आज भी लगभग 65 से 70 प्रतिशत लोग गाँव में निवास कर रहे हैं। आज के युग में रोजगार की तलाश करने वालों में जहाँ शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले युवक हैं तो वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीण नवयुवक भी रोजगार की तलाश में शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे शहरी क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ने से निवास करने से लेकर अनेकों समस्याएँ जन्म ले रही हैं। अतः यह आवश्यक हो गया है कि गाँव में रहने वाले व्यक्ति को गाँव या उसके आसपास तथा शहर में रहने वाले को अपने शहर या घर के नजदीक की काम मिल सके। शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निवास करने वाले नवयुवकों के लिए आत्मनिर्भरता का रास्ता चुनने में दुग्ध व्यवसाय उपयोगी साबित हो सकता है। विशेषकर जो लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनके लिए इस उद्यम को चुनने में ज्यादा कठिनाई नहीं है क्योंकि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती या पशुपालन से जुड़े होते हैं। दूध की आवश्यकता मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं में शामिल है तथा भारत के लोग दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे घी, मक्खन, मावा, दही, छाछ का उपयोग खूब करते हैं तथा ये उत्पाद लोगों के दैनिक भोजन में भी शामिल हैं। दूध एवं दूध से बने उत्पादों की माँग समय के साथ निरंतर बढ़नी ही है। माँग में कमी आने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए यदि इस उद्यम को नियोजित तरीके से शुरू किया जाए तो उद्यमी इसमें सफल ही होगा असफलता केवल नियोजन के अभाव में ही हो सकती है। इस उद्यम को हर वह व्यक्ति चुन सकता है जिसके पास साहस, आत्मविश्वास, निश्चित योजना और कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है। दुग्ध व्यवसाय या डेयरी उद्यम में जोखिम नाममात्र का है। उद्यमी बनने से पहले बड़ी चिंता पूँजी जुटाने की होती है। पूँजी जुटाने के कई विकल्प हो सकते हैं। जैसे उद्यम हेतु जरूरी पूँजी क्या स्वयं के साधन से जुटा लेंगे या रिश्तेदार – जैसे सगे संबंधी आदि के सहयोग लेंगे या बैंक से ऋण लेना होगा या सरकार द्वारा चलाई जा रही

किसी योजना का लाभ उठाना चाहिए। भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त की जा सकती है। किसी भी उद्यम को अपनाने से पहले विशेषज्ञों की राय और पूरी जानकारी जुटाना जरूरी है। पूर्ण जानकारी जुटाकर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। उद्यमी बनने के लिए एक व्यक्ति में निम्नलिखित प्रमुख आवश्यक गुण होना चाहिए।

- 1. नई सोच** – एक नई सोच, एक नया विचार उद्यम या व्यवसाय के क्षेत्र में उद्यमी के जीवन को बदल सकता है। व शर्तें विचार अनोखा हो और उसे लागू करने का उद्यमी के पास साहस और योजना हो। यदि विचार सही तरीके से क्रियान्वित हो गया तो उद्यमी को दौलत और शौहरत दोनों हासिल होती है।
- 2. आत्मविश्वास** – स्वयं पर भरोसा कि मैं चुनौती स्वीकार कर सकता हूँ। मुझे आगे बढ़ने से कोई बाधा नहीं रोक सकती, मैं अपने लक्ष्य को पाकर रहूँगा। मैं उद्यम में सफल होकर दिखाऊँगा।
- 3. जोखिम उठाने वाला** – उद्यम लाभ कमाने के लिए किया जाता है। व्यवसाय में वस्तु उत्पादित कर उसे बेचना होता है। बाजार सर्वेक्षण करना, संभावित ग्राहकों की तलाश करना होता है। अतः पूरी तैयारी के साथ व्यवसाय प्रारंभ करना चाहिए नापा-तुला जोखिम होनी चाहिए, असंभावी या असीमित नहीं।
- 4. निर्णय लेने की योग्यता** – उद्यम में निर्णय लेने का गुण एक अनिवार्य तत्व है। निर्णय ही है जो उद्यमी की सफलता या असफलता को निर्धारित करता है। सही समय में सही निर्णय उच्च पायदान में खड़ा कर देता है तो एक गलत निर्णय के कारण उद्यमी, सीधे शिखर से धरातल में आ जाता है। उद्यम में कई बार त्वरित निर्णय लेने होते हैं जो अवसरों को भुनाने के जरूरी होते हैं। निर्णय में देरी के कारण अवसर हाथ से निकल सकता है।
- 5. अवसरों को भुनाना** – व्यवसाय में अवसर का विशेष महत्व होता

है। अच्छा उद्यमी वह है कि जो सामने आये अवसरों को लपक लेता है और हाथ से जाने नहीं देता बल्कि अवसर को भुनाकर उसे लाभ में परिवर्तित कर देता है। एक उद्यमी को व्यापार को बढ़ाने के लिए नये- नये अवसरों को ढूँढना रहना चाहिए।

**6. नव-सृजनकर्ता** - आज के युग में वही उद्यमी सफल हो सकता है। जो नये नये अवसरों की खोज के लिए सदैव तैयार रहता हो। जिसमें दूरदर्शिता का गुण हो जो नवीन टेक्नॉलाजी और नवीन आइडिया को अपनाने का साहस रखता हो।

**दुग्ध व्यवसाय और स्वरोजगार** - मध्यप्रदेश में किसानों के संदर्भ में बात की जाए तो किसान भाई खेती के साथ दुग्ध का व्यवसाय भी करते हैं। यह व्यवसाय वे साल दो साल से नहीं कर रहे बल्कि वर्षों से कर रहे हैं। किसान भाई या उनके पारिवारिक सदस्य प्रायः शहर ले जाकर दूध का विक्रय करते हैं। इस प्रकार कृषि उत्पाद और दुग्ध बेचकर प्राप्त पैसों से वे अपना जीवन निर्वाह करते आ रहे हैं। वर्षों से दूध बेचने का काम करते हुए भी किसान भाईयों का आर्थिक उत्थान बहुत ज्यादा नहीं हुआ है इसके पीछे बड़ा कारण जो समझ में आता है वह है दुग्ध व्यवसाय को लेकर व्यवसायिक नजरिया न अपनाना। इसे पेशे में शामिल न करना। जिनके यहाँ दूध होता है वे इसे शहर ले जाकर बेचना एक काम समझते हैं, व्यवसाय नहीं। यही कारण है कि इतने वर्षों के बाद भी बहुत कम या नाममात्र के किसानों ने दुग्ध व्यवसाय को डेयरी उद्योग का दर्जा दिया है। जबकि यह उनका परम्परागत व्यवसाय है। यदि वे आधुनिक तकनीकी का प्रयोग एवं शासन द्वारा स्वरोजगार स्थापित करने के लिए चलाई जा रही योजना का लाभ उठाकर दुग्ध विक्रय को दुग्ध व्यवसाय के रूप में अपना ले तो न केवल उनका आर्थिक उत्थान होगा बल्कि गाँव में ही रोजगार के अवसर पैदा हो जावेंगे। आज हर किसान परिवार से कोई न कोई सदस्य पढ़ा लिखा है, जो शासन की योजना का लाभ लेकर अपने परम्परागत व्यवसाय से ही अपने परिवार की दशा एवं दिशा को बदल सकता है। बस आवश्यकता है मन में कुछ कर गुजरने की, बदलाव लाने की इच्छा शक्ति की। गाँव में जो सदस्य पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें नौकरी के प्रयासों के साथ-साथ स्वरोजगार कि दिशा में भी सोचना चाहिए। स्वरोजगार का रास्ता चुनने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। स्वरोजगार के लिए शासन कौन-कौन सी योजनाएँ चला रहा है इसकी जानकारी जिला उद्योग केन्द्र, जो कि हर जिले में स्थापित होता है से आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा समाचार पत्र-पत्रिकाओं में मीडिया के अन्य माध्यमों से भी ऐसी जानकारी प्रचारित एवं प्रसारित होती रहती है। डेयरी उत्पाद का काम करने वाले लोगों से भी इस कार्य में मदद ली जा सकती है और उनके अनुभवों का लाभ लिया जा सकता है। दूध से अनेक उत्पाद जैसे घी, मावा, दही, छाछ, पनीर आदि बनते हैं।

**डेयरी उत्पाद - एक काल्पनिक परियोजना प्रतिवेदन** - इस परियोजना प्रतिवेदन में दूध से बनने वाले दो उत्पाद घी और मावा पर प्रकाश डाला गया है।

**उत्पादन लक्ष्य** - इस इकाई में एक वर्ष में 300 कार्य दिवस, एक पारी में 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 27000 किलोग्राम घी का वार्षिक उत्पादन होगा जिसकी कीमत वर्तमान बाजार मूल्य के हिसाब से 500/- रूपया प्रति किलोग्राम 27000 x 500 = 13500000 रूपये होगी। इसके साथ ही 66000 किलोग्राम मावा का भी वार्षिक उत्पादन होगा। एक किलोग्राम मावा का बाजार मूल्य 200/- रूपया माना जाये तो यह 66000 x 200 =

13300000 रूपये का होगा।

**उत्पादन प्रक्रिया** - दूध जब प्लॉट में पहुँचता है तो उसका वजन लेकर उसे प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ दूध में निहित वसा (फेट) का प्रतिशत मापा जाता है। दूध को छानने के बाद दूध में निहित क्रीम को अलग कर लिया जाता है। क्रीम से घी तथा दूध से मावा तैयार किया जाता है। इसके बाद पैक करके बाजार में विक्रय के लिए उतारा जाता है।

**गुणवत्त नियंत्रण मानक** - उत्पाद को इस प्रकार से तैयार किया जावे कि इसका जीवनकाल लंबा हो तथा ज्यादा दिन तक चल सके साथ ही गुणवत्त नियंत्रण और स्वाद मानकों का ध्यान रखना चाहिए।

**भूमि और भवन** - डेयरी उत्पाद इकाई की स्थापना के लिए सबसे पहले स्थान का चुनाव करना होगा। स्थान चयन के उपरॉत इकाई की आवश्यकतानुसार भवन या शेड का निर्माण कराना पड़ेगा जहाँ पर मशीनरी एवं उपकरणों की स्थापना कराई जानी है, प्रयोगशाला बनाना है तथा उत्पाद के भंडारण की समुचित व्यवस्था की जानी है। भूमि एवं भवन की निम्नानुसार आवश्यकता प्रस्तावित होगी।

1. निर्मित शेड/कमरा - 1800 वर्ग फुट
2. खुला क्षेत्र - 4200 वर्ग फुट
3. कुल क्षेत्र - 6000 वर्ग फुट
4. निर्माण/किराया - निर्माण कराना होगा
5. निर्माण की लागत - 350000/- रूपये अनुमानित

**मशीनरी और उपकरण -**

डेयरी उत्पाद बनाने के लिए आधुनिक मशीनों की आवश्यकता होगी। आज के युग में डेयरी उत्पाद बनाने के लिए अच्छी से अच्छी तथा कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन करने वाली मशीन एवं उपकरण मिलते हैं। इसके लिए मशीन एवं उपकरण बनाने वाली कंपनियों से कोटेशन प्राप्त कर मशीनों की वास्तविक लागत ज्ञात की जा सकती है।

1. क्रीम सेपरेटर	01 नग	200000/-
2. मावा बनाने की मशीन	01 नग	200000/-
3. दूध के डिब्बे		आवश्यकतानुसार
4. फेट निकालने के लिए परीक्षण उपकरण		आवश्यकतानुसार
5. तुला तथा पैकिंग टूल्स		आवश्यकतानुसार
6. ऑफिस फर्नीचर		आवश्यकतानुसार
7. कर बीमा		नियमानुसार
कुल योग -		400000/-

कच्चा माल (प्रतिमाह) -

ऊपर दर्शित सामग्री में केवल एक बार पूँजी का विनियोग करना है। इसे स्थाई पूँजी भी कहा जाता है किंतु डेयरी उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रतिमाह कच्ची सामग्री एवं उद्यम को चालू रखने के लिए अन्य अप्रत्यक्ष खर्च भी करने होते हैं। जैसे बिजली व्यय, टेलीफोन व्यय, विज्ञापन, पैकिंग, परिवहन के खर्च आदि।

डेयरी उत्पाद हेतु निम्नानुसार राशि कच्चे माल पर व्यय होना प्रस्तावित है। -

1. कच्चा दूध 25000 लीटर (55/-रूपये प्रति लीटर)	1375000/-
2. पैकिंग सामग्री	20000/-
3. अन्य सामग्री	5000/-
कुल योग -	1400000/-

**कर्मचारियों का व्यय** - मानव संसाधन के बिना कोई भी उद्यम नहीं चल

सकता। डेयरी उत्पाद इकाई को चलाने के लिए प्रबंधकीय, तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारियों की सहयोग की आवश्यकता होगी। कर्मचारियों पर प्रतिमाह निम्नानुसार लागत प्रस्तावित है।

अ. प्रबंधकीय व्यय -

1. प्रबंधक	01	यह कार्य स्वयं कर सकते है।
2. चपरासी/चौकीदार	02	6000/- प्रतिमाह (12000/- प्रति माह)

ब. तकनीकी

1. कुशल कारीगर	02	10000/-प्रति माह (कुल 20000/ - प्रति माह)
2. अकुशल कारीगर	04	6000/-प्रति माह ( 24000/ - प्रति माह)

कुल खर्च योग = 56000/- रुपये प्रति माह

अन्य खर्च (प्रति माह) -

1. विद्युत खर्च	6000/- प्रति माह
2. विज्ञापन खर्च	1500/- प्रति माह
3. परिवहन खर्च	5000/- प्रति माह
4. भंडारण एवं रखरखाव	1000/- प्रतिमाह
5. टेलीफोन/डाक व्यय	1000/- प्रतिमाह
6. स्टेशनरी	1000/- प्रतिमाह
7. मरम्मत/अनुरक्षण	1000/- प्रतिमाह

कुल योग :- 16500/- प्रतिमाह

कार्यशील पूंजी की लागत (प्रतिमाह)

1. कच्चा माल	- 1400000/-
2. कर्मचारियों का वेतन	- 56000/-
3. अन्य खर्च	- 16500/-

कुल योग रूपयों में (प्रतिमाह) - 1472500

कुल पूंजी निवेश/कुल परियोजना लागत -

1. भवन निर्माण की लागत	- 350000/- रुपये एक बार
------------------------	-------------------------

2. मशीन एवं उपकरणों पर व्यय - 400000/- रुपये एक बार

3. कार्यशील पूंजी (प्रतिमाह) - 1847500/-

उत्पादन लागत ( प्रतिवर्ष )

कुल आवृत्ति खर्च प्रतिवर्ष - 17670000/-

मशीन एवं उपकरणों पर मूल्य ह्रास - 40000/-

कुल निवेश पर ब्याज 10 प्रतिशत - 184750/-

कुल उत्पादन लागत - 17894750/-

विक्रय से प्राप्तियाँ ( प्रतिवर्ष )

1. घी के विक्रय से प्राप्त राशि - 27 टन 13500000/-

2. मावा के विक्रय से प्राप्त राशि - 66 टन 13200000/-

कुल प्राप्तियाँ ( रूपयों में ) 26700000/-

आय/वार्षिक कुल लाभ -

वार्षिक कुल लाभ = कुल विक्रय - कुल उत्पादन लागत

8,805,250 = 26700000 - 17894750

लाभप्रदता विश्लेषण -

1. वार्षिक कुल लाभ - 8,805,250/-

2. विक्रय से आय का प्रतिशत - 32.97%

**निष्कर्ष** - भारत के लोग दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे घी, मक्खन, मावा, दही, छाछ का उपयोग खूब करते हैं तथा ये उत्पाद लोगों के दैनिक भोजन में भी शामिल है।

दूध एवं दूध से बने उत्पादों की माँग समय के साथ निरंतर बढ़ती जाती है। अतः आत्मनिर्भर बनने की चाह रखने के लिए यह एक राह हो सकती है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. सुधा. जी.एस. व्यवसायिक उद्यमिता, रमेश बुक डिपो जयपुर, 2009. पृष्ठ क्र. 85
2. "Goolestite". Sites.Google.Com, 2019, <https://sites.google.com/site/educationjyoti.com/carrer-guidence-kairiyara-salaha/entrepreneurship-udhamita>. Accessed 20 July 2019.

\*\*\*\*\*

## मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन एवं प्रभाव का अध्ययन

डॉ. सीमा परमार \*

**प्रस्तावना** - प्रदेश फल फूल सब्जी मसाला औषधिय एवं सुगंधित फसलों के उत्पादक में आत्म निर्भर होकर देश में अग्रणी उत्पादक की भूमिका अदा करे इस हेतु राज्य शासन एवं केन्द्र सरकार के उपक्रमों/संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है। उसमें से एक है मौसम आधारित फसल बीमा जो कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में संचालित की जा रही है। इसके अन्तर्गत व्यवसायिक एवं वाणिज्य फसलों का बीमा किया जाता है। और प्रकृति आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। 5% प्रीमियम का भुगतान कृषकों द्वारा किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि करना।

**योजना की योग्यता** - किसी भी संदर्भ ईकाई क्षेत्र के प्रायोगिक क्षेत्रों में फसल (योजना के अन्तर्गत बीमा योग्य) उगाने वाले सभी खेतिहारों (साझेदारी में खेती करने वाले एवं काफ्तकारी खेतिहारों समेत) बीमा लेने के पात्र होंगे। लेकिन यह योजना उन सभी ऋण प्रदाता बैंकों वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने वाले कृषकों के लिए अनिवार्य है। जिनके पास विशेष फसल के लिए अनुमोदित ऋण सीमा एवं अन्वयों के लिए वैकल्पिक।

**अध्ययन विधि** - व्यवसायिक एवं बागवानी फसलों के उत्पादन पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन से क्या प्रभाव हुआ है यह जानने के लिए इस विषय का चयन किया गया है। आकड़ों का संकलन और वैधता के परीक्षण हेतु परिकल्पनाओं का निमार्ण किया गया है। परिकल्पना के बिना न तो कोई प्रयोग हो सकता है और न कोई वैज्ञानिक गति से अनुसंधान संभव है।

**अध्ययन के उद्देश्य** -

- (1) मौसम आधारित फसल बीमा योजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया का अध्ययन करना।
- (2) मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन एवं व्यवसायिक बागवानी फसलों पर हुए प्रभावों का अध्ययन करना

**शोध की परिकल्पनाएँ** -

- (1) मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन सफलता पूर्वक हुआ है।
- (2) मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन से उद्यानिकी एवं बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

**संमकों का संकलन** - परिकल्पना के परीक्षण के लिए आकड़ों के संकलन की आवश्यकता होती है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसस्करण विभाग के अधिकारियों से साक्षात्कार कृषकों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राथमिक एवं समक एकत्र किए गए। द्वितीय समक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसस्करण

विभाग के वार्षिक प्रमिषेदना एवं पत्रिकाओं से प्राप्त की गई।

**भोजन कि विशेषताएँ** -

- (1) दिसम्बर तथा अप्रैल के बीच मौसम के विभिन्न मापदण्डों जैसे ओले गर्मी सापेक्षित आर्द्रता बारिश के विषम विचलन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।
- (2) वर्गीय बीमा उत्पाद जो गेहूँ आलू जो सरसों चना जैसे फसलों का बीमा प्रदान करता है।
- (3) अधिकतम जवाबदेही उपजाने के खर्च से जुड़ी होती है तथा फसल के अनुसार अलग-अलग होता है।
- (4) दावों के त्वरित भुगतान में मदद करता है। जैसे कि बीमा अवधि के 4-6 हफ्तों के अन्दर

**कार्यप्रणाली** - मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WDCIS) एरिया आप्रोच की परिकल्पना पर काम करती है। यानि क्षतिपूर्ति के उद्देश्यों पर एक संदर्भ ईकाई क्षेत्र या रेफरेस यूनिट एरिया (RVA) बीमें की सजातीय ईकाई मानी जाएगी। मौसम शुरू होने के पहले यह संदर्भ ईकाई क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा सूचित की जाएगी एवं उस क्षेत्र में एक विशेष फसल के लिए सभी बीमित कृषक दावों के आकलन के लिए सममूल्य पर माने जाएंगे। प्रत्येक संदर्भ ईकाई क्षेत्र एक रेफरेस वेदर स्टेशन से जुड़ी है। जिसके आधार पर वर्तमान मौसम के आकड़ों एवं दावों का व्यवहार किया जाएगा चालू मौसम की सर्तकता बिन्दू एवं योजना की शर्तें लागू होने पर क्षेत्र पद्धति व्यक्तिगत पद्धति के विरुद्ध है जिसमें नुकसान उठाने वाले प्रत्येक कृषक के लिए दावे का आकलन किया जाता है।

**गणना विधि** - मौटे तौर पर बीमा सुरक्षा धन (बीमित राशि) फसल उगाने के लिए बीमि व्यक्ति द्वारा खर्च की जाने वाली अनुमानित राशि होती है। कृषि बीमा कम्पनी द्वारा राज्य सरकार के विशेषज्ञों के परामर्श से हर फसल के मौसम की शुरुआत के प्रति ईकाई क्षेत्र (हेक्टेयर) बीमित राशि की पूर्व घोषणा की जाती है तथा यह विभिन्न संदर्भ ईकाई क्षेत्र में विभिन्न फसलों के लिए अलग-अलग हो सकती है। बीमें के लिए इस्तेमाल किए गए मुख्य मौसम मानदण्डों के अनुसार बीमित राशि का मौसम के मानदण्डों के सापेक्षित महत्व के अन्तर्गत और विभाजन होता है।

**प्रीमियम दर** - प्रीमियम दर अनुमानित नुकसान पर निर्भर करती है। जो कि एक साल फसल की आदर्श मौसम आवश्यकताओं के सन्दर्भ में लगभग 25-100 वर्षों के ऐतिहासिक काल के मौसम मानदण्ड के स्वरूपों पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में प्रीमियम दर हर संदर्भ ईकाई क्षेत्र एवं हर फसल के हिसाब से अलग हो सकती है लेकिन प्रीमियम दरें किसानों के लिए आवरण की तरह होती है तथा आवरण से दरें प्रीमियम (दरें) केन्द्रीय तथा सम्बंधित

राज्य सरकार द्वारा 50:50 आधार पर वहन की जाती है। किसानों द्वारा विभिन्न उपजों के लिए चूकायी जाने वाली प्रीमियम दरें निम्नलिखित हैं।

(तालिका-1)

क्रम	प्रीमियम	सब्सिडी/प्रीमियम
1	2%	कोई सब्सिडी नहीं
2	2-5%	25% बशर्ते 2% न्यूनतम निवल प्रीमियम कृषक द्वारा देय हो
3	5-8%	40% बशर्ते 3.75% न्यूनतम निवल प्रीमियम कृषक द्वारा देय हो
4	8%	50% बशर्ते 4.8% न्यूनतम निवल प्रीमियम एवं 6% अधिकतम निवल प्रीमियम कृषक द्वारा देय हो

ऋण लेने वाले बीमित कृषक के मामले में देय निवल प्रीमियम ऋणदाता बैंक द्वारा वित्त पोषित की जाती है।

**कवरेज** - एग्रीकल्चर इन्शोरेस कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड (AIC) इन कारणों से सम्भावित घटती फसल की पैदावार के एवज में बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करती है। सर्तकता बिन्दुओं से अधिकतम वर्षों तथा सर्तकता बिन्दु नीचे खिली धूप के घण्टे

**दावा प्रक्रिया** - दावे स्वचालित होते हैं एवं उनका निपटारा प्रत्येक फसल के लिए अलग-अलग सम्बन्ध एंजिसियों/संस्थाओं से प्राप्त वास्तविक अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान वर्षा एवं बी. एस.एच के आकड़ों के आधार पर होगा। भूगतान योग्य स्थिति में होने पर क्षेत्र के सभी बीमित उपजाने वालों को बीमित फसल उगाने के लिए दावों का भूगतान समान दर पर किया जाता है।

म.प्र में योजना का क्रियान्वयन  
फसलों के क्षेत्रफल उत्पादक एवं उत्पादकता

(तालिका-2)

वर्ष	क्षे.(हे.मे)	उत्पादन	उत्पादकता
2013-14	212076	5846935	27.25
14-15	228784	5801962	27.57
15-16	291411	5312184	25.36
16-17	329359	5916713	28.196
17-18	329359	6020720	29.25

स्रोत - उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल के वार्षिक प्रतिवेदन सब्जियों के क्षेत्रफल उत्पादक एवं उत्पादकता

(तालिका-3)

वर्ष	क्षे.(हे.मे)	उत्पादन (टन में)	उत्पादकता
2013-14	625347	13119780	20.90
14-15	666414	14121313	21.15
15-16	756812	13743780	14.47
16-17	864290	15801218	18.28
17-18	904500	16501200	19.20

स्रोत - उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल के वार्षिक प्रतिवेदन मसालों का क्षेत्रफल उत्पादन एवं उत्पादकता

(तालिका-4)

वर्ष	क्षे.(हे.मे)	उत्पादन (टन में)	उत्पादकता टन/ हे.मे
2013-14	561402	4328409	7.71
14-15	571165	4466510	7.82
15-16	582154	2687296	4.62
16-17	665056	4153233	6.24
17-18	670000	4202035	7.50

स्रोत- उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल के वार्षिक प्रतिवेदन उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि योजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुई है।

**निष्कर्ष** - केन्द्र व राज्य सरकार के प्रयत्नों से संचालित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक हुआ है एवं वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में एवं अतः उसके क्रियान्वयन से राज्य में व्यवसायिक उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुई है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. भारतीय अर्थव्यवस्था रूढ़ दत्त (केपी.एम सुन्दरम्)रस्तोगी एण्ड कम्पनी मेरठ 2016

2. सामान्य अध्ययन भारतीय अर्थव्यवस्था

**सामाचार पत्र पत्रिका -**

1. प्रतियोगिता दर्पण (सामान्य अध्ययन)

2. मासिक पत्रिका

3. दैनिक भास्कर नई दुनिया समसामयिकी

www.M.P. krishi.org.

www.aicohindia.com.

www.google.com

\*\*\*\*\*



## A Study For Current Situation Of Solar Energy In Rajasthan

**Harjeet Singh\***

**Abstract** - Rajasthan is the largest state of India . Rajasthan is considered is the less developed among its nabhouring state . Holding the equal population and approx area as Gujrat and Maharastra Rajasthan has less industrial development . There are two major problem or factor that affecting are water and energy . The whole world now going to focuses on sustainable development and the initiatives started by various country . As green economics terms developed so far to divert the thinking of policy makers to do development in the context of green economics. The famous American economist Siman Kuznets environment curve helps the countries to understand how much important are eco friendly technology to achieve the goal of sustainable development .As for Rajasthan it is a great opportunity to do industrial development and suatainable development both side by side .Rajasthan has the vast potaincial to its natural sun energy which can be endlessly use by the government . From so many years the initiative started to use of this energy and so many solar plant and policies applied. It is now the time to evaluate the situation of solar energy in rajasthan in the contaxt of india and world. And to find out the progress and government future plans to develop solar energy in Rajasthan and present problems .

**Key Words** – Introduction , Rajasthan solar potaincial, Solar plants, Solar policies present capacity ,situation , future plans , problems and suggestion .

**Introduction - India situation in the world on solar energy** - The year 2016, was a landmark year for India in its stride towards clean energy; the country became the world's fourth largest solar market, beating Germany, United Kingdom (UK), and France in a close contest. The ambitious target of 100GW by 2022 is tough, but not impossible. To accomplish this mission, country's solar sector requires an investment of over \$100 billion. But with foreign investors pitching in for the Indian mission, the goal can be achieved. In 2015 alone, the sector was successful in securing more than \$278 million through various avenues. International business consulting firm KPMG forecasts that the market share of solar power in India would be 5.7% (54gw) and 12.5% (166gw) in 2020 and 2025, respectively. And the recent developments in the industry ascertain that these figures are quite achievable. In the past two years, the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) has approved more than 30 parks of a total capacity of about 19 GW across 21 states, including Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Andhra Pradesh.

To achieve 100 GW by 2022, India must make all the possible efforts in pursuing the foreign investors as solar power is a capital-intensive industry and without adequate funds, plans cannot be converted into reality. Previous two years were significantly encouraging to both domestic and overseas investors. Many global Goliaths are joining hands with Indian industrialists to reap the benefits from a highly

promising sector, and many are envisaging the current scenario to enter into sector at the right time and with the right plans.

**2. Objectives Of The Study** - zhere are few very important motives to do this study.

- To find out the present solar energy situation in Rajasthan.
- The contribution of Rajasthan in the context of India .
- To find out the various problems related to development of solar energy in Rajasthan and India .
- To find out the future plans of solar energy development in Rajasthan and India
- To give appropriate suggestion to the government of Rajasthan and India.

**3. Methodology** - The study is based on secondary data by various department of govt of Rajasthan and India , various reports by different organization and various current affairs magazines and books.

**4. Rajasthan Present Situation On Solar Energy** - Rajasthan has about 2,08,110 km<sup>2</sup> of desert land, which is 60% of the total area of the state. Rajasthan receives solar radiation of 6.0-7.0 kWh/ m<sup>2</sup> . As the area has low rainfall, about 325 days have good sunshine in a year. In view of above, even before the creation of National Solar Mission, Govt. of Rajasthan has taken an initiative in 2008 and approved 2 Solar Projects each of 5 MW under Generation Based Incentive Scheme (GBI).



To provide encouragement in solar sector, Rajasthan Electricity Regulatory Commission (RERC) issued orders on 2nd April 2008, first time in India, imposing solar specific renewable procurement obligation (RPO) for Discom in Rajasthan. To meet out RPO requirement, the State Government approved Solar Projects of 11 private sector developers for setting up of 66 MW capacity utilizing all available technologies in solar photovoltaic and concentrated solar thermal. After announcement of Jawaharlal Nehru National Solar Mission, Government of Rajasthan permitted these proposals to be migrated to the National Solar Mission.

The Seven solar Power plants, each of 5 MW, having Photovoltaic technology are already commissioned under the migration scheme of National Solar Mission, while the Solar Thermal Plants of 30 MW are under implementation. The Rajasthan Electricity Regulatory Commission (RERC) has also notified the RERC (REC and RPO Compliance Framework) Regulations, 2010 on 23rd December, 2010. Further, Rajasthan Electricity Regulation Commission has also issued from time to time the RPOs and feed-in tariff for Renewable Energy Projects. In the year 2011, Union Ministry of New and Renewable Energy under National Solar Mission selected investors for setting up of solar power plant of 800 MW capacities under the phase I of National Solar Mission. In fact, to offset the higher cost of solar power, the mechanism has been developed to bundle the solar power along with the unallocated portion of the power available with National Thermal Power Corporation. In the competitive bids, the tariff for solar energy came in the range of INR 10.50 to 12.75 per unit, whereas the cost of the unallocated conventional energy was about INR 3. Therefore, per unit cost of the bundled energy has been around INR 4.5 per unit. Looking to these attractive features and the proactive initiatives the State received large share of 583 MW, including 3 projects of 100 MW each and 2 projects of 50 MW based on Solar Thermal technologies.

Presently, 41 MW solar photovoltaic power plants and 2.5 MW solar thermal power plants are already operational in Rajasthan. The projects under implementation of National Solar Mission and Govt of India schemes are 590 MW. 5. Way forward The potential of Rajasthan in solar energy and facilitating role of the Government of Rajasthan is now being acknowledged. Encouraged by new initiatives such as single window clearance, solar power producers have registered with Rajasthan Renewable Energy Corporation under renewable energy policy 2004 and now Solar Energy Policy 2011. About 722 reputed companies have registered for setting up of solar power plant in Rajasthan of 16900 MW capacity till date. Government of Rajasthan on April 19, 2011 issued Rajasthan Solar Energy Policy, 2011 to promote the Solar Energy.

The main objectives of this policy includes leverage maximum benefit from National Solar Mission, to develop Solar Power Plants for meeting RPO of Rajasthan, to develop Solar Power Plants for meeting RPO of other

States, to promote off-grid applications of solar energy and the development of solar parks. In coherence with the Rajasthan Solar policy, Rajasthan state will develop Solar Parks of more than 1000 MW capacity in Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner, Barmer and districts in various stages. To begin with, solar park at Jodhpur has been initiated. Clinton Foundation signed a memorandum of understanding (MoU) with the Government of Rajasthan in January 2010 for setting up 3000 MW Solar Parks.

Rajasthan solar Park Private Ltd (RSP Ltd), a subsidiary company of RREC will formulate policy and rules for land allotment, selection and qualification of firms, grid connectivity and infrastructure plans, sharing of development cost by the developers and management of solar parks. About 10,000 ha government owned land has already been identified at Bhadlai in Jodhpur district. Solar Park at Bhadla has 5000 ha in zone I and 2500 ha in zone II and III each. Survey and soil testing work of 3000 ha of Zone I has already been completed. The survey and soil testing of additional 5000 ha of solar park is in process. Consultant appointed by Asian Development Bank has already prepared Master plan of Solar Park at Bhadla, Jodhpur. The State Government has taken other initiatives to create new Transmission Power Evacuation Network in order to evacuate power from Solar as well Wind.

RVPN is implementing for Solar Power costing INR 2900 crores (INR 29,000 million) having 400kV GSS at Jodhpur and Jaisalmer Solar Parks associated transmission lines. Under the National Solar Mission, Rajasthan received the maximum new allocations in the first phase. Now with the policy thrust and new initiatives, Rajasthan will strive for the maximum allocation in the Batch-2 phase-1 and next phase as well. Rajasthan will facilitate the renewal purchase obligation (RPO) of other states through the renewable energy certificate (REC) mechanism if other states so desire. In fact Rajasthan was the first state to allow open access for wheeling of solar power to areas beyond Rajasthan. To meet the state specific renewal purchase obligations (RPO) Rajasthan will identify and sanction more projects through the competitive bidding route. 6. Conclusion In conclusion, initially the pace of development was slow, mainly because power generation from solar energy is expensive.

The cost per megawatt of solar power comes to around INR 11 crore (i.e., INR 110 million), while that of wind power is INR 5 crore (i.e., INR 50 million). The pace is now likely to get enhanced because of the Rajasthan Solar Energy Policy 2011, and commitment of the Government of Rajasthan to develop the crucial infrastructure such as solar parks and power evacuation system Hopefully, things will continue to move in the right direction, and Rajasthan is set to harvest the sunshine in a big way. The state is likely to attract an investment of more than Rs. 45,000 crore in the solar energy sector in next two years as it promotes the policy and infrastructure for solar energy. Overall, Rajasthan Government is fully committed to the promotion of solar energy. We believe that implementation of the Rajasthan

Solar Energy Policy 2011 will help develop Rajasthan as a global hub of solar power for 10000-12000 MW capacity over the next 10 to 12 years to meet energy requirements of Rajasthan and India.

**5. Solar Policies And Future Plans For Rajasthan -**

The government of Rajasthan has implemented various policies for the development of solar energy in Rajasthan. Solar energy policies of 2014, 2015, 2018, 2019 has determined the target development of solar energy in 2022 so many steps taken for the development of solar plant some as -

1. To ensure the active participation of private sector
2. To induce the investment from country and the abroad
3. To give so many incentives, subsidy and tax rebate.
4. To purchase the electricity from solar plant and private households.
5. To making all the functioning of approval licence sanctioning of projects.

The future plan of expanding the solar plant and to become the largest solar energy producer state in Asia which is not impossible. RREC LTD and government of Rajasthan are very seriously working on it. Rajasthan is targeting to increase its solar power generation to 3,780 MW by April next year in order to achieve the goal of 7,000 MW clean energy capacity in the next four years.

"The current solar power generation is contributing 10 per cent to the total power consumption in the state and we are targeting to increase it to 17 per cent by 2021 according to RREC Ltd.

According to the RREC LTD chairman B.K.doshi "Work on various projects is in full swing. The second phase of Bhadla solar park near Jodhpur has been commissioned (680 MW) and its third phase (1000 MW) is under progress. Of the 1000 MW capacity under the third phase of Bhadla park, 500 MW will be commissioned in September this year and 500 MW by April next year. Fourth phase of 500 MW will also be commissioned by April. Of the total 1,500 MW projects, which are scheduled to be commissioned by April next year, 10 are of the capacity of 100 Mw each and 10 of 50 MW each.

Other projects which are under the pipeline are Pokran-Phalodi solar park (750 MW), Fatehgarh phase 1B (1500 MW) and Nokh - Jaisalmer (1000 MW).

The state having huge potential for the solar power generation could add just 496 MW in the last financial year, which is less than the fiscal year of 2016-17 where the state had added 500.55 MW.

Doshi informed that the capital cost of setting up a solar plant in present is approximately 4 crore per MW which was quite higher earlier therefore the tariff at which the power is being purchased from companies is different depending upon their cost of production.

Potential of the solar power generation is higher in Rajasthan as compared to other states but still the state lags behind Karnataka and Telangana.

The solar power installed capacity in Karnataka and Telangana is 4,884.56 MW and 3,336.42 MW respectively while Andhra Pradesh is generating 2,148 MW solar power, according to official concerned of the respective states.

Besides solar, Rajasthan is also generating 4,292.54 MW from wind and 120.45 MW from biomass (up to December 2017).

As per a study by the union ministry of new and renewable energy, estimated potential of the desert state in wind energy is 18,770 mw.

However, the state could not add any generation of power from wind in 2017-18 as no company opted Rajasthan to set up plan in the state in Solar Energy Corporation of India (SECI) biddings.

Another official informed that various industries in the state put in place energy efficiency methods and have saved almost 222.3 million units of electricity and 2,73,660 MT coal in the last two years.

"Industries are being encouraged to use energy efficient so that they can reduce power consumption,"

**6. Problems And Suggestion -** To achieve the target to produce the require solar energy government of Rajasthan has to remove the problems relating the approval, sanctioning, bidding partial online process. There are some problem in land acquisition, time consuming process of acquisition. The availability of basic infrastructure like road and water. Some problem related to the environment and forest land department.

Thus there are so many problems but some suggestion are as follows -

1. To make a separate land acquisition department solely for the development solar energy in Rajasthan this department should prior mark the land and make compensated the owner of the land, develop basic infrastructure like road and water.
2. To make a separate department for approval, bidding, and environmental clearance.
3. Timely purchasing and payment to solar power generator plant or house holds.

**References :-**

1. Ghosh, P. (2009). "National Action Plan on Climate Change: Technical presentation." Prime Minister's Council on Climate Change; Oct. 2009. Ministry of Environment and Forests, Government of India, [accessed Nov. 28, 2011]. GoR. 2011.
2. Rajasthan Solar Policy. Government of Rajasthan, Issued on sated 19 April 2011. [accessed Nov. 28, 2011].
3. Ramachandra, T.V., R. Jain and G. Krishnadas (2011). "Hotspots of solar potential in India." Renewable and Sustainable Energy Reviews 15(6): 3178-3186. Sharma, A. (2011).
4. "A comprehensive study of solar power in India and World." Renewable and Sustainable Energy Reviews 15(4): 1767-1776. Sharma, N.K., P.K. Tiwari and Y.R. Sood (2012).

## विपणन क्रियाओं का फसल के दौरान कृषकों पर आर्थिक प्रभाव

हरिमोहन बैरवा \* डॉ. एन. के. पटेल \*\*

**प्रस्तावना** – भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत भी कृषि प्रधान देश है। यहाँ के जीवन और अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। देश की राष्ट्रीय आय, रोजगार, जीवन-निर्वाह, पूँजी-निर्माण, विदेशी व्यापार, उद्योगों आदि में कृषि की सशक्त भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, वहीं लगभग 64 प्रतिशत श्रमिकों को कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त है। चावल, गेहूँ, तिलहन, गन्ना तथा अन्य नकदी फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई है। यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का सराहनीय योगदान होने के साथ-साथ विश्व में भी कृषि के कारण भारत की साख बनी हुई है। प्रस्तुत शोध लेख फसल के दौरान विपणन क्रियाओं के कृषकों पर आर्थिक प्रभाव के अध्ययन पर आधारित है।

**विपणन व्यवस्थाएँ** – वर्तमान में हमारे देश में सहकारी विपणन व्यवस्था के साथ-साथ अन्य विपणन व्यवस्थाएँ भी काम कर रही हैं। इनके चलते कृषि विपणन व्यवस्था में कई प्रकार के दोष देखने में आते हैं। इन दोषों के कारण किसानों को एक तो उनकी फसल का सही मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है, दूसरे वे उत्पादन की दिशा में भी हतोत्साहित होते हैं। गाँव आधारित विपणन व्यवस्था में सबसे बड़ा दोष संग्रहण का होता है। फसल के संग्रहण के लिए मिट्टी के बर्तन, कच्चे कोठों का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के संग्रहण से उपज के सड़ने-गलने से, कीटनाशकों चूहों आदि से नष्ट होने का खतरा अधिक रहता है। विपणन व्यवस्था के दोष के रूप में परिवहन साधनों को भी प्रमुख रूप से रखा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था के सुलभ न होने के कारण भी किसान बड़ी मंडियों, सहकारी मंडियों तक नहीं पहुँच पाते। फसल के आवागमन सम्बन्धी कठिनाई को देखते हुए वे अपनी फसल को गाँव में ही बेचने को विवश हो जाते हैं। मध्यस्थों की बहुत बड़ी संख्या भी विपणन प्रणाली का एक दोष कहा जा सकता है। किसानों के मंडी में पहुँचने के पूर्व ही तमाम दलाल सक्रिय हो जाते हैं। इससे किसान को कभी-कभी अपनी उपज का लगभग 50 प्रतिशत तक ही दाम मिल पाता है। दलालों की सक्रियता के अतिरिक्त अनियंत्रित मंडियों का संचालन भी विपणन व्यवस्था को प्रभावित करता है। इस प्रकार की मंडियों में कपटपूर्ण नीतियों के चलते किसान लगातार शिकार होते रहते हैं। उक्त तथ्यों के अतिरिक्त कई बार परिस्थितियाँ भी किसान के तथा विपणन के पक्ष में नहीं होती हैं। किसानों को ऋण चुकाने के लिए, आगामी फसल के लिए माल लेने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए धन की आवश्यकता के कारण उचित विपणन व्यवस्था प्राप्त नहीं हो पाती है। इसके अलावा मूल्य की सही जानकारी न लगना भी विपणन व्यवस्था की एक कमी कही जाएगी।

अध्ययन के उद्देश्य :-

- फसल दौरान कृषि विपणन क्रियाओं का किसानों पर प्रभाव का परीक्षण करना।
- राजस्थान में कृषकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को जानना।

**प्राक्कल्पनाएँ** –

- फसल दौरान रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से उत्पादन अधिक बढ़ता है।
- समन्वित कृषि पद्धति से आर्थिक लाभ का सार्थक सम्बन्ध है।

**तथ्य संकलन** – प्रस्तुत अध्ययन में कृषकों पर विपणन क्रियाओं का प्रभाव देखा गया है जिसमें फसल के दौरान कृषकों पर विपणन के प्रभावों को देखा गया है।

**अध्ययन क्षेत्र एवं निदर्शन** – कृषि संभाग कोटा, के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों को अध्ययन हेतु चुना गया है एवं चयनित क्षेत्रों को सुविचारित एवं उत्तरदाताओं को देवनिदर्शन पद्धति से चयन किया गया है।

- कोटा संभाग के जिले – 6
- चयनित जिलों में कृषि उपज मण्डी समितियाँ – 20
- चयनित कृषि उपज मण्डी समितियों से उत्तरदाता – 20 गुणा 15
- चयनित उत्तरदाता – 300

उपरोक्त उद्देश्यपूर्ण निदर्शन से कोटा कृषि विपणन संभाग से 300 कृषकों का उत्तरदाताओं के रूप में चयन किया गया है।

**फसल दौरान रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग** – विपणन कम्पनियों अपने कीटनाशकों के बारे में टेलीविजन, रेडियो और अन्य माध्यमों से विपणन करती हैं। कोटा खण्ड में अलग-अलग जगह किसानों के समूहों की बैठकों में इनके प्रयोग के तरीके सिखाए जाते हैं। कभी-कभी खड़ी फसल में इन उत्पादों का सीधा प्रयोग कर किसानों को कीटनाशक खरीदने हेतु प्रेरित किया जाता है। ये कंपनियाँ किसानों को सेम्पल के रूप में भी कीटनाशक देती हैं, जिसका प्रयोग वे अपने खेतों में करके देखते हैं। इसी प्रकार जैविक उत्पादों का भी विपणन किया जाता है। जैविक कीटनाशक बनाने की विधि समय-समय पर किसानों को दी जाती है।

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने चार जनवरी 2017 को अपने राजपत्र में ट्रायजोफोज और कार्बराइल समेत 18 कीटनाशकों को पर्यावरण के लिए घातक मानते हुए इनके कृषि में प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन कीटनाशकों को आमतौर पर किसानों द्वारा पौधों में रोग व कीटों के निवारण के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है।

केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किया गया राजपत्र केंद्रीय कृषि

\* शोधार्थी (अर्थशास्त्र) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत  
\*\* पर्यवेक्षक व सह-आचार्य (अर्थशास्त्र) भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत



मंत्रालय की ओर से जारी किए गए राजपत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार की विशेष बैठक में गठित कमेटी ने 18 कीटनाशकों (वेनोमाइल, कार्बराइल, डायजिनोन, फेनारिमोल, फेंथिओन, लिनुरोन, मेथोक्सी ईथाइल, मिथाइल पेराथिओन, सोडियम साइनाइड, थियोमेटोन, ट्राइडेमोर्फ, ट्राइपलूरेलिन, अलावलो, डाइक्लोरोवस, फोरेट, फोस्फोमिडोन, ट्रायाजोफोज, ट्राइक्लोरोफोर्न) को मानव जाति व जीव जन्तुओं के लिए भी जानलेवा माना है और इन्हें प्रतिबंधित किया है।

मुख्यरूप से गर्भवती महिलाओं के लिए जानलेवा विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2015 में किए गए वैश्विक कीटनाशक प्रयोग पर अध्ययन के अनुसार विश्व में करीब 25 लाख लोग प्रतिवर्ष कीटनाशकों के खतरनाक प्रभाव के चपेट में आ जाते हैं, जिनमें से पांच लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए गए कीटनाशकों में से वेनोमाइल, फोरेट, मेथोक्सी ईथाइल और सोडियम साइनाइड जैसे कीटनाशक बेहद खतरनाक बताए गए हैं। ये कीटनाशक मुख्यरूप से गर्भवती महिलाओं, मछली, चिड़ियों व जलीय जन्तुओं के लिए जानलेवा सबित हो सकते हैं।

केयर रेटिंग के अनुसार 1950 में देश में जहां 2000 टन कीटनाशक की खपत थी वहीं अब ये बढ़कर 90 हजार टन पर पहुंच गई है। 60 के दशक में देश में जहां 6.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कीटनाशकों का छिड़काव होता था वहीं अब 1.5 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में कीटनाशकों का छिड़काव हो रहा है। इसका परिणाम यह है कि भारत में पैदा होने वाले अनाज, सब्जी, फलों व दूसरे कृषि उत्पादों में कीटनाशक की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई है। केयर रेटिंग ने इसको लेकर अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारतीय खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों का अवशेष 20 फीसदी तक है जबकि वैश्विक स्तर पर यह सिर्फ 2 फीसदी तक होता है। भारत में केवल ऐसे 49 प्रतिशत ही खाद्य उत्पाद हैं जिनमें कीटनाशकों के अवशेष नहीं मिलते हैं जबकि वैश्विक स्तर पर 80 प्रतिशत खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों के अवशेष नहीं हैं।

### चित्र संख्या 01 (देखें आगे पृष्ठ पर)

चित्र 01 में कोटा खण्ड के 300 कृषकों द्वारा रासायनिक कीटनाशक प्रयोग करने पर उन पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का विवरण दिया गया है। 33(11 प्रतिशत) कृषकों के अनुसार रासायनिक कीटनाशकों की लागत कम लगती है जबकि 57(19 प्रतिशत) कृषक मानते हैं कि रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग की लागत अधिक आती है और 26(8.7 प्रतिशत) कृषकों का कहना है कि रासायनिक कीटनाशकों का असर कम समय में ही आ जाता है एवं 36(12 प्रतिशत) कृषकों यह मानते हैं कि रासायनिक कीटनाशकों का असर होने में समय अधिक लगता है तथा 36(12 प्रतिशत) कृषकों के अनुसार रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से कम उत्पादन होता है और इसी क्रम में 102(34 प्रतिशत) कृषक रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग से अधिक उत्पादन लेते हैं।

**फसल दौरान खरपतवार नियंत्रण** - खाद्यान्नों की कमी के कारणों का विश्लेषण करें तो हमें पता चलेगा कि फसलों में विभिन्न नाशकों द्वारा लगभग 1,07,000 करोड़ रुपये के बराबर की वार्षिक हानि होती है। जिसमें अकेले खरपतवारों के कारण 37 प्रतिशत हानि होती है जबकि कीड़ों से 22 प्रतिशत व बीमारियों से 29 प्रतिशत होती है। खरपतवार हमारी भूमि से पानी को भी अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण जहां 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है वहां किसान को ज्यादा पानी देना पड़ता है, इसलिए समय पर खरपतवार नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है।

खरीफ फसलों का भारतीय कृषि व देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़

बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों के आधार पर ये फसलें औसतन 72.6 मिलियन हेक्टर भूमि पर उगायी जा रही हैं और लगभग 106.9 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन 96.7 मिलियन टन है। अगर दोनों मौसमों की फसलों की उत्पादकता की ओर देखें तो काफी अंतर दिखाई पड़ता है। खरीफ फसलों की उत्पादकता 1458 कि.ग्रा.हेक्टर है, जो कि देश की रबी फसलों की उत्पादकता (2005 कि.ग्रा.हेक्टर) से काफी पीछे है।

### चित्र संख्या 02 (देखें आगे पृष्ठ पर)

चित्र 02 में कोटा खण्ड के 300 कृषकों द्वारा रासायनिक खरपतवार नियंत्रण प्रयोग करने पर उन पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का विवरण दिया गया है जिसमें 22(7.3 प्रतिशत) कृषकों के अनुसार रासायनिक खरपतवार नियंत्रण की लागत कम लगती है जबकि 46(16.3 प्रतिशत) कृषक मानते हैं कि रासायनिक खरपतवार नियंत्रण की लागत अधिक आती है और 56(18.7 प्रतिशत) कृषकों का कहना है कि रासायनिक खरपतवार नियंत्रण का असर कम समय में ही आ जाता है एवं 11(3.7 प्रतिशत) कृषक यह मानते हैं कि रासायनिक खरपतवार नियंत्रण का असर होने में समय अधिक लगता है तथा 14(4.7 प्रतिशत) कृषकों के अनुसार रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के प्रयोग से कम उत्पादन होता है और इसी क्रम में 151(50.3 प्रतिशत) कृषक रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के प्रयोग से अधिक उत्पादन लेते हैं।

**फसल दौरान दीमक नियंत्रण** - दीमक पोलीफेगस कीट होता है, यह सभी फसलों को बर्बाद करता है भारत में फसलों को करीबन 45 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती हैं। दीमक भूमि के अंदर अंकुरित पौधों को चट कर जाती हैं। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। इस कीट का वयस्क मोटा होता है, जो धूसर भूरंग का होता है।

### चित्र संख्या 03 (देखें आगे पृष्ठ पर)

इस कीट की सूड़ियां मिट्टी की बनी दरारों अथवा गिरी हुई पत्तियों के नीचे छिपी रहती हैं। रात के समय निकलकर पौधों की पत्तियों या मुलायम तनों को काटकर गिरा देती है। आलू के अलावा टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सरसों, राई, मूली, गेहूँ आदि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है इस कीट के नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन को अपनाया जरूरी है खड़ी फसल में सामान्यतया किसान रासायनों का उपयोग करते हैं। यह तरीका महंगा एवं खर्चीला है तथा मृदा को प्रदूषित करता है। जैव नियंत्रण कारकों विशेषकर मित्र फफूंद मेटाराइजियम एनिसोपलाई एवं ब्यूबेरियो बेसियान का संवर्धन, नीम का तेल, अरण्डी की खली का उपयोग दीमक नियंत्रण के लिए सतत् एवं स्थाई कारक हैं।

चित्र 03 में कोटा खण्ड के 300 कृषकों द्वारा रासायनिक दीमक नियंत्रण प्रयोग करने पर उन पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का विवरण दिया गया है, जिसमें 8(2.7 प्रतिशत) कृषकों के अनुसार रासायनिक दीमक नियंत्रण की लागत कम लगती है, जबकि 66(22 प्रतिशत) कृषक मानते हैं कि रासायनिक दीमक नियंत्रण की लागत अधिक आती है और 67(22.3 प्रतिशत) कृषकों का कहना है कि रासायनिक दीमक नियंत्रण का असर कम समय में ही आ जाता है एवं 7(2.3 प्रतिशत) कृषकों यह मानते हैं कि रासायनिक दीमक नियंत्रण का असर होने में समय अधिक लगता है तथा 6(2 प्रतिशत) कृषकों के अनुसार रासायनिक दीमक

नियन्त्रण के प्रयोग से कम उत्पादन होता है और इसी क्रम में 146 (48.7 प्रतिशत) कृषक रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग से अधिक उत्पादन लेते हैं।

#### अध्ययन के निष्कर्ष -

- 11 प्रतिशत कृषकों के अनुसार रासायनिक कीटनाशकों की लागत कम लगती है, जबकि 34 प्रतिशत कृषक रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग से अधिक उत्पादन लेते हैं।
- 16.3 प्रतिशत कृषक मानते हैं कि रासायनिक खरपतवार नियन्त्रण की लागत अधिक आती है और 50.3 प्रतिशत कृषक रासायनिक खरपतवार नियन्त्रण के प्रयोग से अधिक उत्पादन लेते हैं।
- 66(22 प्रतिशत) कृषक मानते हैं कि रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग से अधिक आती है और 48.7 प्रतिशत कृषक रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग से अधिक उत्पादन लेते हैं।

#### सुझाव -


- फसल के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्व तथा जैव उर्वरकों के विपणन पर किसानों को अपने विवेक एवं विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए।

- विपणन के कारण फसल के दौरान कृषकों को रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग से अधिक उत्पादन लिया जाता है लेकिन जनहित में निजी कम्पनियों के उत्पादों के विपणन को विवेक संगत लेकर प्रतिबंधित कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।


#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आचार्य (2004) कृषि-विपणन में विकासशील अर्थव्यवस्था, कृषि विपणन की भारतीय पत्रिकाएँ, वॉल्यूम. एक्सएल वी, जनवरी-मार्च, पृष्ठ संख्या. 7-15
2. बेगम, जे. ए., (2011) द मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड वेजिटेबल्स ऑफ वेजिटेबल मार्केट : ए माइक्रो लेवल स्टडी, एशियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज. वीओएल. 1 (3), पीपी 10-18.
3. भट्टाचार्य देबांग (2005) 'फूड क्राइसिस : द रूरल डेवलपमेंट चैलेंज', जर्नल ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन स्टडीज. वॉल्यूम. 42 (3), पीपी. 343-346.


चित्र संख्या 01 - कृषकों पर रासायनिक कीटनाशकों का आर्थिक प्रभाव (2017-18)



चित्र संख्या 02 -कृषकों पर रासायनिक खरपतवार नियन्त्रण का आर्थिक प्रभाव (2017-18)



चित्र संख्या 03 -कृषकों पर रासायनिक दीमक नियन्त्रण का आर्थिक प्रभाव (2017-18)



\*\*\*\*\*



## जनजातीय कृषकों के आर्थिक विकास में नई कृषि तकनीकों का योगदान - (मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के विशेष संदर्भ में)

### वन्दना कलमें \*

**शोध सारांश** - भारत देश की सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ मध्यप्रदेश में निवास करती हैं। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से राज्य देश में प्रथम स्थान पर हैं। किसी भी क्षेत्र या प्रदेश के कृषि विकास में कृषि की नई तकनीकी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कृषि विकास के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग में लाना अतिआवश्यक है। खरगोन जिला एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें जनजातीय समुदाय कृषि कार्य में संलग्न हैं। खरगोन जिले में कृषि की गहनता कृषि उत्पादकता, उत्पादन तथा कृषि का विकास करने के लिए उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाओं, भण्डार, कृषि यंत्र, वित्त एवं विपणन सुविधा परिवहन तथा ऊर्जा सुविधाओं की व्यवस्था अति आवश्यक है।

**शब्द कुंजी** - अनुसूचित - जनजाति, आर्थिक विकास, कृषि तकनीक।

**प्रस्तावना** - भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहां की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। हमारे देश की जीवन शक्ति का आधार ग्रामीण समाज है। देश की लगभग तीन चौथाई जनसंख्या गांवों में निवास करते हुए राष्ट्रीय आय में करीब 40 प्रतिशत का योगदान कर रही हैं। ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 90 प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में संलग्न है। इस प्रकार हमारे देश की कुल जनसंख्या का लगभग 64 प्रतिशत भाग जीविकोपार्जन के लिए कृषि कार्य में संलग्न है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि प्रधान है। देश में कृषि विकास हेतु विभिन्न कृषि कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत सरकार द्वारा अपेक्षित सुसंगत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कृषि के विकास द्वारा ही ग्रामीण एवं जनजातीय आदिवासी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास सम्भव हुआ है। मध्यप्रदेश राज्य में भारत देश की सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की उपजातियों को मुख्य जाति के साथ रखे तो यहाँ कुल 43 अनुसूचित जनजातियाँ पायी जाती हैं। वर्ष 1961 में मध्यप्रदेश में इनकी कुल जनसंख्या 98.9 लाख व्यक्ति थी जो बढ़कर वर्ष 2001 में 122.33 लाख वही वर्तमान वर्ष 2011 में 153.17 लाख व्यक्ति हो गई है। इस तरह इनकी इस संख्या की दृष्टि से यह राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2011 में राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का 14.69 प्रतिशत है। राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1 प्रतिशत है, जो जनसंख्या में प्रथम और प्रतिशत में 13 वाँ स्थान है। खरगोन जिले की कुल जनसंख्या 2011 में 1,873,046 है तथा जनसंख्या वृद्धि दर 20.09 प्रतिशत है। कुल ग्रामीण जनसंख्या का 84 प्रतिशत है एवं नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 16.0 है खरगोन जिले का क्षेत्रफल 8,025 है। खरगोन जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 11.02 है तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 39 प्रतिशत है।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे- कृषि विकास, औद्योगिक विकास, भवन निर्माण कार्यों तथा श्रमिकों के लिए अनेक योजनाएं चलायी

जा रही है, जिसमें अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास हो रहा है, किन्तु अनुसूचित जनजातियों की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर होती है। कृषि क्षेत्र, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के उपयोग के परिणाम स्वरूप प्रदेश आत्मनिर्भर हुआ है। भारत में प्राचीन काल से कृषि कार्य किया जा रहा है। पूर्व में जनजातियों का जीवन वनों पर आधारित रहा है, उनकी संपूर्ण जीविका वनों के आस पास होती थी। वर्तमान समय में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने से जहाँ खाद्य समस्या उत्पन्न हुई है, वही दूसरी ओर वनों के विनाश के कारण शासन द्वारा प्रतिबंध बढ़ा दिये जाने से जनजाति समुदाय को अपनी जीवन शैली में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा तथा जनजातियों को कृषि में आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिये वर्तमान में कृषि उत्पादन की बढ़ती माँग ने भी प्रेरित किया है। पूर्व में शिक्षा व जागरूकता के अभाव में इनके द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती रही है तथा समय परिवर्तन के दौरान जनजातीय वर्ग की आजीविका पूर्णतः कृषि पर निर्भर हो गयी तथा इन्हे कृषि का पर्याप्त ज्ञान नहीं होने के कारण कृषक पुरातन परम्परागत तकनीकी के माध्यम से कृषि कार्य करते थे क्योंकि आधुनिक तकनीकी को अपनाने में कई घटक विविध प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे। इनमें मुख्यतः शिक्षा एवं जागरूकता की कमी, आर्थिक पिछड़ापन, आदि के परिणाम स्वरूप कृषक पुरानी और परम्परागत कृषि तकनीक के सहारे निम्न स्तर का जीवन जीने के लिए बाध्य थे और आज भी कहीं न कहीं यही स्थिति है लेकिन कुछ क्षेत्रों में सरकारी प्रयासों से जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा एवं जागरूकता के कारण कृषि की नवीन तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं जनजातीय कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

### उद्देश्य -

1. जनजातीय कृषकों द्वारा नई कृषि तकनीकी अपनाने की प्रक्रिया का अध्ययन करना।
2. जनजातीय कृषकों पर नवीन कृषि तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. जनजातीय क्षेत्रों में आधुनिक कृषि तकनीकी को और प्रभावी बनाने

हेतु सुझाव एवं निष्कर्ष देना।

**शोध प्रविधि** - प्रस्तुत शोध पत्र में जनजातीय कृषकों के आर्थिक विकास में नई कृषि तकनीकों का योगदान (मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के विशेष संदर्भ में) को अध्ययन क्षेत्र के लिए चुना गया है। इस शोध पत्र में द्वितीयक समंक जिला सांख्यिकी पुस्तिका एवं विविध आलेख से लिया गया है।

**अध्ययन का विश्लेषण-**

**तालिका क्रमांक 01 (देखें आगे पृष्ठ पर)**

तालिका 01 से स्पष्ट है कि वर्ष 2012-13 में उन्नत बीज, का क्षेत्रफल 383280 तथा मात्रा 93195 थी जो वर्ष 2016-17 में क्षेत्रफल 552580 एवं मात्रा बढ़कर 98049 हो गई। रासायनिक खाद वर्ष 2012-13 में क्षेत्रफल 383280 व मात्रा 254429 थी जो वर्ष 2016-17 में क्षेत्रफल 552580 व मात्रा घटकर 233680 हो गई। पौध संरक्षण क्षेत्रफल वर्ष 2012-13 में 312247 व मात्रा 175 थी जो वर्ष 2016-17 में क्षेत्रफल घटकर 295540 जबकि इसकी मात्रा बढ़कर 387 हो गई है तथा कृषि यंत्रों की संख्या उक्त अवधि में वर्ष 2012-13 में 2000 से बढ़कर 2016-17 में 3217 हो गई।

तालिका के विश्लेषण से यह तथ्य प्राप्त होता है कि अवधि वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2016-17 में उन्नत बीजों के क्षेत्रफल तथा मात्रा में वृद्धि हुई है एवं रासायनिक खाद के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है एवं मात्रा में कमी हुई है और पौध संरक्षण में उक्त अवधि में क्षेत्रफल में कमी व मात्रा में वृद्धि हुई है। तथा तरल कीटनाशक दवाइयों, बीजोपचार ओषधी और कृषि यंत्रों में वृद्धि हुई है।

**तालिका क्रमांक-02 (देखें आगे पृष्ठ पर)**

तालिका क्रमांक-02 में खरगोन जिले की प्रमुख फसलों के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में अनाज, दलहन, तिलहन, कपास एवं गन्ने की फसलों का कुल क्षेत्रफल 478236 हेक्टेयर था जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 544999 हेक्टेयर हो गया है। तथा वर्ष 2012-13 में कुल उत्पादकता 12359 क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 84868 हो गई एवं कुल उत्पादन वर्ष 2012-13 में 659800 से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 1548871 टन हो गया।

तालिका के समग्र विश्लेषण से यह तथ्य साबित होता है कि प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल, उत्पादकता, उत्पादन में वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक निरंतर वृद्धि हुई है, जिससे खरगोन जिले में कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

**निष्कर्ष** - कृषि में यंत्रीकरण का उपयोग इसका अर्थ साधारणतया बैलों, घोड़ों तथा अन्य छोटे पशुओं या मानवीय श्रम के स्थान पर यांत्रिक शक्ति का उपयोग करना यंत्रीकरण कहलाता है। खरगोन जिले का सर्वप्रथम व प्राचीन उपकरण लकड़ी का हल जो बैलों द्वारा खींचा जाता है। खरगोन जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जिले में जनजातीय कृषकों का मुख्य व्यवसाय कृषि पर आधारित है। जनजातीय क्षेत्र में कृषि के परम्परागत रूप से खेती करने के साथ ही साथ नई कृषि तकनीकों का भी प्रयोग किया जा रहा है जिससे उन्नत बीजों एवं रासायनिक खादों, तथा उन्नत कृषि यंत्रों, मशीनों तथा उपकरणों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने से जिले की प्रमुख फसलों के अन्तर्गत अनाज, दलहन, तिलहन, कपास तथा गन्ने की फसलों के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण जनजातीय क्षेत्रों में कृषकों का आर्थिक विकास संभव हुआ है। जनजातीय समुदाय आज भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है लेकिन सरकारी प्रयासों, शिक्षा एवं जागरूकता के प्रचार-प्रसार द्वारा आर्थिक विकास हो सकता है। जिले में जनजातीय समुदाय के कृषकों द्वारा कृषि की नई तकनीक को अपनाने से उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि जनजातीय कृषकों के आर्थिक स्थिति मजबूत होने का एक प्रमुख साधन कृषि है।

**सुझाव -**

1. अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास हेतु शिक्षा एवं जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए।
2. अनुसूचित जनजाति लोगों में कृषि के आधुनिक उन्नत तरीकों की जानकारी ही नहीं वरन् प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए जबकि कृषि सम्बंधित उनके अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयत्न किया जाए।
3. कम सिंचाई वाली फसलों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
4. कृषि हेतु बीजों का वितरण भूमि की गुणवत्ता के अनुसार किया जाना चाहिए।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. भारतीय कृषि का अर्थशास्त्र, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
2. हसनैन नदीम, 2000 'जनजातीय भारत' जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डीस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
3. जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2016, 2017 जिला सांख्यिकी कार्यालय जिला- खरगोन।
4. उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग जिला- खरगोन (2017)।

तालिका क्रमांक 01  
खरगोन जिले में उन्नत कृषि एवं कृषि यंत्रों की स्थिति

वर्ष	उन्नत बीज		रासायनिक खाद		पौध संरक्षण		तरल दवा मात्रा लीटर	बीजोपचार औषधी		कृषि यंत्रों की संख्या
	क्षेत्र	मात्रा किंटल	क्षेत्र	मात्रा टन	क्षेत्र	मात्रा किंटल		क्षेत्र	मात्रा किंटल	
2012-13	383280	93195	38320	254429	312247	175	-	201925	68806	2000
2013-14	516614	115368	516614	234043	316459	203	220000	516614	990	700
2014-15	562122	118936	562122	277363	266924	347	212100	562122	757	1132
2015-16	583667	92119	583667	260049	296942	387	185000	388496	925	1150
2016-17	552580	98049	552580	233680	295540	387	222000	390360	1170	3217

स्रोत - जिला सांख्यिकी पुस्तिका वर्ष 2016, 2017 एवं सांख्यिकी कार्यालय जिला- खरगोन (म.प्र.)

तालिका क्रमांक-02  
खरगोन जिले में प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, उत्पादकता, उत्पादन की स्थिति

क्र.	वर्ष		अनाज	दलहन	तिलहन	कपास	गन्ना	योग
1	2012-13	क्षेत्र(हेक्टेयर में)	152576	33107	55253	237300	-	478236
		उत्पादकता(किंटल में)	6259	2666	2524	910	-	12359
		उत्पादन(टन में)	345142	26594	72121	215943	-	659800
2.	2013-14	क्षेत्र	186393	43260	80750	176635	1456	488494
		उत्पादकता	6266	2976	2704	850	60000	72796
		उत्पादन	428859	39066	116670	150140	87360	822095
3.	2014-15	क्षेत्र	207713	43433	61755	202137	1452	516490
		उत्पादकता	7129	2799	1946	818	65000	77692
		उत्पादन	597260	41689	57124	165348	94380	955801
4.	2015-16	क्षेत्र	203792	48137	77974	192060	2458	524421
		उत्पादकता	5931	66379	2166	1091	64000	139567
		उत्पादन	616555	3918	72284	209537	157312	1059606
5.	2016-17	क्षेत्र	212927	64115	71214	194157	2586	544999
		उत्पादकता	9851	5265	3043	1707	65000	84868
		उत्पादन	821537	121291	106527	331426	168090	1548871

स्रोत - उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला खरगोन 2017

\*\*\*\*\*

## महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका (झाबुआ जिले के विशेष सन्दर्भ में)

मुकेश डामोर \* डॉ. नलिन सिंह पंवार \*\*

**प्रस्तावना** - कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के कारण रोजगार एवं आय की निर्भरता पूर्ण रूप से मौसम, वर्षा एवं उत्पादन पर निर्भर करता है।<sup>1</sup> ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा रोजगार के अन्य अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ज्यादातर कृषक शून्य उत्पादकता के साथ कृषि कार्यों में संलग्न होने के कारण बेरोजगार रहते हैं। परिणाम ग्रामीण लोगों का सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन यथावत है। पिछले सात दशकों के नियोजन के दौरान गावों में रोजगार के नये अवसर जुटाकर गरीबी दूर करने के उद्देश्य से केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने समय-समय पर अनेक योजनाएँ और कार्यक्रम चलाए, किन्तु जनसंख्या वृद्धि व भ्रष्टाचार के कारण बेरोजगारी की समस्या कम नहीं हुई।<sup>2</sup> पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा ग्रामीण जनता को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रयास किये जा चुके हैं। जिसके तहत अब तक रूरल मेनपाँवर (1960-61), क्रेष स्कीम फॉर रूरल इम्प्लाइमेंट (1971-72), नमूना सघन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (1972), लघुकृषक विकास ऐजेंसी, सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक योजना, आदि कार्यक्रम चलाए जा चुके हैं।<sup>3</sup> समय और जनता की आवश्यकता के अनुसार योजनाओं को परिमार्जित कर नए रूप में लागू किया गया। वर्ष 1977 में काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई। 80 के दशक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किये गये। जवाहर रोजगार योजना (1993-94), रोजगार आश्वासन योजना को मिलाकर वर्ष 1999-2000 में 'जवाहर ग्राम समृद्धि योजना' शुरू की गई। 2000-01 में इस कार्यक्रम को 'सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना', तथा 2005 में 'राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना' कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया।<sup>4</sup> फरवरी 2006 को आन्ध्रप्रदेश के अनन्तपुर जिले से शुरू की गई मनरेगा के प्राथमिक चरण में 200 पिछड़े जिलों को शामिल किया गया। इस योजना में मुख्यतः जल, जंगल, व जमीन तथा जनकल्याण से जुड़े कार्य करने की अनुमति है।<sup>5</sup> 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी 614 जिलों तक के ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया। मनरेगा के प्राथमिक कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत वे पिछड़े जिले रहे हैं, जो सामाजिक-आर्थिक विकास के सुचकांक निम्न स्तरीय है तथा ऐसे जिले जो नक्सलवाद या माओवादी हिंसा के शिकार हैं।<sup>6</sup> मनरेगा के तहत मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में बिना दक्षता वाले हाथों के कार्यों को शामिल किया गया है और स्वैच्छिक रूप से ऐसे कार्य करने के इच्छुक लोगों को इस प्रकार के कार्य उपलब्ध कराए जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हर ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर देता है।<sup>6</sup>

**झाबुआ जिले का सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य** - झाबुआ जिला मध्यप्रदेश के पश्चिम में स्थित आदिम जनजाति संस्कृति को अपने आंचल में समेटे प्राकृतिक रूप से सम्पन्न है।<sup>7</sup> झाबुआ जिला नवीन परिसीमन के आधार पर 6 तहसीलों में विभाजित है, जो झाबुआ, राणापुर, पेटलावद, थांदला, रामा और मेघनगर।<sup>7</sup> झाबुआ जिले की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1025048 है, जिसमें वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 की जनगणना में 30.7 प्रतिशत वृद्धि हुई।<sup>8</sup> झाबुआ जिले में 87 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या में सर्वाधिक अशिक्षित, परम्परागत जीवनशैली, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रथाओं की प्रचुरता है। झाबुआ जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल कृषि के अन्तर्गत है किन्तु छोटे जोत एवं सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण कृषकों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त निम्न स्तर की है।<sup>9</sup> कृषि में प्राकृतिक कारक, भूमि में उर्वरता की कमी, कृषि तकनीकी का परम्परागत स्वरूप, धन का अभाव आदि के कारण गैर-कृषि मजदूरी के लिए राज्यीय एवं अन्तर्राज्यीय शहरी एवं कस्बाई क्षेत्रों में बड़ी संख्या पलायन किया जाता है। गाँवों में जनसंख्या की कमी के कारण निम्न समस्याओं जिनमें ग्रामीण अधोसंरचनात्मक (सड़क, परिवहन, स्कूल भवन, संचार आदि) विकास का अभाव, प्राथमिक सुविधाओं (पीने का पानी, बिजली, स्वास्थ्य, ऊर्जा के साधन आदि) का अभाव, जनसम्पर्क का अभाव, ग्रामीण पिछड़ेपन की स्थिति, सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन, रूढ़िवादी विचारधारा, निम्न स्वास्थ्य स्तर आदि समस्याएँ हैं।<sup>10</sup>

### तालिका क्रमांक - 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक वर्ग की 239359 परिवार पंजीकृत है। मनरेगा में पंजीकृत अनुसूचित जाति वर्ग के कुल परिवारों में 5.5 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 84.2 प्रतिशत एवं अन्य सामाजिक वर्ग के 10.37 प्रतिशत परिवार मनरेगा में पंजीकृत है।

### तालिका क्रमांक - 2 (देखे आगे पृष्ठ पर)

मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न अवधि के दौरान रोजगार उपलब्धता के वर्ष 2018-19 में जिले में कुल 78403 परिवारों के 144265 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्धता के द्वारा 3419618 व्यक्ति दिवस का रोजगार का निर्माण किया गया। झाबुआ जिले में मनरेगा के अन्तर्गत कार्यरत व्यक्तियों में 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। अन्य आयु वर्ग के व्यक्ति मनरेगा में कार्य करने के स्थान पर अन्य मजदूरी कार्य में संलग्न होना अधिक पसन्द करते हैं। जबकि 50 से अधिक आयु वर्ग के आश्रित व्यक्ति स्थानीय स्तर पर कार्य उपलब्ध होने के कारण मनरेगा में कार्य करना पसन्द करते हैं।

\* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

\*\* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

### तालिका क्रमांक -3 (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका 3 से स्पष्ट है कि विभिन्न वर्षों में मनरेगा के अन्तर्गत निर्मित सम्पत्ति के अन्तर्गत झाबुआ विकासखण्ड में ग्रामीण सम्पर्क के लिए सड़कों का विकास ग्राम पंचायत स्तर पर वर्ष 2018-19 में झाबुआ विकासखण्ड में 95 एवं रामा विकासखण्ड में 23 कार्य किए गए। पारम्परिक जल निकायों के नवीनीकरण के कार्य वर्ष 2018-19 के दौरान मेघनगर विकासखण्ड में 11 एवं रानापुर विकासखण्ड में 3 कार्य किए गए। सुखे की समस्या से निपटने के लिए सुखारोधन कार्य के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान 38 कार्य किए गए। सिंचाई सुविधाएँ अजा./अजजा./इंदिरा आवास योजना वर्ग के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कुल 5413 कार्य पूर्ण किए गए जिनमें सर्वाधिक मेघनगर विकासखण्ड में 1493 एवं सबसे कम रानापुर विकासखण्ड में 353 कार्य पूर्ण किए गए। बाढ़ नियन्त्रण के लिए वर्ष 2018-19 में 15591 कार्य किए गए। भूमि विकास के लिए वर्ष 2018-19 में झाबुआ विकासखण्ड में 3 एवं मेघनगर में 1 कार्य हुआ। भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र का निर्माण वर्ष 2018-19 में कुल 16 केन्द्रों का निर्माण किया गया। ग्रामीण पेय जल व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में 65 कार्य किए गए। ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में 145 कार्य किए गए। मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में कुल 15591 कार्य किए गए। मनरेगा के अन्तर्गत अनेक कार्य प्रारम्भ होने के बाद कुछ पूर्ण होते हैं जबकि अनेक कार्य अपूर्ण रह जाते हैं। कार्यों की अपूर्णता का प्रमुख कारण वित्त आबन्तन में देरी, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भ्रष्टाचारी, सरपंच एवं सचिवों का आपसी विवाद, ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारम्परिक रीति-रिवाजों में सहभागिता, मजदूरों द्वारा मजदूरी राशि मिलने में देरी होने पर अन्य कार्यों में संलग्नता आदि कारणों से चालू कार्यों का बहुत बड़ा हिस्सा अपूर्ण रहा एवं शासकीय वित्त का अपव्यय किया गया। ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार कार्यक्रमों का संकट के समय गरीब परिवारों को आय का माध्यम व स्रोत उपलब्ध करवाकर खाद्य आपूर्ति व उपभोग का स्तर बनाए रखने में मदद करता है। मनरेगा का सर्वाधिक लाभ प्राकृतिक आपदा के समय प्राप्त होता है जब कृषि रोजगार का अभाव होता है।

**निष्कर्ष** - मनरेगा का व्यवस्थित संचालन रोजगार उपलब्ध करवाना, गरीबी निवारण, ग्रामीण अधोसंरचनात्मक विकास, आय, शिक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्र में सकारात्मक विकास किया जा सकता है। झाबुआ जिले में मनरेगा के अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों में 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मजदूरों की संख्या अन्य आयु वर्ग की तुलना में अधिक होती है। इसका प्रमुख कारण मनरेगा के अन्तर्गत मिलने वाली मजदूरी की दरों कम होना, मजदूरी राशि का समय पर भुगतान का अभाव, बैंक से मजदूरी की प्राप्ति आदि कारणों से मनरेगा के अन्तर्गत युवा वर्ग की कार्य में रुची

का अभाव है। मनरेगा के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की पूर्णता की अनिश्चितता, स्थानीय लोगों द्वारा कार्य में अरुचि, निर्मित कार्यों की देखभाल जैसी समस्याओं के निवारण में पंचायतों की भूमिका में विकास किए जाने की आवश्यकता है।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 'कुरुक्षेत्र' सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, अक्टूबर 2009, पेज-33
2. www.Exl NREGS\ employ statas\Employment Status I10 -11.htm
3. "All india report on evaluation of NREGA" A Survey Of Twenty Districts INSTITUTE OF APPLIED MAN-POWER RESEARCH, DELHI.
4. MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT 2005 Report to the People 2nd Feb. 2006 - 2nd Feb. 2010 Ministry of Rural development, department of rural development, Govt of india, New Delhi,
5. District Census Handbook, Census of India 2011, Series -24 Part XII-A, Village and town directory 2011, Directorate of Census Operations Madhya Pradesh, Jhabua.
6. जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2013, जिला सांख्यिकी कार्यालय जिला झाबुआ।
7. District Census Handbook, Census of India 2011, Series -24 Part XII-A, Village and town directory 2011, Directorate of Census Operations Madhya Pradesh, Jhabua.
8. जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2013, जिला सांख्यिकी कार्यालय जिला झाबुआ।
9. Role of MGNREGA in Rural Employment: A review, Santosh Kumar, lecturer in sociology, Govt. P.U Collage Karnataka, international journal of economics and business review, ISSN 2347-9671.
10. Panda, B. & Umdor, S (2011) Appraisal and Impact Assessment of MGNREGA in Assam. North- Eastern Hill University. Shillong.
11. Ashok Pankaj, Rukmini Tankha.(2010): "Empowerment Effects of the NREGS on Women workers: A study in Four States", Economic and Political Weekly. 2010; XLV, 30(24):45

### तालिका क्रमांक - 1

वर्ष 2018-19 के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत पंजीकृत परिवारों का विवरण

जिला	अनुसूचित जाति	कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत	अन्य	कुल अन्य जनसंख्या का प्रतिशत	कुल परिवार
झाबुआ	13173	5.5	201538	84.2	24648	10.37	239359

Source : [https://mnregaweb2.nic.in/netnrega/state\\_html/SCST](https://mnregaweb2.nic.in/netnrega/state_html/SCST)



तालिका क्रमांक - 2  
मनरेगा के अन्तर्गत प्रदत्त रोजगार की स्थिति

विकासखण्ड	कुल परिवार की संख्या	कुल कार्यरत परिवार एवं व्यक्ति								
		2016.17			2017.18			2018.19		
		परिवार	व्यक्ति	व्यक्ति दिवस	परिवार	व्यक्ति	व्यक्ति दिवस	परिवार	व्यक्ति	व्यक्ति दिवस
झाबुआ	29361	12692	25140	371711	12712	27822	557326	11198	21054	497840
मेघनगर	30528	14001	29706	560363	16691	35210	769697	16850	30036	784474
पेटलावद	43329	16608	35951	634611	20143	46189	876523	16919	32225	668812
रामा	23668	11435	26138	492251	11763	26733	521049	11589	21747	523579
रानापुर	20150	8915	18059	343929	8175	16315	309028	6538	11305	275131
थान्दला	31451	15965	32930	683576	18138	36775	805698	15309	27898	669782
कुल	194157	79616	167924	3086441	87622	189044	3839321	78403	144265	3419618

Source - <http://mnregaweb2.nic.in>

तालिका क्रमांक - 3  
वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा सम्पत्ति पुर्ननिर्माण एवं विकास कार्य

सम्पन्न कार्य	वर्ष/गाँव की संख्या	झाबुआ	मेघनगर	पेटलावद	रामा	रानापुर	थान्दला	कुल
ग्रामीण सम्पर्क	2016.17	103	143	106	35	104	38	529
	2017.18	72	29	25	58	95	23	302
	2018.19	95	40	49	23	24	26	257
पारम्परिक जल निकायों के नवीनीकरण	2016.17	23	142	131	82	26	62	466
	2017.18	14	2	7	17	3	41	84
	2018.19	7	11	8	4	3	10	43
सूखारोधन	2016.17	22	67	17	17	17	18	158
	2017.18	1	8	3	9	9	7	37
	2018.19	1	22	3	7	1	4	38
सिंचाई सुविधाएँ अ.जा./अ.ज.जा इंदिरा आवास योजना /ल.र. वर्ग के लिए	2016.17	963	1493	825	876	353	903	5413
	2017.18	812	974	1232	581	338	940	4877
	2018.19	3190	2909	1703	2845	1559	2607	14813
जल संरक्षण एवं जल संचय	2016.17	38	97	102	94	68	215	614
	2017.18	13	64	41	21	21	71	231
	2018.19	10	39	32	20	7	40	148
भूमि विकास	2016.17	6	50	24	15	6	21	122
	2017.18	0	11	35	2	1	3	52
	2018.19	3	1	0	0	0	0	4
ग्रामीण पीने का पानी	2016.17	127	21	21	95	0	9	273
	2017.18	22	10	7	19	0	20	78
	2018.19	23	9	13	11	2	7	65
ग्रामीण स्वच्छता	2016.17	69	78	87	100	3	276	613
	2017.18	0	2	114	21	20	29	186
	2018.19	0	42	76	7	10	10	145
कुल	2016.17	1502	2167	1359	1325	587	1557	8497
	2017.18	936	1110	1469	731	492	1149	5887
	2018.19	3335	3108	1886	2922	1606	2734	1559

Source - <http://mnregaweb2.nic.in>

\*\*\*\*\*



## स्वास्थ्य संबंधी मानवाधिकार एवं भारत – एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. संगीता विजय \* सुनीता गुर्जर \*\*

**प्रस्तावना** - मानवाधिकार मानव के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों से संबद्ध होते हैं। मानवाधिकार के संदर्भ में स्वास्थ्य का तात्पर्य एक ऐसा अधिकार जो कि बीमारियों के अभाव नहीं वरन् स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर तक पहुँचने की व्यवस्था भी है। स्वास्थ्य संबंधी मानवाधिकार सभी के लिए समान है। किसी धर्म, प्रजाति, राजनीतिक विश्वास एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति के बिना भेदभाव के बिना इस प्रकार स्वास्थ्य सामान्य मानवाधिकार के साथ समग्र रूप से अन्तर्निहित है। स्वास्थ्य संबंधी मानवाधिकार से संबद्ध है। अतः यह व्यापक और समग्र रूप से होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी स्वास्थ्य संबंधी मानवाधिकारों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम एवं व्यवस्थाएँ हैं।

**संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948** - मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 30 अनुच्छेदों में कुछ उपबन्ध स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों से सम्बद्ध ही है जो इस प्रकार है -

अनु. 4 किसी भी व्यक्ति को दास व गुलाम नहीं रखा जाएगा।  
अनु. -5 किसी भी व्यक्ति को यातना नहीं दी जाएगी या उसके साथ क्रूर अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा या उसे दण्ड नहीं दिया जाएगा।  
अनु. - 18 प्रत्येक व्यक्ति को विचार अन्तःकरण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अन्तर्गत अपने धर्म या विश्वास को परिवर्तन करने की स्वतंत्रता और अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ धर्म और विश्वास को प्रकट करने की स्वतंत्रता हो।

अनु. - 19 प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार। इस अधिकार के अन्तर्गत बिना अभिमत रखने और संचार माध्यम से और सीमाओं का विचार किए बिना जानकारी मांगने की स्वतंत्रता है।

अनु. - 25 प्रत्येक व्यक्ति को जो स्वयं उसमें और उसके कुटुम्ब के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त है।

इसमें भोजन, वस्त्र, मकान और चिकित्सा तथा आवश्यक सामाजिक सेवाएँ भी हैं तथा बेरोजगारी रूग्णता, अशक्तता वैधव्य, वृद्धावस्था या उसके नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों में जीवन यापन के अभाव की दशा में सुरक्षा का अधिकार है।

**स्वास्थ्य संबंधी मानवाधिकार एवं भारत** - वसुधैव कुटुम्बकम् एवं विश्व शांति पर आधारित भारतीय संस्कृति के अनुरूप भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्भव काल से ही सक्रिय सदस्य रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा का भारत में यथोचित सम्मान किया है। भारतीय संविधान उन सभी विचारों, आदर्शों, मूल्यों, मानकों और शब्दावतियों का प्रशंसनीय ढंग से पेश किया है। भारतीय संविधान न केवल मानवाधिकारों

की गारन्टी देता है वरन् उनके संरक्षण एवं वास्तविकता में उपयोग हेतु इनका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सजा का प्रावधान भी करता है। अतः भारतीय संविधान का लक्ष्य मानवहित एवं कल्याण रहा है।

स्वास्थ्य संबंधी मानवाधिकारों के लिए यद्यपि प्रत्यक्षतः कोई पृथक घोषणा विधान नहीं है किन्तु अनेक प्रावधान कानून अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हैं। जो स्वास्थ्य संबंधी मानवाधिकारों तथा उनके संरक्षण से संबंधित हैं।

मातृत्व एवं बाल्यकाल विशेष देखभाल और सहायता के हकदार है। सभी बच्चे चाहे उनका जन्म विवाहित। अविवाहित जीवन काल में हुआ है। समान सामाजिक सुरक्षा के हकदार है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रयास इस प्रकार है।

1. आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय समिति 1966
2. मानवाधिकार समिति
3. प्रजातीय विभेद के निस्तारण पर समिति 1965
4. महिलाओं के विरुद्ध असमानता के प्रतिरोध या समिति 1979
5. प्रताड़ना के विरुद्ध समिति 1984
6. बाल अधिकारों पर समिति 1989
7. माइग्रेट कामगारों पर अन्तर्राष्ट्रीय समिति
8. 1976 नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर समिति

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार घोषणा के अतिरिक्त अनेक संस्थागत एवं प्रक्रियात्मक प्रयासों द्वारा मानवाधिकारों की प्राप्ति हेतु प्रयास किए गए हैं।

**स्वास्थ्य संरक्षण हेतु प्रयास संबंधी मानवाधिकार -**

1. न्यायिक पुनरावलोकन
2. न्यायिक निर्णय एवं दिशा-निर्देश
3. योजनाएँ, नीतियाँ एवं कार्यक्रम

**1. स्वास्थ्य का अधिकार** - भारतीय संविधान में अनु. 21 में जीवन जीने के अधिकार का प्रावधान किया गया है। जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी समाहित है एक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य विकास एवं गरिमामय जीवन जीने का अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है।

**2. स्वास्थ्य के विकास संबंधी मानवाधिकार** - इसके अन्तर्गत आने वाले अधिकार संविधान में दिए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना के अन्तर्गत मूलभूत अधिकारों तथा कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य के प्रावधान स्वास्थ्य

\* एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली (राज.) भारत

\*\* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली (राज.) भारत

संबंधी संरक्षण को भी इंगित करते हैं।

**3. मौलिक अधिकार एवं स्वास्थ्य** - भारतीय संविधान 3 में अनु. 12-35 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था इनमें मुख्यतः अनु. 21 में जीवन की रक्षा का अधिकार दिया गया है। इसमें जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण किया गया है। जिसमें स्वास्थ्य संबंधी अधिकार भी निहित है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 19, 20, 23-25 भी अप्रत्यक्षत एक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य के प्रावधान करते हैं अनु. 32 इन सभी स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों के उपभोग की गारंटी प्रदान करता है।

**नीति निर्देशक तत्व एवं स्वास्थ्य** - भारतीय संविधान के भाग 4 के अन्तर्गत (अनु. 38-51) राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है जिसका उद्देश्य राज्य द्वारा लोगों के सामाजिक, आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करना है। यद्यपि दिशा निर्देश है, जिनसे राज्य बंधा हुआ है। इनका संबंध लोगों के कल्याण सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं व्यवस्थाओं से ही है।

अनु. 39 (ई) स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कार्यकर्ताओं के साथ संबंधित है। अनु. 41 में बीमार अक्षम लोगों की सार्वजनिक सहायता के लिए राज्य संरक्षण का प्रावधान करता है।

अनु. 42 मातृत्व लाभ द्वारा शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य की रक्षा का प्रावधान करता है।

अनु. 47 बीमारी, बुढ़ापा, विकलांगता आदि दयनीय स्थिति में राज्य का प्राथमिक कर्तव्य मानवोचित संरक्षण एवं दशाओं की व्यवस्था करना है। जो कि मानव के सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। अनु. 47 में राज्य का कार्य गरीबी से त्रस्त उपभोक्ता को धर्मिता भोजन के हानिकारक प्रभावों से रक्षा प्रदान करना भी है।

अनु. 48 ए राज्य द्वारा रक्षा एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण के प्रयासों को सुनिश्चित किया जाएगा।

**पंचामत, नगरपालिका एवं स्वास्थ्य** - अनु. 243 (जी) किसी राज्य का विधान 11वीं अनुसूचीबद्ध मामलों के संबंध में आवश्यक शक्ति और अधिकार के साथ पंचायतों को प्रदान करने का प्रावधान है। इस अनुसूची में स्वास्थ्य संबंधी प्रविष्टियाँ इस प्रकार हैं -

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं औषधालयों सहित सभी अस्पतालों में स्वच्छता एवं पेयजल सुरक्षा।
- परिवार कल्याण
- महिला एवं बाल विकास
- विकलांग एवं मानसिक स्व से मंद कल्याण सहित अन्य 26 सामाजिक कल्याण।
- घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्य उद्देश्य के लिए जलापूर्ति।
- लोक स्वास्थ्य हेतु स्वच्छता संरक्षण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- जन्म मृत्यु पंजीकरण।

**3. अस्वस्थता बढ़ाने वाले कारणों के विरुद्ध कानून -**

**भारतीय दंड संहिता** - इसके अन्तर्गत कारखाने में कार्यरत श्रमिकों को किसी प्रकार की दुर्घटना चोट रोग आदि का सामना न करना पड़े। इसके लिए सुरक्षा संबंधी व्यापक व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। स्त्री श्रमिकों को 12 सप्ताह का प्रसूति अवकाश दिया जाए सामान्यतः किसी भी श्रमिक से 9 घंटे से अधिक काम न लिया जाए।

**मजदूरी भुगतान अधिनियम** - भारत सरकार द्वारा 1936 में न्यूनतम मजदूरी भुगतान लागू किया गया अधिकांश बड़ी-बड़ी औद्योगिक संस्थाओं

द्वारा भुगतान अधिनियम विधिवत पालन किया जाता है।

**श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम** - 1923 इस अधिनियम में मृत्यु स्थायी एवं विकलांगता तथा अस्थायी विकलांगता की क्षतिपूर्ति की भिन्न-भिन्न दरें निश्चित की गईं।

**स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985** - इस अधिनियम मादक साथ सौदों मादक दवाओं और मादक पदार्थों और संपत्ति से प्राप्त या इस्तेमाल मादक दवाओं और मादक पदार्थों में और करने के लिए अवैध यातायात की रोकथाम की।

**महिला स्वास्थ्य संबंधी कानून -**

**मातृत्व लाभ अधिनियम 1961** - प्रसूति संबंधी लाभों को उपलब्ध कराने हेतु प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 बनाया गया प्रायः सभी राज्यों में इस तरह के कानून लागू कर दिए गए। प्रसव से पहले एवं बाद में प्रसूति संबंधी लाभ एवं राशि के भुगतान के संबंध में व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराते हैं।

**दहेज निषेध अधिनियम 1961** - इस कानून के तहत दहेज देना दहेज मांगना और दहेज लेना अथवा लेने या देने में सहायता करना अपराध है।

**सती अधिनियम 1986** - इस अधिनियम में सती होने का प्रयत्न करने वाले के अथवा सजा का प्रावधान है।

**बाल विवाह अधिनियम** - लड़के का विवाह 21 वर्ष की आयु पूर्व से तथा लड़की का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्व करना अपराध है।

**अभद्र निरूपण (निषेध अधिनियम 1906)** - महिलाओं के सम्मान की रक्षा उनके खिलाफ हिंसा की वारदातों को रोकन तथा उनके शोषण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के अभद्र निरूपण अधिनियम पारित किया गया।

**विशेष विवाह अधिनियम 1954** - इस अधिनियम के अन्तर्गत महिला अपना धर्म परिवर्तन किए बिना किसी भी धर्म वाले व्यक्ति से विवाह कर सकती है।

**परिवार न्यायालय अधिनियम 1856** - इस अधिनियम के अन्तर्गत वैवाहिक विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए भारत सरकार द्वारा अलग से परिवार न्यायालयों की स्थापना की गई।

**हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम** - भारतीय सोच विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं देती। विधवा स्त्री चाहे वह बहुत ही कम उम्र में ही शादी के चन्द महिनो बाद ही विधवा क्यों न हो गई हो उसे या तो पति की चिता पर सती हो जाना पड़ता था या फिर सफेद वस्त्रों में लिपटे शरीर के साथ एकाकी और दुख भरा जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ता था। सन् 1856 में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत विधवाओं को भी हंसी खुशी जीवन जीने का अधिकार दिया गया।

**समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976** - इस अधिनियम के तहत महिला तथा पुरुष श्रमिकों के लिए एक ही समान और समान प्रकृति के लिए कार्य करने के समान मजदूरी का तथा स्थानान्तरणों प्रशिक्षण पदोन्नति आदि के मामलों में महिला कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं करने का प्रावधान है।

**घरेलू हिंसा अधिनियम 2005** - घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं का संरक्षण दंड संहिता के प्रावधान से अलग अनुभाग 49 एक खिलाफ भारतीय दंड संहिता घरेलू हिंसा को अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है। इसमें न केवल शारीरिक हिंसा मानसिक शोषण, यौन शोषण मौखिक व भावनात्मक दुरुपयोग व आर्थिक दुरुपयोग शामिल है।

**4. स्वास्थ्य संरक्षण हेतु प्रयास के रूप में मानवाधिकार -**

**सर्वोच्च न्यायालय एवं स्वास्थ्य** - भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु न्यायालय द्वारा समय-समय पर पुनःअवलोकन तथा न्यायिक निर्णय

द्वारा प्रयास किया गया है। इस सन्दर्भ में अनु. 21 को भी व्यक्ति की जीवन की स्वतंत्रता के साथ-साथ स्वास्थ्य के संदर्भ में व्याख्या न्यायालय द्वारा की गई। 1970 केशिय में केशवानंद भाती बनाम केरल राज्य वाड में मानवाधिकारों के पक्ष में संकेत किया गया। संविधान के स्वास्थ्य की देखाभाल पर असर होने पर कुछ मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।

फ्रांसिस को रोलिस मुलिम बनाम संघीय अंग तिवली 1981 (1) सेमशन 608 में अनु. 21 में सही अर्थ में खाना, कपड़ा और आवास की सुविधाओं पर बल दिया गया।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 बाद में न्यायालय ने स्वास्थ्य को सुख के लिए आवश्यक स्थिति बताया। जीवन का अधिकार मानवीय गरिमा के साथ स्वास्थ्य संरक्षण भी देता है। श्रमिकों, पुरुषों तथा महिलाओं बच्चों सभी को मानवीय परिस्थितियों तथा गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है।

1955 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा देखभाल के लिए सही स्वास्थ्य सार्थक एवं उद्देश्यपूर्ण और व्यक्तिगत गरिमा के साथ संगत कामगार के जीवन बनाने के लिए आवश्यक है क्योंकि मद अनु. 21 से संबंधित एक भौतिक अधिकार है।

परमानन्द कटरा बनाम भारत संघ (1989) के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानूनी कार्यवाही से पहले आकस्मिक आपात घायल व्यक्ति की देखरेख प्राथमिक दायित्व है। रोगी एक निर्दोष व्यक्ति है या कानून के वहत सजा के लिए आपराधिक उत्तरदायी होगा या नहीं इसमें मासूम की रक्षा तथा दोषी को दंडित करने का दायित्व है ताकि समुदाय के जीवन की रक्षा की जा सके। शासन जीवन की रक्षा के लिए प्रत्येक सरमापी अथवा एक डॉक्टर होना चाहिए चिकित्सा पेशे के समस्या पर डाली गई। पश्चिम बंगाल खेत समिति एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1986 में लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराना। एक लोक कल्याणकारी राज्य का दायित्व बताया।

कम्प्यूटर एज्युकेशन एण्ड रिसर्च सेंटर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 में न्यायालय में स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार में निहित माना।

सरकारी अस्पतालों में मानव जीवन के संरक्षण हेतु चिकित्सा सहायता की बाध्यता है। यदि एक व्यक्ति को समय पर उपचार की जरूरत है तो सरकारी अस्पताल की ओर से उसे चिकित्सा उपचार में विफलता अनु. 21 के तहत जीवन की गारंटी के अधिकार का उल्लंघन है।

इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने अनु. 23 व अनु. 24 की व्याख्या की है जिसमें बताया है कि अनु. 23 स्वास्थ्य से परासाय से संबंधित है 23 (1) मनुष्य के यातायात पर प्रतिबन्ध लगाता है यह सर्वविदित है कि महिलाओं में यातायात बदले में एड्स तथा अन्य वैश्यावृत्तियों के संकमण प्रसार का कारक होता है जो वैश्यावृत्ति की ओर जाता है।

इसी प्रकार अनु. 24 बालश्रम से संबंधित है। 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा किसी फैक्ट्री या खान में काम करता है या अन्य किसी खतरनाक नियोजन में संलग्न हो तो या मानवाधिकार के विरुद्ध है।

स्वास्थ्य संबंधी मानवाधिकार संरक्षण एवं न्यायिक दिशा निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर आत्म कि हित में शासन

तथा संगठनों को दिशा निर्देश दिये हैं ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य को बल मिले।

- **गंभीर चिकित्सा मामलों के संबंध में दिशा निर्देश** - सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बुनियादी उपचार व पर्याप्त सुविधाओं को रोगी की हालत को स्थिर किया जा सकता है।
- गंभीर मामलों में इलाज के लिए जिला और उपसंभागीय स्तर पर अस्पतालों को उन्नत किया जाना चाहिए।
- राज्य स्तरीय अस्पतालों में आपात स्थिति के लिए केन्द्रिकृत प्रणाली होनी चाहिए ताकि रोगी की आवश्यकताओं की पूर्ति शीघ्र की जा सके।
- एक मरीज के परिवहन के लिए राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एम्बुलेंस क व्यवस्था उचित होनी चाहिए।
- मित्तल बनाम राज्य उत्तर प्रदेश के मामले में जनहित याचिका के अनु. 32 एवं खुर्जा में एक निःशुल्क नेत्र देखभाल शिविर में डॉक्टर की लापरवाही के तहत आया। इसमें न्यायालय के हस्तक्षेप से प्रत्येक पीडितों को 12500 रु लिए गए तथा राज्य सरकार को भी 1 लाख की राशि का भुगतान करने के कहा गया। पर्यावरण प्रदूषण भी स्वास्थ्य से जग है और गारिमा के पास जीने के अधिकार का उल्लंघन है - हैदराबाद विकास प्राधिकरण बनाम रामकृष्ण राव ने आंध्र प्रदेश न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण की सुरक्षा न केवल नागरिकों बस राज्य तथा न्यायालय सहित शासन के सभी अंगों का भी दायित्व है। अनु. 21 द्वारा जीवन की गारंटी को पर्यावरण की सुरक्षा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः पर्यावरण प्रदूषण का जहर भारतीय संविधान के अनु. 21 का उल्लंघन के रूप में माना जाना चाहिए।


**योजनाएँ, नीतियाँ एवं कार्यक्रम** - स्वास्थ्य संबंधी अनेक योजनाएँ नीतियाँ कार्यक्रम लागू किए गए जो निम्न हैं -

- वातसल्य व आयुष्मती योजना 1991
- राज राजेश्वरी बीमा योजना 1997
- राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना 1995
- राष्ट्रीय एनिमिया नियंत्रण कार्यक्रम 1970
- अस्पतालों में आखिल भारतीय प्रसवोत्तर कार्यक्रम 1969
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य 1983
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2000
- दवा नीति 2002

**निष्कर्ष** - इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में स्वास्थ्य मानवाधिकारों का संरक्षण न केवल संविधान के अन्तर्गत ही किया गया है वरन् कानूनों, न्यायिक निर्णयों तथा शासन की योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रम द्वारा भी स्वास्थ्य की संवृद्धि, संरक्षण एवं विकास हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। जिससे भारत में स्वास्थ्य संबंधी मानवाधिकार की व्यवस्था स्पष्ट होती है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।



\*\*\*\*\*

## होमरूल आंदोलन एवं उसका सतपुड़ांचल पर प्रभाव

डॉ. संकेत कुमार चौकसे \*

**शोध सारांश** - होमरूल आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। सर्वप्रथम आयरलैण्ड में आयरिश नेता रेडमण्ड के नेतृत्व में होमरूल लीग की स्थापना हुई थी। इससे प्रेरणा लेकर ऐनी बेसेंट ने स्वशासन की मांग की। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान 6 वर्ष के पश्चात् माण्डले जेल से मुक्त होकर तिलक ने ऐनी बेसेंट के सहयोग से होमरूल आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। लोकमान्य तिलक व ऐनी बेसेंट ने अलग-अलग होमरूल लीग की स्थापना की जिसका उद्देश्य एक ही था केवल कार्यक्षेत्र अलग-अलग थे। इस आंदोलन में स्वदेशी एवं बहिष्कार के स्थान पर संवैधानिक आंदोलन का मार्ग अपनाया था। इस आंदोलन के माध्यम से स्वराज के महत्व का व्यापक प्रचार किया गया जिससे जनता में राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास हुआ। प्रस्तुत शोधपत्र में होमरूल आंदोलन एवं उसका सतपुड़ांचल पर प्रभाव को बतलाने का प्रयास किया गया है।

**शब्द कुंजी** - होमरूल ।

**प्रस्तावना** - कांग्रेस के सूरत विभाजन के पश्चात के वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन सीमित हो गया जिसका एक बड़ा कारण आंदोलन के प्रमुख नेता लोकमान्य तिलक का माण्डले जेल भेज दिया जाना था। बंगाल के पुनर्संयोजन से बंगभंग विरोधी आंदोलन समाप्त हो गया तथा सत्ता द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन का कठोरता से दमन कर लिया गया। इन्हीं परिस्थितियों में प्रथम विश्वयुद्ध प्रारंभ हो गया एवं भारत को उसकी सहमति के बगैर ही युद्ध में शामिल कर लिया गया। इस समय भारतीय राजनीतिज्ञों को यह आशा थी कि विजय प्राप्ति के उपरांत अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों के समान ही भारत को भी औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा। परंतु 1915 में पारित भारत सुरक्षा अधिनियम से यह संभावना समाप्त हो गई तथा भारतीयों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे आपसी मतभेदों को भुलाकर एकता के सूत्र में आबद्ध हो जाए। इस अवसर पर भारतीय राजनैतिक क्षितिज पर ऐनी बेसेंट का प्रादुर्भाव हुआ जो कि एक आयरिश महिला थी और थियोसोफिकल सोसायटी हेतु कार्य करने भारत आई थी। 1915 में उन्होंने 'होमरूल योजना' प्रस्तुत की जिसका उद्देश्य भारतीयों के द्वारा युद्ध में सहायता के बदले ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य दिया जाना था।

**होमरूल लीग से तात्पर्य** - होमरूल शब्द आयरलैण्ड के एक आंदोलन से लिया गया है। आयरलैण्ड के आयरिश नेता रेडमण्ड के नेतृत्व में होमरूल लीग की स्थापना की गई थी जो वैधानिक तथा शांतिमय तरीके से आयरलैण्ड के लिए स्वशासन प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थी। इसी से प्रेरणा लेकर भारत में स्वशासन की प्राप्ति के लिए दो होमरूल लीग की स्थापना की गई जिसमें से एक की स्थापना लोकमान्य तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा दूसरी की स्थापना ऐनी बेसेंट ने सितम्बर 1916 में की।<sup>1</sup> दोनों के सहयोग से होमरूल लीग आंदोलन ने राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर लिया। होमरूल लीग आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। ऐनी बेसेंट ने होमरूल आंदोलन का आशय स्पष्ट करते हुए अपने साप्ताहिक पत्र कॉमनवील के प्रथम अंक में लिखा था

कि 'राजनैतिक सुधारों से हमारा अभिप्राय ग्राम पंचायतों से लेकर जिला बोर्डों और नगरपालिकाओं, प्रांतीय विधानसभाओं, राष्ट्रीय संसद के रूप में स्वशासन की स्थापना करना है। इस राष्ट्रीय संसद के अधिकार स्वशासित उपनिवेशों की धारा सभाओं में समान ही होंगे। उन्हें नाम चाहे जो भी दिया जाए और जब ब्रिटिश साम्राज्य की संसद में स्वशासित राज्यों के प्रतिनिधि लिए जाएं तो भारत का प्रतिनिधि भी उस संसद में पहुंचे।'

**लोकमान्य तिलक की होमरूल लीग** - लोकमान्य तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को कर्नाटक के बेलगाम में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होमरूल लीग के गठन की घोषणा की। इसकी 6 शाखाएं स्थापित की गईं जिनमें मध्य महाराष्ट्र, बंबई, कर्नाटक तथा मध्यप्रान्त में एक-एक एवं बरार में दो शाखाएं स्थापित की गईं। तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी तथा मराठा के द्वारा इस आंदोलन का प्रचार किया। उन्होंने स्वशासन की मांग करते हुए कहा 'भारत अब उस बेटे की तरह है, जो अब जवान हो चुका है। समय का तकाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे दे।'<sup>2</sup> उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषायी राज्यों की मांग को स्वराज की मांग के साथ जोड़ दिया। 23 जुलाई 1916 में तिलक की आयु 60 वर्ष हो गयी थी। इस अवसर पर उन्हें एक लाख रुपये की थैली भेंट की गयी जिसे उन्होंने राष्ट्रकार्य में लगा दिया।<sup>3</sup> इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन की लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने तिलक पर कार्यवाही की किंतु इस बार सरकार ने इस बार उन्हें गिरफ्तार न करके तिलक को कारण बताओ नोटिस दिया गया जिसमें लिखा गया था कि आपकी गतिविधियों के चलते आप पर प्रतिबंध क्यो न लगाया जाए तथा उनसे एक वर्ष तक अच्छे आचरण के लिए 20,000 का बंधपत्र तथा 10-10 हजार की दो जमानते मांगी किंतु हाईकोर्ट ने उनके निर्णय को रद्द कर दिया। उल्लेखनीय है कि तिलक की ओर से मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लड़ा गया था। इसके पश्चात् तिलक की होमरूल लीग ने प्रचार तीव्र कर दिया तथा अप्रैल 1917 तक उनके सदस्यों की संख्या 14,000 तक पहुंच गयी।'

\*अतिथि विद्वान (इतिहास) राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत



**ऐनी बेसेंट की होमरूल लीग** - ऐनी बेसेंट ने सितम्बर 1916 में मद्रास के आडियार में होमरूल लीग की स्थापना की। इस दौरान जार्ज अरुण्डेल को सचिव नियुक्त किया गया। इस लीग का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक मध्यप्रांत व बरार को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में था। इसके मुख्य सहयोगी बी.पी. वाडिया व रामास्वामी आयंगर थे जबकि सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेजबहादुर सप्रू, हसन इमाम, मोहम्मद अली जिन्ना, आदि भी ऐनी बेसेंट के साथ थे। ऐनी बेसेंट द्वारा कॉमनवील और न्यू इण्डिया समाचार पत्रों के माध्यम से इस लीग का प्रसार किया गया। ऐनी बेसेंट की होमरूल लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था किंतु तिलक की होमरूल लीग के संगठन की तुलना में यह संगठन बहुत ढीला था। कोई भी तीन व्यक्ति मिलकर कहीं भी शाखा स्थापित कर सकता था। सदस्यों को निर्देश देने के लिए भी कोई संगठित तरीका नहीं अपनाया गया था। या तो व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को निर्देश दे दिए जाते थे या फिर न्यू इण्डिया में अरुण्डेल के लेखों को पढ़कर सदस्य अनुमान लगाते थे कि उन्हें क्या करना है।<sup>5</sup> ऐनी बेसेंट तथा तिलक के प्रयासों से लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नरम एवं गरम दलों का पुनः संयोजन संभव हो सका तथा कांग्रेस व मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने लीग के साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया तथा लीग ने कांग्रेस के स्वशासन की मांग का समर्थन किया, यद्यपि बाद की परिस्थितियों ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस ने यह समझौता कर बड़ी भूल की थी।<sup>6</sup>

**सरकार द्वारा आंदोलन के दमन के प्रयास** - होमरूल आंदोलन के प्रभाव को देखकर ब्रिटिश सरकार का चिंतित होना स्वाभाविक था। इस संदर्भ में मद्रास सरकार ने अपेक्षाकृत अधिक कठोरता प्रदर्शित की। उसने छात्रों के राजनैतिक अधिवेशनों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। मद्रास सरकार ने जून 1917 को ऐनी बेसेंट, जार्ज अरुण्डेल और वाडिया को गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ देशव्यापी विरोध हुआ। इस गिरफ्तारी के विरोध में सर एस. सुब्रह्मण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। इस गिरफ्तारी के विरोध में तिलक ने सत्याग्रह करने की योजना बनायी किंतु उसके पूर्व ही बेसेंट को छोड़ दिया गया। इस गिरफ्तारी से ऐनी बेसेंट की लोकप्रियता बढ़ गयी तथा तिलक के विशेष प्रयास से 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली वे प्रथम महिला थी। इस प्रकार सरकारी दमन से आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला तथा होमरूल लीग के सदस्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई।

**होमरूल लीग की समाप्ति** - चारों ओर से दबाव महसूस कर भारत सचिव मान्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अनुसार कहा गया कि - 'ब्रिटिश सरकार की नीति है कि भारत के प्रशासन में भारतीय जनता को भागीदार बनाया जाए और स्वशासन के लिए विभिन्न संस्थानों का क्रमिक विकास किया जाए जिससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़ी कोई उत्तरदायी सरकार स्थापित की जा सके।'<sup>7</sup> उदारवादियों ने इस घोषणा को भारतीय संविधान के विकास का मैग्नाकार्टा कहा जबकि तिलक ने इसे सूर्यविहीन उषाकाल की संज्ञा दी। माण्टेग्यू रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1918 को बंबई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की। इसमें प्रस्ताव पारित कर रिपोर्ट को निराशाजनक एवं असंतोषजनक कहा गया। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी समेत प्रमुख मितवादी नेताओं ने इस अधिवेशन का बहिष्कार किया, वे रिपोर्ट को स्वीकार करने के पक्ष में थे। माण्टेग्यू

रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद ऐनी बेसेंट के विचार बदलने लगे तथा उन्होंने शीघ्र ही अतिवादी राजनीति की मुख्यधारा से स्वयं को अलग कर लिया। उन्हीं दिनों सितम्बर 1918 में तिलक इण्डियन अनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन शिरोल के खिलाफ अपनी मानहानि के मुकदमे की पैरवी करने इंग्लैण्ड चले गए। इस प्रकार होमरूल आंदोलन नेतृत्वविहीन होकर समाप्त हो गया।

**होमरूल लीग का सतपुड़ांचल पर प्रभाव** - सतपुड़ांचल मध्यप्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य का क्षेत्र है। 1857 से 1916 तक मध्यप्रांत में जिन कारणों से राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, उससे सतपुड़ांचल भी वंचित न रह सका और यहाँ भी राजनैतिक जागरूकता आई। सतपुड़ांचल के अंतर्गत मुख्यतः बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़ तथा बड़वानी जिलों का समावेश है। इन जिलों ने भी होमरूल आंदोलन में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह किया। सतपुड़ांचल के पूर्वी जिले बालाघाट में 1915 में मध्यप्रांत एवं बरार संघ नामक संस्था का निर्माण किया गया। इसकी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में बालाघाट का प्रतिनिधित्व रायबहादुर नारायणराव केलकर ने किया। जब ऐनी बेसेंट द्वारा होमरूल लीग की स्थापना की गई तो 1917 में बालाघाट जिले में भी इसकी एक शाखा स्थापित की गई।<sup>8</sup> सिवनी जिले में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ 1916 में क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रारंभ हुआ। ढाका अनुशीलन समिति के नाम से गठित संगठन के अनेक जुझारू व सक्रिय नेताओं ने सिवनी में आश्रय लिया था। अंग्रेजी सरकार द्वारा विद्रोह करने के आरोप में सर्वप्रथम बंदी बनाए गए लोगों में शैलेन्द्रनाथ घोष, देवीचरण सक्सेना, ब्रजमोहन वर्मा इत्यादि प्रमुख हैं।<sup>9</sup> 1916 में राष्ट्रीय नेता मौलाना शौकत अली तथा मोहम्मद अली को नजरबंद कर छिंदवाड़ा लाया गया जिससे यह जिला राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र बन गया। जब ऐनी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में होमरूल आंदोलन संचालित किया गया तब छिंदवाड़ा में भी होमरूल लीग की स्थापना हुई।

बैतूल जिले में राजनीतिक जागरूकता का प्रभाव सर्वप्रथम वर्ष 1915 में दृष्टिगत हुआ जब मध्यप्रांत के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने संगठित होकर मध्यप्रांत एवं बरार प्रांतीय संघ का गठन किया। इस समय भालेराव वकील ने उसकी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में बैतूल का प्रतिनिधित्व किया। इसके पश्चात् जब ऐनी बेसेंट ने होमरूल लीग आंदोलन संचालित किया तो उसकी एक शाखा 1917 में बैतूल में भी स्थापित की गई। 10 वर्ष 1917 में निमाड़ में भी होमरूल लीग की शाखा स्थापित की गई जिसकी सदस्य संख्या 81 थी।<sup>11</sup> 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्व निमाड़ के हरिदास चटर्जी, माखनलाल चतुर्वेदी, ठाकुर लक्ष्मणसिंह चौहान और अब्दुल कादिर सिद्दीकी जैसे तरुण राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कलकत्ता अधिवेशन के पश्चात् लोकमान्य तिलक ने मध्यप्रांत का व्यापक दौरा किया जिसके अंतर्गत वे 6 फरवरी 1918 को खण्डवा और बुरहानपुर आए तथा उन्होंने विशाल आमसभाओं को संबोधित किया। तिलक के आगमन से उत्पन्न उत्साह के फलस्वरूप पूर्वी निमाड़ में 6 फरवरी 1918 को हरिदास चटर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक शाखा स्थापित हुई। 12 इस प्रकार मध्यप्रांत के दक्षिणी भाग में स्थित सतपुड़ांचल ने होमरूल आंदोलन में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह किया।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. सरकार, सुमित; आधुनिक भारत, पृ. 170
2. चंद, विपिन एवं अन्य; भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, पृ. 116



3. वही, पृ. 117
4. सरकार, सुमित; वही, पृ. 170
5. चंद, विपिन एवं अन्य; वही, पृ. 118
6. ठाकुर, डॉ. (श्रीमती) एग्नेश ; मध्यप्रान्त एवं बरार में दलीय राजनीति तथा स्वाधीनता आंदोलन, पृ. 13
7. चंद, विपिन एवं अन्य; वही, पृ. 121
8. सिन्हा, ए.एम. ; मध्यप्रदेश जिला गजेटियर बालाघाट 1995 पृ. 65
9. पाठक, जे.पी. सिवनी कल आज और कल पृ. 11
10. शुक्ल, प्रयागदत्त ; क्रांति के चरण पृ. 130
11. वही
12. श्रीवास्तव, पी.एन ; पूर्वी निमाइ गजेटियर पृ. 92

\*\*\*\*\*

## मैडम भीकाजी कामा का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान

डॉ. शिवा खण्डेलवाल \*

**प्रस्तावना** - मैडम भीकाजी कामा एक महान महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। जिन्होंने भारत के बाहर रहते हुए भी देश में आजादी की लड़ाई शुरू की थी। वे ऐसी प्रथम महिला सेनानी थी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय असेम्बली में भारत का ध्वज फहराया था। इनका पूरा नाम भीकाजी रूस्तम कामा था। 24 सितम्बर 1861 को बम्बई के एक व्यापारिक घराने में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सोराबजी फ्रेम जी पटेल व माता का नाम जिजि बाई था। इनकी शिक्षा अलेक्जेंडर नेटिव गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूट में हुई, जहाँ उन्होंने भारतीय व विदेशी भाषाओं में निपुणता प्राप्त की। सन् 1885 में उनका विवाह रूस्तमजी के साथ हुआ। राजनैतिक व्यस्तता के कारण उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो पाया लेकिन उन्होंने इसकी कभी परवाह नहीं की। वे कहा करती थी कि 'मेरा विवाह तो मेरे उद्देश्यों के साथ हो चुका है।' विवाह के बाद भी उन्होंने अपना अधिकांश समय सामाजिक कार्य और समाज कल्याण में व्यतीत किया।

किशोरावस्था में ही उन्होंने राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय से ही वे उसमें सक्रिय हो गई थी।

19वीं शताब्दी के अंत में बम्बई शहर में प्लेग जैसे संसर्गजन्य रोग के कारण जब बहुत से लोगों की जानें जाने लगीं तब भीकाजी अपनी परवाह किए बिना रोगियों की सेवा कार्य में लग गईं। जिससे उन्हें भी यह रोग हो गया। बीमारी ठीक होने पर आराम के लिए 1902 में उन्हें यूरोप भेजा गया। जर्मनी, स्कॉटलैंड और फ्रांस में एक-एक वर्ष रहकर वे 1905 में लंदन आईं। यहाँ दादा भाई नौरोजी के खास सचिव के रूप में डेढ़ साल तक उन्होंने कार्य किया। उन्होंने वीर सावरकर की पुस्तक 'दि हिस्ट्री ऑफ दि वार ऑफ इंडियन' का फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद भी किया।

इंग्लैंड में ही उनकी मुलाकात सुविख्यात क्रांतिकारी श्याम जी वर्मा व वीर सावरकर के साथ हुई। इन तीनों ने मिलकर 1905 में अपने तिरंगे का प्रारूप निश्चित किया। इस तिरंगे पर सबसे ऊपर हरे रंग की पट्टी और उस पर दिखाया खिलता हुआ आठ पंखुरी का कमल, यह तात्कालीन भारत के 8 प्रांतों के जैसे प्रतिनिधित्व करने वाला था। निचली पट्टी पर नारंगी रंग पर लिखा हुआ 'वंदे मातरम्' शब्द जैसे भारत माता के अभिवादन के लिए लिखा हुआ था। और नीचे की लाल पट्टी पर बाईं तरफ आधा चन्द्रमा और दाईं तरफ में उगता हुआ सूर्य क्रमशः इस्लाम और हिन्दू धर्म का प्रतीक था। यह झंडा अब पुणे की केसरी मराठा लाइब्रेरी में प्रदर्शित है।

क्रांतिकारी श्याम जी वर्मा के जोशीले भाषणों से मैडम कामा इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने भारत लौटने का इरादा छोड़कर वहीं स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया। यहाँ हाइड पार्क में अपने जोशीले भाषणों से आजादी का बिगुल

बजाया। इससे इंडिया ऑफिस के अधिकारियों ने क्रोधित होकर उन्हें भारत लौट जाने को कहा किन्तु मैडम कामा ने उनकी बात न मानकर अपने आंदोलन को और तेज कर दिया।

मैडम कामा के जोशीले भाषणों व अंग्रेज विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें बलपूर्वक बाहर निकाल देने की धमकी दी गई, पर उन्होंने कोई परवाह नहीं की। उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की खबर मिलने पर उन्होंने फ्रांस पहुँचकर पेरिस को अपना कार्यस्थल बनाया। वहाँ उनका घर क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था। वे पेरिस में करीब 35 वर्षों तक रहीं।

फ्रांसीसी सरकार से सुरक्षा का आश्वासन पाकर भीकाजी ने वन्दे मातरम् पत्र का प्रकाशन भी प्रारम्भ कर दिया। यह पत्र जेनेवा से निकाला जाता था जो 09 वर्षों तक लगातार प्रकाशित हुआ। उन्होंने विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय क्रांतिकारियों के साथ अपना सम्बंध बनाए रखा। उन्होंने उन लोगों को अपना साथी बनाया जो विदेशों में रहकर परेशानियों में रहते हुए भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने इंग्लैंड, रूस, मिस्त्र, जर्मनी और आयरलैंड के क्रांतिकारियों के पास खिलौने की पेटियों में बड़ी सावधानी के साथ छिपाकर हथियार भी भेजे थे। जो भारतीय विदेशों में जाकर पढ़ने के लिए तैयार थे, उनके लिए छात्रवृत्ति भी स्थापित की। सावरकर को जब काले पानी की सजा हुई तो उनके परिवार का पालन मैडम कामा ने ही किया।

18 अगस्त 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुए अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में उनको भारतीय क्रांतिकारियों ने भारत का प्रतिनिधि बनाकर भिजवाया। इस सम्मेलन के नेता जीन जौरस ने सभा मंच से उनका परिचय 'फ्रेटरनाम डेलीगेट' (हमसफर प्रतिनिधि) के रूप में दिया। वहाँ उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण में कहा 'भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का बना रहना हम भारतवासियों के लिए अत्यधिक अपमानजनक और भारतवर्ष के लिए सर्वनाशक है। सम्पूर्ण विश्व के स्वतंत्रता प्रेमियों को विश्व की चौथाई से भी अधिक जनसंख्या वाले उस शोषित राष्ट्र की स्वाधीनता में अवष्य सहयोग देना चाहिए।' उन्होंने भारतवासियों को आवाहन किया कि 'आगे बढ़ो हम हिन्दुस्तानी हैं और हिन्दुस्तान हिन्दुस्तानियों का है।' उस समय मैडम कामा ने विदेशी भूमि पर समस्त प्रतिनिधियों के सामने भारत का राष्ट्रध्वज सबसे पहले फहराया। मैडम कामा पर किताब लिखने वाले डॉ. वी.डी. यादव ने लिखा है कि उस कांग्रेस में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के देशों के झंडे फहराये गये थे और भारत के लिए जो ब्रिटेन का झंडा था, उसे अस्वीकार करते हुए भीकाजी ने भारत का एक झंडा बनाया और उसे वहाँ फहराया। यह हरे, पीले और लाल रंग का था, जिसके मध्य में वन्दे मातरम् लिखा हुआ था। तिरंगे झंडे की कल्पना भी सर्वप्रथम मैडम कामा के मस्तिष्क में उत्पन्न हुई

थी और उन्हीं के द्वारा पहली बार झंडा फहराया भी गया। इसी दृष्टि से मैडम कामा के जीवन को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आज जिस तिरंगे को महान गौरव प्राप्त है, वह मैडम कामा के ही मस्तिष्क की उपज है। हालांकि उस समय तिरंगा झंडा वैसा नहीं था, जैसा आज है।

सन् 1908 में उन्होंने एक विज्ञप्ति प्रसारित की थी कि 'हम हिन्दू, मुसलमान पारसी और सिक्ख चाहे जो हों, पर हम सब भारतीय हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए हमें मिल जाना चाहिए।' इस विज्ञप्ति को उन्होंने विदेशों में निवासरत भारतीयों के पास भेजा था। ब्रिटिश सरकार ने क्रोधित होकर मैडम कामा को फरार घोषित कर उनकी एक लाख की सम्पत्ति जब्त कर ली। 1935 ई. में वे भारत लौटी थीं, पर उनके भाषण देने और सभाएं करने पर पाबन्दी लगी हुई थी। भारत आने के 08 माह बाद ही सन् 1936 में उनका देहावसान हो गया। उनका प्रिय नारा था - 'अत्याचार का विरोध ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है।' यह दुखद था कि वे आजादी के उन सुनहरे दिनों को नहीं देख पाई जिसका सपना उन्होंने गढ़ा था।

एक धनी सम्पन्न परिवार में जन्म लेने के बावजूद इन्होंने अपने आदर्शों व दृढ़ संकल्पता के बल पर शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुँचे साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारी कार्यों से उत्पन्न खतरों तथा कठिनाईयों का सामना किया। उनका

बहुत बड़ा योगदान साम्राज्यवाद के विरुद्ध विश्व जनमत जागृत करना तथा विदेशी शासन से मुक्ति के लिए भारत की इच्छा को दावे के साथ प्रस्तुत करना था। मैडम भीकाजी कामा इतिहास के उन महान लोगों में एक हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन की परवाह किए बिना ही अपना जीवन सामाजिक कार्यों और सामाजिक विकास में व्यतीत किया। उनके इसी प्रकार के प्रेरणादायक कार्यों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. सिंह निशान्त - भारतीय महिलाएं एक सामाजिक अध्ययन, ओमेगा पब्लिकेशन, दिल्ली, पृ. 108-111
2. गोस्वामी सुधा - भारतवर्ष की चर्चित महिलाएं, उपकार प्रकाशन, आगरा, पृ. 172
3. माली राजकुमार - महिला स्वतंत्रता सेनानी मैडम भीकाजी कामा की जीवनी [www.gajabkhabar.com](http://www.gajabkhabar.com)
4. आर्य दिव्या - वो औरत जिन्होंने विदेश में पहली बार फहराया भारत का झंडा [www.bbc.com](http://www.bbc.com)
5. मैडम भीकाजी कामा की जीवनी - [www.behtarlife.com](http://www.behtarlife.com)

\*\*\*\*\*

## सूचना प्रौद्योगिकी से शिक्षा विभाग में कार्यरत महिलाओं का सशक्तिकरण

संपत राठौड \*

**प्रस्तावना** - आर्थिक उदारीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी युग के उदय ने देश की महिलाओं के लिए रोजगार और आय के अवसरों में खासा इजाफा किया है। लेकिन, आंकड़ों पर गौर करें तो महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम नजर आ रही है। ऐसे में जरूरत है कि महिलाओं को ऐसे क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जाए, जहां अपार संभावनाएं हैं।

यह एक कटु सत्य है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में काफी अधिक आधातयोग्य और शक्तिविहीन हैं। इसीलिए सूचना प्रौद्योगिकी तक उनकी समतापूर्ण पहुँच तथा उनके सरोकार एवं परिप्रेक्ष्यों के संगत सूचना प्राप्त करने तथा सृजन करने की स्वायत्तता महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सूचना तक महिलाओं की पहुँच और उस पर उनका नियंत्रण (अथवा नियंत्रण का अभाव) अनेक कारकों पर निर्भर हैं।

नौकरियों तथा शिक्षा में लिंग विषयक भेदभाव, सामाजिक वर्ग, निरक्षरता और भौगोलिक अवस्थिति (नगरीय या ग्रामीण) जैसे कारक सूचना तक या आधुनिक संचार प्रणाली के अन्य साधनों तक महिलाओं की पहुँच को प्रभावित करता है। अब हम सूचना तक महिलाओं की पहुँचने की दृष्टि से उनके सामने आने वाली मुख्य बाधाओं पर विचार करते हैं। किसी भी परिवेश में प्रारंभ किए गए सूचना संचार प्रौद्योगिकीय आधारभूत संरचना की अत्याधुनिकता का महिलाओं के लिए कोई महत्व नहीं रह जाता है। महिलाओं के लिए सूचना के क्षेत्र में संभावनाएं उनकी तकनीकी कौशल और शिक्षा के स्तर पर बहुत अधिक निर्भर हैं और इस तक पहुँचने की जानकारी ज्ञान प्राप्त करने की यह मुख्य अपेक्षा है। समकालीन सूचना में सबसे तेजी से विकास कर रहा 'इंटरनेट' साक्षरता से संबद्ध है। प्रस्तुत शोध लेख शिक्षा विभाग में कार्यरत महिलाओं के सूचना प्रौद्योगिकी से सशक्तिकरण से सम्बन्धित हैं, जिसके उद्देश्य इस प्रकार से हैं -

1. सूचना प्रौद्योगिकी से महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता के स्तर पर जानकारी एकत्र करना।
2. सूचना प्रौद्योगिकी से महिलाओं के अधिकार एवं उनकी सुरक्षा से सम्बन्धित तथ्य संकलित करना।

### अध्ययन की प्राकल्पनाएँ -

1. सूचना प्रौद्योगिकी से महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है।
2. सूचना प्रौद्योगिकी से महिलाओं में सुरक्षा एवं संरक्षण का सशक्तिकरण हुआ है।

**अध्ययन की प्रकृति** - प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति अन्वेषणात्मक, मूल्यांकनात्मक, वर्णनात्मक एवं अनुभाविक है। सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका एवं सशक्तिकरण को ज्ञात करने हेतु शिक्षा विभाग से

जुड़ी हुई महिलाओं के मत को देखने का प्रयास सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से पूर्व में नहीं हुआ है, इस कारण यह अध्ययन अन्वेषणात्मक है। इन सभी पहलुओं पर वैधानिक एवं सामाजिक रूप से विविध पहलुओं का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन इसकी मूल्यांकनात्मक प्रकृति को बताता है। प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु प्रत्यक्ष सम्पर्क इस अध्ययन की आनुभाविक प्रकृति को तथा प्राथमिक एवं द्वैतीयक तथ्य आधारित तथ्यात्मक विवेचना इसकी वर्णनात्मक प्रकृति को स्पष्ट करता है।

**तथ्य संकलन तकनीक एवं स्रोत** - प्रस्तुत अनुसंधान में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों को काम में लिया गया है। प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु अवलोकन पद्धति के साथ साक्षात्कार-अनुसूची पद्धति का प्रयोग किया गया है।

द्वितीयक तथ्यों के संकलन हेतु पूर्व में किए गए अध्ययन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका एवं सशक्तिकरण से सम्बन्धित प्रकाशित सरकारी एवं गैर सरकारी तथ्यों को आधार बनाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका एवं सशक्तिकरण से सम्बन्धित प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु शिक्षा विभाग में कार्यरत महिलाओं को महत्वपूर्ण मानते हुए सुविधानुसार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से तथ्य संकलन का कार्य सम्पन्न किया गया है।

**न्यादर्श चयन** - प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत उद्देश्यपूर्ण एवं सुविधाजनक निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। उदयपुर शहर में सम्पन्न इस अध्ययन का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी महिलाओं की भूमिका एवं सशक्तिकरण हेतु शिक्षा विभाग में कार्यरत महिलाओं से सम्पर्क कर तथ्य जुटाना रहा है। इस दृष्टि से उद्देश्यपूर्ण एवं सुविधाजनक निदर्शन का प्रयोग अधिक उपयुक्त रहा। वैधानिक प्रक्रिया एवं समय सीमा की बाध्यता के कारण यह निदर्शन विधि कारगर रही। इस प्रकार उदयपुर शहर से उपर्युक्त विवरणानुसार 50 महिलाओं को निदर्शन में सम्मिलित किया गया है।

### आयु के अनुसार उत्तरदाता

#### दण्ड आरेख संख्या 01 (देखे आगे पृष्ठ पर)

दण्ड आरेख 01 में शिक्षा विभाग में कार्यरत 50 महिला उत्तरदाताओं का आयु के अनुसार विवरण दिया गया है, जिसमें 12 प्रतिशत महिलाएँ 18 से 25 वर्ष की आयु की हैं और 32 प्रतिशत महिलाएँ 26 से 31 वर्ष की आयु की हैं एवं 16 प्रतिशत महिलाएँ 33 से 38 वर्ष की आयु की हैं तथा 26 प्रतिशत महिलाएँ 39 से 45 वर्ष की आयु की हैं, जबकि 14 प्रतिशत महिलाएँ 46 से 55 वर्ष की आयु की हैं।

उत्तरदाताओं का वर्ग

#### दण्ड आरेख संख्या 02 (देखे आगे पृष्ठ पर)

आरेख 02 में शिक्षा विभाग में कार्यरत 50 महिला उत्तरदाताओं का वर्ग के अनुसार विवरण दिया गया है, जिसमें सामान्य वर्ग से 16 प्रतिशत महिलाएँ हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग से 14 प्रतिशत महिलाएँ हैं एवं अल्पसंख्यक वर्ग से 10 प्रतिशत महिलाएँ हैं, जबकि अनुसूचित जाति से 34 प्रतिशत महिलाएँ हैं जबकि अनुसूचित जनजाति से 26 प्रतिशत महिलाएँ हैं।

**निर्णय लेने की क्षमता** - निम्नलिखित ढण्ड आरेख 03 में शिक्षा विभाग में कार्यरत 50 महिला उत्तरदाताओं के सूचना प्रौद्योगिकी के कारण निर्णय लेने की क्षमता के विकास के अनुसार विवरण दिया गया है जिसमें 16 प्रतिशत महिलाएँ सूचना प्रौद्योगिकी के कारण उनमें निर्णय लेने की क्षमता के विकास से पूर्ण सहमत हैं और 32 प्रतिशत महिलाएँ सूचना प्रौद्योगिकी के कारण उनमें निर्णय लेने की क्षमता के विकास से सहमत हैं एवं 8 प्रतिशत महिलाएँ सूचना प्रौद्योगिकी के कारण उनमें निर्णय लेने की क्षमता के विकास के विषय पर तटस्थ हैं तथा 26 प्रतिशत महिलाओं ने उनमें सूचना प्रौद्योगिकी से निर्णय लेने की क्षमता के विकास पर असहमती दी है जबकि 18 प्रतिशत महिलाएँ सूचना प्रौद्योगिकी से निर्णय लेने की क्षमता के विकास पर पूर्ण असहमत हैं।

### आरेख 03 (देखें आगे पृष्ठ पर)

**सुरक्षा एवं संरक्षण**- निम्नलिखित ढण्ड आरेख 04 में शिक्षा विभाग में कार्यरत 50 महिला उत्तरदाताओं के सूचना प्रौद्योगिकी के कारण सुरक्षा एवं संरक्षण के अनुसार

### ढण्ड आरेख 04 (देखें आगे पृष्ठ पर)

**सुरक्षा एवं संरक्षण** - विवरण दिया गया है जिसमें 64 प्रतिशत महिलाएँ सूचना प्रौद्योगिकी के कारण उनके सुरक्षा एवं संरक्षण से पूर्ण सहमत हैं एवं 20 प्रतिशत महिलाएँ सूचना प्रौद्योगिकी के कारण उनके सुरक्षा एवं संरक्षण से सहमत हैं और 0 प्रतिशत महिलाएँ सूचना प्रौद्योगिकी के कारण उनके सुरक्षा एवं संरक्षण के विषय पर तटस्थ हैं तथा 6 प्रतिशत महिलाओं ने

उनके सूचना प्रौद्योगिकी से सुरक्षा एवं संरक्षण पर असहमती दी है। 10 प्रतिशत महिलाएँ सूचना प्रौद्योगिकी से सुरक्षा एवं संरक्षण पर पूर्ण असहमत हैं।

### निष्कर्ष -


- सूचना प्रौद्योगिकी के कारण शिक्षा विभाग में कार्यरत महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता का विकास स्पष्ट प्रतीत होता है, 16 प्रतिशत महिलाएँ उक्त तथ्य से पूर्ण सहमत हैं और 32 प्रतिशत सहमत हैं।
- 64 प्रतिशत महिलाएँ सूचना प्रौद्योगिकी के कारण उनके सुरक्षा एवं संरक्षण से पूर्ण सहमत हैं एवं 20 प्रतिशत महिलाएँ सहमत हैं।

**सुझाव** - महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में बात करते समय संचार माध्यमों की सशक्त भूमिका को सर्वोपरि मानना होगा। आज समूचे विश्व में स्त्रियों का वर्चस्व बढ़ा है। आवश्यकता है कि सूचना प्रौद्योगिकी से स्त्रियों को उनके अधिकार दिलाने उन्हें शिक्षित, स्वावलम्बी, मजबूत और अधिकार चेतना बनाने की। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महिला हिंसा कानून, समान वेतन कानून, गोद लेने संबंधी कानून और संपत्ति में स्त्री के अधिकार की जानकारी सहित ऐसे अनेक उपमों का ज्ञान है, जो उनके जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं को बेहतर ढंग से सुलझाने की क्षमता उनमें निरंतर विकसित हो रही है। वे प्रारंभ से ही मेधा संपन्न रही हैं, लेकिन उनमें जागरूकता का अभाव रहा है। आत्मविश्वास की कमी भी उनकी उन्नति के मार्ग का रोड़ा रही है।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-


1. मनन दास (2018) 'सूचना प्रौद्योगिकी एवं महिला विकास के आयाम' नरवोत्तम पब्लिशिंग, कोलकाता, प. बंगाल।
2. डेविड पायस (2016) 'सूचना प्रौद्योगिकी तथा जेण्डर समानता के आयाम' केशव पब्लिशिंग, बेंगलोर।

ढण्ड आरेख संख्या 01  
आयु के अनुसार उत्तरदाता






उत्तरदाताओं का वर्ग  
 ढण्ड आरेख संख्या 02




आरेख 03

सूचना प्रौद्योगिकी से महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता का विकास



ढणड आरेख 04  
 सूचना प्रौद्योगिकी से महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण



\*\*\*\*\*

## स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्राओं के बीच शिक्षा के प्रति जागरूकता का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. फरहत मंसूरी \*

**प्रस्तावना** - प्रस्तुत शोध पत्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्राओं के बीच शिक्षा के प्रति जागरूकता का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में) किया गया है। छात्राओं के सर्वांगीण विकास में शासकीय योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के जीवन स्तर में वृद्धि देखी गई है। महिलाएं अब पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, शासन से लाभान्वित छात्राओं के कारण अन्य छात्राओं में भी जागरूकता आ रही है।

छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें निःशुल्क पुस्तकें, नौकरियों में आरक्षण एवं शिक्षा हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा छात्राओं के कौशल विकास के लिए अनेक व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। सरकारी सुविधाओं के कारण सामाजिक, पारिवारिक मानसिकता में परिवर्तन आया है, साथ ही छात्राएं शिक्षा के प्रति जागरूक हुई हैं।

**शोध का क्षेत्र एवं अध्ययन पद्धति** - प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन से संबंधित तथ्यों को एकत्र करने के लिए छिंदवाड़ा जिले के 14 शासकीय एवं 10 अशासकीय महाविद्यालयों में से छात्राओं की संख्या के आधार पर 6 महाविद्यालयों का चुनाव मेरिट के आधार पर किया गया है। मेरे द्वारा अध्ययन से संबंधित तथ्यों को एकत्र करने के लिए 300 उत्तरदाताओं का चयन स्तरीकृत दैव निदर्शन पद्धति के द्वारा किया गया है।

**शोध के उद्देश्य -**

1. शिक्षा से तात्पर्य
2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं से शिक्षा के क्षेत्र में संकाय चुनाव की स्वतंत्रता की जानकारी प्राप्त करना
3. महाविद्यालय में पुस्तकालय का उपयोग करने वाली छात्राओं की जानकारी प्राप्त करना
4. शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य की जानकारी प्राप्त करना

**शिक्षा का अर्थ है** - 'व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास' स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि 'अपनी इच्छा शक्ति और भावों को नियंत्रित कर लिया जाए और वह लाभदायक बन जाए तो वह शिक्षा है।' शिक्षा एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास करती है, शिक्षा का अर्थ केवल विशेषज्ञ पैदा करना नहीं है बल्कि शिक्षा से नैतिक, सामाजिक और कलात्मक विकास के साथ-साथ विवेकशीलता भी बनती है। हम एक शिक्षित व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हैं कि वह विवेकशील होकर उत्तरदायी एवं नैतिकतापूर्ण ढंग से व्यवहार करे।

**तालिका क्रमांक 1 (देखें आगे पृष्ठ पर)**

अध्ययन के दौरान पाया गया कि स्नातक स्तर पर 90 प्रतिशत छात्राओं तथा स्नातकोत्तर स्तर पर केवल 30 प्रतिशत छात्राओं को उच्च

शिक्षा प्राप्त करने के लिए संकाय चुनाव की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका कारण है, सामाजिक परंपराएं, महिलाएं शिक्षा ग्रहण करेंगी या नहीं इसका निर्णय परिवार द्वारा लिया जाना, आर्थिक निर्भरता एवं आर्थिक समस्या जो कि जनभागीदारी मद से चलने वाले संकाय पाठ्यक्रम में बाधक है।

**तालिका क्रमांक 2 (देखें आगे पृष्ठ पर)**

अध्ययन के दौरान पाया गया है कि महाविद्यालय में पुस्तकालय का नियमित उपयोग करने वाली छात्राएं स्नातक स्तर पर 12 प्रतिशत एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 15 प्रतिशत है। पुस्तक इशु कराने हेतु पुस्तकालय का उपयोग करने वाली छात्राएं स्नातक स्तर पर 30 प्रतिशत एवं स्नातकोत्तर स्तर में भी 30 प्रतिशत है। तालिका से स्पष्ट होता है कि स्नातक स्तर पर 58 प्रतिशत एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत छात्राएं पुस्तकालय का उपयोग नहीं करती हैं।

**तालिका क्रमांक 3 (देखें आगे पृष्ठ पर)**

अध्ययन के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में स्नातक स्तर की 38 प्रतिशत छात्राएँ एवं स्नातकोत्तर स्तर की 45 प्रतिशत छात्राएँ नौकरी प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं एवं 15 प्रतिशत छात्राएँ स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 20 प्रतिशत छात्राएँ शिक्षित होकर स्वयं का व्यवसाय संचालित करना चाहती हैं। स्नातक स्तर पर 20 प्रतिशत एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 15 प्रतिशत छात्राएँ उपाधि प्राप्त करने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। स्नातक स्तर पर 20 प्रतिशत छात्राओं का मानना है कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर वे सशक्त हो जाएंगी तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 15 प्रतिशत छात्राओं का मानना है कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर वे सशक्त हो रही हैं। स्नातक स्तर पर 7 प्रतिशत एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत छात्राएँ निरुत्तर रहीं। छात्राओं का कहना है कि हमें परिवार पढ़ा रहा है, तो हम पढ़ रहे हैं।

**निष्कर्ष** - प्रस्तुत शोध पत्र से स्पष्ट होता है कि शिक्षा समाज का दर्पण है। शिक्षा ही वह माध्यम है, जिससे समाज की उन्नति संभव है। समाज की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। अगर महिला शिक्षित होगी तो परिवार, समाज और देश शिक्षित होगा क्योंकि किसी भी बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका परिवार और शिक्षिका उसकी माँ होती है। इस बात से स्पष्ट होता है कि महिलाओं का शिक्षित होना कितना जरूरी है। ऐसा ही कुछ निष्कर्ष शोध-पत्र से निकल कर सामने आया है। महाविद्यालय की छात्राओं ने इस बात को माना है कि शिक्षा से आत्मविश्वास पैदा होता है, सोच का दायरा बढ़ता है यह इस बात से स्पष्ट है कि महिलाओं को लेकर जो रूढ़ियाँ समाज में व्याप्त थी उसे समाप्त करने में शिक्षा सहायक सिद्ध हुई है। सती प्रथा, दहेज प्रथा जैसी रूढ़ियों को शिक्षा रूपी तलवार ने ही मारा है। शिक्षा ही

छात्राओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाती है जिससे वो समाज में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का हौसला करती है। इस शोध से यह बात निकलकर सामने आई है कि छात्राएँ शिक्षा के प्रति जागरूक हुई हैं एवं सशक्त भी हुई हैं।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**


1. तिवारी शारदा, 2007 - 'शिक्षा का समाजशास्त्र', अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, प्रथम संस्करण, नई दिल्ली।
2. तोमर, देवेन्द्र पाल सिंह, 2005 - 'सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी', विश्वभारतीय पब्लिकेशन, प्रथम संस्करण, नई दिल्ली।
3. नारायण, नाराणी प्रकाश, 2005 - 'मानवाधिकार एवं महिला', सब लाइम पब्लिकेशन, जयपुर।
4. शर्मा, वीरेन्द्र प्रकाश, 2013 - रिसर्च मेथाडालाजी, आठवां संस्करण, पंचशील प्रकाश, जयपुर।

तालिका क्रमांक 1  
शिक्षा के क्षेत्र में संकाय चुनाव में स्वतंत्रता

क्र.	विवरण	स्नातक			स्नातकोत्तर स्तर		
		हाँ	नहीं	योग	हाँ	नहीं	योग
1.	संकाय चुनाव में स्वतंत्रता है	90%	10%	100%	30%	70%	100%


तालिका क्रमांक 2  
महाविद्यालय में पुस्तकालय का उपयोग करने वाली छात्रायें

क्र.	विवरण	स्नातक स्तर	स्नातकोत्तर स्तर
1	नियमित पुस्तकालय का उपयोग करने वाली छात्राएँ	12%	15%
2	पुस्तक इशु कराने हेतु पुस्तकालय का उपयोग करने वाली छात्राएँ	30%	30%
3	पुस्तकालय का उपयोग न करने वाली छात्राएँ	58%	55%
	योग	100%	100%



तालिका क्रमांक 3  
 शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य

क्र.	उद्देश्य	स्नातक स्तर	स्नातकोत्तर स्तर
1	नौकरी प्राप्त करना	38%	45%
2	व्यवसाय करना	15%	20%
3	उपाधि प्राप्त करने के लिए	20%	15%
4	सशक्त होने के लिए	20%	15%
5	निरुत्तर	07%	05%
	योग	100%	100%



\*\*\*\*\*



# Analysis Of Ground Water Level And Rainfall Patterns In Upper Narmada Basin

Vinay Raikwar \*

**Abstract** - The area under "Upper Narmada Basin " comprises of a fairly large tract lying between 21°41' North to 23°46' North latitude and from 79°17' East to 81°46' East longitude. The area comes under the tropical belt and location of the area is itself significant. Groundwater is dynamic natural resource recharged by rainwater in rainy season for rest of the year. Over exploitation of groundwater causes decline in water level and water table. Rainfall is an important phenomenon of weather which is directly or indirectly affected by climatic conditions. It also affects the regional water sources which are recharged by rainfall. In the present paper, an attempt is made to analyze the impact of rainfall patterns on ground water trends of Upper Narmada Basin of Madhya Pradesh. The mythology used in this article is based on secondary data with use of mathematical analysis and graphical method. Ground water level data is taken from central ground water department, Bhopal. Rainfall data of 40 years is taken from Water Resource Department, Bhopal. Randomly four districts are selected from study area these districts are Hoshangabad, Mandla, Jabalpur, Narsinghpur. There was a clear indication of trends change in upper Narmada basin observed by various research papers. It is concluded that the Extreme rainfall events are increasing by which surface runoff increased due to which absorption of ground water is decreasing and water level is also decreasing. During the last four decades, there was a change in the rainfall pattern that was experienced in the Upper Narmada Basin. The magnitude of the annual precipitation was having a general increasing trend. From the present study it is observed that the rainfall has impacted the groundwater trends. Hence, a significant impact of rainfall on natural hydrological cycle is clearly observed in this region.

**Key Words** - Rainfall patterns, Groundwater trends, Extreme rainfall, Efficient management.

**Introduction** - Groundwater is dynamic natural resource recharged by rainwater in rainy season for rest of the year. Over exploitation of groundwater causes decline in water level and water table (Hasan M R, Mostafa M G, Matin, 2003). India is agro based economy which is mainly depends on rainfall due to monsoon. Thus any change in rainfall of that year may decay the agricultural conditions of the country and thereby the economy. As compare to other countries in India rainfall variation is too high. About one-third of the world's population lives in countries that are experiencing moderate to high water stress partly associated with population growth and the intensification of human activities. It essential to determine trends of rainfall however it is an important climatologically parameter which may be responsible for the natural calamities like drought and flood conditions.

Groundwater plays a vital role in human life. Groundwater is an important source of fresh water to meet the demands of growing industries such as agriculture, fisheries, mining, and manufacturing and the municipal water demands due to rise in population ( Regunath et al., 2005; Ahmadi and Sedgamiz,2007). Efficient management of groundwater is an essential task in different regions,

especially in arid and semi-arid climates that faces chronic shortage of fresh water. Although groundwater systems are likely to respond more slowly buy rainfall water recharge than surface water systems hence longer-term availability, remains unclear. Existing data on groundwater conditions and trends is extremely limited, and present quantities and patterns of recharge are uncertain.

**Study Area** - The area under "Upper Narmada Basin " comprises of a fairly large tract lying between 21°41' North to 23°46' North latitude and from 79°17' East to 81°46' East longitude. The area comes under the tropical belt and location of the area is itself significant. The Narmada River rises in the Amarkantak plateau of Maikal Range in the 'Anuppur' District of Madhya Pradesh at an elevation of 1057 meters above sea level. The river travels a distance of 1312 kms, before it falls in to Gulf of Cambay in the Arabian Sea near Bharuch in Gujarat. The Narmada Basin hemmed between Vindhychal and Satpura ranges extend over and area of 98,796 kms<sup>2</sup>. The basin covers and large area of Madhya Pradesh (86%), Gujarat (14%) and comparatively smaller area (2%) in Maharashtra. About 35% of the basin area in under forest cover, 60% under arable land and 5% is grassland, wasteland etc. The climate is

humid tropical. Average Rainfall of Basin is 1178 mm. whereas average temperature ranges is 25.80 C.

**Figure 1.1 (See in the next page)**

**Purpose -**

- The purpose of this paper is to examine the impact of rainfall on ground water level.
- To determine patterns of rainfall.

**Methodology -** The methodology used in this article is based on secondary data with use of mathematical analysis and graphical method. Ground water level data is taken from central ground water department, Bhopal. Rainfall data of 40 years is taken from Water Resource Department, Bhopal. Randomly four districts are selected from study area these districts are Hoshangabad, Mandla, Jabalpur, Narsinghpur. Firstly calculated annual rainfall for each decade, then from that data we calculated the monthly mean for each decades, which shown by graphical method in fig no. 1.2. Groundwater level data from 1976 to 2015 is taken for four districts of Upper Narmada basin in different time scales. Time series data of May (pre-monsoon) and November (post-monsoon) has been extracted from the available data considering a random sample of wells, tube wells in each district.

**Results And Discussion -** The table 1.1 shown below is calculated annual mean of rainfall Hoshangabad, Mandla, Jabalpur, Narsinghpur district. As from the data calculation highest average annual rainfall (93.08cm) is recorded in decades of 1976-85 in Hoshangabad district whereas in Mandla district (122.59cm) in 2006-15, in Jabalpur district (120.88cm) in 1986-95, in Narsinghpur district it is 120.88mm in 1996-05. The lowest average annual decadal rainfall is recorded in decade of 1986-95 in Hoshangabad district (83.23cm), Mandla district (100.59cm) in 1976-85, Jabalpur 99.06 cm in 1976-85, Narsinghpur (91.50cm) in 1986-85. However rise of water level is maximum in Jabalpur district (2.23m) and minimum is seen in Hoshangabad district (1.18m) in decades of 2006-15. Whereas fall in water level is maximum in Jabalpur district (3.52m) and minimum in Mandla district (1.8 m). With reference to minimum depth of water level Jabalpur is on top (1.77m) whereas Narsinghpur is on bottom with 3.24m. maximum depth of water level is observed in Narsinghpur district with 47.06 m whereas in Mandla depth is 11.87m. In decades of 2006-15 average depth of water level in Hoshangabad is 10 m, Jabalpur is 10m Mandla is on 7 m,

Narsinghpur is 25 m. highest depth of average water level is observed in Narsinghpur district due to irrigation by tubewells and lowest water level is observed in Mandla district. Average rainfall is highest in Mandla district whereas lowest average rainfall is recorded in Hoshangabad district.

**Table 1.1 (See in the next page)**

**Fig. 1.2 (See in the next page)**

**Table 1.2 (See in the next page)**

**Fig 1.3 (See in the next page)**

**Fig 1.3 COMPARISON OF DEPTH OF WATER LEVEL AND AVERAGE RAINFALL IN 2006-2015**

**Conclusion -** From the above graphs it is concluded that the Extreme rainfall events are increasing by which surface runoff increased due to which absorption of ground water is decreasing and water level is also decreasing. During the last four decades, there was a change in the rainfall pattern that was experienced in the Upper Narmada Basin. The magnitude of the annual precipitation was having a general increasing trend. The trend of the annual precipitation magnitude has been reversed from 1979 onwards, and was found to be significant in some of the districts. The precipitation during the winter season had decreased over the years in the entire state, which caused low water availability for agricultural practices in rain-fed areas. However increasing population and high demand are also decline water level.

**Reference :-**

1. Hasan MR, Mostafa MG, Matin I (2003) Effect of rainfall on groundwater level fluctuation in Chapai nawabgonj District, International journal of Engineering research and Technology 2: 2800-2807.
2. Reghunath R., Murthy, T.R.S. and Raghavan, B.R., (2005) Time series analysis to monitor and assess water resources: moving average approach. Environment Monitoring and Assessment, 6109 (i), 65-72.
3. Ahmadi, S.H. and Sedghamiz, A., (2007). Geostatistical analysis of spatial and temporal variations of groundwater level. Environment Monitoring and Assessment, 129 (1), 277-294.
4. Duhan D, Panday A., (2013) Statistical analysis of long term spatial and temporal trends of precipitation during 1901-2002 at Madhya Pradesh, India. Atmospheric research, Elsevier, 122:136-149.

**Table 1.1 Annual Decadel Average Rainfall Of Upper Narmada Basin ( In Centimeter)**

Year	Hoshangabad	Mandla	Jabalpur	Narsinghpur
1976-85	93.08	100.59	99.06	96.54
1986-95	83.23	114.77	120.88	91.50
1996-05	87.78	110.08	110.95	120.88
2006-15	91.4	122.59	115.89	95.33

**Table 1.2 Distric Wise Decadel Water Level Flucation With Mean 2006-2015 ( In Meters)**

District	Rise in Meter	Fall in Meter	Depth of Water Level - Min	Depth of Water Level Max.
HOSHANGABAD	1.18	2.43	2.01	18.30
JABALPUR	2.23	3.52	1.77	17.65
MANDLA	1.85	1.8	2.18	11.87
NARSINGHPUR	2.14	1.54	3.24	47.06

Figure 1.1 Location Map of upper Narmada Basin.




Fig. 1.2 Annual Decadal Average Rainfall of Upper Narmada Basin




Fig 1.3 Rise And Fall of Water Level From 2006-2015





Fig 1.3 Comparison of Depth of Water Level And average Rainfall in 2006-2015



\*\*\*\*\*

## समन्वित क्षेत्रीय विकास एवं नियोजन - जनपद सागर का प्रतीकात्मक अध्ययन

हरिदास अहिरवार \*


**शोध सारांश** - प्रस्तुत शोध पत्र समन्वित क्षेत्रीय विकास एवं नियोजन जनपद सागर का प्रतीकात्मक अध्ययन पर आधारित है। समन्वित क्षेत्रीय विकास वह प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप किसी देश में समस्त उत्पादन संसाधनों का विदोहन होता है। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है। जनपद सागर अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियाँ एवं सामाजिक विशेषताओं के लिए प्रतिबद्ध है। जनपद सागर में सुविधाओं की उपलब्धता असमान रूप से वितरित है तथा यहाँ योजना एवं सुविधाओं का प्रचार प्रसार एवं संचालन योजनाबद्ध रूप से करने हेतु सुझाव प्रस्तुत किये हैं जिनमें शैक्षणिक नियोजन, स्वास्थ्य नियोजन, वित्तीय नियोजन, कृषि नियोजन, जनसंख्या नियोजन एवं औद्योगिक और अधिवासों का नियोजन कर क्षेत्र में व्याप्त विकास योजना से नियोजन सम्बन्धित समस्याओं का ध्यान में रखकर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है ताकि समन्वित क्षेत्रीय विकास हो सके और नियोजन का स्वरूप तैयार किया जा सके।

**शब्द कुंजी** - विकास, नियोजन, समन्वित, जनपद।

**प्रस्तावना** - समन्वित क्षेत्रीय विकास वह प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप किसी देश में समस्त उत्पादन साधनों को विदोहन होता है। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है और जनता का जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ता है। मानव की प्रारम्भिक अवस्था में विकास का स्तर शून्य था एवं वह विकास से परिचित ही नहीं था। मानव महत्वकांक्षी एवं जिज्ञासु तो है ही उसने व्याप्त विभिन्न संसाधनों को देखा जिनका उपयोग विभिन्न रूपों में करना प्रारंभ किया यहीं से विकास प्रारम्भ हुआ है। नियोजन संसाधनों के इष्टतम उपयोग एवं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया एक सुव्यवस्थित एवं सतत् प्रयास है इससे यथार्थ एवं प्रत्याशा के मध्य के अंतर को कम करने में मदद मिलती है। यह आत्मनिर्भरता प्राप्त करने अन्तर क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने तथा विकास हेतु उन आदर्श दशाओं के तैयार करने का प्रयास है। नियोजन स्थानीय क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर जीवन निवारण सामग्री दूसरों के प्रति आदर एवं आत्म सम्मान की भावना अत्याचार एवं शोषण से मुक्ति तथा ऐसे सामुदायिक जीवन का विकास जिसमें सम्बन्धिता की भावना निहित होने की सम्भावना प्रदान करती है। क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय संसाधनों यथा पूंजी श्रम एवं अन्य उत्पादन के कारकों का अनुकूलतम उपयोग एवं जन साधारण की सहभागिता सुनिश्चित कर क्षेत्रीय नियोजन की संकल्पना को साकार किया जा सकता है।

**अध्ययन क्षेत्र** - जनपद सागर म.प्र. का एक जनपद है। जिसका भौगोलिक स्वरूप बुन्देलखण्ड के पठार एवं नर्मदा बेसिन से लगा हुआ है। जनपद सागर की स्थिति एवं विस्तार 23°-10' से 24°-27' उत्तरी अक्षांश एवं विस्तार 78°-4' विस्तार 79°-21' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जनपद सागर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 10.252 वर्ग किमी है। जनपद सागर में विकासखण्डों की संख्या 11 तथा 2076 ग्रामों की संख्या कुल जनसंख्या 2378458 इसमें पुरुषों की संख्या 12456257 तथा महिला की जनसंख्या 1122201 है। तथा इसका लिंगानुपात 896 है। जनसंख्या घनत्व 232

वर्गकिमी है। जनपद सागर की उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले उत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। पूर्व में दमोह उत्तर पूर्व में छतरपुर एवं दक्षिण में नरसिंहपुर दक्षिण पश्चिम में रायसेन और पश्चिम में विदिशा, उत्तर पश्चिम में अशोक नगर जिले की सीमाओं का निर्धारण करती हैं। जनपद की सर्वाधिक लम्बाई दक्षिण पूर्व में लगभग 168.92 कि.मी जबकि दक्षिण भाग 120.7 किमी तक है। जनपद सागर एक राजस्व संभाग भी है।



\* शोधार्थी (भूगोल) शासकीय महात्मा गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इटारसी, जिला-होशंगाबाद (म.प्र) भारत



**भौगोलिक पृष्ठ भूमि** – यह जनपद विशाल मालवा के पठार जो उत्तर एवं उत्तर पश्चिम की ओर चौड़ा होता गया एवं दक्षिण पूर्व किनारे पर स्थित है। यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यह क्षेत्र अधिकांश दक्षिण ट्रेप लावा से आच्छादित है। जबकि किसी स्थान पर विन्ध्य बलुआ पत्थर दिखाई देता है। जनपद सागर में धरातलीय संरचना की बनावट एक समान नहीं है। कहीं भूमि समतल तो कहीं पठारी ओर कहीं नदियों की चोटियां समतल प्रदेश बनाती है। नदियों की घाटी के बीचों बीच छोटी-छोटी पहाड़ी फैली हुई हैं। जनपद की औसत ऊँचाई 1500 से 1750 फुट ऊपर है। (447.2 से 543.4 मीटर) है। जनपद की नदियां उत्तर एवं पूर्व की ओर बहती हैं। जनपद की 5 बड़ी नदियाँ बीना, धसान, बेवस, सुनार और बामनेर बारहमासी नदियाँ हैं। बुन्देलखण्ड का पठार आर्कियन युग की ग्रेनाइट चट्टानों एवं नीस से बना हुआ है। जनपद सागर की मिट्टी काली, लाल, बलुआ एवं दोमट प्रकार की है। जनपद सागर अधिकांश कृषि का क्षेत्र है। जनपद में पहाड़ियों की बनावट कहीं नीची तो कहीं ऊँची है। इस कारण जनपद सागर बड़ा ही मनोरम एवं रमणीय प्रतीत होता है।

जनपद सागर में सुविधाओं की उपलब्धता असमान रूप से वितरित है तथा यहां योजना एवं सुविधाओं का प्रचार प्रसार एवं संचालन योजनाबद्ध रूप से नहीं हुआ है। जनपद सागर के सम्पूर्ण क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की जानकारी यहां के निवासियों में अज्ञानता व्याप्त है। जनपद सागर में सर्वाधिक अज्ञानता ग्रामीणों में देखने को मिलती है। ग्रामीणों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जानकारी के अभाव में इन सुविधाओं का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। यदि इन योजनाओं और सुविधाओं का सही रूप एवं योजनाबद्ध ढंग से संचालन एवं वितरण किया जाए तो इस क्षेत्र की अनेक मूलभूत आवश्यकताओं एवं समस्याओं का समाधान हो सकता है।

प्रस्तुत अध्ययन में विकास योजनाओं का नियोजन इस प्रकार किया गया है, भूमि नियोजन, जनसंख्या नियोजन एवं स्वास्थ्य एवं रोजगार योजनाओं पर विशेष बल दिया गया है। इसके लिए क्षेत्रीय एवं स्थानीय जनसहभागिता को आधार मानकर नियोजन की रूप रेखा तैयार की गई है। इस अध्ययन में क्षेत्रीय विकास में प्रस्तावित नियोजन में यह ध्यान रखा गया है कि क्षेत्रीय स्तर पर प्राप्त संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग कर जन-जन तक सहभागिता के आधार पर चलायी जाए ताकि विकास का लाभ गरीब से गरीब व्यक्तियों तक पहुंचे। इस अध्ययन में सम्पूर्ण सुविधाओं को भूवैज्ञानिक एवं कार्यात्मक संगठन के अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों तथा बड़े कृषकों, भूमिहीन कृषि मजदूरों ग्रामीण व्यापारियों एवं उद्योगपति ग्रामीण नागरिक उत्पादों उच्च एवं निम्न मजदूरी से आने वाले उपभोक्ताओं इत्यादि को सम्मिलित करते हुए प्रशासनिक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक प्रावधिक पक्षों का क्षेत्रीय विकास के सन्दर्भ में समायोजन किया गया है। (सिंह 1989) उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के वितरण में विद्यमान विसंगतियों के फलस्वरूप विकास प्रक्रिया की गति एवं क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त अन्तर पाया गया है। जिससे असन्तुलन के विभिन्न आयाम उभर कर सामने आते हैं।

जनपद सागर में निम्न प्रकार के नियोजन की आवश्यकता है।

#### तालिका क्रं. 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

1. **शैक्षणिक नियोजन** – अध्ययन एवं आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि इस जनपद में वर्ष 2016-17 प्राथमिक शाला 2189 माध्यमिक शाला 938 हाई स्कूल 167 तथा उच्चतर माध्यमिक शाला 113 तथा महाविद्यालय 18 थे। इस प्रकार देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों

में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की आवश्यकता अधिक 150 से अधिक माध्यमिक और 60 से अधिक हॉयर सेकेन्डरी स्कूलों की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए भटकना न पड़े इसके अलावा बालिकाओं को अलग से विद्यालय खोले जाए तथा उन्हें अलग से घरेलू व्यवसाय की जानकारी दी जाए।

2. **स्वास्थ्य नियोजन** – जनपद सागर में स्वास्थ्य सुविधाओं को देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में कोई सामन्जस्य नहीं है अतः स्वास्थ्य सुविधाओं में प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र की संख 37 उपस्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 259 है। इस प्रकार स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए निम्न सुझाव दिए गए हैं।
  - क. प्रत्येक ग्रामों में एक एक उपस्वास्थ्य केन्द्र है। मातृ एवं शिशु केन्द्र की स्थापना हो।
  - ख. प्रत्येक विकासखण स्तर पर 30 बिस्तर वाली रोगी शैया सुविधायुक्त हो उत्तम औषधालय, एक्सरे एवं जाँच प्रयोगशाला के साथ-साथ सव्य शिशु एवं महिला विशेषज्ञ हों।
  - ग. प्रत्येक विकासखण्ड के मुख्यालय पर एम्बुलेंस हो जो आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में जा सके।
3. **वित्तीय नियोजन** – वैसे तो वित्तीय सुविधाओं हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक आदि की सेवाएँ विकासखण्ड स्तर पर उपलब्ध है परन्तु वितरण असमान है। निम्न सुझाव है।
  - क. प्रत्येक 6 माह में ग्रामीण स्तर पर शिवरों का आयोजन कर के वित्तीय योजनाओं की जानकारी दी जाए।
  - ख. ग्रामीणों को बैंक के माध्यम से ऋण सुविधाओं के साथ उन्हें ऋण लौटाने की भी सुझाव और समझाया जावे ताकि उन्हें आने वाले भविष्य में और ऋण दिया जा सके।
4. **वन नियोजन** – जनपद सागर में 3 वन मण्डल है, जिनमें उत्तर वन मण्डल, दक्षिण वन मण्डल, नौरादेही वन मण्डल जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में वनों में वृद्धि हुई है। अतः वनों की समुचित विकास एवं नियोजन को निम्न सुझाव है।
  - क. नदियों के किनारे भू-क्षरण को रोकने हेतु पेड़ों को लगाया जाए।
  - ख. वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाई जाए।
  - ग. वन क्षेत्रों में वन विभाग के माध्यम से नये पौधों का रोपड़ किया जाये।
  - घ. प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य के द्वारा 1 पेड़ अपनी जमीन पर लगाया जाए।
5. **कृषि नियोजन** – जनपद सागर में अधिकता कृषि योग्य भूमि है फिर भी कृषि नियोजन के लिए निम्न सुझाव है।
  - क. अन्य बेकार भूमि जो कृषि योग्य है उन्हें कृषि योग्य बनाने की आवश्यकता है।
  - ख. भू-क्षरण रोकने हेतु कृषिगत भूमि के चारों तरफ मेडबंदी तथा पेड़ लगाना आवश्यक है। जिससे भू-क्षरण की समस्या में कमी हो सके।
  - ग. प्रत्येक कृषक को अपने खेत में वर्षा का जल रोकने के लिए छोटे-छोटे तालाबों का निर्माण करना चाहिए ताकि खेत की मिट्टी खेत का जल खेत में ही रहे।
6. **जनसंख्या नियोजन** – जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए निम्न सुझाव प्रस्तुत है।
  - क. जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में ग्रामीणों

- को जागरूक करना।
- ख. शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
- ग. बाल-विवाह प्रथा पर रोक लगाना।
7. **औद्योगिक नियोजन** - जनपद सागर में कृषि आधारित उद्योग हेतु निम्न सुझाव है।
- क. स्थानीय उपलब्ध संसाधन आधारित लघु एवं माध्यम आकार की आधुनिक इकाईया की स्थापना करना।
- ख. दूध डेयरी, एवं पशुपालन सम्बन्धी उद्योग तैयार करना।
8. अधिवास नियोजन : जनपद सागर के ग्रामीण क्षेत्र में अधिवासों एवं मकानों का निर्माण भूमि की उपलब्धता पर बनाए गए। पानी की निकासी एवं पशुशालाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन वर्तमान समय में मकानों का निर्माण योजनाबद्ध तरीकों से होना चाहिए यहां के मकानों का आकार बड़े हैं मिट्टी और खपरैल के हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मानव अपने रहने के मकान में ही पशुओं एवं मुर्गी आदि को पालते हैं जो पर्यावरणीय एवं मानव दृष्टि से हानिकारक हैं।
- क. मकानों के निर्माण में पानी की निकासी के लिए नालिया बनाई जाए।
- ख. भेड़-बकरियाँ, गायों, मुर्गियों आदि को अलग से मकान बनाए जाए ताकि अलग रखा जाए। इस प्रकार का नियोजन मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हितकारी सिद्ध होगा।
- निष्कर्ष** - समन्वित क्षेत्रीय विकास एवं नियोजन का प्रतीकात्मक अध्ययन

किया गया लेखन के द्वारा प्रस्तुत अध्ययन में व्यक्तिगत अनुभवों एवं सरकारी आँकड़ों को ध्यान में रखकर किया गया है। अध्ययन के अन्तर्गत क्षेत्र में व्यास विकास योजना के नियोजन से सम्बन्धित समस्याओं का ध्यान में रखकर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। जिसमें क्षेत्रस्तर पर विकास हेतु, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन, औद्योगिक, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र का नियोजन की आवश्यकता हो ताकि समन्वित क्षेत्रीय विकास हो सके और नियोजन का स्वरूप तैयार किया जा सके।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह रामबली (1988) - समन्वित क्षेत्रीय विकास एवं भूगोल भू-विकास अंक- 3 भाग- 2
2. जनपद सागर सांख्यिकीय पुस्तिका वर्ष 2017
3. जनपद सागर गजेटियर सागर
4. कुमार प्रमिला (2004) - मध्य प्रदेश भौगोलिक अध्ययन मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल।
5. गोयल अनुपम (1997) - भारत में आर्थिक विकास एवं नियोजन शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी इन्दौर (म.प्र.)
6. समन्वित ग्रामीण विकास नियोजन - जनपद गाजीपुर के सैदपुर विकासखण्ड का भौगोलिक अध्ययन उत्तर भारत भूगोल पत्रिका सितम्बर 2013

तालिका क्रं. 1 जनपद सागर में उपलब्ध सुविधाएं एवं कृषि क्षेत्र

विकासखण्ड	शैक्षणिक			स्वास्थ्य			कृषि		
	प्राथ.	माध्य.	हाईस्कूल	प्रा.स्वा. केन्द्र	उप. स्वा. केन्द्र	आयु. होम्यो/यूनानी औषधालय	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	द्वि-फसली	कुल बोया गया क्षेत्र
सागर	269	127	29	3	32	2	52863	27936	80799
जैसीनगर	153	67	10	1	23	6	44395	27314	7709
शाहगढ़	207	106	18	5	23	6	57012	35966	92978
रहली	288	110	17	3	29	7	62667	47122	109789
देवरी	213	83	14	3	22	6	48671	36895	85566
केसली	174	86	10	2	21	5	38193	23250	61443
बीना	172	70	18	2	20	3	53858	43848	97306
खुरई	195	85	13	1	22	3	62218	52207	114425
मालथौन	183	701	08	4	22	6	48553	36482	85035
बण्डा	170	74	16	2	28	3	49677	28409	78086
राहतगढ़	165	60	14	1	17	3	27057	19318	46375
कुल	2189	1569	167	27	259	50	545164	378747	859511

स्रोत - जनपद सांख्यिकी पुस्तिका (2017)

\*\*\*\*\*

## आदिवासी बहुल्य क्षेत्र का विकासात्मक परिवर्तन (खरगोन जिले के विशेष सन्दर्भ में एक भौगोलिक अध्ययन)

डॉ. आर. आर. गोरारस्या \* प्रो. सुरेश अवासे \*\*

**शोध सारांश** - आदिवासियों के विकास एवं परिवर्तन में शासन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज के माध्यम से कई योजनाओं एवं उपयोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पेंशन योजना से निराश्रितों को सम्मानजनक जीवन निर्वाह करने का आधार मिला है, वही जिन आदिवासियों के पास रहने के लिए छत नहीं थी, उन्हें आवास कुटीर प्रदान की जा रही है। आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु कई ऋण सुविधाएँ प्रदान की जा रही है, सहकारिता की भावना विकसित की जा रही है। संबंधित साहित्य अवलोकन से भी शोध क्षेत्र की प्रकृति, जनजातियों की सामाजिक परम्पराओं नई तकनीक के प्रति आदिवासियों के दृष्टिकोण को समझने में काफी मददगार साबित हुआ।

**प्रस्तावना** - विश्व में ऐसे कई आदिवासी जनजाति समूह हैं। जिनके विषय में हमारी कल्पना में ऐसी संस्कृति सामने आती है, जो वैज्ञानिक विकास से दूर वर्तमान काल की व्यवहार भाषा शैली और भौतिक जीवन से अपरिचित और एकान्त में प्रकृति के बीच स्थित है। इनके जीवन मूल्यों और परम्पराओं का अध्ययन करना एक रोचक विषय है।

आधुनिक समाज एवं इसके आधुनिक लोग उस सभ्यता के परिचायक हैं, जो कहीं न कहीं जगली क्षेत्रों से आरम्भ हुई है। संसार की समस्त सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का उदय इन्हीं ऐतिहासिक आदिवासी समाजों से हुआ है। जंगल से लेकर आज के आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के इतिहास में असंख्य परिवर्तन आए। बौद्धिक विकास के फलस्वरूप मानव छोटे-छोटे कबिलों में रहने लगा तथा इसी के साथ वर्ग संबंधी जैसी स्थिति निर्मित होने लगी।

'परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना मानव की प्रवृत्ति रही है। 'वर्तमान में कोई भी आदिवासी समुदाय ब्राह्म सम्पर्क से अछूत नहीं रहा है। यहाँ तक सुदूर बिहड़ एवं अगम्य स्थलों में रहनी वाली आदिवासी के लोग भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में आदिवासियों के साथ विकासात्मक से सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के साथ-साथ उनके विकास के विभिन्न पहलुओं का विषद वर्णन किया गया है। आदिवासी समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के उपाय, राजनैतिक एवं धार्मिक स्थिति समाज पर आधुनिकता का प्रभाव आदिवासी विकास कार्यक्रम एवं उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं और इनमें होने वाले परिवर्तनों को संक्षिप्त रूप में यथा संभव प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मध्यप्रदेश का पश्चिमी निमाड़ भाग पहाड़ी तथा वनाच्छादित है। इस भाग के अन्तर्गत खरगोन जिला आता है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार 38.98 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासियों की है। अध्ययन विषय आदिवासी बहुल्य क्षेत्र का विकासात्मक परिवर्तन खरगोन जिले से संबंधित है।

**अध्ययन का महत्व** - आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के साथ-साथ विकास के विभिन्न पहलुओं का विषद वर्णन प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। आदिवासी समाज में व्याप्त आर्थिक सामाजिक

राजनैतिक एवं धार्मिक स्थिति आदिवासीय समाज में बदलते परिवेश तथा आदिवासीय विकास कार्यक्रम एवं उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं और इनमें होने वाले परिवर्तनों को सार रूप में यथा संभव प्रस्तुत करने का प्रयास किया जायेगा।

किसी भी राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य होता है-जन कल्याण प्रजा का विकास सर्वोपरी होता है। समाज का प्रत्येक वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़े परन्तु यह विडम्बना ही कही जा सकती है कि आदिवासीयों में भी उपजातियों अनेक विकास योजनाओं के बावजूद पिछड़ी अवस्था में हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित विभिन्न योजनाओं के सकारात्मक परिणाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। आदिवासियों के लाभार्थ चलाई जा रही योजनाओं का सही लाभ उन्हें नहीं मिल पाया है क्योंकि लाभार्थी उस योजना को अंगीकृत करने में या तो अक्षम रहे या अंगीकरण उन्हें स्वीकार्य नहीं था। अतः यह अध्ययन योजनाओं के ऐसे विभिन्न पक्षों को प्रकाश में लाकर भविष्य में बनाई जाने वाली योजनाओं के ऐसे विभिन्न पक्षों को प्रकाश में लाकर भविष्य में बनाई जाने वाली योजनाओं को व्यवस्थित कर सकने में सहायक होगा।

**अध्ययन क्षेत्र** - पश्चिम निमाड़ (खरगोन) जिले का गठन 1 नवम्बर सन् 1956 को मध्यप्रदेश के गठन के साथ गठित किया गया खरगोन जिले का इतिहास उतना ही प्राचीन है, जितना की भारत में मध्यप्रदेश का है। यह सतपुड़ा एवं विन्ध्याचल पर्वत के भाग के दक्षिण उत्तरी भाग में स्थित है। खरगोन जिला इन्दौर संभाग के अन्तर्गत आता है। जिले के उत्तर में धार-इन्दौर व देवास, दक्षिण में महाराष्ट्र पूर्व में खण्डवा, बुराहनपुर तथा पश्चिम में जिला बड़वानी स्थित है। खरगोन जिला म.प्र. राज्य की दक्षिणी-पश्चिमी सीमा में 21022 से 22025 उत्तरी आक्षांश तथा 74025 से 76014 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इस जिले की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई लगभग 186 कि.मी. एवं उत्तर से दक्षिण की लम्बाई 263 कि.मी. है। जो समुद्र सतह से 300 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है एवं क्षेत्रफल 6541.870 वर्ग किलो मीटर है।

**परिकल्पना** - आदिवासीय बाहुल्य क्षेत्र में शोध से संबंधित मुख्य

\* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय माधव क. एवं वा. महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

\*\* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत

परिकल्पना यह है कि आदिवासी क्षेत्रों की परियोजनाएँ बनाते समय क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक स्तर उनकी मान्यताओं तकनीकी ज्ञान ग्रहण करने के स्तर एवं क्षमता उनकी रूची और उनकी सामाजिक पारिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। विकास हेतु सामाजिक आर्थिक योजनाओं के अंगीकरण में कौन - कौन सी बाधाएँ उपस्थित हो सकती है? इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। इन सबके अतिरिक्त क्षेत्र के आदिवासियों के स्वअर्जित अनुभवश्रित ज्ञान का भी आंकलन कर उपयोग किया जाना चाहिये।

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आदिवासी जनजाती के समान विकास हेतु भविष्य की योजनाएँ बनाने के लिए अध्ययन आवश्यक है। जिससे क्षेत्रीय असंतुलित विकास तथा आदिवासी जनजाती के असंतुलित विकास को दूर किया जा सके और उन पिछड़ी जनजातियों को विकास का सुअवसर प्राप्त हो सके।

### उद्देश्य -

1. आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में विकासात्माक परिवर्तन प्रतिरूप का विश्लेषण करना
2. आदिवासियों का सामाजिक परिदृश्य

### जनकल्याणकारी योजनाएँ -

1. आदिवासियों के विकास एवं परिवर्तन में शासन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज के माध्यम से कई योजनाओं एवं उपयोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पेंशन योजना से निराश्रितों को सम्मानजनक जीवन निर्वाह करने का आधार मिला है, वही जिन आदिवासियों के पास रहने के लिए छत नहीं थी उन्हें आवास कुटीर प्रदान की जा रही है। आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु कई ऋण सुविधाएँ प्रदान की जा रही है, सहकारिता की भावना विकसित की जा रही है। संबंधित साहित्य अवलोकन से भी शोध क्षेत्र की प्रकृति, जनजातियों की सामाजिक परम्पराओं नई तकनीक के प्रति आदिवासियों के दृष्टिकोण को समझने में काफी मददगार साबित हुआ। आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था, निम्न जीवन स्तर, यातायात सेवाएँ, संचार सेवाएँ, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार, शैक्षणिक सेवाओं का प्रसार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की लागत, व्यापार आदि स्थानिक वितरण को प्रभावित करते हैं।
2. सामाजिक एवं आर्थिक दोनों एक-दूसरे के पूरक है। अतः दोनों से धनिष्ट सम्बन्ध है।
3. खरगोन जिले में कृषि सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत जिले में आदिवासियों को निःशुल्क कृषि यन्त्र, उचित मूल्य पर खाद-बीज, न्यूनतम दर पर ऋण तथा बागाती कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु शासन प्रयासरत है।
4. अध्ययन क्षेत्र जिला खरगोन में निःशुल्क कृषि उपकरण के रूप में केवल हल एवं बक्खर, हार्वैस्टर ट्रैक्टर थ्रेसर तथा ड्रिप सिंचाई पाईप बड़े कृषकों को 80 प्रतिशत सब्सिडी पर प्रदान किए जाते हैं। जिले के 35.92 प्रतिशत सर्वेक्षित आदिवासी निःशुल्क कृषि उपकरण प्राप्त करते हैं। इस योजना के अन्तर्गत सबसे अधिक कसरावद तहसील के 50 प्रतिशत सर्वेक्षित आदिवासी सेगाँव, महेश्वर तथा बड़वाह के कुछ ही सर्वेक्षित आदिवासी लाभ ले सके हैं।
5. खरगोन जिले में उत्तम बीज वितरण योजना के अन्तर्गत 52.59 प्रतिशत सर्वेक्षित आदिवासी निःशुल्क उत्तम बीज प्राप्त करते हैं। तहसील स्तर पर सबसे अधिक खरगोन तहसील के 61.66 प्रतिशत

सर्वेक्षित आदिवासी तथा सबसे कम कसरावद तहसील के 40 प्रतिशत सर्वेक्षित आदिवासी उत्तम बीज प्राप्त करते हैं।

6. कृषक क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत जिले के 48.88 प्रतिशत सर्वेक्षित आदिवासी कृषक क्रेडिट कार्ड धारी है तहसील स्तर पर सबसे अधिक कसरावद तहसील के 61.66 प्रतिशत तथा सबसे कम बड़वाह तहसील के 41.66 प्रतिशत सर्वेक्षित आदिवासी लाभ ले रहे हैं।
7. आदिवासियों का आर्थिक विकास हेतु शासन ने जीवनधारा योजना प्रारम्भ की जिसमें सिंचाई के साधनों में वृद्धि हो तथा सिंचाई के क्षेत्रफल में वृद्धि हो परन्तु जिले के केवल 35.37 प्रतिशत सर्वेक्षित आदिवासी इस योजना से लाभान्वित हो सके हैं। तहसील स्तर पर सबसे अधिक सेगाँव तहसील के 51.66 प्रतिशत तथा सबसे कम महेश्वर तहसील के 25 प्रतिशत सर्वेक्षित आदिवासी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

### (सारिणी देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

**विकासात्माक परिवर्तन -** खरगोन जिले के आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में आदिवासियों की जीवन शैली को पद और शिक्षा ने काफी हद तक बदल डाला है। पैदल और बैलगाड़ी पर सफर करने वाला इस वर्ग का एक बड़ा तबका अब दोपहिया वाहन पर सवार होकर सफर करने लगा है। मुँह में सिगरेट तो हाथों में मोबाइल है। घर में टी0वी0 तो आँगन में ट्रैक्टर खड़ा है। पद और शिक्षा में आदिवासी वर्ग के 25 से 30 प्रतिशत लोगों को आधुनिकता की ओर तेजी से धकेला है। बावजूद इसके आदिवासियों का एक बड़ा वर्ग अब भी ब्याज और शराब के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाया है। आजादी के बाद से इस वर्ग के लोगों का जिले में मुख्य व्यवसाय कृषि और खेतीकार मजदूर रहा है।

शनैः शनैः इस वर्ग ने 'कर' लिए और गाँव से बाहर निकालकर शहर की ओर कुछ किया है और वे शहरी क्षेत्र, में होने वाले भवन निर्माणों के मजदूर बने और नगरीय क्षेत्र के सम्पन्न वर्ग के कृषकों के खेतों में हिस्सेदारी शुरू की पंचायतीराज लागू होने एवं आदिवासी बाहुल्य छोटे-छोटे गाँव और फालियों में भी स्कूल खुलने से इस वर्ग का विकास हुआ है।

पद और शिक्षा ने इस समुदाय के 25 से 30 प्रतिशत लोगों की जीवन शैली को बदल डाला है। पंचायतीराज में मिले पंच, सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जनपद प्रतिनिधि, जिला पंचायत प्रतिनिधि जैसे पदों और शिक्षा में पैदल चलने वाले और बैलगाड़ी में सफर करने वाले आदिवासी को आधुनिकता की ओर ले जाने में योगदान दिया है।

पद और शिक्षा की बढ़ती ही वर्तमान में 30 प्रतिशत आदिवासी मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। 25 प्रतिशत के पास दुपहिया वाहन है। पद और शिक्षा से जब आर्थिक स्थिति में बदलाव आया तो पहनावे और रहन-सहन में बदलाव आना ही था। लंगोटी, लहंगा और धोती के स्थान पर पेंट-शर्ट, सलवार-सूट और साड़ी ने स्थान लिया है। यह वर्ग फालियों, मजरो एवं टोलों में अब भी निवासरत है। शासन एवं जनप्रतिनिधियों के साझा प्रयासों से इन फालियों, मजरो, टोलों में पानी के लिए हैंडपंप, सिंचाई के लिए तालाब एवं स्टॉपडेम बनाए जाने लगे हैं, और फालियों तक बिजली पहुँचाने से इस वर्ग को अपना विकास करने में सहायता मिली है। वनांचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं के पहुँचने से भी टोने-टोटके और ओझाओं से नजदीकियाँ घटी हैं। सड़कों की सुविधा ने भी इन्हें लाभान्वित किया है। पद, शिक्षा और सुविधा ने फालियों में निवासरत आदिवासियों को शहरी से जोड़ा है। इस जुड़ाव से कृषि में भी आधुनिकता का समावेश हुआ है।

फालियों में पहुँचे टेलीविजन ने अंधविश्वास और बहु पत्नी प्रथा के

साथ ही बच्चों की अधिक संख्या को नियंत्रित किया है। आजादी के समय तक यह वर्ग अशिक्षित और रुढ़ीवादी था। न शिक्षा थी न सुविधा थी और न ही कोई पद था। पंचायतीराज में मिले आरक्षण में इस वर्ग के एक बड़े तबके की काया पलटने में अहम भूमिका निभाई है। घर पर जुवार की रोटी और मूँग की दाल खाने वाला आदिवासी पद पर आने के बाद शहर की बेहतरीन होटलों में अपने खाने पर अच्छी खासी रकम व्यय करने लगा है।

आजादी के बाद शनैः-शनैः हुए बदलाव, शिक्षा पद और सुविधा की बढ़ती हुई परिवर्तन के लाभ से इस वर्ग का एक बड़ा तबका अब भी वंचित है। ब्याज पर राशि जुटाकर कृषि करने वाले आदिवासियों की संख्या 25 प्रतिशत की कमी आई है 75 प्रतिशत दो से पाँच एकड़ की भूमि वाले कृषक वर्तमान में भी ब्याज पर पैसा लेकर कृषि करने में जुटे हुए हैं।

प्रकृति ने साथ दिया तो कर्ज चुकाने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रकृति के साथ नहीं देने पर फिर वही बढहाली का आलम। आजादी के बाद आदिवासी बहुल खरगोन जिले में इस वर्ग में काफी बदलाव देखा जा रहा है। इस बदलाव के बावजूद शराब ने इनका घर नहीं छोड़ा है। शिक्षा और पद के बावजूद इस वर्ग के 40 से 50 प्रतिशत लोग इस बुराई से दूर नहीं हो पाए हैं।

हुआ यह है कि पद और शिक्षा ने हाथ की बनी शराब के स्थान पर विदेशी शराब को करीब ला दिया है। इस वर्ग के शत-प्रतिशत शिक्षित होने शराब से दूर रहने और ब्याज से मुक्त होने के बाद ही आना सम्भव लग रही है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कौशिक, एस.डी. - मानव भूगोल रस्तोगी पब्लिकेशन मेरठ पृष्ठ संख्या - 14 , 16
2. मिश्र, उमाशंकर (1975) - भारतीय आदिवासी संस्करण - पृष्ठ संख्या- 123
3. डॉ. कुमार, प्रमिला (1995) - मध्यप्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी ,भोपाल (म.प्र.) पृष्ठ संख्या - 147
4. डॉ. मामोरिया, चतुर्भुज - मानव भूगोल साहित्य भवन पब्लिकेशन , नई दिल्ली पृष्ठ संख्या-177 195
5. मुकर्जी, रविन्द्रनाथ - सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी -2001 विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, नई दिल्ली -7 पृष्ठ संख्या
6. डॉ. नदीम हसनैन (2000) - जनजातीय भारत जवाहर पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली - 16 पृष्ठ संख्या- 34,56



तालिका क्रमांक 1  
उत्तम बीज वितरण

सर्वेक्षित ग्रामों में तहसील एवं जिला स्तर

तहसील	सर्वेक्षित ग्राम	सर्वेक्षित कृषक परिवार	सन्तुष्ट है	प्रतिशत	सन्तुष्ट नहीं है	प्रतिशत
हेश्वर	निमसर	20	9	45	11	55
	बबलाई	20	14	70	6	30
	केरियाखेड़ी	20	8	40	12	60
योग		60	31	51.66	29	48.33
कसरावद	पानवा	20	4	20	16	80
	बाजटपुरा	20	9	45	11	55
	झिरन्या	20	11	55	9	45
योग		60	24	40	36	60
बड़वाह	सुलगाँव	20	14	70	6	30
	आक्या	20	11	55	9	45
	अम्बा	20	13	65	7	35
योग		60	38	63.33	22	36.66
सेगाँव	सांगवी	20	13	65	7	35
	बिरला	20	15	75	5	25
	सिलोटिया	20	52	51	5	75
योग		60	33	55	27	45
भगवानपुरा	देजला	20	9	45	11	55
	मोहना	20	12	60	8	40
	पिपलझोपा	20	14	70	6	30
योग		60	35	58.33	25	41.66
झिरन्या	कोटड़ा	20	12	60	8	40
	धुपा-बुजुर्ग	20	11	55	9	45
	नरवट	20	73	51	3	65
योग		60	30	50	30	50
भीकनगाँव	मुहाली	20	12	60	8	40
	निमोनी	20	9	45	11	55
	भोपाड़ा	20	5	25	15	75
योग		60	26	43.33	34	56.66
खरगोन	डोंगर चिचली	20	17	85	3	15
	सिनखेड़ा	20	12	60	8	40
	घुघरी	20	8	40	12	60
योग		60	37	61.66	23	38.33
गोगाँवा	लिमड़ी	20	12	60	8	40
	दशनावल	20	9	45	11	55
	पखेड़ा	20	9	45	11	55
योग		60	30	50	30	50
जिले का योग	योग	540	284	52.59	256	47.40

\*\*\*\*\*

## ग्वालियर संभाग के सन्दर्भ में पुरुष साक्षरता एवं महिला साक्षरता का तुलनात्मक कालिक विश्लेषण 2001-2011

महिमा राठौड़ \*

**शोध सारांश** – मानवीय संसाधनों के पूर्ण विकास बच्चों के चरित्र निर्माण व देश के बहुमुखी विकास के लिए स्त्री शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण व उपयोगी है। प्रस्तुत शोध में ग्वालियर संभाग के जिलों में पुरुष एवं महिला साक्षरता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

**प्रस्तावना** – साक्षरता वस्तुतः वह वैयक्तिक गुण है, जो किसी व्यक्ति के पढ़ने लिखने की क्षमता को प्रकट करता है।<sup>2</sup> मानव समाज में स्त्री व पुरुष दोनों एक गाड़ी के दो पहियों के समान हैं, दोनों को विकास हेतु अधिकाधिक क्षेत्रों में लगभग समान रूप से अवसर भी प्राप्त है। सामाजिक व्यवस्था व परम्पराओं ने जन्म से ही लड़के व लड़की में विभेद किया है, लड़कों को कुल दीपक वही लड़की को पराई सम्पत्ति व दहेज आदि कारणों से बोझ समझा जाता है।

वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं के प्रति घटनाओं से असुरक्षा की भावना को बढ़ावा मिला है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा हेतु लड़कियों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने से डरते हैं। जिससे स्त्री साक्षरता प्रभावित होती है।

ग्वालियर संभाग के पाँच जिलों में पुरुष साक्षरता एवं महिला साक्षरता में असमानता है, अतः संभाग में पुरुष साक्षरता एवं महिला साक्षरता समान हो, इस हेतु प्रयास आवश्यक है। प्रस्तुत शोध पत्र में पुरुष साक्षरता हेतु महिला साक्षरता का तुलनात्मक अध्ययन करके कारणों को खोज कर उन्हें दूर करने के सुझाव दिए गए हैं।

**अध्ययन क्षेत्र** – 3 ग्वालियर संभाग म.प्र. के उत्तर पश्चिम में 230-55। उत्तरी अक्षांश से 260-26। उत्तरी अक्षांश तक और 760 - 50। पूर्वी देशान्तर से 780 -45। पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इस संभाग के अन्तर्गत 5 जिले ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर सम्मिलित हैं। ग्वालियर संभाग का कुल क्षेत्रफल 28784 वर्ग किलोमीटर तथा कुल जनसंख्या 66,28,653 वर्ष 2011 के अनुसार है।

**तालिका क्रमांक 1 (देखे अंतिम पृष्ठ पर)**

**उद्देश्य** – ग्वालियर संभाग में सभी जिलों में पुरुष एवं महिला साक्षरता समान नहीं है। तथा साक्षरता दर में बहुत अधिक भिन्नता है। अतः क्षेत्र में महिला साक्षरता में कमी के कारण ज्ञात करना एवं सुझाव देना अध्ययन का उद्देश्य है।

**विधितन्त्र** – अध्ययन क्षेत्र में साक्षरता के द्वितीयक आंकड़े वर्ष 2001 - 2011 तक जनगणना पुस्तिका से लिए गए हैं, जिलेवार पुरुष एवं महिला साक्षरता का विश्लेषण किया गया है।

**तालिका क्रमांक 2 (देखे अंतिम पृष्ठ पर)**

तालिका क्र. 2 से स्पष्ट है कि ग्वालियर संभाग में वर्ष 2001 से 2011 तक जनसंख्या में वृद्धि हुई है। संभाग में सर्वाधिक कुल साक्षरता दर

ग्वालियर जिले में (77.9) है, जिसमें पुरुष साक्षरता (86.3) तथा महिला साक्षरता दर (68.3) है तथा सबसे कम शिवपुरी जिले में (63.3) है। यहाँ पुरुष साक्षरता दर (76.2) तथा महिला साक्षरता दर (49.5) है।

साक्षरता दर में असमानता के आधार पर अध्ययन क्षेत्र को निम्न भागों में बाँटा गया है।

- (1) उच्च साक्षरता दर वाले जिले (70 प्रतिशत से अधिक)
- (2) मध्यम साक्षरता दर वाले जिले (60 से 70 प्रतिशत)
- (3) निम्न साक्षरता दर वाले जिले (60 प्रतिशत से कम)

**(1) उच्च साक्षरता दर वाले क्षेत्र** – तालिका क्र. 2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2001 में ग्वालियर संभाग में केवल दतिया (71.3) ही उच्च साक्षरता दर में सम्मिलित था। वही एक दशक पश्चात वर्ष 2011 में ग्वालियर (77.9) भी सम्मिलित हो गया है। वही पुरुष साक्षरता दर में ग्वालियर संभाग के सभी जिले उच्च साक्षरता दर के अन्तर्गत आते हैं, तथा महिला साक्षरता दर में संभाग का एक भी जिला इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं है। उच्च साक्षरता वाले जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए गए साक्षरता अभियान का बहुत प्रभाव पड़ा है।

**(2) मध्यम साक्षरता दर वाले जिले (60-70 प्रतिशत)** – वर्ष 2001 में ग्वालियर संभाग के 2 जिले ग्वालियर (69.4) तथा अशोकनगर (62.3) आते थे। वर्ष 2011 में तीन जिले शिवपुरी (63.7) गुना (65.1) तथा अशोकनगर (67.9) सम्मिलित हो गए हैं। किन्तु महिला दर में वर्ष 2001 में एक भी जिले सम्मिलित नहीं थे तथा वर्ष 2011 में ग्वालियर (68.3) तथा दतिया (60.2) सम्मिलित हो गए हैं। इसका प्रमुख कारण ग्वालियर संभाग के अधिकांश जिले कृषि प्रधान होने से महिलाओं को घर का कार्य करने लिए समझा जाता है, तथा घर के काम करने के लिए साक्षर होना आवश्यक नहीं है, किन्तु 2011 की स्थिति अनुसार ग्वालियर में 11.9 तथा दतिया में (3.6) की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। इन जिलों में बेटी पढाओ, प्रतिभा किरण योजना एवं कई प्रकार की छात्रवृत्ति योजना जैसी सरकारी योजनाओं का प्रभाव पड़ा है ग्रामीण जनसंख्या जागरूक हो रही है, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान भेज रहे हैं। जिसमें महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है समाज में महिलाओं की दशा में सुधार हुआ है।

**(3) निम्न साक्षरता दर वाले क्षेत्र (60 प्रतिशत से कम)** – इस श्रेणी के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र में क्षेत्र में 2001 में दो जिले शिवपुरी (58.8) तथा गुना (57.6) आते थे। 2011 के अनुसार संभाग का एक भी जिला

इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है। किन्तु महिला साक्षरता दर में स्थिति 2001 में दयनीय थी क्योंकि संभाग के सभी जिले इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते थे। 2011 में ग्वालियर (68.3) तथा दतिया (60.2) में वृद्धि हुई तथा ये जिले मध्यम श्रेणी के अन्तर्गत आ गए, शेष तीन जिले शिवपुरी (49.5) गुना (52.5) तथा अशोकनगर (54.2) में साक्षरता दर में वृद्धि तो हुई किन्तु श्रेणी में कोई सुधार नहीं हुआ।

#### साक्षरता दर में वृद्धि हेतु सुझाव -

1. अध्ययन क्षेत्र में महिला साक्षरता अभियान पर जोर देने की आवश्यकता है।
2. स्त्री पुरुष के भेद को खत्म करने के लिए महिला सुरक्षा हेतु ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे लिंग भेद को कम किया जा सकता है।
3. पितृ सत्तात्मक कानून में बदलाव की आवश्यकता है।
4. महिलाओं में जागरूकता एवं आर्थिक निर्भरता हेतु रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल एवं उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय खोले जाना चाहिए।
6. जनसंख्या के आधार पर विद्यालय की संख्या निश्चित कर निकटतम

पड़ोसी दूरी के आधार पर दूरी की गणना कर विद्यालय की स्थापना करना चाहिए।

7. अर्थव्यवस्था कृषि से संबंधित होने से गरीबी, रूढ़ीवादिता समाज का पिछड़ापन, अंधविश्वास बहुत अधिक होता है, जो साक्षरता पूर्ण नहीं होने देती है इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाना चाहिए।
- निष्कर्ष -** ग्वालियर संभाग के सभी जिलों में 2001 - 2011 में वृद्धि हुई है सभी जिले उच्च एवं मध्यम श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। पुरुष साक्षरता दर में सभी जिले उच्च साक्षरता दर व अन्तर्गत आते हैं किन्तु महिलाओं की दशा में सुधार की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. मौर्य एस.डी. - जनसंख्या भूगोल परिवर्धित, तृतीय संस्करण (2007) शारदा पुस्तक इलाहाबाद पृ.क्र. 198
2. तिवारी आर.के - जनसंख्या भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन्स इलाहाबाद प्रथम संस्करण 2015, पृ.क्र. 241-241
3. कुमार, प्रमिला - मध्यप्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल पृ.क्र. 31

तालिका क्र. 1

ग्वालियर संभाग-जिलेवार क्षेत्रफल एवं जनसंख्या

क्र.	जिला	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.	जनसंख्या	
			2001	2011
1	ग्वालियर	4565	1632109	20,30,543
2	शिवपुरी	1027	81406,031	17,25,818
3	दतिया	2959	6641,59	786,375
4	गुना	6308	977,827	1240,938
5	अशोक नगर	4674	688,940	8,44,979

स्रोत - जनसांख्यिकी पुस्तिका 2011

तालिका क्र. 2

ग्वालियर संभाग में साक्षरता की स्थिति -2001-2011

क्र.	जिले	कुल साक्षरता दर		पुरुष साक्षरता		महिला साक्षरता	
		2001	2011	2001	2011	2001	2011
1	ग्वालियर	69.4	77.9	80.4	86.3	56.4	68.3
2	शिवपुरी	58.8	63.7	74.0	76.2	40.7	49.5
3	दतिया	71.3	73.5	83.9	85.2	56.6	60.2
4	गुना	57.6	65.1	72.1	76.6	41.2	52.5
5	अशोक नगर	62.3	67.9	77.0	80.2	45.2	54.2

स्रोत - censusindia.gov.in>mp>07literacy.

\*\*\*\*\*

## Resilient Women In The Works Of Amitav Ghosh

Dr. Sr. Hansa Paul \*

**Introduction** - Women play a vital role in various spheres all over the world. The smallest cell of our society is family and the women play an active role in family matters from planning to decision making. According to Hillary Clinton, "What we are learning around the world is that, if women are healthy and educated, their families will flourish. If women are free from violence, their families will flourish. If women have a chance to work and earn as full and equal partners in society, their families will flourish. And when families flourish, communities and nations will flourish" (Clinton 124).

There are numerous women stalwarts in various countries who have played a significant role in shaping their societies by contributing their share. The galaxy of such women are galore on an international platform who inspire and motivate others into action. The characters depicted by Amitav Ghosh are true personalities from history. As an Indian English writer he has portrayed in his novel *The Glass Palace* the real heroes of history who are unknown to the world.

Burma has a history of valiant women who were fearless and heroic. They stood firm on the face of tribulations and fought bravely the odds of life, when the military regime imposed predicaments on the masses. It is expressed in the words of Aung San Suu Kyi that "Last month I was released from almost six years of house arrest. The regaining of my freedom has in turn imposed a duty on me to work for the freedom of other women and men in my country who have suffered far more – and who continue to suffer far more – than I have" (Suu Kyi 8).

Amitav Ghosh portrays a character named Daw Thin Thin Aye, a well-known Burmese writer who commits her life for political transformation. Since Burmese being more egalitarian, women are allowed to work on equal terms in every sphere without any gender discrimination. Compared to West, Burma is better as women have a high standing and no caste system in the society. Obviously Ghosh is impressed by the life of men and women in the Burmese society that emphasize on equality and freedom. This inspires him to depict the women characters in the political arena.

As a young woman, Daw Thin Thin Aye uses her education for a political change in Burma. When Dinu establish the

studio named The Glass Palace in Rangoon and is in need for an assistant to handle the work, his friend U Thiha Saw suggest his relative, Daw Thin Thin Aye. She is in her mid-twenties and looking out for a part-time job. She is a research student in Burmese literature at Rangoon University. 'The Glass Palace Chronicles' is the topic of her thesis and the job that is offered to her is in The Glass Palace studio and that is a coincidence that she observes. She feels extremely happy to take up the job.

Daw Thin Thin Aye involve very intensely with the democracy movement. Being a writer, her short stories have been published in the literary magazines. She has a unique way of using the dialect with great intensity on her characters. "Her work was innovative and experimental; she was using the Burmese language in new ways, marrying classicism with folk usage" (GP 532). After her marriage with Dinu she starts teaching literature at the university and her work begins to achieve importance in the literary circles. "She became one of the select group of Burmese writers whose presence was regularly sought at festivals in the countryside" (GP 534).

Meanwhile General Ne Win seizes power as a new dictator and he grows more powerful making the country weaker. A new censorship regime evolves prohibiting the growth in the literary field and order to make available every book and magazine for the Press Scrutiny board. Daw Thin Thin Aye face an insulting treatment in the Scrutiny Board's office at the hands of a young officer. The manuscript of one of her stories is crumpled into a ball and the young officer in his late twenties, hits the manuscript with a golf club and tells her not to write until she learns proper Burmese. The young officer does not understand the puns, allusions and archaisms that are underlined in the manuscript with pencil as a schoolbook.

Writing comes to a standstill and the circumstances become unendurable for the common people. In the past the colonialists and the present the dictators suppress their freedom suddenly, the situation takes a turn with leaders and organizations emerging from students. The students take Daw Thin Thin Aye to the meeting and once again she starts her writing causing an impact on the political situation. It is during this situation the news of the new leader Aung San Suu Kyi spreads on the wings of fire bringing solace to

the people who have been subjugated under the dictatorship. "Then one day there was news of a new speaker: she was to address a huge gathering, near the Shwe Dagon – her name was Aung San Suu Kyi and she was the daughter of ... General Aung San" (GP 538). People begin to involve in the movement with energy and enthusiasm as the new leader's name has an impact on everyone. Daw Thin Thin Aye experience vibrancy in her life with this new change.

She desires that Aung San Suu Kyi to metamorphose the politics of Burma to breathe freedom. In 1988, she goes to participate in a march in the city and get killed in the gunfire as the government uses violent measures to stop the growth of democracy by enforcing brutal power.

Every country has its own story of suffering. People courageously suffer to attain freedom for their country and the fellow beings. Politics is clearly for the welfare of the people but the elected people losing sight of the goal is very common to be seen in this era.

People of the country choose their representatives and sent them to the parliament to run the nation democratically. Benazir Bhutto in one of her speeches remarked about our Indian Parliament, "Four Indian prime ministers have changed within one calendar year. Governments disintegrating, not over policy, but over politics. Not over programs, but over power. Just last month in India's largest state, a riot erupted on the floor of the Assembly. Legislators hitting each other over the heads with furniture; inkwells thrown across the chamber; 14 Parliamentarians injured. This in what is often called the largest democracy on earth" (Bhutto 21).

Need of the hour is tolerance of others and vision to take the country ahead on the path of development. Aung San Suu Kyi states, "My own experience during the years I have been engaged in the democracy movement of Burma

has convinced me of the need to emphasize the positive aspect of tolerance. ... genuine tolerance requires an active effort to try to understand the point of view of others; it implies broad-mindedness and vision, as well as confidence in one's own ability to meet new challenges without resorting to intransigence or violence" (Suu Kyi 9).

**Conclusion** - Women have massive strength to suffer and to be resilient irrespective of the circumstances. India has numerous chivalrous women with astonishing power of resilience who fought for the freedom of our country. In 1948 C. Rajagopalachari in his speech said "During these 25 years, women have served and suffered alongside of men, and put in hard work in equal measure with men" (Rajagopalachari 60). Women who form the fifty percent of the population of the world is a potent force who has contributed a greater share for the country's growth.

**References :-**

1. Ghosh, Amitav. *The Glass Palace*. United Kingdom: Harper Collins Publishers, 2000. Print.
2. Bhutto, Benazir. "Speech to The John F. Kennedy School of Government November 7, 1997 at the John F. Kennedy School of Government", America.
3. Clinton, Hillary. "Women's Rights Are Human Rights September 5, 1995, Beijing, China". *Great Women's Inspirational Speeches*. Ed. Gagan Jain. New Delhi: Maanu Graphics.
4. Rajagopalachari, C. "Nagpur – at the Joint Women's Meeting at the Convocation Hall, August 27, 1948". *Speeches by Great Personalities*. Ed. Rekha Gupta. New Delhi: Goodwill Publishing House.
5. Suu Kyi, Aung San. Opening Keynote Address Read on Video on August 31, 1995 Before the NGO Forum on Women, Beijing, China.
6. -.Ibid.

\*\*\*\*\*



## The Rise Of Personal Essay In The Age Of Lamb

Dr. Jalaj Dixit \*

**Abstract** - Such confidences make a most worthy egotist of Lamb. On their perusal the reader discovers Lamb to be neither assertive in his statements, nor ambitious to establish principles on any philosophy of life. The readers find his essays to be so many walks in Lamb's life, as not to miss his company in one or other of them. He feels himself to be the subject of one or more of Lamb's essays, thus enjoying the sweet intimacy with which the beloved writer confides in him. It is this intimacy which makes Lamb a personal essayist, an essayist of eminence and his writings a curiosity of abiding interest.

**Introduction** - To begin with, Leigh Hunt (1784-1859) was by nature confidential. The "Autobiography" is a charming production, which endears him to his readers. "Coaches And Their Horses" and "Deaths of Little Children" reflect so much of Hunt, as to remind the readers of Lamb's intimacy in his writings. Again, the readers will notice a striking likeness of Lamb in the essays. "Inside of An Omnibus" and "Men, Women and Books". How like Lamb do we find Hunt when he talks about the Omnibus as "the man-of-war among coaches-the whale's back in the metropolitan flood. "2 These are really humorous phrases about the Omnibus. Hunt further goes on to reflect on the beauty of the Omnibus.

Proceeding on, I come to another of the notable essayists of the nineteenth century. Thomas De Quincey (1785-1839) who has been extolled for his musical prose. De Quincey had the scholarship, the intellectual interest and the capacity for the construction of massive historical or philosophical work. But his writings did not admit of being classified under the recognized forms of literature. They were massive but had a certain incompleteness about them. In the view of De Quincey, the essay is part of the literature of knowledge.

This view sounds most personal. Accordingly, De Quincey divided his writings into three sections. The first section he called essays, which do not come under the accepted definition of the essay. They go to form the greater part of a volume : They are "The Essences" , "The Caesars" and "Cicero". In addition, this section also includes the papers which were penned by him of critical ingenuity as "Judas Iscariot" : of the learning, like the essays on "Bentley" and on "The Pagan Oracles" : of biographical nature as "Goldsmith " and "Goethe" of philosophical subjects as his "Style" and his "Theory of Greek Tragedy".

The second section includes according to De Quincey, writings intended to amuse the reader. They are the

"Autobiographic Sketches", "The Revolt of The Tartars" and "The Spanish Military Nun".

The third section includes, according to De Quincey, a far higher class of composition than the others. They embrace "The English Opium Eater" and the "Suspiria de Profundis". Also "The English Mail Coach", in which the reader will discover the impassioned prose of De Quincey, of which he is recognized a master.

Like Lamb and Hazlitt, De Quincey was frankly personal. His best known work is his autobiographical "The confessions Of An English Opium Eater". It is a full autobiography emphasizing his childhood experiences and impressions.

Charles Lamb (1775-1834). In the series of notable essayists of the nineteenth century, now comes Charles Lamb, who has so much made himself a part of his readers and authors, that he has been designated the prince of English essayists. Most essays of his, reflect Lamb to be a man of all walks of life. Whatever he had penned is so much of Lamb, that the reader will not fall to sympathise or to laugh or learn to appreciate, with ever-smiling Lamb.

See how he confides in his readers in the power of his observation and description ; in his belief in the past and in his suppressed laughter when he portrays John Tipp, the accountant: establishes the importance of the persons and closes his essay on "The South-Sea House".

With Tipp form was everything. His life was formal. His actions seemed fuled with a ruler. His pen was not less erring than his heart. He would swear (for Tipp swore) at the little orphans, whose rights he would guard with a tenacity like the grasp of the dying hand that commended their interests to his protection." 15

Lamb believes in the past when he says in the same essay -

"Reader, what if I have been playing with the all this

while ? –

Peradventure the very names, which I have summoned up before thee, are fantastic-insubstantial –like Henry Pimpernel, and old John Naps of Greece” -

Be satisfied that something answering to them has had a being. Their importance is from the past.” 16

The Essay “Oxford in the Vacation” reflects Lamb’s taste for studies and marks him a scholar. Readers come to know of how Lamb longed to visit Oxford to indulge his love for books, in his holidays from the South-Sea House. How he indulges his fancy to be a gentleman, or a student or what not.

Besides these disclosures Lamb intimates us, in his essay on “Christ’s Hospital Five And Thirty Years Ago” ,about an English public school of his time, about harsh punishment to offenders and about his friends whom he found to be wits and about John Boyer, the incharge whom Lamb remembers for both his discipline and rice teaching.

Lamb loves to introspect. He reflects upon his present self, respecting the man Elia under whom Lamb has masqueraded himself and through whom he gives vent to his sentiments. As Lamb has neither wife not children to pass his time with, or share his love with, he adopts his ideas as his heir and favourites for his readers.

Lamb evinces his interest in past times in his essay on “Mrs. Battle’s Opinions On Whist”. And “A Chapter On Ears”. shows Lamb wanting in musical ear, in the sentence “when therefore I say that I have no ear, you will understand me to mean – for music.”

I “Mackery End in Hertfordshire” Lamb introduces his readers to his cousin Bridget Elia, whom he feels beyond limits.

In the essay on “The Superannuated Man” Lamb describes the picture of what it is to be in office, and to get deliverance from it.

See Lamb’s joy on retirement, in these words -

“For the first day or two I felt stunned, overwhelmed. I could only apprehend my felicity. I was too confused to taste it sincerely. I wondered about, thinking I was happy, and knowing that I was not. I was in the condition of a prisoner in the old Bastile, suddenly let loose after a forty year’s

confinement. I could scarce trust myself with myself. I was like passing out of time into Eternity – for it is a sort of Eternity for a man to have his time all to himself.” 35

But Lamb longs for convalescence inspite of his deliverance into Eternity, in his essay on “The Convalescent”. We find Lamb’s regrets at his having become sick himself. He could offer nothing but sick men’s dreams. Thus, the reader can well trace what Lamb must have felt when he had all time to himself in “The Superannuated Man.”

In the essay “Confessions Of A Drunkard,” we listen to the most personal note of Lamb who deplors all attempts by a drunkard to cease to be a drunkard. Whatever he is to say about drinking may be wasted on consummate drunkards. However, he has hopes of being heard by weak brothers, who have just embarked upon the evil of drinking liquors. He discloses what he met with in the course of his enjoying with drunkard friends. And in the end he makes a groan at the shame and deterioration, caused him by turning a drunkard.

To sum up, most essays of Lamb are full of his personal disclosures. The readers see Lamb in many walks of Life. In “The South-Sea-House” we find Lamb a struggling soul, serving as a clerk for his livelihood and writing his essays after office-hours to quench his thirst for being a writer. Do not most of us live such a life as Lamb has lived, and enjoy his portrait in ours ? In “Christ’s Hospital” we are led to remember our own school days and the sweet period of childhood. “The Old Benchers of the Inner Temple” puts us into the memory of our own parents.

**References :-**

1. Walker, Hugh - The English Essays and Essayists. Delhi 1961
2. Albert, E. - A History of English Literature, 1965
3. Literary History - Club, John Hopkins University, Volume 18, .....1951
4. Wordsworth, W. : To the Memory Of Charles Lamb. London, .....1835
5. Newbolt, Henry (ed.) : Essays And Essayists. London, 1929.

\*\*\*\*\*

## Autobiographical Touch In The Work Of Shanta Bai Kamble

Anuradha Shrivastava\*

**Introduction** - Shantabai kamble was born on 1<sup>st</sup> march 1923 in Mahar Dalit family. Her original birth place was Mahud, Which is located in Solapur District. She was from poor family but neither society nor poverty interrupted her talent and after a long time she succeeded providing a new field to Dalit woman and Dalit literature. She is a Marathi writer and Dalit activist also. Najaram Sakharam Babar renamed Shantabai Kamble wrote the first autobiography. Shantabai Kamble's father was Sakharam Babar and mother was Gawallakka. Who were agricultural labourers. Her family was from downtrodden society. Her caste is *Mahar*; later on they converted as Buddhist by the influence of Dr. B.R.Ambedkar. She was the fourth daughter to her parents. Her father was very disappointed to hear the news about female child because he hoped for male child after having three daughters successively. So the moment Shantabai's father Sakharam heard that another girl was born he immediately wanted to kill the newborn child saying, "All bloody girls. Granny, hand over that girl And give me the pick and the shovel I'll go and bury her."pg. 93But the girl grows and later went to school amidst poverty.

The social and economical status of her family was very low. She remembers her mother telling them when rainy season started "There is nothing to eat children go and sleep on an empty stomach. I could not find sleep as my stomach was empty. I said to my mother, Mummy gives me anything to eat Naja, there is nothing in the house what to give? She used to reply wiping her eyes. We all used to have a troubled sleep. The memory of those days gives me stomach ache."pg.93 She remember that from her first salary she brought two sarees for seven rupees and twelve kilos of *jowar* and nine kilos of wheat for one rupee each.

**Her vision about Dalits** - Education is the weapon which made her strong and sharp in the life. She strongly believed that the path of Dr. B. R. Ambedkar. In India the ritual says to lower caste people 'Education is not their cup of tea' so education was restricted for these people. She was from the same background. It was very difficult to take education in India for women and Mahar community was far away from education they even can't think to educate a girl. This shows that Dalits in India in general and Dalit women in particular have little choice in planning their career and life. They are restricted. Shantabai Kamble mentioned the

different phases in her autobiography "Majhya Jalmachi Chittarkatha".

**Memories of household and community** - She describes the memories of the house hold and community in her first stage. Firstly she mentions the house where she lived and talked about her parents, that how they try to stop the water pouring in. They used sacks and quilts to do this, and she talks about the Bhakri which they received as a payment for tending bulls owned by middle class peasants. One of shantabai's fondest memories is of "her mother sitting outside their home on a starlit night with the children and talking of years gone by. She often told them the story of the birth of Goda, the eldest daughter. It was the years of the plague epidemic and nearly every home had lost five or six people. The Mahars were so busy burying the dead that had no time even to eat. Foodgrain prices roze and even jawar became scare during this period. Shantabai's family had to sell their bull for sixteen rupees of buy some lentils for themselves". pg.156

In the next step she talks about the community, who played a major role in settling disputes about land and perform rituals for their childrens survival. Shantabai noticed all these things in minutely that in the land dispute she talks about the vithoba, who had mortgaged, 16acres of his land to Balu, both are belonged to the same community. Balu worked as a wiremen in Mumbai in order to pay back some loans taken by his uncle. Vithoba went to Pune worked as helper with a mason and when he had earned enough to get his land back, Balu refused to hand over the land. The case was taken to the Sangli court and since everyone in the community stood with Vithoba. He was able to get back his land. So community played a major role at that time. She also talks about the entertainers who belonged to the lower caste, they often came to the village with their camels to perform. Villagers would collect food for them and in return they would put up night performances using their instrument and wearing masks of Tigers, Lions.

**Memories after marriage** - In her second stage, she describes life after her marriage with Krushna ji Kamble. She got married when she was studied in seventh standard, at that time, there was no right to girls to choose her life partner; nobody asks her either she liked groom or not. The same incident happened with Shantabai, when Kamble

master came to see her. Kamble master from the village Kargani and he soon visited Shantabai's home to follow up the proposal. Apart from these the community played a major role, the people of the community began to suggest the parents for the groom, in so early life. Sometimes parents not want to marry her daughter but as a part of the community they have to take some unwanted decision for their children.

She also describes all the rituals in her marriage and how wedding ceremony began with turmeric paste and woman songs. After her marriage Shantabai's life was not very smooth, she struggled a lot because her husband already married another woman and that's why shantabai left her husband when she was six months pregnant. Her parents supported her. In 1949, Shantabai started to work at a school in Kadlas. The saga with Kamble Master continued. That year, there were floods in Kadlas and a large number of lime trees felled by the floods were being sold. Kamble Master was visiting Shantabai at the time and he borrowed money from her to buy wood, with this he built a house at Kargani. Now, he began to insist his wife was dead. After a long request Shantabai go back to Kamble's home. For her part, because they had never a stable place to stay, she was attracted to the idea of having their own house for the family.

In 1952, while at the training college, Shantabai got news of her father's illness-health and went visit him. By this time, according to her, he was at least a hundred years old, all bones and cheeks sunken and his leg swollen from a fall. Nonetheless, when he passed away, she felt as if all ties of love and care with her had been broken. here was a sense of satisfaction that after joining service as a teacher she had given him all she could in terms of food, clothes and cash. Even after her father's death, her commitment to the family continued. She and Kamble Master rushed to her brother Dattu's home when he was ill and saved his life by taking him to a doctor. Thus through this phase of life she gives a message that in Indian society after marriage it is very difficult to live alone but education is a weapon that can change anything.

**Memories of food and hunger** - In third stage she describes the memory of food and hunger that how her family send her to go out field and collected the thing in a basket. At times when the children were hungry the dried bread would be cooked along with the leftover curry and served to them. Shantabai remembers a day when all the children were hungry and women in the neighbourhood had to dig out groundnuts from the field. But there was not much to be found in the ground-they came back with less than they had expected. The children ate the groundnuts while their father who did not have teeth asked for a few nuts to be pounded into a powder and given to him. later that night, their brother who did masonry work at the chamberwada came in with money. Jowar was bought and ground, fresh bhakri made with an onion preparation, and at midnight, the children ate their fill of Spartan meal.

**Memories of caste, culture and labour** - In her fifth stage she describes about caste, culture and labour. She recalls the year in which taralki was shared between her family and two others in the community. This is a culture in Mahar caste, every second day they go to village ask for bhakri. "This way we asked for the bhakri for taralki, at the time, I was a seventh standard pass"54-57. During the non taralki days, Appa, shantabai's father tended and trained a bull belonging to one of the peasants families. He received enough bhakri to suffice as a meal in return for this labour. She indicates by this that the life of depressed class was not so easy.

**Memories of becoming an Education officer** - In six phase of her autobiography she remember her memories of becoming an Education Officer. Shantabai came back to her father's home after Kamble's Master second marriage. When she came back, she received a call for an interview for a teaching job she had applied for earlier. The interviewer asked her to produce her seventh standard certificate. But the certificate was with Kamble Master at Digchi. Her father went there and bought the certificate back. It was very difficult to Shantabai to go Solapur for interview because at that time she was seven months pregnant. She worked as a reliever in the post of another teacher who was on medical leave, she came back from Akulj by foot because at that time there is no bus route. She worked two months before going on maternity leave.

**Conclusion** - The vision in the work of Shantabai Kamble focused on the question of identity as well as equality, cruelties by the subjugated group, exploitation of the untouchables, caste segregation oppression of women turn out to be the subjects of this new genre of subaltern literature. The voiceless anger from the deep rooted souls of the downtrodden weaker minds are clearly depicted in writing. In general even in late twentieth century the people belonging to Dalit classes were mostly uneducated, those have never seen the school. They were working as labourers in agriculture or they were working in farming or in any other work. The main goal of the life was to fill up their bellies and a few clothes to cover their bodies, shelter to protect from heat, cold and rain. The condition of women and girls was rather hopeless, other than house hold works, they have to go to the fields or to the houses of their Landlords to work to get some food or few money. In that way they have to work harder as compare to men other than that they were getting pregnant and wearing children making their family bigger and bigger. As such more heads to feeds With the result they became weaker and weaker, enemic and lithargic and sick, die due to lack of nutrition and proper medical care.

Dalits are considered to be the people of discrete set of low castes, who have been marginalised and oppressed in all possible ways. Dalits have recently started showing resistance against oppression through their writings. Dalit men writers were the first to write their ordeals but later dalit women also came into the literary scene by expressing

themselves through their autobiographies. These dalit women's autobiographies are generally written in Indian regional languages like Marathi and Tamil. Women in general are always marginalised by patriarchy, so Dalit women are more marginalised than Dalit men; they are facing humiliation due to upper caste people as well as due to their own men folk.

**References :-**

1. Anand Mulkraj, Elenor Zelliott, Anthology of Dalit Literature, Delhi, Gyan Publishing, 2014.
2. Kamble Shantabai, Majya Jalmachi Chittarkatha, (Mumbai: Purva Prakashan, 1986:)
3. WWW. dalit Historical.com.

\*\*\*\*\*



## मोहन राकेश के उपन्यासों में सामाजिक समस्याएं

डॉ. प्रणति बेहेरा \*

**शोध सारांश** - मोहन राकेश अपनी साहित्यिक विशिष्टताओं के कारण साहित्य जिज्ञासुओं में चर्चित रहे हैं। उन्होंने अपने कुशल सृजन शिल्प से हिंदी साहित्य को विविधा बहुमूल्य रत्नरूपी साहित्य कृतियाँ प्रदान करने वाले प्रवीण शिल्पकार मोहन राकेश ने गद्य साहित्य की विविधा विधाओं को नव आयाम दिया है। मोहन राकेश अपनी साहित्यिक व्यक्तित्व लेखन की उत्कृष्टता के कारण पाठक के मन पर अमिट छाप छोड़ने में समर्थ है। हिंदी साहित्य में उन्होंने एक विलक्षण व्यक्तित्व को लेकर आये। वह जितना बाह्य व्यक्तित्व प्रभावी थे, उतना ही विचित्र और विलक्षण भी साथ ही अंतर्विरोधों से भी परिपूर्ण था। उन्होंने कम लिखा है, बहुत गहरा लिखा है। मोहन राकेश के उपन्यासों में समाज के महानगरीय स्वर विद्यमान है। उनके उपन्यासों में गहरे मानवीय संबंधों की प्रस्तुति है।

**प्रस्तावना** - भारत की आत्मा कभी गांवों में बसती थी, आज नगर की बढ़ती हुई संख्या और महानगरों का फैलता क्षेत्रफल इस बात का है कि भारतीय जीवन गांवों की अपेक्षा यहाँ अधिक सम्पूर्णता और विविधता में देखा जा सकता है। नगर और महानगर का जीवन बहुत तेज और संघर्षपूर्ण है। यहाँ गति ही जीवन है, रुकने का अर्थ पिछड़ना है। नगर महानगर का बोधा अपरिचित, अकेलेपन, खुदगर्जी, अनात्मियता के रेशों से बुना जाता है। निकट के संबंधों में भी तनाव टूटने की स्थितियों यहाँ के व्यस्त जीवन में प्रायः बनती है। मशीनों के महानगर में रहते हुए वह स्वयं भी मशीन हो जाता है। रोजगार के पर्याप्त अवसर गाँव के अशिक्षित तथा अन्य शिक्षित लोगों को महानगरों की ओर खींचने लगे। इस प्रकार महानगरों की सीमित परिधि में असीमित जनसंख्या का बोझ बढ़ने लगा। इससे महानगरों में अनेक समस्याओं की उत्पत्ति हुई। आधुनिक युग में जीवन मूल्यों में असाधारण परिवर्तन हो रहे हैं। औद्योगिकरण, शहरीकरण, वैज्ञानिकता के कारण सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में पूरी तरह बदलाव आ चुका है। इस परिवर्तन से समाज का हर एक व्यक्ति प्रभावित हुआ है। साहित्य भी इस परिवर्तन से अछुता नहीं रहा। ऐसे में लेखकों का प्रभावित होना स्वाभाविक है। डॉ. प्रेमकुमार लिखते हैं यथा 'भीड़ अव्यवस्था का प्रतीक तो है ही, इसमें पड़कर व्यक्ति अजनबीपन अकेलेपन और व्यर्थता के बोध का शिकार भी होने लगता है। गीतकार रमानाथ अवस्थी ने अपने गीत में भीड़ में व्यक्ति के अकेले होते जाने की बात बहुत अच्छे ढंग से कही है। वास्तव में आज भारतीय व्यक्ति भीड़ में फालतू होने के बोध का तीव्रता के साथ महसूस कर रहा है। उसके चारों ओर अति परिचित हैं फिर भी भीड़ में फंसा हुआ वह अपने पुरे सही या गलत अस्तित्व के साथ फालतू हो गया है।'<sup>(1)</sup> मोहन राकेश और सामाजिक जीव को मोहन राकेश ने सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं को करीब से देखा, जाना और समझा और अपने इस अनुभूत सत्य को लेखन में उतारा। समाज में इस जीवन की जिस पीड़ा, टूटन, घुटन, अस्तित्व बोधा और संबंधों की टूटन, पीड़ा व अकेलेपन का मोहन राकेश ने भोगा उसी को यथार्थ व मार्मिक अभिव्यक्ति अपने साहित्य में की। मोहन राकेश के उपन्यासों में समाज की महानगरीय स्वर विद्यमान है। महानगरीय

जिन्दगी में इस तरह की छटपटाहट एक आम बात है जिससे मानवीय सम्बन्धा टूट रहे हैं 'राकेश किसी तरह महानगरों में अकेलेपन की उस गहरी अनुभूति को अभिव्यक्ति देना चाहते हैं, जिसके मूल में स्नेहहीनता है। मानवीय संबंधों की अर्थहीनता है।'<sup>(2)</sup>

मोहन राकेश ने अपने उपन्यासों में समाज के महानगरीय जीवन की घुटन भरी समस्याओं को स्वर प्रदान किया है। महानगरीय जीवन घुटन और शीलन से भर गया है। आज के महानगरों की सभ्यता खोखली एवं हृदयहीन है। समाज की महानगरीय समस्याओं के कारण व्यक्ति का मन कुंठित हो जाता है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। कुछ लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तो कुछ लोगों में बदले की भावना उत्पन्न होती है। समाज के महानगरीय परिवेश की बढ़ती जनसंख्या के कारण अजनबीपन और अकेलेपन की समस्या उत्पन्न होती है। 'नगर के जीवन में अजनबीपन बहुत है। एक मोहल्ले में रहने वालों में आपस में परिचय तक नहीं होता।'<sup>(3)</sup>

मोहन राकेश के उपन्यासों में समाज के आधुनिक जीवन की अनेक समस्याओं को स्थान मिला है। उन्होंने बड़े ही सजीव रूप से इन समस्याओं को वास्तविक रूप में चित्रित किया है।

दाम्पत्य संबंधों का हास और नारी-पुरुष सम्बन्धा मोहन राकेश के उपन्यासों में बड़ी ही सूक्ष्मता से विश्लेषण किया है। उनके 'अंधेरे बंद कमरे' में नायक हरबंस और नायिका नीलिमा पति-पत्नी हैं। इस उपन्यास में हर प्रमुख घटना हरबंस और नीलिमा से जुड़ी है। नीलिमा और हरबंस के बीच में जो टकराहट है, वह पति-पत्नी की ही टकराहट नहीं वरन पुराने और नए मूल्यों में भी टकराहट है। हरबंस परम्परावादी है, वह पुराने मूल्यों से बंधा है। नीलिमा एक मुक्तिकामी नारी है, वह नृत्यकला में निपुण है, उसके विचारों की आधुनिकता उसे खुलकर जीने को प्रेरित करती है। लेकिन हरबंस उसके खुलकर जीने में सबसे बड़ा अवरोध है। दाम्पत्य संबंधों का बिखराव इस उपन्यास में समाज के आधुनिकता बोध के धरातल पर चित्रित है, परन्तु दाम्पत्य संबंधों की टूटन की कलम पर रखकर भी नीलिमा की वापसी से

उपन्यासकार ने भारतीय समाज एवं संस्कारों की पुष्टि भी अंत में की है।

मोहन राकेश का 'न आने वाला कल' सामाजिक उपन्यास है। शोभा और मनोज के दाम्पत्य जीवन द्वारा लेखक एक विषम दाम्पत्य का उदाहरण प्रस्तुत करता है। दोनों दम्पति मानसिक धरातल पर एकता की अनुभूति न करके असंतुलित विश्रंखल जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी मनः स्थिति का लेखक ने खुद मनोज के द्वारा इस प्रकार परिचय दिलवाया है। वह कहता है 'उसकी नजर में अब भी एक अकेला आदमी था, जिसका घर उसे संभालना पड़ रहा था, जब कि मेरे वह किसी दूसरे की पत्नी थी, जिसके घर में मैं एक बेतुके मेहमान की तरह टिका था।'<sup>(4)</sup>

लेखक ने इस प्रकार मनोज शोभा के दाम्पत्य जीवन में विघटन के बाद संघटन और संघटन में फिर विघटन के बीज दिखाए हैं।

उपन्यास के द्वितीय दम्पति हैं कोहली और शारदा। इन दोनों का दाम्पत्य जीवन एक असाधारण का उदाहरण है। कोहली 47 वर्ष की उम्र में उन्निस वर्षीया शारदा से विवाह करता है। विवाह के पश्चात कुछ दिन तक उनका दाम्पत्य जीवन सुघटित रूप से व्यतीत होता है, तत्पश्चात वृद्ध विवाह की असफलता और उसका कटु परिणाम लेखक ने चित्रित किया है। दोनों के विषम दाम्पत्य का परिचय देने के साथ ही साथ लेखक ने उपन्यास में दाम्पत्य के बदलते नए मूल्यों की उद्भावना भी की है।

दाम्पत्य एवं पारिवारिक समस्याओं के अतिरिक्त राकेश के सभी उपन्यासों में सामाजिक परिवेश स्पष्ट रूप से उभरा है। जब किसी मानव के अस्तित्व बोध को नकारा जाता है तब वह विकसित होकर अकेलेपन से जूझता है। इसी के फलस्वरूप उसके मन में चिंतन की उत्पत्ति होती है। अस्तित्व बोध का बहुत निकटतर सम्बन्ध है। अनेक परिस्थितियों में यह अस्तित्व बोध को उत्पन्न करता है। अस्तित्व बोध को अहं का बाहरी स्वरूप कहा जा सकता है।

'अँधेरे बंद कमरे' उपन्यास में हरबंस की अस्तित्व पीड़ा और विभ्रम से भरा रूप उस बोध के कारण ही है, जिसके लिए इलाचंद्र जोशी ने कहा है कि 'पूरा उपन्यास पढ़ जाने के बाद भी न उसकी रूचि का पता लगता है, न उसके भीतर की कभी साथ न छोड़ने वाली बेचैनी, अशांति और असंतोष के कारणों का।'<sup>(5)</sup>

इस उपन्यास के पात्र मधुसूदन का कस्बाबपुरा की गलियों में पलायन कर जाना उसके समाज के महानगरीय परिवेश में अस्त होते अस्तित्व बोध की अर्धहीनता का विकास है।

उनके दूसरे उपन्यास 'न आने वाला कल' में अस्तित्व बोध बहुत ज्यादा दिखाई देता है। उपन्यास में गिरधारीलाल के अलावा लगभग सभी पात्र अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। मनोज, शोभा, मि. टोनी, बानी आदि सभी पात्र अपने अस्तित्व के लिए जुझते दिखाई देते हैं।

'अन्तराल' उपन्यास में कुमार में अस्तित्व बोध बहुत ज्यादा दिखाई देता है। श्यामा भी अपना अलग अस्तित्व चाहती है। श्यामा अपनी अस्तित्व बोधा के कारण वह प्रत्यक्ष रूप से कुमार को स्वीकार नहीं कर पाती। अस्तित्व बोधा के प्रबलतम रूप में वह किसी के साथ रह पाने में असमर्थ है तभी सीमा अपने ही घर में अपनी माँ से और श्यामा से भी कटी हुई है। वह रात के बारह-एक बजे तक घर पहुँचती है। बिजी भी अपने अस्तित्व के लिए घुटती रहती है। इस प्रकार अन्तराल उपन्यास के पात्र समाज की एक ही इकाई के होते हुए भी अपने भिन्न-भिन्न अस्तित्व को लेकर जीते हैं।

'आज 'अर्थ' समस्त संबंधों का केंद्र बिंदु है। यह मनुष्य की प्रतिष्ठा

का, सामाजिक चेतना का मापदंड हो गया है। उसकी सभी क्रियाकलापों की, अच्छे बुरे की कसौटी नैतिकता न होकर 'अर्थ' बन गया है। आज जीवन और जगत के सभी मूल्य अर्थ में सिमट आए हैं और आर्थिक मूल्य एकमात्र जीवन मूल्य बन बैठे हैं।'<sup>(6)</sup>

मोहन राकेश ने अपने उपन्यासों में समाज में इस आर्थिक अभाव को प्रभावी रूप से चित्रित किया है। उनके उपन्यास में समाज के महानगर के उच्च व मध्य वर्ग का वर्णन है जो आर्थिक तंगी में जी रहे हैं जिससे उनकी महत्वाकांक्षाएँ पूरी नहीं हो रही है।

'अँधेरे बंद कमरे' उपन्यास में हरबंस और नीलिमा को लन्दन में अभावग्रस्त जीवनयापन करना पड़ता है और यहाँ तक कि वे वहाँ की गन्दी बस्ती में जीने के लिए विवश हो जाते हैं। न चाहते हुए भी दोनों को अपनी महत्वाकांक्षाओं का हनन करना पड़ता है।

बीजी इसी आर्थिक अभाव के कारण श्यामा और सीमा से जुड़ी हुई है। बीजी का श्यामा से कोई लगाव नहीं है। 'पलैट और नौकरी में दो बातें थी जिन्हें बीजी उसके सामने छोटी पड़ जाती थी।'<sup>(7)</sup>

बीजी और श्यामा के विचार नहीं मिलते, फिर भी बीजी साथ रहने के लिए अभिशप्त है। सीमा और बीजी का सम्बन्ध भी इस प्रकार का है। अपनी पुत्री के चारित्रिक स्वलन की उन्हें पूरी जानकारी है। वह रात्रि के बारह-एक बजे तक शराब पीकर घर आती है। उसके बॉय फ्रेंड भी हैं फिर भी बीजी अगर उससे दबती हैं तो उसके मूल में पैसा ही है।

बीजी सबसे दब कर रहने का कारण आर्थिक अभाव है। इसी आर्थिक अभाव के कारण चाहकर भी वह कुछ नहीं कर सकती जिससे उसकी महत्वाकांक्षाओं का हनन भी होता है।

मोहन राकेश ने अँधेरे बंद कमरे में जीवन मूल्यों के हास को बहुत ही सूक्ष्म रूप से चित्रित किया है। संबंधों की मर्यादाओं का भी हास हुआ है। जीवन मूल्यों के हास ने मनुष्य में एक अनसुलझे अकेलेपन को जन्म दिया है। नीलिमा और हरबंस के दाम्पत्य संबंधों के माध्यम से दो भिन्न विचारधाराओं और जीवन-मूल्यों का द्वंद्व दिखाकर सुक्ष्मता से अध्ययन किया गया है। नीलिमा और हरबंस के रूप में दो विपरीत चरित्रों का उद्घाटन किया गया है। जहाँ एक और हरबंस में आधुनिक बनने की ललक है वहाँ दूसरी ओर उसे प्राचीन संस्कारों का मोह भी जकड़े हुए है। हरबंस अपनी पत्नी नीलिमा को कला के क्षेत्र में चरम सीमा तक जाने की प्रेरणा देता है। जब वह प्रसिद्ध हो जाती है और उसका अलग व्यक्तित्व बन जाता है, तब स्थिति इतनी विस्फोटक हो जाती है कि हरबंस उसे सहन नहीं कर पाता। यद्यपि हरबंस ही उसे मॉडर्न बनाने हेतु नृत्य सीखने के लिए उकसाता है, उसे कलाकारों से मिलवाता है और शराब व सिगरेट पीने की खुली छुट भी देता है। जब वह मॉडर्न बन जाती है नीलिमा स्पष्ट कहती है कि इस संस्कृति से मेरा परिचय करवाया था। 'मैं इस रास्ते पर इतना बढ़ आई हूँ कि अब मैं लौटकर उस तरह की गृहस्थि नहीं बन सकती जैसी कि तुम मुझे देखना चाहते हो।'<sup>(8)</sup>

इससे यह पता चलता है कि नीलिमा पीछे मुड़ना नहीं चाहती। इसलिए नीलिमा हरबंस को छोड़कर चली जाती है।

हरबंस नीलिमा को अपने विषय की बात कहकर आग्रहपूर्वक लन्दन बुला लेता है परन्तु बेकारी और आर्थिक तंगी नीलिमा को लन्दन में 'बेबी सिंगिंग' जैसा हीन कार्य करने को विवश कर देती है। रोज लड़ाई होती था जिसकी वजह से दोनों के बीच की कटुता और गहरी हो जाती है और उनके बीच में अलगाव यहीं से अधिक पनपता है।

हरबंस एक बार सबकुछ छोड़-छाड़ कर लन्दन रहने का निर्णय लेता है। परन्तु अकेलेपन की छटपटाहट उसे नीलिमा को बुलाने के लिए मजबूर कर देती है। नीलिमा भी पेरिस में उबाऊ भरी जिंदगी को छोड़कर वापस आ जाती है। वह इसका विश्लेषण करते हुए कहती है 'मैं आना नहीं चाहती थी मगर फिर मैंने सोचा कि- सोचा नहीं, मुझे लगा कि ..... शायद अब यही ठीक है।' (9)

मोहन राकेश ने अपने उपन्यासों में निकट संबंधों का उल्लेख किया है जिनके मध्य अर्थ की प्रधानता व सम्बन्ध का खोखलापन ही शेष है। उनके 'अँधेरे बंद कमरे' उपन्यास में संबंधों के खोखलेपन का सजीव वर्णन हुआ है।

'अँधेरे बंद कमरे' में हरबंस और नीलिमा दोनों ही अंतर्द्वंद्व में रहते हैं। दोनों ही अपनी अपनी महत्वकांक्षाओं के कारण अलग-अलग हो जाते हैं। दोनों का जीवन खालीपन से भर जाता है। हरबंस और नीलिमा के सम्बन्ध में खोखलापन दिखाई देता है।

'अन्तराल' उपन्यास में यह समस्या दिखाई देती है। विवाह के दिन से लेकर बीजी और सीमा श्यामा को पसंद नहीं करते। श्यामा भी बीजी और सीमा से देव को दिए हुए वचन के खातिर रिश्ता निर्वाह कर रही थी। दोनों ओर से सम्बन्ध मात्र झेलने की सीमा तक ही बंधकर रह गया था। इस प्रकार तीनों परस्पर संवेदना शून्य थी। आर्थिक कारण से ही एक-दूसरे के साथ रहने के लिए विवश थे।

जीवन में जीने के लिए भोजन, वस्त्र, आवास तीनों ही प्रमुख आवश्यकताएँ हैं। ग्रामीण आवास की अपेक्षा महानगरीय आवास की दशा बहुत शोचनीय है। महानगरीय समाज में स्वच्छ वायु तथा सूर्य का प्रकाश बहुत ही दुर्लभ है। मोहन राकेश ने अपने उपन्यास में आवास की समस्या के विभिन्न कोनों से चित्रित किया है।

'अँधेरे बंद कमरे' उपन्यास में मधुसूदन दिल्ली आकर हरबंस को रहने के लिए घर नहीं मिलता और फिर निम्न वर्गीय लोगों की बस्ती कस्बाबपुरा में अपने एक पत्रकार मित्र अरविन्द के साथ रह जाता है। सन 1950 के आसपास के उस दौर में दोनों मित्र एक कोठरी में सौ रूपए महीने पर पेइंग गेस्ट की स्थिति में रहते हैं। मधुसूदन फर्श पर सोता है, जहाँ रात भर चूहे दौड़ते रहते हैं। उसका मन नित नए प्रश्नों से जूझता रहता है। वहाँ का परिवेश रहने लायक नहीं रहता फिर भी वह जैसे-तैसे निभाता है।

इस घर का मालिक इबादत अली है, जो ऊपर की मंजिल पर अपनी बेटी खुशीद के साथ रहता है। बेटी खुशीद हर महीने पहली तारीख को नीचे के किरायेदारों से किराया वसूल करने आ जाती है। इस तरह इस उपन्यास के पात्र मधुसूदन द्वारा मोहन राकेश ने दिल्ली जैसी महानगर में आवास की समस्या को चित्रित किया है।

शिक्षित बेरोजगारी के कारण परिवार में आर्थिक अभाव उत्पन्न होते हैं। आधुनिक कहानी और उपन्यासों में शिक्षित बेरोजगारी समस्या का बड़े ही विस्तृत सूक्ष्मतम चित्रण किया गया है। मोहन राकेश ने अपने उपन्यासों में इस समस्या का मार्मिक चित्रण किया है।

'अँधेरे बंद कमरे' में हरबंस बहुत ही आग्रह के साथ नीलिमा को लन्दन बुलाता है। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। हरबंस ने हाई कमीशन की नौकरी छोड़ दी है। हरबंस शिक्षित बेरोजगार है। वह खाली थीसिस लिखने का काम करता है और सिगरेट पीता है, नीलिमा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह इस तरह के आर्थिक तनाव में जीने की आदी नहीं है।

लेखक ने इस उपन्यास के माध्यम से मधुसूदन शिक्षित होकर भी

किस प्रकार बेकार अवस्था से गुजरता है उसको भी चित्रित किए है। ऐसी अवस्था में बहुत लोगों के बीच भी उसे अकेलेपन का एहसास होता है। वह मानसिक तनाव में जीता है। बेरोजगार होने के कारण चिंता से उसे नींद भी नहीं आती।

'न आने वाला कल' में एक मिशनरी स्कूल के अध्यापकों का चित्रण किया गया है, जो रोजगार पर होते हुए भी की कल की चिंता से पीड़ित हैं। उनको हमेशा यह भय बना रहता है कि कल यह नौकरी बनी रहेगी या नहीं। कोहली ने कहा है 'पता नहीं यह नौकरी भी रहती है।' (10)

मनोज स्कूल से त्यागपत्र देने के बाद शिक्षित बेरोजगार हो जाता है अब वह सोचने लगता है कि अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा ? जो जमा पूंजी है वह तो कुछ समय बाद ही समाप्त हो जाएगी। कहने का आशय यह है कि हर व्यक्ति बेरोजगारी की समस्या से पीड़ित है।

आज चारों ओर संघर्ष, विक्षोभ और अशांति का बोलबाला है। मनुष्य जीवन में असंतुष्टि और अभाव से ग्रसित है। जीवन में चारों ओर फैले भ्रष्टाचार ने जीवन की गति को ही बदल डाला है। स्वतंत्रता के बाद बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कागजी योजनाएँ, नैतिक अवमूल्यन, स्वार्थ, भाई-भतीजावाद, घूसखोरी आदि का प्रभाव बढ़ने लगा। मोहन राकेश ने स्वातंत्र्योत्तर संघर्ष और अवस्था से उत्पन्न समस्याओं को भी अपने उपन्यास में यत्र-तत्र उजागर किया है। मुख्यतः महानगरीय जीवन के भ्रष्टाचार और उससे उत्पन्न अमानवीयता के भाव को समाज के सामने उजागर किया।

'न आने वाला कल' उपन्यास में पहाड़ के एक ईसाई स्कूल में अध्यापक मनोज सबसेना अपने अकेलेपन, उब और स्कूल की भ्रष्ट व्यवस्था से बचने के लिए त्यागपत्र दे देता है, जिससे स्कूल में खलबली मच जाती है। कई शंकाएँ सिर उठाती हैं, परतें उधाडती हैं पर खुद मनो इससे दूर एक घुटन के बीच बैचन रहता है। अन्दर जैसे एक रेगिस्तान भर गया है। उपन्यास में उसके त्यागपत्र से लेकर उसके स्कूल छोड़कर जाने तक की क्रिया प्रतिक्रियाओं और स्कूल में होने वाले भ्रष्टाचार का सुक्ष्म चित्रण है।

यौन उन्मुक्तता आधुनिक समाज की एक प्रमुख समस्या है। महानगरीय समाज में पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण इस समस्या की उत्पत्ति हुई है। आधुनिक व्यक्ति विचार विहीन होकर यौन तृप्ति से सम्बंधित मान्यताओं को तोड़ रहा है और मनचाहे तरीके से अपनी यौन आकांक्षाओं की पूर्ति कर रहा है। इस कारण समाज में विवाह विहीन शारीरिक सम्बन्ध लिविंग रिलेशनशिप, व्यभिचार आदि समस्याओं की उत्पत्ति हुई है। मोहन राकेश के उपन्यासों में यौन उन्मुक्तता एवं क्षण भोग जैसी समस्याओं का वर्णन अनेक स्थानों पर किया गया है।

'अँधेरे बंद कमरे' उपन्यास में सुषमा, सुरजीत जैसे पात्र क्षणिक यौन आनंद के लिए व्यग्र रहते हैं। सुषमा मधुसूदन के साथ विवाह के पूर्व ही यौन सम्बन्ध स्वीकार करने में नहीं हिचकिचाती। इसी प्रकार सुरजीत यौन आकांक्षा की पूर्ति के लिए वेश्याओं के पास जाता है और मधुसूदन को भी क्षणभोग के लिए आमंत्रित करता है।

'न आने वाला कल' उपन्यास में भी क्षणभोग का चित्रण लेखक ने किया है। उपन्यास में मनोज, बानी हाल, रोज ऐसे ही पात्र हैं। बानी के अनुसार 'जहाँ तक शरीर की नैतिकता का सम्बन्ध है, उसे लेकर मेरे मन में कभी कोई कुंठा नहीं रही। जब सत्रह साल की थी, तभी से मैं तुम्हारे सामने यह भी स्वीकार कर सकती हूँ कि कई एक लोगों के साथ मेरा शारीरिक सम्बन्ध रहा है।' (11)

रोज में अपने यौन संबंधों को लेकर अतृप्ति भाव है, तभी वह जिमी के

साथ संतुष्ट नहीं होकर कम उम्र के छात्रों के साथ संपर्क रखती है। मनोज अनिश्चितता के जटिल क्षणों में भी किशानी के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। पर ये यौन सम्बन्ध उसकी मनोग्रंथि का संकेत भी देते हैं। पत्नी के चले जाने पर प्रतिक्रियाशील होकर ही उसने ऐसा चाहा है। इस प्रकार 'न आने वाला कल' में यौन नैतिकता के यथार्थ का स्पष्ट चित्रण हुआ है।

'अन्तराल' में यौन नैतिकता का चित्रण अधिक स्पष्ट और खुलकर हुआ है। कुमार और श्यामा के बीच की समस्या मनोवैज्ञानिक है। लेकिन उसके मूल में यौन-कुंठा ही है। श्यामा का अपने पतिदेव के साथ परिचय केवल देह के स्तर पर था। इसलिए वह भावनात्मक रूप से कुमार से जुड़ना चाहती है। परन्तु कुमार के जीवन में लता के जाने से उत्पन्न कुंठा है। अतः श्यामा के साथ शारीरिक धरातल पर जुड़ना चाहता है। श्यामा विधवा है परन्तु अपने अवचेतन मन में कुमार के समक्ष अपना पूर्णतः समर्पण कर देती है। उपन्यास में सीमा के माध्यम से समाज के एक वर्ग में यौन संबंधों की स्वच्छंदता भी चित्रित की गयी है। वह एक सभ्य परिवार की युवती होकर भी 'सोसाइटी गर्ल' का जीवन जीती है और यौन नैतिकता में विश्वास नहीं रखती।

ऊब, टूटन और घुटन और एकरसता भरी जिंदगी को आधुनिक उपन्यासों में बहुत सफलता से अभिव्यक्ति मिली है। मोहन राकेश ने अपने उपन्यासों में सामाजिक जीवन की इन विसंगतियों की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है।

'अँधेरे बंद कमरे' में हरबंस और नीलिमा दोनों एक साथ रहते हुए भी अकेलेपन और ऊब का अनुभव करते हैं। दोनों ही अपने-अपने अँधेरे कमरों में बंद हैं। जिनसे निकलने का उनका कोई प्रयास सफल नहीं हो पाता। अपने अकेलेपन से ऊबकर हरबंस यूरोप जाने का निर्णय करता है। पर पत्नी (नीलिमा) के अभाव में वह अकेलापन और गहरा हो जाता है तथा वह रास्ते से ही नीलिमा को पत्र लिखने लगता है। सुषमा भी अपने जीवन के अकेलेपन से ऊब गयी है। वह 'अपने लिए सुख' चाहती है, जो एक छोटे से घर में ही मिल सकता है।

उसी तरह इस उपन्यास में मधुसूदन जैसे समर्थ पत्रकार को आर्थिक अभाव के कारण कस्बापुरा जैसे बस्ती में घुटन की जिंदगी जीनी पड़ती है।

'न आने वाला कल' उपन्यास में सारी घटनाएँ एक पहाड़ी स्थान पर स्थित बर्टन स्कूल में घटती हैं। स्कूल में जितने लोग हैं सभी एक ही प्रकार की ऊब की जिंदगी जी रहे हैं। साथ-साथ रहते हुए भी वे सब इतने अकेले हैं कि सब अपने और किसी के अकेलेपन को महसूस तक नहीं कर पाते। सभी अपने अपने दायरों में बंद आने वाले कल की प्रतिक्षा में जी रहे हैं। मनोज की सारी छटपटाहट अपनी ऊब और अकेलेपन से मुक्त होने की है। उसका त्यागपत्र भी इसी कोशिश का परिणाम है। वह शोभा और बानी से जुड़कर अकेलेपन से मुक्त होना चाहता है परन्तु असफल रहता है।

'अन्तराल' की नायिका श्यामा अपने पतिदेव के साथ रहकर भी उससे भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाती। वह उसके साथ रहते हुए भी निरंतर घुटन और ऊब की यंत्रणा को झेलती है। देव की मृत्यु से उसके अकेलेपन का यह बोध और गहरा हो जाता है। वह कुमार से जुड़कर अपने अकेलेपन को खत्म करना चाहती है। अपनी डायरी में वह लिखती है 'एक अजीब छटपटाहट है। बिना अपने को किसी के सामने उड़ेंले यह छटपटाहट शांत नहीं होगी।'<sup>(12)</sup>

कुमार लता के अभाव की पूर्ति श्यामा से करना चाहता है, पर श्यामा की कुंठा के कारण वह अपने को पुनः अकेला महसूस करने लगता है। प्रोफेसर

मल्होत्रा व उनकी पत्नी भी परस्पर कटे हुए हैं ऊब, घुटन और टूटन के संक्रास को झेल रहे हैं।

आज के समाज में मानव संबंधों की स्थिति ऐसी हो गयी है मानो स्त्री-पुरुष, पति-पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन, प्रेमी-प्रेमिका आदि केवल अपने फायदे के लिए सम्बन्ध जोड़कर रखते हैं। संबंधों की यह छटपटाहट मोहन राकेश के 'अन्तराल' उपन्यास में देखी जा सकती है। 'अन्तराल' उपन्यास में संबंधों की तलाश का ईमानदार और यथार्थ चित्रण महानगरीय जीवन के धरातल पर किया गया है। श्यामा और कुमार के बीच अनेक सवाल उभरते हैं उन सवालों से जूझने की कोशिश में वे टूटते हैं, बिखरते हैं, लेकिन सफल पाने के असफल रहते हैं। श्यामा और कुमार दोनों एक-दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन वह अपने बीच बढ़ते संबंधों को कोई नाम देने में असफल रहते हैं। इसका कारण दोनों के जीवन में निर्मित रिक्त कोष्ठ है। श्यामा के जीवन में देव और कुमार के जीवन में लता का आगमन भी उन रिक्त कोष्ठों को नहीं भर पाता।

देव के मन में जो अधिकार था वह केवल देह के स्तर पर था क्योंकि हर रोज जैसे नए सिरे से उसका परिचय होता था नए सिरे से बातचीत आरम्भ होती थी। देव की आकस्मिक मृत्यु के बाद श्यामा के जीवन में एक रिक्त कोष्ठ का निर्माण कर देती है। देव की अनुपस्थिति श्यामा को विचलित कर देती है। वह अपने अभाव को पूरा करने के लिए कुमार से जुड़कर रहना चाहती है। लेकिन कुमार उससे शरीर के स्तर पर जुड़ना चाहता है। वह कुमार से शारीरिक सम्बन्ध के अलावा भी उस गहरे सम्बन्ध का बोध करना चाहती थी, जिसे नाम चाहे जो दिया जाए और कई संबंधों से यह कहीं गहरा सम्बन्ध था। इस तरह राकेश ने संबंधों की तलाश का ईमानदार प्रयास किया है।

विसंगति की अनुभूति आधुनिकता बोध की एक परिणति है। समाज में विसंगति, विघटन और व्यर्थता बोध चारों ओर फैली हुई है। एक और बाहरी चमक दमक से युक्त अट्टालिकाएँ हैं तो दूसरी ओर गन्दी बस्तियाँ, फुटपाथ तथा गन्दगी है। विसंगतियों के बीच साधारण मनुष्य टूटकर बिखर रहा है।

मोहन राकेश ने अपने 'न आने वाला कल' उपन्यास में समाज में व्याप्त विसंगति, विघटन और व्यर्थता बोध की समस्या को विशेष महत्व देकर प्रस्तुत किया है। उपन्यास का नायक मनोज के आकस्मिक ढंग से त्यागपत्र देते ही अनेक विसंगतियाँ तथा विडंबनाएँ बाहर आने लगती हैं, पर फादर बर्टन स्कूल की निरंकुश व्यवस्था का प्रभाव बहुत ज्यादा है। इसलिए वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति त्यागपत्र के बारे में बात करने को उत्सुक होते हुए भी शंकाओं में उलझा है। लोग शराब के दौर के बीच द्रुमघोतु व्यवस्था के प्रति आक्रोश प्रकट करते हैं। लेकिन हेडमास्टर की मौजूदगी के कारण सब डर कर मौन रहते हैं।

बानी की जिंदगी भी विसंगतियों से घिरी है। वह अपने जीवन में पूरी तरह स्वतंत्रता चाहती है, परन्तु उसका मन किसी न किसी से जूझने के लिए छटपटाता रहता है।

इस प्रकार मोहन राकेश ने अपने उपन्यासों में अनेक समस्याओं को स्थान दिया है। उन्होंने समाज के हर समस्या को पास से देखा व भोगा। इसलिए हर समस्याओं को अपनी अनुभूतिगत संवेदना के साथ गहराई से चित्रित किया है। इससे उनका साहित्य आज के सामाजिक जीवन का यथार्थ दर्स्तावेज बन जाता है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. समकालीन हिंदी उपन्यास कथ्य विश्लेषण डॉ. प्रेमकुमार, पृ.सं. 98

2. सं. भगवती प्रसाद निदारिया, आधुनिक हिंदी उपन्यास, पृ. सं. 546
3. डॉ. पांडुरंग पाटील, देवेश ठाकुर और उनका उपन्यास साहित्य, पृ. सं. 11
4. मोहन राकेश, न आने वाला कल, पृ. सं. 14
5. इलाचंद्र जोशी विवेचना (सं.) 1 संयोजक उमाराव, पृ. सं. 173
6. डॉ. रणवीर रांब्रा, साहित्यिक साक्षात्कार, पृ. सं. 57
7. मोहन राकेश, अन्तराल, पृ. सं. 141
8. मोहन राकेश, 'अँधोरे बंद कमरे', पृ. सं. 196
9. वही, पृ. सं. 397
10. मोहन राकेश, 'न आने वाला कल', पृ. सं. 172
11. मोहन राकेश, 'न आने वाला कल', पृ. सं. 125
12. मोहन राकेश, 'अन्तराल', पृ. सं. 100

\*\*\*\*\*



## अज्ञेय के सृजनात्मक साहित्य में स्वाधीनता के मूल्यों (आस्तिकता) के विविध आयाम

डॉ. अनुकूल सोलंकी \*

**प्रस्तावना** - मूर्धन्य साहित्यकार अज्ञेय अपने चिंतन और कृतित्व से आस्तिक है। कवि रूप में अज्ञेय की अनेक कविताएँ उपर्युक्त कथन को पुष्ट करती हैं। आस्था, विश्वास और समर्पण का जितना भाव उनकी कविताओं में दिखता है, उतना किसी भी कवि में नहीं। अज्ञेय की जीवन-दृष्टि आस्तिकता से ओतप्रोत है। कवि अज्ञेय का मन मानवीय सृजन की भूमि पर अनेक रचनात्मक आयाम उकेरता है। मूलतः अज्ञेय निष्ठावान कवि है। इसलिए उनकी सृजनात्मकता एक चुनौती के रूप में सामने आती है। भाषा और संवेदना दोनों स्तरों पर कवि का आस्तिक रूप, सर्जनात्मक रूप में अपनी प्रभावशीलता स्पष्ट करता है। 'आंगन के पार द्वार' (1961) की मूल रचनावृत्ति भी आस्तिक-भाव से भरी पड़ी है। इस संकलन की अनेक कविताओं में रहस्यवाद का एक नया रूप भी विकसित होता हुआ दिखता है। अज्ञेय की अधिकांश कविताओं में आस्तिक भाव के साथ-साथ राग और आवेग की गहरी अभिव्यक्ति भी मिलती है।

डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी के मतानुसार 'प्रकृति, प्रविधि और मानव का सम्पृक्त रूप- 'हरी घास पर क्षण-भर' भाव-अज्ञेय का कविताओं में बराबर मिलता है। पर प्रविधि का दबाव प्रकृति पर कवि को मान्य हो सकता है, मानव पर नहीं। 'महानगर: रात' (इन्द्रधनु रौंदे हुए ये) में वह प्रश्न करता है-

और सभ्यता  
बहुत बड़ी सुविधा है  
सभ्य, तुम्हारे लिए।  
'हाँ, पर मानव,  
तुम हो किस के लिए?

**प्रकृति, प्रविधि और मानव** - इनके केन्द्र में मूल प्रश्न मानवीय व्यक्तित्व का है। अज्ञेय के लिए संघटित मानव व्यक्तित्व आस्था, सर्जनात्मकता और आस्तिकता का स्रोत है, नश्वरता पर विजय है। उत्तरकालीन संकलनों में कवि की यह दृष्टि पूरी निष्ठा के साथ अंकित हुई है, जहां उसने घोषित किया है-

अच्छी कुण्ठा रहित इकाई  
साँचे-ढले समाज सेय'<sup>1</sup>

कवि अज्ञेय की सर्जनात्मकता के आगे नश्वरता भय नहीं चुनौती है। इसी चुनौती से प्रेरणा लेकर कवि मन आस्तिक भाव से अपनी संवेदना बिखेरता चलता है। अनेक अनसुलझे प्रश्न आस्तिकता को प्रेरणा देते से जान पड़ते हैं। आस्तिक कवि का व्यक्तित्व कुण्ठारहित इकाई बने रहने में ही अपनी पहचान बनाए रखना चाहता है-

'यह निष्ठावान व्यक्तित्व मूलतः सर्जनात्मक है, इसलिए आस्तिक है। उसकी सर्जनात्मकता के लिए नश्वरता भय नहीं चुनौती है, आशंका नहीं

प्रेरणा है। उत्कट आत्मसजगता के युग में मृत्यु-त्रास का बढ़ना स्वाभाविक है, और इस त्रास के सम्मुख सर्जनात्मक जीवन की दृष्टि लेकर ही संगत भाव से जिया जा सकता है, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसे समाज में स्वतः स्फूर्त सर्जनात्मकता सबसे पहले नष्ट होगी। अतः पुष्ट व्यक्तित्व यदि न भी हो तो कुण्ठारहित इकाई ही बने रहे, जिसमें रचना की सम्भावना तो है और यदि व्यक्तित्व है, उसकी सर्जनात्मक क्षमता है तो फिर विकास के लिए आश्वस्त हुआ जा सकता है-

में देख रहा हूँ  
झरी फूल से पंखुरी  
-में देख रहा हूँ अपने को ही झरते।  
में चप हूँ

वह मेरे भीतर वसंत गाता है। मैं देख रहा हूँ)

'झरी पंखुरी' और 'वसंत' के बीच जो अन्तः संबंध है वही नश्वरता और सर्जनात्मकता के बीच है। वस्तुतः जो सर्जन-उन्मेष नश्वरता से ऊपर उठकर जीवन को सार्थकता देता है। कवि के शब्दों में-

हर आलोक-छुआ अपनापन

है उन्मोचन

नश्वरता के दाग से। (मैंने देखा एक बूँद)

'झरने के लिये', 'विज्ञप्ति' आदि कुछ अन्य कविताओं में 'आसक्ति नहीं आनंद' को 'सम्पूर्ण व्यक्ति की अभिव्यक्ति' के रूप में स्वीकार किया गया है। नश्वरता ही कवि के अनुसार जीवन को उसकी अद्वितीयता और रस देती है ('आत्मनेपद', पृ.8)।<sup>2</sup>

'मैं वहाँ हूँ, मैं लोक सम्पत्ति का जो रूप मिलता है, उसका आधार आस्तिक जीवन दृष्टि है, यह मानना स्वाभाविक होगा। पूरी कविता में शक्ति का स्रोत मानवीय सर्जनात्मकता है, व्यक्तित्व का वह रूप जो अपने तनाव में सेतु है।'<sup>3</sup>

वस्तुतः कवि अज्ञेय आरम्भिक रूप में भोलेपन और भावुक कविताएँ के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं परंतु एक दशक बाद यही कवि अपनी आस्तिक सर्जनात्मक क्षमता से अनेक काव्य संकलन में अनेक निराशाजनक या नकरात्मक मूल्यों को नकारते चलते हैं। अनुभव की अद्वितीयता और विशिष्ट सर्जनात्मक क्षमता उनके कवि होने की मूल पहचान है।

अज्ञेय का कवि मन अनेक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपने विद्रोह को संयत भाषा में अभिव्यक्त करता है, वर्तमान युग में आस्तिकता के मूल भाव से ही सारी समस्याओं का अंत निश्चित है। अनेकानेक कविताएँ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। रचनात्मक स्तर पर आस्था, विश्वास और समर्पण अज्ञेय काव्य की पहचान हैं-

‘विश्वास’ नामक कविता में कवि स्पष्ट वाणी से उद्धत विद्रोही के रूप में अपनी आस्तिकता प्रकट कर रहा है-

तुम्हारा यह उद्धत विद्रोह  
घिरा हुआ है जग से पर है सदा अलग, निर्मोही।  
जीवन-सागर हहर-हहर कर उसे लीलने आता दुर्धर  
पर वह बढ़ता ही जाएगा लहरों पर आरोही।  
जगती का अवरिल कोलाहल कर न सकेगा उस को बेकल  
ओ आलोक। नयन उस के अनिमिष लखते तुम को ही।  
कैसे खोएगा वह पथ को तुम्ही एक जब पथ-दर्शक हो  
एक साँकरा मग है, और अकेला एक बटोही।  
तुम्हारा यह उद्धत विद्रोही।<sup>4</sup>

प्रारंभिक कवि अज्ञेय में आस्तिकता खूब मिलती है, उनकी कविताओं में मास्तिक भाव सहज और सरल रूप में मिलते हैं। ‘भग्नदूत’ और ‘इत्यलम्’ में संकलित कविताएँ इसका प्रमुख उदाहरण हैं

‘आरंभिक अज्ञेय में आस्तिकता का बड़ा सहज-सरल भाव मिलता है। विश्व के संबंध में छायावादी जिज्ञासा से कुछ ही विकसित स्वर यहाँ मुखर हुआ है। ‘भग्नदूत’ की ‘असीम प्रणय की तृष्णा’, ‘असाफल्य’ आदि कविताओं में आस्था और विनय की सहज अभिव्यक्ति है। इनमें से कुछ कविताएँ ‘इत्यलम्’ के प्रथम खण्ड में भी संकलित हुई हैं, अर्थात् कवि के द्वारा नकारी हुई नहीं हैं। विश्वास और समर्पण का वह तल्लीन रूप जो मध्यकालीन भक्तों से लेकर रवीन्द्रनाथ तक को विभोर करता रहा है, अज्ञेय की इन कविताओं में, भले कुछ फीके ढंग से, मिलता है-

विश्वदेव। यदि एक बार,  
पा कर तेरी दया अपार,  
हो उन्मत्त, भुला संसार-  
में ही विकलित, कम्पित होकर-  
नश्वरता की संज्ञा खोकर-  
हंस कर, गा कर, चुप हो, रो कर-  
क्षण भर झंकृत हो- विलीन हो-होता तुझ से एकाकार !  
पा कर तेरी दया अपार, हे विश्वनाथ ! बस एक बार !  
(असीम प्रणय की तृष्णा)

पर सहज-सरल आस्था के साथ- साथ जैसे ही सरल विद्रोह का रूप इन कविताओं में द्रष्टव्य है, जो आरम्भ में आत्मीयता से प्रेरित होने पर भी क्रमशः विश्वास को क्षीण करता चलता है। - ‘भग्नदूत’ और ‘इत्यलम्’ दोनों में संकलित एक कविता है- ‘नहीं तेरे चरणों में-’। मिलते-जुलते भाव के पदों में से एक इस प्रकार है-

तोड़ मरोड़ फूल अपने मैं,  
पथ में बिखरऊँगा:  
पैरों से फिर कुचल उन्हें, मैं  
पलट कर चला जाऊँगा  
देव ! आऊँगा तेरे द्वार!  
किंतु नहीं तेरे चरणों में दूँगा वह उपहार !

‘इत्यलम्’ की ही एक दूसरी कविता है ‘प्रार्थना’, जिसकी आरंभिक पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-

इस विकास गति के आगे है  
कोई दुर्दम शक्ति कहीं।  
जो जग की स्रष्टा है, मुझको

तो ऐसा विश्वास नहीं।

‘फिर भी यदि कोई है’ तो कवि ‘कलाकार से कलाकारवत्’ दान माँगता चाहता है।

आस्था, विद्रोह और आत्मविश्वास का एक मिला-जुला रूप यहाँ दिखाई देता है, जो अपनी प्रकृति में अपेक्षया सरल और सीधा है।<sup>5</sup>

‘अविश्वास के प्रति झुकाव भी कवि अज्ञेय में उभरकर सामने आता है परंतु यह आस्था और विश्वास का को पुनराविष्कृत करने का एक माध्यम ही सिद्ध होता है। अज्ञेय की आस्तिकता में रहस्यवाद प्रमुख रूप से उभरता है। यह रहस्यवाद ईश्वर का न होकर, भीतर से जोड़ने वाला भाव है। जो कवि अज्ञेय की सर्जनात्मकता का मूल है।

‘पर अविश्वास की प्रक्रिया क्रमशः बल पकड़ती है। अज्ञेय का मध्यवर्ती कृतित्व- ‘शेखर’ और कविताएँ दोनों-मुख्यतः इसी भाव को प्रतिफलित करते हैं। आस्था की दिशा कुछ बदली है, और सघनता भी क्षीण हुई है। ‘इत्यलम्’ के विस्तृत संकलन में ‘रहस्यवाद’ अपने ढंग की एक ही कविता है। उसका

आरंभ इस प्रकार होता है-

मैं भी एक प्रवाह में हूँ-

लेकिन मेरा रहस्यवाद ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं है,

मैं उस असीम शक्ति से

संबंध जोड़ना चाहता हूँ-

अभिभूत होना चाहता हूँ-

जो मेरे भीतर है !

यहाँ स्पष्ट ही रोमैण्टिक आवेग का स्थान रहस्यवादी गम्भीरता ले रही है, पर यह रहस्यवाद, कवि के अनुसार, ईश्वर की ओर उन्मुख न होकर अपने ही भीतर की असीम शक्ति से संबंध जोड़ने की प्रक्रिया है।<sup>6</sup>

कवि अज्ञेय का वैशिष्ट्य इसी में है कि वह सीमित साधनों का प्रयोग कर अपनी संवेदना सम्प्रेषित कर देते हैं। ‘आंगन के पार द्वार’ काव्य संकलन इसका सफल उदाहरण है। अज्ञेय का मत है कि शब्द को उन्मुक्त रखना चाहिए तभी उसका गहरा अर्थ निकल सकता है।

कवि अपनी कलात्मक सर्जनात्मकता ‘असाध्य-वीणा’ के माध्यम से साधते हैं। रचनात्मक स्तर पर ‘असाध्य वीणा’ काफी प्रवाहपूर्ण और प्रभावशाली अभिव्यक्ति है, जिसका रहस्य आस्तिक भाव बोध में संघटित है-

‘रचनात्मक स्तरपर यह उपपत्ति ‘असाध्य वीणा’ में सांकेतिक कथा के माध्यम से काफी प्रवाहपूर्ण ढंग से प्रमाणित हुई है, जहाँ अनुभूति, क्षण और विचार, सृजन और उसका रहस्य आस्तिक भाव-बोध में संघटित होकर एक कलाकृति के रूप में निष्पन्न होते हैं। इस अपेक्षया लम्बी रचना की मूल भाव-भूमि पिछली कई कविताओं में प्रस्तावित हुई है। ‘जितना तुम्हारा सच है’ में प्रकृति, जो विराट् सर्जनात्मकता की अभिव्यक्ति है, कवि को समझाती है-

तुम्हारी आँखों की ज्योति से  
अधिक है चौंध जिस रूप की

उसका अवगुण्ठन

मत खोलो।

दीठ से टोह कर नहीं, मन के उन्मेष से

उसे जानो : उसे पकड़ो मत।

उसी के हो लो।

मूर्धन्य साहित्यकार अज्ञेय, आस्था एवं विश्वास के कवि हैं, अपनी

विराट सर्जनात्मकता का दर्शन 'आसाध्य वीणा' में दिखाते हैं और आस्तिकता को केन्द्र में रखकर सम्पूर्ण कलात्मक सर्जनात्मकता की विराट व्याख्या के दर्शन दिखाते हैं-

'कलात्मक सर्जनात्मकता की व्याख्या के माध्यम से विराट् सर्जनात्मकता का आख्यान 'आसाध्य वीणा' का साध्य है। रचनाकार यहाँ 'जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी' रूप में प्रस्तुत होता है, और सर्जन की व्याख्या बुद्धि और विचार के उपयोग से उस स्थिति तक करता है, जहाँ तक कि उसे विश्लेषित करने में यान्त्रिकता का खतरा उत्पन्न नहीं होता। क्या कहा जाए, कहाँ तक कहा जाए और कहाँ मौन अपेक्षित होगा, रचना के इस पक्ष पर अज्ञेय जैसा अधिकार कम लोगों का है। मानवीय व्यक्तित्व की असीम सम्भावना उसकी सर्जनशक्ति में है, यही समूची सृष्टि, सारे विज्ञान और समग्र कला का रहस्य है, जो वर्तमान युग में आस्तिकता का मूल भाव हो जाता है। सृष्टि और सर्जन की यह आधुनिक व्याख्या मनुष्य को केन्द्र में रखकर चलती है, अलौकिक और यान्त्रिक दोनों से भिन्न रूप में। अनुभव की अद्वितीयता, व्यक्तित्व (व्यक्ति नहीं) का वैशिष्ट्य और सर्जनात्मक क्षमता-मानवीय अस्तित्व और उसकी सार्थकता के मूल उपादान हैं, तथा मृत्यु के अस्तित्ववादी आतंक और तज्जन्य अनर्थकता से सर्जनशील होकर ही उबरा जा सकता है: अज्ञेय के कृतित्व में यह आधारभूत वस्तु अपने विभिन्न पक्षों और संदर्भों में अंकित हुई है। उनकी मुख्य दृष्टि इसी ओर रही है कि मनुष्य की अनुभूति और उसके व्यक्तित्व का क्षरण न हो, खतरा चाहे यंत्र का हो चाहे सर्वसत्तावादी पद्धति का, महानगर का या कि प्राविधिक जीवन में अन्तर्व्याप्त गति का। सबसे बड़ी बात यह कि मनुष्य को मनुष्य के खतरे से बचाना है। इस सबका उपाय न यंत्र से क्षरित हो और न मनुष्य से ही। नये समाज और संसार की यह केन्द्रीय समस्या है। और हम पाते हैं कि अज्ञेय ने अपने युग की इस मूल समस्या को ठीक-ठीक पहचाना है, और स्वतंत्र, स्वायत्त तथा सर्जनशील व्यक्तित्व के विकास पर बराबर बल दिया है।'<sup>17</sup>

**निष्कर्ष** - इस प्रकार विश्वास और कवि मन की आस्तिकता का गहरा

अन्तः संबंध जगह-जगह उभर कर दिखता है। कवि अज्ञेय अपने काव्य संकलनों में अनेकानेक मूलसुत्र छोड़ते हैं। अज्ञेय का मानस सीधी और सरल भाषा में अपनी आस्था और विश्वास को प्रकट करता है। कवि अज्ञेय की सर्जनात्मकता या सर्जन शक्ति अनेक अंतरविरोध को भी सुलझाती है। वस्तुतः मूर्धन्य साहित्यकार अज्ञेय मूल रूप से सकारात्मक मूल्यों के पक्षधर्म साहित्यकार है। अज्ञेय के कृतित्व में नकारात्मक मूल्य सीमित मात्रा में ही मिल पाते हैं। निष्कर्ष रूप में रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कह सकते हैं कि 'इस तरह अज्ञेय में आरम्भिक सहज आस्था वैसे ही सरल विद्रोह में परिणत होती है, और फिर अन्ततः रचनाकार आस्था को पुनराविष्कृत करता है। सूक्ष्म स्तर पर आस्तिकता का यह भाव कवि के नव्य-रहस्यवादी दौर में सर्जनात्मकता से जुड़ जाता है। लेखक की तीन भिन्न क्षेत्रों की नवीनतम कृतियों- 'आँगन के पार द्वार' (कविता 1961), 'अपने-अपने अजनबी' (उपन्यास 1961) और 'एक बूँद सहसा उछली' (यात्रा-संस्मरण-1960) में आस्तिकता की अन्तर्वर्ती धारा समान रूप में देखी जा सकती है, वो किसी धर्म या पद्धति विशेष में न बंधकर पूरे मानवीय संदर्भ में एकदम निर्मल, शान्त पर गतिशील है।'<sup>18</sup>

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी-अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या पृ.21
2. डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी-अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या पृ.22
3. डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी-अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या पृ.23
4. डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी: अज्ञेय और आधुनिक रचना की पृ. 17
5. डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी: अज्ञेय और आधुनिक रचना की पृ. 24-25
6. डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी: अज्ञेय और आधुनिक रचना की पृ. 25
7. डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी: अज्ञेय और आधुनिक रचना की पृ. 31
8. डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी-अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या पृ. 25-26

\*\*\*\*\*

## कृष्णा अग्निहोत्री की कहानियों में स्त्री विमर्श-विविध सरोकार

राजश्री सेंगर \* डॉ. चंदातलेरा जैन \*\*

**शोध सारांश** - हिन्दी का कहानी साहित्य, अपनी अनेक उपलब्धियों के लिए सदैव प्रासंगिक रहा है। हमारे कहानी साहित्य में महिला कथाकारों ने नारी को सदैव स्थान दिया है। नारी ने अपने विविध रूपों में पुरुष को संवर्धन साहस और शक्ति दी है। इनकी कहानियों की पृष्ठभूमि में स्त्री की ही वेदना है, उसका ही संघर्ष है।

**प्रस्तावना** - हिन्दी की महिला कथाकारों के मध्य कृष्णा अग्निहोत्री सूर्य की भांति दिसिमान हो नारियों के स्वर को मुखरित करती प्रकट हुईं। उन्होंने अपनी कहानियों में स्त्री के प्रत्येक रूप गुण और दुर्दशा का भली-भांति चित्रण किया है। उन्होंने कहा है कि 'समकालीन स्थिति में नारी जिस चौराहे पर खड़ी है, वहाँ से उसे अपनी जिंदगी के लिए किस रास्ते पर बढ़ना चाहिए, यह वह स्वयं ही नहीं जानती।' ये बात बिलकुल सत्य है कि नारी प्रगति के चौराहे पर भौचक खड़ी है।

कृष्णा अग्निहोत्री जी ने अपनी कहानियों में स्त्रियों की विडम्बना का सूक्ष्म दृष्टि से चित्र अंकित किया है। वे स्वयं अपनी कहानियों में स्त्रियों को निरीह एवं असहाय पाती है। जबकि वे स्वयं स्त्री-विमर्श एवं आधुनिक विचारधारा से प्रभावित है। उन्हें स्वयं अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा, परंतु इन संघर्षों के मध्य भी वे इनसे अछूती, एक सशक्त महिला लेखिका के रूप में उभरी है।

कृष्णा अग्निहोत्री ने अपनी कहानियों में वर्तमान जटिल भौतिकवादी युग के मध्य मानव मूल्यों को पूर्व स्थापित करने का कार्य निष्ठापूर्वक किया है। उन्होंने केवल स्त्रियों ही नहीं, बल्कि दलितों, मजदूरों, बच्चों एवं मध्यमवर्गीय तथा धनाढ्य प्रत्येक वर्ग का चित्रण अपनी कहानियों में किया है। कृष्णा जी बहुमुखी प्रतिभा की सृजनशील समर्थ और सशक्त रचनाकार हैं।

**मौलिकता** - कृष्णाजी की कहानियाँ किसी सीमित कटघरे में खड़ी नहीं रही हैं। उन्होंने कहानी के स्त्रीपात्रों की मौलिकता को बनाए रखने हेतु मानवता का सहारा लिया है। इनके कहानी संग्रह व्यापक यथार्थ से प्रेरित होकर लिखे गए हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में स्त्रियों को अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के संदर्भों में प्रस्तुत किया, जिसमें दिखाई पड़ा की प्रत्येक स्थिति में स्त्रियाँ प्रताड़ित एवं अपनी निजता की रक्षा करते हुए नजर आती हैं।

**भौतिकवाद का प्रभाव** - इनकी कहानी 'प्रथम पुरुष' में दिखाई पड़ता है कि भौतिकवाद ने कितना पैना प्रहार मानवीय रिश्तों पर किया है। नारी की भावनाओं को कुचल कर उसके जीवन में आए प्रथम पुरुष उसे धोखा देकर त्यागकर चला जाता है। प्रेम में डूबी ईशा, राधव को प्रेम भाव समझाती हुई कहती है कि 'प्रेम शब्द नहीं भाव है, जिसका अहसास एक चेतन को दूसरे चेतन से होता है, उसका मौन संवाद आत्मा तक को छूता है।' <sup>2</sup> 'प्रेतों का

फतवा' कहानी की नारी पात्र बबली अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करती दिखाई पड़ती है, जो डरकर अपने भाईयों की लालची प्रवृत्ति का सामना कर, उनके खिलाफ आवाज उठाती है। जबकि हमारे भारतीय समाज में लड़की को उसका हक नहीं मिलता उसे तो शादी-ब्याह कर दूसरे घर भेज दिया जाता है और उसका हक उसके भाईयों को मिल जाता है। प्रेतों का फतवा कहानी में बबली के हृदय की अकुलाहट दिखाई पड़ती है। 'जीते जी माता-पिता को झपट्टा छीनने वाले मानव मूल्यों से रहित ये प्रेतों जैसे व्यक्ति उसे हक की बात समझा रहे हैं।'<sup>3</sup>

कृष्णा जी की कहानियों में हिंसा, दुष्टता की प्रवृत्तियाँ नए-नए आकारों में बढ़ती दिखाई दी है, जिसके स्त्री पात्र अपनी संस्कृति और सामाजिक मान्यताओं को संभाले नजर आते हैं। पारिवारिक संबंधों का विघटन वर्तमान की मुख्य समस्या है। स्त्री चाहे दलित हो या मध्यमवर्गीय या उच्चवर्गीय वह हमेशा दबी एवं कुचली ही दिखाई पड़ती है। समाज में केवल वह भोग की वस्तु मात्र है। नारी के प्रति अभद्र व्यवहार एवं सामंती दृष्टिकोण से परिपूर्ण ऐतिहासिक कहानी है 'एक अनकही गजल' जिसमें नारी की सुंदरता ही उसे मारती दिखाई पड़ती है। नारी का सौंदर्य ही उसके लिए कितना घातक होता है, ये इस कहानी में बताया गया है।

अलाउद्दीन खिलजी की बंदिनी बनी रानी अपने शोषण से दुखी हो सोचती है कि 'रानी बनना कितना दुखद है। राज्य के साथ उसे भी स्वयं को हारना पड़ता है।' <sup>4</sup> उन्होंने नारी की दयनीयता को उजागर न कर उनकी वर्तमान समाज में जो भोगनीय स्थिति है, उसको अपनी कहानियों का मुख्य विषय बनाया है।

**रूढ़ियाँ एवं परम्पराएं** - 'बाबुल की सोन चिरैया' कहानी प्राचीन रूढ़ियों में तड़पती नारी की वेदना बंधी कहानी है। नारी को सदैव ही नारी होने की घृणा झेलनी पड़ती है। जो परिवार उसे मान्यता तक नहीं देता, उसके लिए वह अपने अस्तित्व को दांव पर लगा देती है। 'कुलकंलकिनी' कहानी ऐसी ही नारी की मर्मांतक कहानी है। गरीब बंजारों की औरतों का शोषण एवं उनको अपमानित किया जाता है। ये औरतें बच्चा पैदा कर, पति की मार खाकर जीवन यापन करती हैं। इसके पश्चात भी परंपराओं का वास्ता देकर इन्हें पंचायत द्वारा सजा का पात्र बना दिया जाता है।

**नवीन धारणाएं** - कृष्णा जी ने अपनी कहानियों में प्राचीनता को तोड़कर,

\* शोधार्थी (हिन्दी) महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

\*\* विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक (हिन्दी) महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत



नवीन धारणाओं को स्थापित करने का भरसक प्रयास किया हैं। उन्होंने मानवीयता, करुणा, मूल्य, विघटन, आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित कर अपनी रचनाओं का लेखन कार्य किया है। इस स्थिति में नारी शक्तिस्वरूपा होकर भी सही मार्ग व दिशा के लिए भटकती नजर आती है। वे स्वयं ही अपनी कहानियों में उन्हें असहाय ही पाती है। विडम्बना तो जैसे स्त्री का भाग्य ही हो चला है। कृष्णा जी की कहानियों में चाहे वो 'नीलकण्ठ', 'दो रीति आंखे', 'नारी न मोहे नारी के रूपा', 'नपुंसक', 'हेड एंड टेल', एवं 'जैसियाराम' आदि में स्त्री पात्रों की स्थिति को बारिकी से उकेरा है। ये स्त्रियाँ खुलकर अपनी भावभिव्यक्ति को प्रकट नहीं कर सकती, यदि वे कही कोशिश भी करती है, तो उन्हें समाज द्वारा चरित्रहीन उच्चशृंखल कहा जाता है। लेकिन कृष्णा जी इन सामाजिक तानों को सहती हुई अपने स्त्री चरित्रों को कमजोर नहीं पड़ने देती है। ये नारियाँ लहुलुहान हैं, रोती हैं, तड़पती है पर कष्ट सहते हुए भी, आदर्श की स्थापना करती है।

इनकी चाहे 'कीमत' कहानी हो, जिसमें स्त्री की स्त्री के प्रति ही द्वेष भावना है। 'एक कर्नल की वापसी' कहानी में कर्नल के द्वारा अवैध संबंधों के निर्वाह हेतु अनेक स्त्रियों से विवाह कर उनका जीवन नष्ट करने का प्रयत्न किया गया।

**कुरीतियाँ** - 'अनुत्तर' कहानी में बाल-विवाह जैसी कुरीति का वीभत्स रूप दिखाई पड़ता है, जिसमें कम उम्र में शीला का विवाह अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति से कर दिया जाता है। विवाह पश्चात उसे पता चला है कि उसका पति पहले से शादी-शुदा है। इतना सब होने के बाद भी वह आदर्श स्थापित करती है। इनकी 'बेमूखत' कहानी में विधवा सईदा को अपने पति की जायदाद में से कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता और वह निराश्रित हो जाती है। 'एक अखण्डित सत्य' कहानी में पति-पत्नि का अलगाव तथा पति द्वारा दूसरे विवाह कर लेने के पश्चात भी पहली पत्नि द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है। कृष्णा जी की कहानियों में स्त्रियाँ कष्टों को सहते हुए भी आदर्श की पुनर्स्थापना करने में सफल ही हुई है। पारिवारिक रिश्तों में आई दरार तथा उनमें स्वार्थपरता का सजीव चित्रांकन कृष्णा जी ने किया है। इनकी कहानियों को पढ़कर पाठकों के हृदय में इस निरंकुश समाज के प्रति घृणा का भाव जागता है, क्योंकि वास्तव में समाज की दृष्टि अत्यंत कठोर है, वो भी केवल नारियों के प्रति इनकी कहानियाँ कूर समाज के अत्याचारों को दिखाती है।

**स्त्री की संवेदना** - कृष्णा जी ने संवेदना इतनी तीखी व पैनी है कि वह समाज के कांटो से पीड़ित प्रत्येक वर्ग की वेदना को समझ सकती है। इनकी कहानियों के स्त्री पात्र सामयिक है पर समय परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए है।

**अत्याचार का विरोध** - इनकी 'प्रतिबद्धता' कहानी में स्त्री के प्रति अत्याचार का विरोध दिखाया गया है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि रिश्तों में स्त्री ही स्त्री की शत्रु बन जाए तो क्या विकास संभव है ? प्रतिबद्धता के बिना स्त्री कैसे सुखी होगी? 'भग्गो जीजी' कहानी में आदिवासी स्त्री द्वारा निर्भिकता का प्रदर्शन कर, अपने ही पति को अनाचारी घोषित किया गया। हमारे समाज की स्त्री में इस हिम्मत के साथ अनाचार का विरोध ही कृष्णा जी के लेखन का मुख्य उद्देश्य है। 'हाजिर होय कहानी की स्त्री को उसकी सुखद भूख की संतुष्टि की सजा समाज द्वारा दी जाती है। उसे अपमानित करने के लिए कही भी हाजिर कर लिया जाता है।

**आधुनिकता** - इसके विपरीत उनकी 'मान भी जा सांझी' कहानी स्त्री के आधुनिक रूप को दिखाती है, जो कि अपनी मान्यताओं परंपराओं से विद्रोह करती दिखायी पड़ती है। ये बात समाज के लिए अत्यंत दुखद है। कृष्णा जी

के अनुसार वर्तमान में ऐसी स्त्री की आवश्यकता प्रत्येक परिवार में है, जो कि नये व पुराने में संतुलन कर अपने माता-पिता से भी समन्वय बना सके। समाज में प्रत्येक पक्ष को प्रेम, स्नेहास्पर्श की आवश्यकता है। सांझी शहर में किस प्रकार अपने माता-पिता के प्रेम से अनभिज्ञ, जीवन की जरूरतों को पूरा करती है। कृष्णा ने स्पष्टतः इस कहानी में दर्शाया है। सांझी की मनोदशा कहानी में इस प्रकार दिखाई गई है 'अब तक प्रेम के नाम पर उससे केवल शरीर के दावेदारों से वास्ता पड़ा है। वह तो सदा उससे हृदय से जुड़ती रही, न कि केवल कोई फायदा उठाना चाहा।'<sup>5</sup>

वर्तमान में युवाओं की अत्यंत गंभीर मनोस्थिति का चित्रण किया है। कहानी स्पष्टतः दर्शाती है कि जरूरत है, समाज के मानवीकरण की। 'गुबार' कहानी इसका श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें एक मां भी स्वार्थवश कोमलता खोकर बेटी को इस सुख से वंचित रखती है। जिससे बेटी अपनी अस्मिता हेतु विद्रोह कर चली जाती है।

इस कहानी में सुहेला अपनी मां की स्वार्थपूर्ण रवैये का विरोध कर कहती है कि 'मैं तो आज की पढ़ी-लिखी मुस्लिम बेटी हूँ, जो अपना नसीब खुद रोशन करने की ताकत जुटा रही है। उसे तुम धर्म व बुरके की आड़ में अब दफना नहीं सकती।'<sup>6</sup>

एक स्त्री चाहे किसी भी धर्म की हो, वह आधुनिक समाज में अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता रखती है।

**मूल्य निष्ठा** - इनकी कहानियाँ मनोरंजक होकर भी समसामयिक है, मूल्यनिष्ठ है, जो कि एक स्त्री के गौरव की रक्षा हेतु प्रयत्नशील है। पाठकों को समाज के नग्न सत्य से दर्शाना जरूरी है। जिसके लिए कृष्णा जी की कहानियों से बेहतर कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। समाज की कुंचित, कुंठित स्त्री को कृष्णा जी ही आश्रय देती है। इन्होंने स्त्री-विमर्श और अपने बोल्ड लेखन की कला से हिन्दी साहित्य जगत को अनुपम उपहार प्रदान किया है। कृष्णा अविनोशी सदा वाद-विवादों को तहस-नहस कर जीवटता का संघर्ष प्रस्तुत करती आ रही है। सच तो यह है कि वर्तमान में नारी सुशिक्षित और जागरूक है। नारी की यही प्रगति किसी पुरुष की उदारता के फलस्वरूप नहीं है, वरन् यह नारी का स्वयं का आत्मबल है। नारी स्वयं ही एक परिपूर्ण साहित्य है।

इनकी 'जीना-मरना' कहानी में तिरस्कृत एवं उपेक्षित श्यामा के द्वारा रचित पंक्तियाँ प्रत्येक स्त्री के मनोभावों को प्रकट करती है -

'अंधेरे की शृंखलाएँ कैसे तोड़ू ? हो सकता है एक हलकी बदली हो जो सूर्य मंडल पर छा गई, इतने ही से उदासी क्यों, उस अंधेरे के लिए जिसे मैंने गढ़ा बच-बचाकर मैं तोड़ूंगी शृंखलाएँ, भले ही स्वयं दूर जाऊँ।'<sup>7</sup>

**निष्कर्ष** - कृष्णा जी के कथा-साहित्य में स्त्री के विविध रूपों का चित्रण हुआ है। नारी विमर्श में नारी का नवीन दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। कृष्णा की कहानियाँ स्वयं की अनुभूति का दर्पण है। सामाजिक एवं पारिवारिक रूप से शोषित स्त्री समाज की घृणित परंपराओं से मुक्त होना चाहती है। विवाह दो व्यक्तियों के मध्य प्रेम भरा रिश्ता है, जिसे वर्तमान में कलंकित किया जा रहा है। इन सभी वेदनाओं के मध्य स्त्री अपने स्वयं के अस्तित्व को खोजने में निरंतर प्रयासरत हो चुकी है। कृष्णा अविनोशी जैसी महिला कथाकार स्त्री को समाज में सम्मान प्रदान करने में सफल हुई है। नारी विमर्श के रूप में नारी के विविध रूपों की एवं अभिव्यक्ति उनके प्रति समानता का भाव जाग्रत होता है। समाज के कांटो से पीड़ित स्त्री के हृदय की संवेदना महसूस करने में कृष्णा सफल रही है। स्त्री विमर्श मात्र शब्दों से नहीं बल्कि रचनात्मक संवेदना एवं मानवता से सिद्ध होता है।



**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. यह क्या जगह है दोस्तो - कृष्णा अभिनहोत्री (भूमिका)
2. श्रेष्ठ कहानियाँ - कृष्णा अभिनहोत्री (पृ.क्र.106)
3. मेरी प्रिय कहानियाँ - कृष्णा अभिनहोत्री (पृ.क्र.79)
4. श्रेष्ठ कहानियाँ - कृष्णा अभिनहोत्री (पृ.क्र.144)
5. मान भी जा सांझी - कृष्णा अभिनहोत्री (पृ.क्र.36)
6. मान भी जा सांझी - कृष्णा अभिनहोत्री (पृ.क्र.128)
7. जीना-मरना - कृष्णा अभिनहोत्री (पृ.क्र.26)

\*\*\*\*\*

## शिक्षा, व्यवस्था और प्रेमचन्द कृत 'बड़े भाईसाहब'

डॉ. जया प्रियदर्शिनी शुक्ल\*

प्रेमचन्द समाज को समर्पित रचनाकार हैं। उन्होंने अपने साहित्य में समाज की विभिन्न चुनौतियों और ज्वलंत प्रश्नों को स्थान दिया। प्रेमचन्द ने अपने समय और समाज की सीमाओं का ध्यान रखते हुए विभिन्न सामाजिक समस्याओं के समाधान भी प्रस्तुत किए। समाज की शायद ही कोई ऐसी समस्या हो जिस ओर प्रेमचन्द का ध्यान न गया हो। ऐसी ही जिस एक चुनौती को प्रेमचन्द ने अनुभव किया, वह थी- तत्कालीन शिक्षा-व्यवस्था। प्रेमचन्द जानते थे कि सुदृढ़ शिक्षा-व्यवस्था ही एक उन्नत समाज की नींव हो सकती है। किन्तु विडम्बना यह थी कि प्रेमचन्द के समय जो शिक्षा-व्यवस्था लागू थी, वह अपने सामाजिक उद्देश्य को पूर्ण करने में सक्षम नहीं थी। यह व्यवस्था, अंग्रेजी शासन द्वारा लागू की गयी थी। ब्रिटिश शासन ने भारतीयों पर अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए यहाँ की परंपरागत शिक्षा-व्यवस्था के नाम पर अंग्रेजी माध्यम में अपने अनुकूल रहने वाली शिक्षा व्यवस्था को लागू किया। ब्रिटिश शासन के अनुकूल इस शिक्षा-व्यवस्था ने हमारी सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार क्षति पहुंचाई, इस तथ्य को प्रेमचन्द ने भली-भांति समझा था। यही कारण है कि प्रेमचन्द ने अपने साहित्य और पत्रकारिता दोनों में इस शिक्षा-व्यवस्था की न्यूनताओं को उजागर किया। इस संदर्भ में हमें यह तथ्य ध्यान रखना होगा कि अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीयों को उन्नत और समृद्ध बनाना कतई नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य तो अपने लिए अंग्रेजी जानने वाले क्लर्क तैयार करना था। प्रेमचन्द ने अंग्रेजों की इस स्वार्थी मानसिकता के दुष्परिणामों को प्रत्यक्षतः अनुभव किया था। वे लिखते हैं- "यूनिवर्सिटी तो भारत में कोई है नहीं, हाँ, ग्रेजुएट बनाने के कई कारखाने हैं।"<sup>1</sup>

प्रेमचन्द के समय शिक्षा-व्यवस्था अपने लक्ष्य से भटकती हुई थी। प्रेमचन्द यह अनुभव करते हुए लिखते हैं- "संसार में इस समय जिस शिक्षा - प्रणाली का व्यवहार हो रहा है, वह मनुष्य में ईर्ष्या, भय, घृणा, स्वार्थ, अनुदारता और कायरता आदि दुर्गुणों ही को पुष्ट करती है।"<sup>2</sup> "भारत में ऐसी शिक्षा-पद्धति के प्रचार" प्रसार का कारण इतिहास में छिपा था। 1835 में लार्ड मैकाले ने अपने मिनट्स में भारत के संबंध में अपनी शिक्षा-नीति को व्यक्त करते हुए लिखा था- "हमें ऐसा वर्ग बनाने के लिए जी-जान से प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और उन करोड़ों लोगों के बीच, जिन पर हम शासन करते हैं, दुभाषिए का काम कर सकें; यह उन लोगों का वर्ग हो जो रक्त और रंग की दृष्टि से भारतीय मगर रुचि, विचारों, आचरण तथा बुद्धि की दृष्टि से अंग्रेज हो।"<sup>3</sup> और अंततः मैकाले का इंग्लैंड के लिए अधिक से अधिक क्लर्क बनाने का यह प्रयास सफल हो रहा था। प्रेमचन्द भी स्वीकारते हैं- "यहाँ ऐसे-ऐसे पांच बड़े-बड़े कारखाने हैं, जहाँ युवकों को दुर्व्यसन और फिजूलखर्ची और विलासिता और झूठे अभिमान की शिक्षा दी जाती है। बी.ए. पास होने का अर्थ व्यावहारिक

रूप से यही है कि अमुक युवक इन दुर्गुणों में पास हो चुका है। वह सिवा दफ्तर में कलम घिसने के और किसी काम का नहीं।"<sup>4</sup>

अंग्रेज सरकार कम खर्च में अपने लिए अधिक से अधिक कर्मचारी तैयार करना चाहती थी। इसी मंशा के क्रियान्वयन के लिए स्कूली-शिक्षा में भी दखल दिया गया और वहाँ भी परंपरागत शिक्षा के स्थान पर अंग्रेजी माध्यम की नई शिक्षा-पद्धति लागू कर दी गयी। विद्यालयी शिक्षा अथवा कहे आरंभिक शिक्षा ही बालक के व्यक्तित्व और विचारधारा की नींव होती है। यदि नींव दुर्बल होगी तो इस पर सुदृढ़ और भव्य निर्माण संभव ही नहीं। अंग्रेज सरकार षड्यन्त्र करके इस शिक्षा-नीति से भारतीय समाज की नींव खोखली कर रही थी। प्रेमचन्द ने इस चुनौती की गंभीरता को अनुभव किया। इसी कारण अपनी चर्चित कहानी - "बड़े भाई साहब" में वे प्रकारांतर से इस थोपी हुई, हानिकारक शिक्षा-पद्धति की कमियाँ उजागर करते हैं। कहानी के "बड़े भाई साहब" इस थोपी हुई शिक्षा-पद्धति से सामंजस्य नहीं बिठा पाते। रात-दिन पढ़ने के बाद भी वे परीक्षा समय पर उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं। बड़े भाईसाहब न मानसिक रूप से दुर्बल हैं, न आलसी। उनमें व्यावहारिक बुद्धि की भी कमी नहीं है। जीवनानुभव वे व्यवस्थित ढंग से ग्रहण करते हैं। किंतु दुखद यह है कि उनके अनुभव, उनकी संवेदना, उनकी विश्लेषणक्षमता का आंकलन एक यांत्रिक पद्धति से होता है। जहाँ उनकी प्रतिभा का कोई महत्व नहीं। महत्त्व प्राप्त करने के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है और परीक्षा के विषय और विधि यांत्रिक ढंग से निश्चित हैं। बड़े भाई साहब ऐसी शिक्षा-पद्धति का औचित्य नहीं समझ पाते और प्रश्न करते हैं- "और आखिर इन बे-सर-पैर की बातों के पढ़ने से फायदा ? इस रेखा पर वह लम्ब गिरा दो, तो आधार लम्ब से दुगुना होगा। पूछिए, इससे प्रयोजन ? दुगुना नहीं, चौगुना हो जाए, या आधा ही रहे, मेरी बाला से; लेकिन परीक्षा में पास होना है, तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी।"<sup>5</sup>

शिक्षा-व्यवस्था में शिक्षण का महत्व कम और परीक्षण का महत्व ही प्रधान हो गया था। परीक्षा उत्तीर्ण करने का ही अर्थ था शिक्षित होना। ऐसी कोरी शिक्षा किसी काम की न थी। न ऐसी परीक्षा किसी प्रतिभा का सही आंकलन कर सकती थी, जो रटी-रटाई सामग्री का यांत्रिक परीक्षण करे। प्रेमचन्द यह मानते थे कि शिक्षा व्यावहारिक होनी चाहिए। जो वास्तविक जीवन में व्यक्ति का मार्गदर्शन कर सके। ऐसी विद्या जो केवल स्मृति-कोश में वृद्धि करे, उसका कोई औचित्य नहीं। प्रेमचन्द ने लिखा है- "बालक को प्रधानतः ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, कि वह जीवन में अपनी रक्षा आप कर सके।"<sup>6</sup> जबकि शिक्षा का ध्येय इसके विपरीत हो चला था। प्रेमचन्द केवल सूचना रट लेने को शिक्षा मानने के पक्षधर नहीं थे। जबकि तत्कालीन शिक्षा-तंत्र इसी पद्धति पर काम कर रहा था। कहानी में बड़े भाई साहब के शब्दों में

प्रेमचन्द इस आशय को व्यक्त करते हैं- “अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो।.....मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर-अक्षर रट डालें और इसी रटन्त का नाम शिक्षा रख छोड़ा है।”<sup>7</sup> प्रेमचंद रटाई को उचित नहीं मानते। वे व्यावहारिक ज्ञान और छात्रों के सर्वांगीण विकास के पक्षधर हैं। वे युनिवर्सिटी के संदर्भ में शिक्षा का ध्येय स्पष्ट करते हुए लिखते हैं- युनिवर्सिटी केवल ग्रेजुएट बनाने की मशीन नहीं है.....राष्ट्र अब युनिवर्सिटियों से ऊंचे आदर्श की आशा रखता है, जहाँ रटाई अपनी सीमा के अंदर रहे और छात्रों का चरित्र-निर्माण उनका ध्येय बने।<sup>8</sup> किन्तु यह चरित्र-निर्माण तभी संभव था जब विद्यालयी शिक्षा भी इसी आदर्श पर चले। केवल पुस्तकें पढ़ लेना, शिक्षित होना नहीं है। प्रेमचंद इसी पर जोर देते हैं। बड़े भाई साहब अपने माता-पिता और अपने हेडमास्टर साहब का उदाहरण देकर यह स्पष्ट करते हैं कि मात्र डिग्रियाँ जीवन-संघर्ष में काम नहीं आतीं, उसके लिए सिद्धान्त के साथ व्यावहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। अपने भाई को समझाते हुए भाई साहब कहते हैं- “समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्माँ ने कोई दरजा पास नहीं किया, और दादा भी शायद पांचवीं-छठी जमाअत के आगे नहीं गए; ..... अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, और आठवें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हों; लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं, जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। ..... हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले .....लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुम्ब का पालन किया है।”<sup>9</sup>

इसी प्रकार गणित पढ़ लेने मात्र अथवा अर्थशास्त्र की डिग्री ले लेने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति प्रबंधन में दक्ष ही हो जाएगा। बड़े भाई साहब इसी को समझाते हुए छोटे भाई से कहते हैं- “अपने हेड मास्टर साहब ही को देखो। एम. ए. हैं कि नहीं; और यहाँ के एम. ए. नहीं, ऑक्सफोर्ड के। एक हजार रुपये पाते हैं; लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है ? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गयी। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे। खर्च पूरा न पड़ता था। कर्जदार रहते थे। जबसे उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गयी है।”<sup>10</sup> इस प्रकार प्रेमचंद व्यावहारिक शिक्षा की उपयोगिता का समर्थन करते हैं।

जैसा कि पूर्व में हम पढ़ चुके कि अंग्रेजों का ध्येय कर्मचारी और वलर्क तैयार करना था। अतः उन्हें यह चिंता बिल्कुल नहीं थी कि छात्र द्वारा शिक्षित होने के क्रम में क्या ग्रहण और आत्मसात किया जा रहा है, उनका चरित्र-निर्माण हो रहा है अथवा नहीं। उनका लक्ष्य तो मात्र यह जाँचना था कि भारतीयों ने अंग्रेजों के हित की सूचनाएँ और पद्धतियाँ कंठस्थ कर ली या नहीं। प्रेमचंद इस स्थिति को हानिकारक मानते हैं। उनका मानना था कि मात्र परीक्षाओं में पास होने का लक्ष्य लेकर वास्तविक अर्थ में शिक्षित नहीं हुआ जा सकता। उससे जीवन-व्यवहार में दक्ष नहीं हुआ जा सकता। उससे आदर्शवान नहीं बना जा सकता। परीक्षाओं का अनावश्यक दबाव छात्र की ग्राहक क्षमता को प्रभावित कर, उसे कोरे, रटंत ज्ञान की ओर धकेलता है। प्रेमचन्द छात्र के रूप में एक व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। अपने समर्थन में वे मि. डी. एन. मुखर्जी के भाषण का उल्लेख करते हुए लिखते हैं-

“अभी तो यह हाल है, कि लड़कों की सारी मेहनत परीक्षाओं की ओर लगी रहती है। स्काउटिंग, कसरत, खेल-कूद, वाद-विवाद, क्ले माडलिंग आदि विषय जिनसे लड़कों का दैहिक और मानसिक विकास विशेष रूप से होता है, इन्तेहान की वेदी पर चढा दिए जाते हैं।”<sup>11</sup> प्रेमचंद भी यही मानते हैं कि शारीरिक विकास भी शिक्षा का अंग है, जिसमें खेलकूद का बड़ा स्थान है। इसी कारण प्रेमचंद कहानी में दर्शाते हैं कि छोटा भाई; जो खेलकूद में मगन रहता है; अपेक्षाकृत अधिक सरलता से वस्तुओं को आत्मसात करता है और अव्वल आता है, जबकि बड़े भाई साहब व्यवस्था से संतुष्ट न होने के बाद भी उसी को ढोते हैं और चीजों को आत्मसात न कर पाने के कारण अनुत्तीर्ण होते जाते हैं। तत्कालीन शिक्षा-व्यवस्था में न केवल यह अपूर्णता थी वरन् एक अन्य बड़ी कमी थी- शिक्षा का माध्यम। ब्रिटिश सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से भारतीय भाषाओं की; शिक्षा-माध्यम के रूप में; अनदेखी की थी। उनका तर्क था कि भारतीय भाषाएँ अभी इतनी समृद्ध नहीं हैं और वे आधुनिक शिक्षा के लिए उपयोगी नहीं हैं। अतः अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम रहेगी। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिए जाने से समस्या यह हुई थी कि विदेशी भाषा होने के कारण विद्यार्थी के कई वर्ष तो भाषिक दक्षता प्राप्त करने में चले जाते थे। तब कहीं जाकर विषय का अध्ययन शुरू होता था। प्रेमचंद ने इस ओर ध्यान देते हुए लिखा है - “एक तो अंग्रेजी भाषा, उस पर परीक्षाओं का यह आतंक। इन दोनों चक्की के पाटों के बीच में छात्रों का सर्वनाश हुआ जा रहा है।”<sup>12</sup> बड़े भाई साहब भी परीक्षाओं के आतंक से तो भयभीत रहते ही हैं, अंग्रेजी भी उनके लिए बड़ी चुनौती है। वे अपने छोटे भाई को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए कहते हैं- “अंग्रेजी पढ़ना कोई हँसी-खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले; नहीं ऐरा-गैरा नत्थु-खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात-दिन आँखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं विद्या आती है और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है।”<sup>13</sup> बड़े भाई साहब के इन शब्दों में प्रेमचन्द ने आम भारतीय के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्या का खाका खींच दिया है।

इस शिक्षा-व्यवस्था में न केवल भारतीय छात्रों पर अंग्रेजी थोपी गयी थी वरन् ऐसी बहुत-सी चीजें पढ़ने को छात्र बाध्य थे, जिनका उनके जीवन में कोई उपयोग नहीं था। यथा भारत का किशोर मजबूरन इंगलिस्तान का इतिहास पढ़ने को बाध्य था। उसकी परीक्षा उसके अपने देश और समाज के ज्ञान पर नहीं होती थी, जिसका वह अंग था, जिस इतिहास का परिचय वह लोक-कथाओं में पहले ही पा लेता था वरन् विदेशी इतिहास की जानकारी उसे कंठस्थ हो ऐसी अपेक्षा उससे की जाती थी। जबकि अपनी जाति और समाज के इतिहास को वह सरलता से आत्मसात कर सकता था। किन्तु इन बातों का महत्व इस दोषपूर्ण व्यवस्था में नहीं था। कहानी में बड़े भाई साहब इस चुनौती को स्पष्ट करते हैं- “बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। आठ-आठ हेनरी हो गुजरे हैं। कौन-सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो ? हेनरी सातवें की जगह हेनरी आठवाँ लिखा और सब नंबर गायब ! सफाचट- सिफर भी न मिलेगा, सिफर भी ! हो किस खयाल में। दरजनों तो जेम्स हुए हैं, दरजनों विलियम, कौडियों चार्ल्स ! दिमाग चक्कर खाने लगता है।”<sup>14</sup>

इस प्रकार प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से तत्कालीन शिक्षा-व्यवस्था की न्यूनताओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हुए शिक्षा-व्यवस्था में अपेक्षित सुधार पर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है। यह खेद का विषय है कि आज इतना समय बीत जाने के बाद और स्वशासन प्राप्त कर लेने के बाद भी हमारा ध्यान शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त इस असंगति और

न्यूनता की ओर नहीं गया है। भारत में शिक्षा की भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के प्रयास अधिक नहीं हुए हैं। हम अभी तक इस क्षेत्र में दासता की मानसिकता से मुक्ति नहीं पा सके हैं। आदर्श समाज की स्थापना के लिए आदर्श युवा शक्ति की आवश्यकता है और युवाओं में मूल्यों और आदर्शों का संचार उचित शिक्षा से ही संभव है। आशा की जानी चाहिए कि ऐसे में प्रेमचंद के विचार और उनका साहित्य इस दिशा में मार्गदर्शन का कार्य करेगा।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रेमचन्द - प्रेमचन्द के विचार भाग-2 पृष्ठ 192 प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली 2003
2. वही, पृष्ठ 216
3. विपिन चन्द्र - आधुनिक भारत का इतिहास पृष्ठ 112-113 ओरिएंट ब्लैक स्वान प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद पु. मु. 2018
4. प्रेमचन्द - प्रेमचन्द के विचार भाग-2 पृष्ठ 192 प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली 2003
5. प्रेमचन्द - बड़े भाई साहब (प्रेमचन्द की सम्पूर्ण कहानियाँ भाग-1)
6. प्रेमचन्द - प्रेमचन्द के विचार भाग-2 पृष्ठ 179 प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली 2003
7. प्रेमचन्द - बड़े भाई साहब (प्रेमचन्द की सम्पूर्ण कहानियाँ भाग-1) पृष्ठ 53-54 सुमित्र प्रकाशन इलाहाबाद 2007
8. प्रेमचन्द - प्रेमचन्द के विचार भाग-2 पृष्ठ 205 प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली 2003
9. प्रेमचन्द - बड़े भाई साहब (प्रेमचन्द की सम्पूर्ण कहानियाँ भाग-1) पृष्ठ 56 सुमित्र प्रकाशन इलाहाबाद 2007
10. वही, पृष्ठ 56
11. प्रेमचन्द - प्रेमचन्द के विचार भाग-2 पृष्ठ 206 प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली 2003
12. प्रेमचन्द - प्रेमचन्द के विचार भाग-2 पृष्ठ 207 प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली 2003
13. प्रेमचन्द - बड़े भाई साहब (प्रेमचन्द की सम्पूर्ण कहानियाँ भाग-1) पृष्ठ 51 सुमित्र प्रकाशन इलाहाबाद 2007
14. वही, पृष्ठ 53.

\*\*\*\*\*

## जयशंकर प्रसाद के नाटकों में गुप्तकालीन सामाजिक जीवन

डॉ. संदीप कुमार श्रीवास्तव \*

**प्रस्तावना** - जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों स्कन्दगुप्त, ध्रुवस्वामिनी तथा राजश्री में गुप्तकालीन अभिजात्य वर्ग के सामाजिक जीवन अर्थात् उनका समाज में स्थान, उनका वैवाहिक जीवन, खान-पान, वेशभूषा, मनोरंजन के साधन पर समुचित रूप से प्रकाश डाला है।

**वर्ण व्यवस्था व अभिजात्य वर्ग** - ब्राह्मण- प्रसाद के नाटकों से ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में ब्राह्मणों का विशेष महत्व था। धातुसेन ब्राह्मण से कहता है, - ब्राह्मण क्यों महान है ? इसलिए की वे त्याग और क्षमा की मूर्ति है। किसी के बल पर बड़े-बड़े सम्राट उनके आश्रमों के निकट निशस्त्र होकर जाते थे और वे तपस्वी, ऋत और अमृत वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए प्रातः सायं अग्निशाला में भगवान से प्रार्थना करते थे। आप लोग उन्हीं ब्राह्मणों की सन्तान हैं जो समयानुकूल धर्म परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, क्योंकि मानव बुद्धि ज्ञान का जो हमें वेदों से मिला है- विस्तार करेगी, उसके साथ बढ़ेगी और यही धर्म की श्रेष्ठता है। ब्राह्मण शास्त्रार्थ में निपुण थे। ब्राह्मण को गीता का ज्ञान भी था और तर्कशास्त्र भी वह जानता था। ध्रुवस्वामिनी नाटक में ब्राह्मण को धर्म का न्यायक, धर्मशास्त्र का मुख, देव, ब्राह्मदेव, सत्यवादी ब्राह्मण कहा गया है।

**क्षत्रिय एवं उनके कर्तव्य**- मनुस्मृति के अनुसार 'प्रजा का रक्षण' क्षत्रिय का परम धर्म है। गुप्तकाल में भी क्षत्रियों का मुख्य धर्म प्रजा का रक्षण ही था इस बात का ज्ञान इतिहास व तत्कालीन साहित्य से हो जाता है। प्रसाद ने भी अपने नाटकों में यही दर्शाया स्कन्दगुप्त में वृद्धसेनापति पर्णदत्त युवराज स्कन्दगुप्त को कहता है, ' अब भी गुप्त साम्राज्य की नसीर सेना में उसी गरुणध्वज की छाया में पवित्र छात्र धर्म का पालन करते हुए उसी के मान के लिए मर मिटूँ यहीं कामना है। गुप्तकुलभूषण! आशीर्वाद दीजिए, वृद्ध पर्णदत्त की माता का स्तन्य लज्जित न हो। प्रजा रक्षण हेतु व साम्राज्य की शान हेतु वह मर मिटने को तैयार है। स्वयं सम्राट भी प्रजा रक्षण हेतु तैयार रहते थे। शरण में आए हुए की रक्षा करना उनका परम धर्म था। पर्णदत्त जब स्कन्दगुप्त को कहता है कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें तो वह कहता है कि 'आपके होते हुए मुझे भला यह सब विचारने की क्या आवश्यकता है और अधिकारों का प्रयोग करूँ किसलिए ? तो पर्णदत्त कहता है- किसलिए ? त्रस्त प्रजा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता, ब्राह्मण, गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आप को अपने अधिकारों का प्रयोग करना होगा।' इस कथन में भी स्पष्टतः क्षत्रिय धर्म ही निहित है।

**वैश्य और शूद्र** - वैश्य और शूद्र से सम्बन्धित बहुत कम उल्लेख प्रसाद के नाटकों में मिलते हैं। वैश्य धन-धान्य से सम्पन्न होते थे स्कन्दगुप्त में विजया मालव के धनकुवेर की कन्या है। उसे श्रेष्ठि कन्या कहा जाता है। उसके पास

प्रभूत धन है। वह स्कन्दगुप्त से कहती है, 'मेरे पास अभी दो रत्नगृह छिपे हैं, जिनसे सेना एकत्र करके तुम सहज ही उन हूणों को परास्त कर सकते हो।' किन्तु स्कन्दगुप्त उनके धन को लेने से इन्कार कर देते और उसे धिक्कार देते हैं।

शूद्र के विषय में एक स्थान पर वर्णन मिलता है। मुद्गल सभी वर्णों की मुक्ति के बारे में व्यंग्यात्मक ढंग से कहता है- अरे ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मरने में, बनियों की दिवालियों की चोट से गिर जाने में और शूद्रों की हम तीनों की ठोकड़ों से मुक्ति ही मुक्ति। इस कथन से प्रतीत होता है कि समाज में शूद्रों का निम्न स्थान था और सभी वर्गों की सेवा करना उनका धर्म था।

**अभिजात्य वर्ग का वैवाहिक जीवन** -

**राक्षस विवाह** - स्मृति ग्रन्थों में राक्षस विवाह की व्यवस्था प्रायः क्षत्रियों के लिए हुई। इस विवाह में कन्या और उसके माता- पिता की अनिच्छा होती है। पतिपक्ष कन्या के सहायकों को डरा-धमकाकर अथवा मारकर बलपूर्वक कन्या का हरण करता है और फिर अग्नि की साक्षी में मंत्र-उच्चारण करके पुरुष उस कन्या का पाणिग्रहण करता है। प्रसाद ने ध्रुवस्वामिनी में एक स्थान पर राक्षस विवाह का वर्णन किया है। स्वयं ध्रुवस्वामिनी पुरोहित से कहती है- पुरोहित! तुमने जो मेरा राक्षस-विवाह कराया है, उसका उत्सव भी कितना सुन्दर है। यह जन संहार देखो, अभी उस प्रकोष्ठ में रक्त से सनी हुई सकराज की लोथ पड़ी होगी। कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे, और इस रक्त धारा में तिरती हुई मैं राक्षसी-सी साँस ले रही हूँ। नाटक से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त की ध्रुवस्वामिनी वाग्दत्ता पत्नी थी। इस प्रकार किसी की वाग्दत्ता पत्नी से छल पूर्वक विवाह करना राक्षस कर्म ही समझा जाएगा।

**अनमेल विवाह** - प्रसाद के नाटक स्कन्दगुप्त से प्रतीत होता है कि उस समय अनमेल विवाह भी अभिजात्य वर्ग में हो जाया करते थे। कुमारगुप्त और अनन्तदेवी का विवाह अनमेल ही प्रतीत होता है। कुमार गुप्त तो वृद्धावस्था को पहुँच गया किन्तु अनन्तदेवी किशोरी ही लगती है। प्रसाद जी ने यह भी दिखाना चाहा है कि अनमेल विवाह में जब पति वृद्धावस्था में हो तो युवती स्त्री प्रायः उस पर हावी हो जाया करती।

**वाग्दान** - मनुस्मृति में वाग्दान का उल्लेख मिलता है मनुस्मृति के अनुसार, 'वाग्दत्ता के अपने देवर से विवाह का विधान है किन्तु जिसके लिए वाग्दान हुआ है, उसकी मृत्यु हो जाने के उपरान्त ही यह संभव है।' प्रसाद के नाटक ध्रुवस्वामिनी में वाग्दान का उल्लेख मिलता है। ध्रुवस्वामिनी चन्द्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी थी चन्द्रगुप्त के कथन- 'मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं रही।' से प्रतीत होता है कि रामगुप्त ने न सिर्फ चन्द्रगुप्त को राज्याधिकार से वंचित किया अपितु छल-कपट से उसकी वाग्दत्ता से विवाह



भी कर लिया।

**कन्योपायन दान** - गुप्तकालीन अभिजात्य वर्ग में कन्योपायन दान के रूप में विवाह सम्बन्ध स्थापित होते थे, प्रसाद के नाटक ध्रुवस्वामिनी से प्रतीत होता है। प्रसाद जी ने नाटक की सूचना में ध्रुवस्वामिनी का गुप्तकुल में आने का कारण कन्योपायन दान माना है। गुप्तकाल से पहले भी ऐसे वर्णन मिलते हैं, विजयी राजाओं से मधुर सम्बन्ध बनाने अथवा उनके दबाव के कारण विजित राजाओं से अपनी कन्या या बहिन का विवाह किया, इस प्रकार के अनेक उदाहरण प्राचीन साहित्य में मिलते हैं।

**अभिजात्य वर्ग में व्याप्त बहु विवाह प्रथा** - गुप्तयुग में अभिजात्य वर्ग में बहुविवाह प्रथा थी। राजाओं में बहु विवाह संभवतः राजनीतिक कारणों या विलास साधना के कारण होते थे। स्कन्दगुप्त में कुमार गुप्त सम्राट की दो रानियां हैं- देवकी तथा अनन्त देवी। दोनों के विवाह विधिवत् सम्पन्न हुए ही प्रतीत होते हैं। राजश्री में देवगुप्त की सुरमा के प्रति आसक्ति से उसके विवाह की कल्पना से देवगुप्त के बहु-विवाह का अनुमान लगाया जा सकता है।

**तलाक की समस्या** - अभिजात्य वर्ग में तलाक की समस्या को प्रसाद ने ध्रुवस्वामिनी में उठाया है। उन्होंने तलाक के लिए मोक्ष शब्द को लिया है प्रसाद ने ध्रुवस्वामिनी में विश्वास एवं सहयोग के अभाव में विवाह में मोक्ष को जरूरी माना है। दोनों की वतालाप में पुरोहित कहता है- विवाह की विधि ने देवी ध्रुवस्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता माता-पिता के प्रमाण के कारण से धर्म-विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते परन्तु यह सम्बन्ध उन प्रमाणों से भी विहीन है और भी यह रामगुप्त मृत और प्रवृजित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजकिल्बिशी क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुवस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुवस्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है।

**विधवा विवाह**- गुप्तकालीन अभिजात्य वर्ग में विधवा विवाह का प्रचलन था चन्द्रगुप्त ने अपने बड़े भ्राई रामगुप्त की पत्नी से विवाह किया था, यह ऐतिहासिक सत्य है। अर्थात् उस युग में अभिजात्य व्यक्ति विधवा विवाह को मानते थे।

**अभिजात्य वर्ग की नारी की स्थिति** - गुप्तकालीन अभिजात्य वर्ग की नारियां सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत होती थी। प्रसाद के नाटकों में ऐसी ही कुलीन नारियों का चित्रण हुआ है। देवसेना का संगीत प्रियता व दक्षता से उसकी संगीत शिक्षा का पता चलता है आचार्य मिहिरदेव की बेटी तुल्य कोमा भी सुशिक्षित है, शकराज के कथन से प्रतीत होता है। स्वयं कोमा अपनी शिक्षा का परिचय देती हुई कहती है, वे मेरे पिता तुल्य है, उन्हीं की शिक्षा में पली हूँ। से उसके शिक्षित होने का पता चलता है। इसके अतिरिक्त अभिजात्य स्त्रियां शस्त्र-अस्त्रादि विधा में भी निपुण होती थी।

अनन्तदेवी के माध्यम से प्रसाद ने कुलीन स्त्रियों की महत्वाकांक्षा को प्रकट किया है। उच्च महत्वाकांक्षा के कारण ही संभवतः अनन्तदेवी ने कुमारगुप्त से विवाह किया। वह महादेवी से द्वेष रखती हुई उसके पुत्र को राज्याधिकार से वंचित करने और अपने पुत्र के प्रति स्नेह के कारण उसे (पुरगुप्त) को राज्याधिकार बनाने के लिए आरम्भ से ही महत्वांक्षणी रही है। इसी उच्च महत्वाकांक्षा के कारण न सिर्फ उसने स्कन्दगुप्त, देवकी के प्रति अनाचार भाव दिखलाया अपितु कुमारगुप्त की रहस्यमयी मृत्यु में भी उसका हाथ प्रतीत होता है।

गुप्तकालीन अभिजात्य नारी अपने अधिकारों के प्रति सचेत थी इसका कारण उनका सुशिक्षित होना ही था। ध्रुवस्वामिनी पर चाहें अनेकों अत्याचार हुए किन्तु फिर भी वह नाटक में मुक्ति के लिए जागृत दिखाई देती है। जब रामगुप्त उसे शकराज के पास भेजने की बात करता है तब वह अपने अधिकार की बात करती हुई कहती है, 'मैं केवल यहीं कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु सम्पत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते।' से पता चलता है कि गुप्तकालीन अभिजात्य नारी अपने अधिकारों के प्रति सचेत थी।

अभिजात्य वर्ग का खान-पान- प्रसाद के नाटकों में अभिजात्य वर्ग के खान-पान सम्बन्धी कम ही जानकारी उपलब्ध है। खाद्य पदार्थों के अन्तर्गत स्कन्दगुप्त व ध्रुवस्वामिनी में लड्डू, मधु, अखरोट, मांस, दाख की जानकारी मिलती है उससे अभिजात्य वर्ग की खाद्य-वृत्ति पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। खाना बनाने के लिए स्कन्दगुप्त में पाकशाला का प्रयोग किया गया है। पेय पदार्थों में अभिजात्य वर्ग मदिरा का अधिक प्रयोग करता था रामगुप्त को तो मदिरा का व्यसन बताया गया है। वह विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मुक्त रहता था। राजश्री में देवगुप्त एक मालिन के प्रति आसक्ति रखता है और उसे शराब पिलाने को कहता है। आज सुरमा अच्छी तरह पिला दो।

**अभिजात्य वर्ग की वेशभूषा** - प्रसाद के नाटकों में वस्त्राभूषण से सम्बन्धित बहुत ही कम उल्लेख है। पुरुषों की वेशभूषा के अन्तर्गत अभिजात्य वर्ग के उत्तरीय व रसना नामक वस्त्र का उल्लेख ध्रुवस्वामिनी में मिलता है। रामगुप्त कुंज में से अपना उत्तरीय संभालता हुआ निकलता है। एक अन्य जगह ध्रुवस्वामिनी द्वारा चन्द्रगुप्त के उत्तरीय के खींचने का उल्लेख मिलता है। स्त्रियां भी उत्तरीय धारण करती थीं। ध्रुवस्वामिनी के स्वर्ण खचित उत्तरीय में सब अंग छिपाए हुए आने का वर्णन मिलता है। अभिजात्य स्त्रियां रसना में कृपाण रखती थीं। गुप्त युग में चमर का भी प्रचलन था। प्रसाद के नाटकों में चमर का उल्लेख मिलता है। आभूषणों में स्कन्दगुप्त में नूपुरों की झंकार का एक जगह उल्लेख हुआ है जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अभिजात्य स्त्रियां नूपुर पैरो में पहनती होगी। गुप्तकाल में स्त्रियां अपने बालों को सुगन्धित करने के लिए गंधचूर्ण को जलवाती थीं।

**अभिजात्य वर्ग के मनोरंजन के साधन** - प्रसाद ने ध्रुवस्वामिनी में शकराज की विजय के उत्सव के मनाए जाने का उल्लेख किया है। जब शकराज को समाचार मिला कि रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी सामन्तों की स्त्रियां व अन्य सब मांगे हुए उपहार देने का निश्चय कर लिया है तो वह खिंंगल से इस विजय उत्सव मनाने के लिए कहता है, तो फिर सोने की झाँझवाली नाँच का प्रबन्ध करो, इस विजय का उत्सव मनाया जाय। मेरे सामन्तों को शीघ्र बुला लाओ इस विजय उत्सव में नृत्य का मजा लेने के साथ शकराज व सामन्त मदिरा पान करते हैं।

राज्यश्री में राज्यवर्धन ब्रह्मवर्मा के खिन्न मन को प्रसन्न करने लिए जब संगीत की बात करता है तो ब्रह्मवर्मा कहता है नहीं प्रिये, क्षत्रियों का विनोद तो मृगया है। इच्छा होती है कि सीमा प्रान्त के जंगल में कुछ दिनों तक मन बहलाऊँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी प्राचीन काल में कुवड़े, बीनें, नपुंसक, गूँगे, और बहरे आदमियों को राजाओं और दरबारियों के मनोरंजन के साधन सिद्ध किए हैं। प्रसाद ने ध्रुवस्वामिनी में रामगुप्त के अन्तःपुर में कुवड़े, बीनें और हिजड़े सम्राट के मनोरंजनार्थ रखे प्रतीत होते हैं।

अभिजात्य वर्ग में किसी विजय के अवसर पर खिन्न मन को प्रसन्न करने के लिए संगीत, नृत्य, आदि मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। कुमारगुप्त तो चक्रपाणि भगवान की पूजा की अवहेलना करके पारसीक नर्तकियों का नृत्य देखना चाहता है और सामूहिक रूप से मदिरा पान करना चाहता है। राज्यश्री में भी संगीत के मनोरंजनार्थ होने का संकेत मिलता है। राज्यवर्धन ग्रहवर्मा को कहता है, व्यर्थ चिन्ता! हृदय को प्रसन्न कीजिए। सम्भव है कि संगीत में मन लग जाए। बुलाऊँ गानेवालियों को। गुप्त सम्राट तो संगीत प्रेमी थे, यह सर्वथा सत्य है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्कन्दगुप्त ।
2. ध्रुवस्वामिनी ।
3. राज्यश्री ।
4. मनुस्मृति ।
5. सुरेन्द्रनाथ सिंह-प्रसाद के काव्य और नाटक ।
6. हजारी प्रसाद द्विवेदी-प्राचीन भारत में कला-विलास ।

\*\*\*\*\*

## समकालीन कहानियों में यथार्थवाद के बहुआयामी स्वरूप

संगीता बघेल \* डॉ. ज्योति सिंह \*\*

**प्रस्तावना** – डॉ. शिवकुमार मिश्र ने अठारहवीं सदी से यथार्थ की अवधारणा प्रस्तुत की हैं, 'दर्शन की मूलधारा' में विषय-चिंतन में कहते हैं कि- 'ज्ञान के विषयों में यथार्थता अथवा वास्तविकता को स्वतंत्र रखा जाए, अर्थात् 'ज्ञेय' पदार्थों की सत्ता ज्ञाता से स्वतंत्र है।'

य'हम यथार्थ को एक पद्धति (मैथड) के रूप में न लेकर एक दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित करना चाहेंगे, तो पाएंगे कि अमूर्त कला या वैसी कुछ चीजों को छोड़कर वस्तुतः सारी कला यथार्थ कला है।'

सन् 1830 की पुनः फ्रांस की क्रांति के पश्चात् साहित्य और कला की दृष्टि से स्वच्छन्दतावादी आंदोलन की तरह यथार्थवादी आंदोलन का उदय हुआ, जो दीर्घकाल तक चला।

यथार्थवाद मूलतः दर्शन के क्षेत्र का शब्द है, जिसे साहित्य और कला के क्षेत्र में अपनाया गया है। दर्शनशास्त्र के रूप में प्रस्तुत करने वाले प्रथम दार्शनिक प्लेटो थे। 19 वीं सदी में कला और साहित्य के क्षेत्र में 'यथार्थवाद' एक आंदोलन के रूप में उभरा।

इस यथार्थवादी विचारधारा के मूल में दार्शनिक सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक आदि अनेक विचारधाराओं का योगदान रहा।

यथार्थवाद सत्य को उजागर करने वाली कला है और वह इसे ईमानदारी तथा संपूर्ण वस्तुपरकता के साथ प्रस्तुत करती है।

यथार्थवाद एक सीमा से आगे साहित्य को समाज का दर्पण मानने वाली जैसी विचारधारा का भी विरोध करता है, क्योंकि दर्पण वस्तुओं का मात्र हूबहू प्रतिबिंब होता है, जबकि कलाकृति जीवन की पुनर्रचना होती है, जो कुछ भी हम बाहर देखते हैं अथवा अनुभव करते हैं, वह रूप बनकर ही हमारे मन में स्थान पाता है।

'यथार्थवाद' निश्चित रूप से सत्य के प्रति आग्रह रखता है। वास्तविकता का सत्य चित्रण उसकी आधारभूत विशेषता है, किन्तु वास्तविकता को हूबहू कागज पर उतारना, यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि वास्तविकता इतनी विराट और अनन्त रूपात्मक है कि उसे उसी रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता। यथार्थवाद के महान सृष्टाओं का कृतित्व भी उस कथन को पुष्ट करता है कि यथार्थवादी रचनाकार कोरी यथार्थ सभ्यता पर विश्वास नहीं रखता।

सच्चे यथार्थवादी रचनाकार की दृष्टि वस्तुओं, स्थितियों, घटनाओं और पात्रों को उनके विकासशील रूप में देखती और प्रस्तुत करती है। बदली हुई परिस्थितियों में बदलते हुए मनुष्य का चित्रण ही यथार्थवादी रचनाकार का सही लक्ष्य है।'

सन् 1950 ई. के आसपास 'नयी कहानी' ने नये मूल्यों, नये जीवन-

बोध, नये शिल्प और नये अनुभव-संसार की प्रमाणिक अभिव्यक्ति करने का संकल्प लेकर जो कदम बढ़ाया था, वह सन् 1960 तक आते-आते भटक गया, यह कहानी आंदोलन अपनी रुढ़ियों में फँसकर निस्तेज हो गया।

डॉ. नरेन्द्र मोहन के अनुसार- 'समकालीनता का अर्थ किसी कालखण्ड या दौर में व्याप्त स्थितियों और समस्याओं का चित्रण भर नहीं है, बल्कि उन्हें ऐतिहासिक अर्थ में समझना, उसके मूल स्रोत तक पहुँचना और निर्णय ले सकने का विवेक अर्जित करना है। समकालीनता तात्कालिकता नहीं।' 10

डॉ. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 'समकाल' और समकालीनता की व्याख्या करते हुए कहते हैं- इसे उलट कर कहे तो कहेंगे कि मनुष्य की वास्तविक स्थिति देखकर उसे अंकित-चित्रित करके ही हम 'समकालीनता' की अवधारणा को समझ सकते हैं।'

अतः जब साहित्यकार मानव जीवन एवं समाज का संपूर्ण तथा वास्तविक चित्र उपस्थित करता है और अपने साहित्य का विषय वायवी जगत् से न चुनकर वास्तविक जगत् से चुनता है, तो वह समकालीन यथार्थ कहलाता है। यथार्थवादी साहित्यकार उन घटनाओं एवं पात्रों को प्रयुक्त करता है, जो वास्तविक जगत् की प्रतिच्छाया हो। जीवन के यथावत् चित्रण से तात्पर्य मात्र दोषों के चित्रण से नहीं है, बल्कि दोष और गुण दोनों को सही रूप में प्रस्तुत करना है।

सन् 1960 के बाद हिन्दी कहानी में विभिन्न आंदोलनों का दौर आया फिर भी यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि कहानीकारों ने यथार्थ को निर्मम रूप से स्वीकार किया। उनके चिंतन में अनुभव की प्रमाणिकता है। यथार्थ की कोई भी स्थिति तभी श्रेष्ठ कहानी बन सकती जब उसने उस स्थिति को लाने वाले कारणों की ओर इशारा करते हुए सोचने की प्रक्रिया का अंग बना दिया। वस्तुतः आज कहानीकार कहानी को जीता है और उस जीवन को कहानी में लाकर काल और परिवेश से जोड़ता है। यथार्थ के अनुभवों के माध्यम से साहित्यकार अपने को समाज से जोड़ता है। इस रूप में व्यक्ति और समाज की गहरी संपृक्ति है।

समकालीन यथार्थ के रूप में इस अध्याय में मात्र समकालीन कहानियों के संबंध में ही विवेचन अपेक्षित है। सन् 1965 से 2000 तक का कहानी आंदोलन समकालीन कहानी के क्षेत्र में आता है। समकालीन कथाकार द्वारा यथार्थ को नयी दृष्टि से देखने से आज की कहानी में जीवन की विविध समस्याएँ अपनी पूरी गहराई और विस्तार में अंकित हुई हैं।

कृष्ण बलदेव वैद ने मध्यमवर्गीय संबंधों की जटिलता का ताना-बाना बहुत अच्छी तरह से बुना है। 'दरार भरने की दरार', 'रेत की दीवार'

\* शोधार्थी (हिन्दी) प.म.ब. गुजराती महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र) भारत

\*\* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) प.म.ब. गुजराती महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र) भारत

आदि कहानियों में मध्यमवर्गीय परिवार की तकलीफ, पीड़ा व विवशता को प्रकट किया गया है।

दिवाकर की 'मृतजीवी' में अभावग्रस्त परिवार की घुटनभरी जिंदगी का मार्मिक अंकन किया गया है।

सूर्यबाला की अधिकतर कहानियाँ जीवन में द्वंद्व की मानसिकता से सम्बद्ध हैं। इस संदर्भ में राजेन्द्र यादव की 'टूटना', सूर्यबाला की 'रेस', महीपरसिंह की 'बेसूद' उल्लेखनीय है।

परिवार के बीच आदमी का बढ़ता अकेलापन एक गंभीर विषय है। अकेलेपन से भय, असुरक्षा और संत्रास बढ़ा है। पीढ़ियों का अंतराल पारिवारिक जीवन की मुख्य समस्या रही है। यह अंतराल कहानी में मुख्य रूप से आजीविका, विवाह, यौन संबंध, जीवन शैली भिन्नता, वैचारिकता वैषम्य, परस्पर असहिष्णुता और समायोजन के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। इस काल की अनेक कहानियों में जीवन के अन्तर्विरोधों, तनावों और विरोधाभासों का अंकन किया गया है।

'अधूरे ताजमहल' में आधुनिक पारिवारिक संबंधों में पति-पत्नी, माँ-बाप और बेटी आदि में आ रहे बदलाव का कहानी में अंकन किया है।

'तूफान' में पिता-पुत्री के संबंध में आधुनिक स्त्री की अस्मिता का उत्तम चित्रण है। 'त्रिशंकु' में लड़कियों के लड़कों से संबंध को लेकर समाज में व्याप्त अंतर्विरोधों पर गहरा व्यंग्य किया गया है। 'आते-जाते यायावर', 'नायक', 'खलनायक', 'विदूषक' में आधुनिक स्त्री-पुरुषों की मानसिकता, सोच, जीवन मूल्यों, पति-पत्नी के संबंधों और स्टेटस तथा रुचि की भिन्नता के कारण संबंधों में असमंजस आदि का अंकन किया गया है।

मानवीय सम्बन्धों में संवेदनहीनता के चित्रण

रामदरश मिश्र की 'अधूरी कहानी' में एक भाग्यहीन ग्रामीण स्त्री की कथा है, जो सामाजिक-पारिवारिक परिस्थितियों और परम्परागत नारी संहिता की चक्की में पिस जाती है और उसमें शव बनकर ही त्राण पाती है।

गोविन्द मिश्र की 'गिद्ध' कहानी में माता-पिता द्वारा नौकरीपेशा कुंवारी लड़की के शोषण का चित्रण किया गया है। पिता को लड़की के भविष्य की कोई चिन्ता नहीं है। वह उसके विवाह में अड़गा डालता है और उसकी कमाई पर जीता है।

स्त्री विमर्श के संदर्भ में पुरुष और स्त्री के संबंधों में विघटन की स्थितियाँ तथा रागात्मक संबंधों में हासमान स्थितियों का चित्रण सन् 1971 के दशक तक स्त्रियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में पहले की तुलना में बदलाव आया था, पर वह पर्याप्त नहीं था।

राजी सेठ की कहानी 'तीसरी हथेली' में एक विवाहित युवक और उसकी अविवाहित प्रेमिका के प्रेम संबंध का उसमें आते हुए ठंडेपन का अंकन किया गया है।

मृदुला गर्ग की 'वितृष्णा', 'बाहरी जन', 'मिजाज', 'वह मैं ही थी', 'रेशम' और 'तीन किलो की छोरी' मुख्य रूप से स्त्री विमर्श की कहानियाँ हैं। नासिरा शर्मा की कहानी 'पत्थर की गली' मुस्लिम सामन्ती परिवेश में एक लड़की के कुर्बान हो जाने की कहानी है। कहानी की पात्र फरीदा पारिवारिक शोषण का शिकार होती है।

राजी सेठ की 'ढलान पर', 'उसी जंगल में', 'सदियों से' आदि कहानियों में समकालीन स्त्री की नियति का चित्रण किया गया है। 'ढलान पर' में प्रेम विवाह होने पर भी पति-पत्नी के संबंधों में उपजी फाँक का अंकन किया गया है। 'उसी जंगल में' एक ऐसी स्त्री की नियति का चित्रण किया गया है, जिसका पति आतताई और चरित्रहीन है।

चित्रा मुद्गल की 'केंचुआ' मुम्बई में हाशिए रहने वाले वर्ग से सम्बन्धित कहानी में लेखिका ने इस वर्ग के रहन-सहन, तंगहाली के जीवन का चित्रण किया है। 'मामला आगे बढ़ेगा' में भी घरेलू नौकर और अभिजात वर्ग के दाम्पत्य जीवन के विरोधाभासों का चित्रण किया है। नौकर का स्वाभिमान और अन्याय करने वाले मालिक के प्रति प्रतिशोध ही है।

चित्रा मुद्गल ने 1981-90 के बीच हाशिये पर जीने वाले बम्बई के झुग्गी झोपड़ी में अत्यंत दरिद्रता में कष्ट झेलते हुए लोगों का मार्मिक चित्रण किया है। 'भूख' बम्बई की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली नितान्त गरीब लोगों की कहानी है, जो भूख की पीड़ा न बर्दाश्त न कर पाने पर अपने दूध पीते शिशु को भिखारियों को किराये पर दिया करते हैं। चित्रा मुद्गल ने बहुत प्रभावी रूप में इस कहानी के विषय को चित्रित किया है।

मन्नू भण्डारी की कहानी 'रैत की दीवार', मध्यमवर्गीय परिवार की धीरे-धीरे रिसती तकलीफ, पीड़ा, विवशता व सोच की अच्छी कहानी है। 'आकाश के आईने में एक ग्रामीण परिवार की घुटन भरी जिंदगी, आर्थिक तंगी और पुरानी पीढ़ी की रुढ़ मान्यताओं के कारण नयी पीढ़ी की घुटन व विद्रोह का अंकन किया गया है। 'शायद' में एक निम्न-मध्यमवर्गीय परिवार की आर्थिक तंगी और विवशता से उपजी मानसिकता का चित्रण किया गया है।

वस्तुतः घर से बाहर काम करने वाली नारी को दोहरा बोझ उठाना पड़ता है। कुन्ती जैसी कितनी ही नारियाँ अपना जीवन पिता की गृहस्थी संभालते हुए बिता देती हैं।

सूर्यबाला की सन् 1990-2000 दशक की कहानियों में घरेलू नौकरों के चित्रण पर्याप्त मिलते हैं। 'सीखचों के आर पार' में औरत के, चाहे वह घर संभालती हो या बाहर जाकर काम करती हो, विवशता से भरे जीवन का चित्रण किया गया है। दोनों ही स्थितियों में उसे पुरुषवादी मानसिकता का शिकार होना पड़ता है। पुरुष सत्ता प्रधान समाज में स्त्री की नियति विवशता की है, उसे हर जगह पुरुष दृष्टि के नीचे सुबकना ही पड़ता है। वह सीखचों के बाहर हो या भीतर कोई फक नहीं पड़ता।

**विस्थापन की पीड़ा के चित्रण** - विभाजन की त्रासदी, जिसमें भारी मात्रा में हिंसा, लूट, बलात्कार सब कुछ हुआ। हजारों लोगों को अपनी जमीन और जायदाद से वंचित होना पड़ा। इस विभाजन के भयानक जखम आज भी रह-रह कर टीस उठते हैं। विभाजन की त्रासदी कश्मीर समस्या और आतंकवाद की समस्या के रूप में आज तक बरकरार हैं।

विभाजन से संबंधित कहानियों में समाज और व्यक्ति के जीवन में सांस्कृतिक परिवर्तन की यातना के अनेक पहलू उजागर हुए हैं।

भीष्म साहनी की कहानी 'पाली' विभाजन काल की घटना पर आधारित है। विभाजन के दौर में साम्प्रदायिक दंगों के बीच पाकिस्तान से भारत की ओर भागते समय हिन्दू दम्पति का बच्चा भटक जाता है। एक निःसंतान मुसलमान दम्पति पुत्र की तरह उसका पालन करता है। मौलवी भी खतना करके उसे मुसलमान नाम दे देते हैं। कुछ वर्षों बाद सरकारी आदेश से बच्चा उसके हिन्दू माँ-बाप को सौंप दिया जाता है। तब बच्चे को हिन्दू बनने की यातना भरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसकी टोपी फेंक दी जाती है। इस प्रकार धर्म मानवीय संवेदना को कुचल कर रख देता है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. डॉ.शिवकुमार मिश्र, यथार्थ की अवधारणा, पृ 17
2. अन्स्ट फिशर, दि नेसेसिटी ऑफ आर्ट, शिवकुमार मिश्र से, यथार्थवाद से उद्धृत, पृ. 19

3. शिवकुमार मिश्र, यथार्थवाद पृ.230
4. डॉ. नरेन्द्र मोहन, समकालीन कहानी की पहचान, प्रस्तावना, पृ.7
5. डॉ. विश्वम्भर नाथ उपाध्याय- समकालीन कहानी की भूमिका, पृ.2
6. नासिरा शर्मा- पत्थर की गली, पृ.7
7. दीप्ति खंडेलवाल- कइवे सच, पृ. 16
8. राजी सेठ- तीसरी हथेली, पृ. 17
9. मन्नु भंडारी- यह सच है, पृ.9

\*\*\*\*\*



## साहित्यकार अमृतराय के 'जंगल' उपन्यास में जीवन मूल्य की अभिव्यक्ति का अध्ययन

डॉ. विनय कुमार सोनवानी \*

**प्रस्तावना** - अमृतराय ने जंगल उपन्यास का प्रकाशन 1968 में किया था। यह एक सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है। इस उपन्यास में पूँजीवादी समाज की अव्यवस्था का चित्रण है। प्रकारान्तर से जंगल राज्य है। जहाँ बलवान निर्बलों पर और धनवान् निर्धनों पर शासन करता है। इस समाज में जीवन-मूल्य व्यर्थ है। नैतिकता एवं सदाचरण तो कालातीत हो चुके हैं। समाज में वही सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है, जो दूसरों को ठगने की कला जानता हो। जो बेईमानी, धूर्तता, वाचालता छल-छद्म तथा कपटाचरण में दक्ष हो। मनुष्यता का अर्थ ही परिवर्तित हो चुका है। जीवन के उदात्त मूल्य पूँजीवादी अव्यवस्थित सामाजिक मूल्यहीनता में सिमट रहे हैं। उपन्यास के कथ्य-सत्य का कथन कृति के पलैप पर अंकित है- 'उपन्यास, उस जंगल की कहानी है, जिसमें हम आप रहते हैं जो हमारा समाज है, जिसमें सत्य, न्याय, प्रेम सब कुछ पैसों की तराजू पर तुलता है। जिसकी नैतिकता जंगल की नैतिकता है। जहाँ ताकतवर कमजोर को खा जाता है और जहाँ सब एक-दूसरे से अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। प्रत्येक जन अधिकाधिक सुखोपभोग की अभिलाषा रखता है। वह तदर्थ धनार्जन एवं धूर्तता और अनैतिक आश्रय ग्रहण करता है।

'इक्कीसवीं सदी में, आज की आधुनिक कही जानेवाली पीढ़ी में बढ़ती भोगलिप्सा और सुविधाप्रियता को अमृत ने बहुत पहले ताड़ लिया था। स्वार्थी, चमचे, चाटुकार, बेईमान और अवसरवादी लोग-जिनकी संख्या समाज और समुदाय में लगातार बढ़ती जा रही है- उसे एक-एक कर, एक-के-बाद एक, और एक-से-बढ़कर एक कारस्तानियों में लिस देखा जा सकता है। साथ ही, फिल्मों के प्रति बढ़ते 'क्रेज' को फिल्म संसार और उद्योग की विकृतियों और विडम्बनाओं को भी सामने रखा है। फिल्म नगरी बंबई में पिता प्रेमचन्द्र के कटु-तिक्त अनुभव और सत्यजित राय एवं मृणाल सेन-जैसे मित्रों के साथ से मिली कई जानकारियों के आधार पर लिखित जंगल की कथावस्तु को वे प्रामाणिकता और विश्वसनीयता प्रदान करते हैं।

उपन्यास में मुख्यतः राजेश्वर दयाल और राधा किशन नामक दो पात्र हैं। इनके अतिरिक्त मनोहर, सेठ छबीलादास, अमल बोस, बिन्दा, मनेरा, वल्लभदास, दीपक आदि पुरुष पात्र एवं लीन, रेखा, राधा, सूरी, लतिका, नीलिमा, नैना आदि नारी पात्र हैं। कथावस्तु का विन्यसन और उसकी विस्तृति की केन्द्र भूमि है- सेठ राधा किशन की तिजोरी और विस्तृति का वितान-निर्णायक है- राजेश्वर दयाल।

उपन्यास के अन्त में प्रमुख पात्र के रूप में राजेश अपने स्वार्थ के लिए सभी कुछ करने को तत्पर है, उसने सेठ राधाकिशन को अच्छी तरह पकड़ कर रखा है। वह उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है और उसी के साथ अपने चंगुल में राधाकिशन को फँसा रखा है। सेठजी के दोनों बच्चों को पढ़ाने के

बहाने उन्हें अश्लील साहित्य ला कर देता है और नैना से अनैतिक सम्बन्ध भी बनाए हुए है। जब तब सेठ जी के सामने उनके बच्चों की प्रशंसा करके अपना प्रभाव जमाता रहता है- 'दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं। सब एक-दूसरे से अपना उल्लू सीधा करते हैं। आदमी-आदमी का यही अकेला नाता है। दूसरों की फिकर करने का काम हमारा-आपका नहीं दिगम्बर, पैगम्बरों का है।

राजेश सेठ जी को पकड़ने के साथ 'अमल बोस' को भी पकड़े हुए है। वह सेठ जी से परिचय करवा कर पैसा दिलाने में मदद करता है। अपनी कमीशन उसने अलग से ले लिया है। जहाँ-जहाँ उसे धन की, मन बहलाने की आवश्यकता है, उन सभी को पूरी कर जिन्दगी जी रहा है।

सेठ राधाकिशन करोड़पति आसामी है। यद्यपि उनके पास पैसा तो अथाह है लेकिन उनमें 'सुरुचि' का अभाव है। 'काले धन्धे' से उन्होंने बहुत धन इकट्ठा करके उसे 'इधर-उधर' की जोड़-तोड़ में लगाए रहते हैं।

इनके अतिरिक्त एक और कथा के रूप में फिल्म डाइरेक्टर 'अमल बोस' है, जो बंगाली होने के अभिजात्य एवं कलात्मकता को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 'अमल बोस' सस्ती एवं भावना प्रधान फिल्में बनाकर प्रसिद्धि और धन खूब कमाता है। पर एक यथार्थपरक फिल्म बनाकर वह दिवालिया हो जाता है। अब फिर से वह भावुकतापूर्ण फिल्म बनाने के लिए तत्पर है। पैसा न होने के कारण वह सेठ राधाकिशन से शर्त पर पैसा लेता है। अपनी फिल्म की नयी नायिका 'लतिका' को प्रभावित कर उस पर अधिकार जमाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है।

एक और प्रसंग राजेश के दोस्त 'मनेरा' का है। उसके पास धन-दौलत की कोई कमी नहीं है। उसे कविताएँ लिखने का बहुत शौक है। कविता के लिए श्रोताओं को जुटाने में वह शराब की पार्टियाँ आयोजित कर अपने शौक को पूरा करता है। सबके मुँह से अपनी तारीफ सुनना चाहता है। मनेरा की महफिल में औरत एवं मर्द में किसी तरह का भेद नहीं चलता है। शराब पर व्यंग्य करते हुए लेखक ने कहा है - 'आदमी के सब दुःख- वलेश की जड़ यही संज्ञा है। यही आदमी के पैर में चक्कर बाँधकर उसे यहाँ-वहाँ भटकाती रहती है। अपने उसी निरुद्देश्य भटकने को हम अपना जीवन समझ लेते हैं। इनके अलावा दीपक एवं बिन्दा के चरित्र को उभारा गया है। दोनों युवा हैं। उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण उनका कोई लक्ष्य नहीं है। उनमें सर्वत्र भटकाव की स्थिति दिखलाई पड़ती है।

पुरुष पात्रों के अलावा स्त्री पात्रों में 'लीना' है। वह राजेश की पत्नी है। पूरी तरह से भारतीय स्त्री की छवि उसमें दिखलाई देती है। वह अपने पति की सेवा में ही अपना सुख समझती है। पति से पिटने पर भी उसका विरोध नहीं करती है। उसके चेहरे पर कभी शिकन तक नहीं आती, चाहे बड़ी से बड़ी

‘वारदात’ हो जाए। उसके अनुसार पति की सेवा कर उसे ‘खुश’ रखना ही उसका कर्तव्य है। पति के अधीन रहना ही औरत का धर्म है। लीना की यह तस्वीर सद्बहिणीकी है। जिसके अनुरूप वह रहती है।

नीलिमा एक अत्याधुनिक स्त्री के रूप में सामने आती है। वह ‘स्टेनो’ है और अपने परिवार का बोझ उठा रही है। महफिल, शराब की पार्टियों में जाना उसकी आदत बन चुकी है। शराब से उसे परहेज नहीं है। उसकी जिन्दगी में बहुत खुलापन है। दिन भर काम करने के पश्चात् शाम कहीं पार्क या रेस्तराँ में बिताकर रात किसी सहेली के यहाँ गुजार दी।

नेना सेठ राधाकिशन की पुत्री है, जिसे पढ़ाई करने में कोई रुचि नहीं है। अश्लील किताबों को पढ़ना उसे अच्छा लगता है। इसके अतिरिक्त फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के बारे में भी उसकी पूरी जानकारी है। पहले वह अपने मास्टर साहब राजेश के साथ जुड़ती है, और बाद में अपने घर के युवा नौकर ‘बिन्दा’ से प्रभावित होती है। किन्तु, बिन्दा के घर से चले जाने के बाद वह किसी जवान चुड़िहारे के साथ भाग जाती है।

लतिका, ‘अमल बोस’ के फिल्मों की नायिका है, जो खूबसूरत और जवान युवती है। लतिका का भविष्य फिल्मों की दौड़-पेंच पर लगा हुआ है। अपने सुन्दर रूप के कारण वह सभी को आकर्षित करती है। इन्हीं प्रसंगों से ‘जंगल’ के कथानक की सृष्टि हुई है। इन कथाओं के साथ-साथ लेखक ने विचारों को प्रधानता देते हुए समाज में धर्म, नारी की स्थिति, वर्तमान समाज में फैली विसंगतियों आदि को स्पष्ट रूप से सामने रखा है।

उपन्यास में लेखक ने पात्रों और उनसे सम्बन्धित कथाओं को अधूरा-सा ही छोड़ दिया है। उसे परिणत तक पहुँचाने का प्रयास न करके सारी स्थितियों को सामने रख कर उसने निर्णय पाठक समुदाय पर छोड़ दिया है। अमृत राय के उपन्यासों में अलग-अलग विशिष्टता लिए हुए हैं- ‘जंगल’। इसमें लेखक ने समाज के अलग-अलग वर्गों की तस्वीर को सामने रखकर उसे यथार्थ रूप में देखने का प्रयास किया है। उपन्यासकार ने विचारों को तथ्य रूप में सामने रखा है। उसे किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुँचाया है।

प्रमुख पात्र ‘राजेश’ के माध्यम से लेखक ने समाज के उन लोगों की तरफ व्यंग्य किया है, उनकी यथार्थ स्थिति को प्रस्तुत किया है, जहाँ व्यक्ति निजी स्वार्थों और अपनी ही पूर्ति के साधन जुटाने में दिन-रात लगा रहता है। इन सभी के लिए चाहे उसे अनैतिक कार्य भी करना पड़े तो वह उसके लिए सहर्ष तैयार है। लेखक ने उपन्यास के शीर्षक के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि आज भी समाज में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों में जंगल के व्यक्तियों की तरह नियम ही लागू हैं। व्यक्ति के रूप में, परिवेश में चाहे अन्तर भले आ गया हो, उसके संस्कार उसकी मानसिकता वही है, जिसमें पुरातनपंथी विचार रचे-बसे पड़े हैं। सिद्धान्तहीनता पर व्यंग्य करते हुए लेखक

का कथन है- ‘सबको एक लाठी से हाँके बगैर सिद्धान्तों की रक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए अपना तो उसूल है, जिस पत्तल में खाओ उसी में छेद करो। जिस घर में सब तुमको बिलकुल अपना समझते हों, उसी में सेंध लगाओ-पकड़ भी गए तो खेल हो जाएगा।’<sup>1</sup>,

लेखक ने उपन्यास में विचारों को उपदेशात्मक रूप में नहीं रखा है, वरन् व्यतिरेक द्वारा ही अपनी बात कही है। कहीं-कहीं विचारों को व्यंग्यात्मक रूप भी दिया है। हर पृष्ठ पर लेखक ने अन्याय, दुराचरण, अनैतिक बात की अप्रत्यक्ष भर्त्सना की है -

‘हमारी उस आदिम भूख की बात जिस पर कितनी ही बार सभ्यता और संस्कृति की नयी छालें चर्दों पर जो चीज पहले दिन हमारे सीने पर खुदी थी, वही आज भी वैसी की वैसी खुदी है।

लेखक ने यहाँ यह स्पष्ट किया है कि - धनाढ्य वर्ग के लिए पैसा ही सब कुछ है। सामाजिक मर्यादा और रचनात्मक सुरुचि जैसी बातों के लिए जहाँ कोई अवकाश नहीं। वहाँ राजेश और लीना की औसत और आम गृहस्थी नीची निगाह से ही देखी जाती है। जाहिर है, ऐसे में समाज और समुदाय-दोनों एक अघोषित अराजक स्थिति के शिकार बनते हैं। छद्म सुख, तत्काल लक्ष्मी-प्राप्ति, शरीर सुख और अहंकार की पगडंडियाँ- उसे मुख्य मार्ग से विचलित या विस्थापित कर देती है।

अमृतराय ने स्त्री-पुरुष के उन्मुक्त आचरण को दर्शाते हुए लिखा है कि- ‘औरत मर्द की दो अलग-अलग दुनिया हैं। मर्द अपनी दुनिया का राजा है। औरत अपनी दुनिया की रानी है। एक को दूसरे से मतलब नहीं, दोनों की अपनी अलग-अलग मुहरबन्द जिन्दगी है। निष्कर्षतः यह कहना सच होगा कि अमृतराय ने जंगल उपन्यास के माध्यम से जंगल राज का अनूठा चित्रण किया है। जंगल राज का अभिप्राय विसंगतियों से भरा हुआ वह राज है, जिसमें किसी भी प्रकार का सामाजिक मानदण्ड स्थापित नहीं है। जिसे सभी समाज कहते हैं, वही समाज भयानक दरिन्दों का जंगल बन गया है। जीवन मूल्य की दृष्टि से उपन्यासकार का व्यंग्य बहुत तीखा और संदेश परक लगता है। जंगल उपन्यास आज के समाज का यथार्थ चित्रण है। जहाँ समाज में जीवन मूल्य, मानव मूल्य, वैयक्तिक मूल्य, सभी अनैतिक और स्वार्थपरक बन चुके हैं। समाज को लूटने में सभी पात्र संलिप्त दिखाए गए हैं। सामाजिक व्यवस्था को लेखक ने जंगल उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत किया है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जंगल, फ्लैप पर, अमृतराय ।
2. भारतीय साहित्य के निर्माता अमृतराय, पृष्ठ 49, रणजीत साहा ।
3. उपन्यास जंगल, अमृतराय ।

\*\*\*\*\*

## मुक्तिबोध के काव्य में युगीन चेतना

डॉ. रंजना मिश्रा \*

**प्रस्तावना** - 'पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव  
हार्थों से महसूस करता हूँ दुनियाँ  
मस्तक अनुभव करता है आकाश  
दिल में तड़पता है अँधेरे का अन्दाज  
'आत्मा में भीषण'  
सत् चित वेदना जल उठी दहकी।'

गजानन माधव मुक्तिबोध जीवन के जंगल में ज्ञान की तलाश करने वाले ऐसे प्रगतिवादी कवि हैं, जिनका वेदनाबोध समाजबोध से उद्भूत है। यह सामाजिक वेदना ही उनकी काव्यशक्ति है, जो उन्हें समाजोन्मुख बनाती है, यही पीड़ा उन्हें समाज से जोड़ती है। प्रगतिशील काव्य को सर्जना के उत्कृष्ट मानदण्ड से आगे ले जाने वाले इस संवेदनशील साहित्यकार को सामाजिक वेदना कहीं भी कुपिठत या निराश नहीं करती बल्कि उनमें संकल्पशक्ति भरती है, संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। मुक्तिबोध की कविता मानवीय चेतना को सार्थकता प्रदान करती हुई जीवन की विसंगतियों, विकृतियों एवं कुण्ठाओं से भरे जीवन में से ही जीवनीशक्ति के तत्वों की खोज करती है। वास्तव में उनकी कविता निरन्तर अवरोधों, विसंगतियों और संघर्षों में मुक्ति के लिए छटपटाती आम आदमी की जिन्दगी का दस्तावेज है।

मुक्तिबोध जनसाधारण के कवि है। समाज के दीनहीन शोषित सर्वहारा के प्रति उन्हें सच्ची सहानुभूति हैं। वे पूर्णतः शोषणमुक्त समाज की कल्पना करते हैं। यही कारण है कि हरिजन बस्ती की गन्दी गलियाँ, लकड़ी बीनती स्त्रियाँ, भारी घड़े उठाती स्त्रियाँ और दूसरी ओर सभ्यता का नकाब ओढ़े विकृत जिन्दगी जीने वाले व्यक्ति ये सभी उनके काव्य में मूर्तिमान हो उठे हैं। वे ऐसे वर्गविहीन समाज की स्थापना के लिए लालायित दिखाई पड़ते हैं, जहाँ कोई किसी का अधिकार नहीं छीनता। मुक्तिबोध की पैनी सामाजिक चेतना के कारण ही समाज का कोई भी अंग उनकी सूक्ष्म दृष्टि से बच नहीं सका। उनकी प्रगतिवादी दृष्टि परिवेश बोध, सामाजिक चिन्तन और अनुभव वैविध्य पर आधारित है। वे समसामयिक जीवन और परिवेश की विसंगतियों को अभिव्यक्ति देने में पूर्णतः सफल रहे।

मुक्तिबोध के रचनाकाल में तत्कालीन भारतीय समाज में जीवन मूल्यों का पतन निरन्तर दृष्टिगोचर हो रहा था। सत्यता, ईमानदारी, सहिष्णुता, बहादुरी, राष्ट्रीयता, धार्मिकता आदि समाज की नींव को मजबूत करने वाले मानवीय गुण विलुप्त होते जा रहे थे। त्याग, तपस्या के आदर्शों का स्थान दिखावे कायरपन और भ्रष्टाचार ने लिया। जीवन का हर क्षेत्र राजनीति केन्द्रित हो रहा था। साहित्य के क्षेत्र में भी दलबन्दी और आत्मप्रचार की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। नेमिचन्द्र जैन ने इस संबंध में कहा है - 'इतनी बौद्धिक,

नैतिक और बोधमूलक अराजकता और दायित्वहीनता हमारे तरुण साहित्यकारों में दिखाई देती है कि कभी-कभी तो आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। यह स्थिति किसी भी प्रकार वरणीय नहीं हो सकती। इस स्थिति पर दिनकर जी का व्यंग्य दृष्टव्य है- 'मूल्यों का पचड़ा बेकार है। सबसे बड़ा मूल्य वह है, जिसके सहारे गाड़ी चलती है। ऊब, घुटन, संकट संत्रास, अनास्था और दमघोटू सामाजिक वातावरण भी मुक्तिबोध को निराश नहीं कर पाता तमाम अव्यवस्थाओं के बाबजूद सतत् संघर्ष की प्रेरणा मुक्तिबोध की है।'

मुक्तिबोध के काव्यसंग्रह चाँद का मुँह टेढ़ा है की दो प्रमुख कविताएँ ब्रह्मराक्षस और अँधेरे में फैंटेसी और समाजबोध की दृष्टि से अत्यंत प्रभावी कही जा सकती हैं। ब्रह्म राक्षस बौद्धिक चेतना का प्रतीक है, जो मुक्ति के लिए छटपटा रहा है। उसने जीवनपर्यन्त जो ज्ञानार्जन किया, उसी के द्वारा वह मुक्ति का मार्ग खोजता है। लेकिन इस प्रयास में वह और अधिक उलझता जाता है। कवि का दृष्टिकोण है कि जब मनुष्य प्राप्त ज्ञान को व्यावहारिक नहीं बना पाता, तब वह भटकता रहता है और निराशा, कुण्ठा का शिकार होता है। वास्तव में संचित ज्ञान और अनुभव तभी सार्थक होता है, जब वह निरन्तर विकसित हो और भावी ज्ञान की आधारशिला बने यदि यह नहीं हो सका तो अतीत का ज्ञान संवेदना और अनुभव सब व्यर्थ हो जाएगा। पाप छाया से आत्मशुद्धि के लिए ब्रह्मराक्षस निरन्तर बावड़ी में स्नान करता हुआ अपना शरीर घिसता रहता है, किन्तु उसका मैल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है -

'गहन अनुमानिता/तन की मलिनता/दूर करने के लिए प्रतिपल/  
पापछाया दूर करने के लिए दिन रात/ स्वच्छ करने/ब्रह्मराक्षस/घिस रहा है  
देह/हाथ के पंजे बराबर/ बाँह छाती मुँह छापाछप/ खूब करते साफ/फिर भी  
मैल।'

वर्तमान में बुद्धिजीवी की यही विडम्बना है। उसका अपूर्ण ज्ञान उसे दम्भी बना देता है और इसीलिए तिरछी सूर्य किरणों को देखकर उसे लगता है कि सूर्य भी उसे झुककर प्रणाम कर रहा है। व्यक्ति ज्ञानार्जन करके भी उसे व्यवहार में नहीं ला पाता, अपने आपको परिवर्तित नहीं कर पाता। अपने संपूर्ण प्रयासों में असफल होकर वह निराश हो जाता है। मुक्तिबोध की धारणा यह है कि अतीत से हटकर कोई भी वर्तमान सुरक्षित सार्थक भविष्य का रूप नहीं ले सकता।

'अँधेरे में' कविता सामाजिक अव्यवस्थाओं के कारण कवि के मन में व्याप्त अंधकार की, दुख की निराशा की अभिव्यक्ति है। इस कविता में वर्णित दोनों रक्तालोक स्नात पुरुष क्रमशः सामाजिकता और कविता के प्रतीक हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। जब कविता समाज में रच-बस जाएगी और जनमानस उसे पूर्णतः व्यवहार में उतार लेगा तब मुन्यता की पूर्ण

सम्भावनाए प्रकट होगी। वर्तमान समाज अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है।

इन अव्यवस्थाओं में जीने वाले जनसाधारण का मन निराशा के अंधकार से भरा हुआ है, जब वह आत्मान्वेषण करेगा तब सुधार का मार्ग खुलेगा और उत्कर्ष के प्रकाश से जन जीवन उद्दीप्त होगा। अपने अस्तित्व को समाज को समर्पित करके ही मनुष्य अपनी और समाज की उन्नति कर सकता है। रक्तालोक स्नात पुरुष संघर्षरत संस्कृतिपुरुष है, जो मध्यवर्ग की आदर्शवादिता को दृढ़ता से धारण किए हुए है उसकी प्रवृत्ति समझीतावादी नहीं है। 'लकड़ी का बना रावण' में रावण परिवेश से कटा हुआ पुरुष है, जो मोह में घिरा हुआ अकेला रह गया है। मार्क्सवादी दृष्टि से यह रावण पूँजीवादी वर्ग का प्रतीक है, जो अब सर्वहारा से पराजित होकर नष्ट होने ही वाला है। मुक्तिबोध एक वर्ग विहीन शोषणमुक्त समाज की स्थापना के लिए सदैव प्रयासरत रहे। इस वर्गविषम्य और शोषण की व्यवस्था के विरोध में आत्मशोधन एवं कठोर संघर्ष उनके साहित्य में प्रखरता से अभिव्यक्त हुआ। अंधेरे में कैद भटकता हुआ व्यक्ति समाज का ईमानदार व्यक्ति है जो निरन्तर संघर्षशील है। अंधेरे में चमकती हुई बिजलियाँ जनक्रांति के विद्रोह की प्रतीक हैं। यह अंधेरा कैसा है? यह अन्याय और अत्याचार का अंधेरा है, अव्यवस्थाओं का अंधेरा है, मानव मूल्यों की टूटन का अंधेरा है। इन अंधेरों के प्रति सर्वहारा को संघर्ष करना होगा तभी मानवमुक्ति की उत्कर्ष की सुबह आ सकेगी। मुक्तिबोध कहते हैं—

'अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे

उठाने ही होंगे

तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब

पहुँचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार

तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें

जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता

अरुण कमल एका।'

मानव जीवन की जटिल संवेदनाओं और उसके अंतर्द्वन्द्वों की सर्जनात्मक अभिव्यक्ति के लिए मुक्तिबोध ने फैटेसी का कलात्मक प्रयोग किया है। उनका कहना है कि फैटेसी मन की निगूढ़ वृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का, इच्छित विश्वासों और इच्छित जीवन का प्रक्षेप है। फैटेसी मानसिक प्रक्रिया होते हुए भी जब सामाजिक यथार्थ से जुड़ती है तब रचना प्रक्रिया को बदल देती है क्योंकि यह फैटेसी कवि के हृदयगत अंतर्द्वन्द्व के परिणामस्वरूप एक वृहद समाज कल्याण का उद्देश्य लिए उद्भूत हुई। मुक्तिबोध सर्वहारा की पीड़ा को व्यापक फलक पर अभिव्यक्त देने वाले सशक्त कवि हैं। वास्तव में 'अंधेरे में' कविता अस्मिता की खोज नहीं है बल्कि अस्मिता का जनचेतना में विलय है, जिससे वह और भी अधिक व्यापक हो गई है। मुक्तिबोध जीवनपर्यन्त आत्मसंघर्ष करते रहे जिसने उनके जीवन को भीतर तक प्रभावित किया। मार्क्सवादी सामाजिक दृष्टि इसी का परिणाम है। व्यष्टि चेतना व्यापक समष्टि चेतना में परिणत हो गई। इसी के प्रभावस्वरूप सर्वहारा वर्ग में उठ रही क्रान्ति और विद्रोह की ज्वालाए सब कुछ नये सिरे से बदलने का संकल्प ले चुकी हैं और बुद्धिजीवी वर्ग परिवर्तन तो चाहता है किन्तु अन्याय के विरोध में कुछ नहीं कहना चाहता। कालान्तर में दुष्यंत कुमार ने भी अपनी गजल में इस बात की पुष्टि की -

'बहुत कुछ मैं सोचता रहता हूँ पर कहता नहीं।  
बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनारा  
इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं।  
आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरारा।'

(साये में धूप-दुष्यंत कुमार)

मुक्तिबोध की सबसे बड़ी शक्ति है—समाजबोध और जनजीवन में विश्वास। जनसाधारण की पीड़ा को वे अपने हृदय में अनुभव करते हैं। समाज की सर्वहारा की पीड़ा इतनी गहरी और अधिक है कि उस पर एक महाकाव्य लिखा जा सकता है—

मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में

चमकता हीरा है

हर एक छाती में आत्मा अधीरा है

प्रत्येक सुरमिर्म में विमल सदानिरी है

मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में

महाकाव्य पीड़ा है।

मुक्तिबोध की कविता अपने युग और परिवेश से सम्पृक्त है। चुभने वाले व्यंग्य और आक्रोश के स्वरो में वर्तमान अव्यवस्थाओं, उत्तरोत्तर कठिन होते जा रहे जीवन, खोखले सिद्धांत, विकृतियाँ सब मुक्तिबोध के काव्य में अभिव्यक्ति पाते हैं। जब प्रयोगवाद के अन्य कवि रूमानी संवेदना और भाषा से मुक्त नहीं हो पाये थे, तब मुक्तिबोध परम्परा से हटकर अपने परिवेश और समाज से जुड़कर लिखते रहे। उनका सामाजिक चिन्तन और व्यापक अनुभव उनके साहित्य में सर्वत्र दृष्टिगोचर होते हैं। जनजीवन में उनका विश्वास, उनकी लोक चेतना और गहन, अनुभूति काव्य में शक्ति बनकर प्रस्फुटित हुई है। वास्तव में सच्चे अर्थों में उन्हें ही नई कविता का प्रवर्तक माना जाना चाहिए।

मुक्तिबोध अपनी लेखनी से जीवन की निर्मम वास्तविकताओं का यथार्थ चित्रण करते हैं। कवि तत्कालीन समाज व्यवस्था, राजनीति और जनसाधारण की समस्याओं के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं। उनके द्वारा व्यक्त पीड़ा किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे निर्धन वर्ग की है।

जब समाज का उच्चतम वर्ग और निम्नतम वर्ग साहित्य और राजनीति का केन्द्रिय तत्व बनता जा रहा था उस समय मध्यमवर्गीय चेतना सामाजिक उत्कर्ष के लिए व्यक्ति के चरित्र में उत्थान और अपने जीवन में राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा अनुभव कर रही थी। ऐसे उस मानवता के संक्रांतिकाल में मुक्तिबोध का अभिभङ्ग्य अंधेरे के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए नैतिकता निष्ठा और उपेक्षित मानव मूल्यों को प्रतिष्ठित करने का साक्ष्य उपरिथत करता है।

सर्वहारा के पक्षधर कवि को ऐसे ही समय का इन्तजार है जब समाज में परस्पर स्वार्थ और शोषण पूर्णतः समाप्त हो जायेगा।

'शोषण की अति मात्रा,

स्वार्थों की सुख यात्रा,

जब-जब सम्पन्न हुई,

आत्मा से अर्थ गया,

मर गई सभ्यता।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. शुद्ध कविता की खोज-रामधारी सिंह दिनकर ।
2. बदलते परिप्रेक्ष्य -नेमिचन्द्र जैन ।
3. मुक्तिबोध रचनावली-खण्ड दो-सम्पादक नेमीचन्द्र जैन ।
4. साये में धूप-दुष्यंत कुमार ।
5. आधुनिक कविता और युग दृष्टि-डॉ. शिवप्रसाद मिश्र ।
6. चाँद का मुँह टेढ़ा है- मुक्तिबोध ।
7. साठोत्तरी हिन्दी कविता-डॉ. विश्वबंधु शर्मा ।



## मुंशी प्रेमचंद के कथा साहित्य में नारी संघर्ष

डॉ. आशा शरण \*

**शोध सारांश** – मुंशी प्रेमचंद एक सफल कथाकार थे। इसके साथ ही वे समाजदृष्टा थे। समाज में होने वाली अमानवीय घटनाएं और उनसे होने वाली पीड़ा उनके मन को झकझोर करके रख देती थी। अब चाहे ये पीड़ा और घटनाएं पुरुष से संबंधित हो या नारी से। मुंशी प्रेमचंद ने नारी संबंधी समस्याओं के संघर्ष की गाथा का वर्णन अपने उपन्यासों के माध्यम से व्यक्त किया है।

**प्रस्तावना** – भारतीय धर्म शास्त्रों में नारी को प्रकृति बताया गया है और पुरुष के संयोग से इस संसार की उत्पत्ति मानी गई है। मैत्रेयी, गार्गी, तिलोत्तमा, सुदक्षिणा, सावित्री, शकुन्तला, लक्ष्मीबाई, दुर्गाबाई आदि भारत की नारियों पर गर्व है, जिसने भारत के निर्माण में योगदान दिया। परन्तु समय परिवर्तन के साथ ही नारी की स्थिति में परिवर्तन हुआ। आदिकाल में नारी को राजदरबार में स्थान तो मिला लेकिन वह एक विलासिता की वस्तु बनकर रह गई। भक्तिकाल में तो नारी को नरक का द्वार तक कहा गया। नारी की अवहेलना करते हुए संत कबीर ने कहा है- 'नारी की झाई परत, अंधा होत भुजंग, कबिरा तिन की कौन गति, नित नारी के संग।' रीतिकाल में तो नारी श्रृंगार की वस्तु बनकर रह गई थी। ऐसी स्थिति में नारी अस्मिता को बचाए रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। जिसका चित्रण हमें मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में दिखाई देता है।

'प्रेमाश्रम' उपन्यास में बिलासी किसान की पत्नी है। वह अपने पति मनोहर के साथ बड़ी अडिगता के साथ खड़ी होकर उसके सुख-दुःख में साथ देती है। विलासी विधवा होने पर भी अपना धैर्य नहीं छोड़ती है। वह अपने जीवन को चलाने के लिए संघर्ष करती है। लोग विधवा होने के नाते उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। लेकिन वह इसके पीछे छिपे भावना को भाँप जाती है, तो वह कहती है, 'नहीं दादा तुम्हारी दया से कोई तकलीफ नहीं है।' इससे लोग उसके बारे में कई तरह की बातें भी करने लगते हैं, तो वह झट से जवाब देती थी, 'तुम अपनी लाज बेचकर अपनी चमडी को बचाओ। यहाँ इज्जत के पीछे जान तक दे देते हैं। मैं विधवा हो गई तो क्या, घर सत्यानाश हुआ तो क्या, किसी के सामने आँख तो नीची नहीं हुई। अपनी लाज तो रखी।' <sup>12</sup>

'कर्मभूमि' उपन्यास की सलोनी ग्रामीण वृद्धा है। भूख, दरिद्रता, जुलम, पीड़ा सहने के बाद भी उसके जीवन संघर्ष में कमी नहीं आती है और वह अपने आत्मसम्मान पर आँच नहीं आने देती है। सलीम ने कई दिन पहले उसे हण्टर लगाए थे। उसे तनिक भी पछतावा नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके अत्याचार बढ़ते ही गए। लेकिन सलोनी सलीम का विरोध करने के लिए तैयार थी। 'सहसा सलीम को देखकर वह पीछे हट गई और जैसे गाली दी-यह तो हाकिम है। फिर सिंहनी की भाँति झपटकर उसने सलीम को ऐसा घक्का दिया कि वह गिरते-गिरते बचा और जब तक अमरकांत उसे हटाए, सलीम की गरदन पकड़कर इस तरह दबाई, मानों घोट देगी।' <sup>13</sup> जब

सलोनी की गाय पुलिस द्वार से खोल लाती है तो वृद्ध सलोनी जो लाठी टेककर चलती है, वह विरोध करती है, 'उसने आँचल सिर से उतारकर कमर में बाँधा और लाठी संभालकर पीछे से दोनों कसाइयों को पीटने लगी।' <sup>14</sup>

'कायाकल्प' उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद ने लौंगी के चरित्र का चित्रण किया है। लौंगी ठाकुर हरिसेवक सिंह की विवाहिता न होने पर भी विवाहिता की तरह रहती है। लौंगी अपने प्रेम और सेवा से सभी को अपना बना लेती है। ठाकुर साहब की पुत्री मनोरमा को लौंगी माँ का प्यार देती है और माँ की तरह ही लौंगी मनोरमा के प्रति चिंतित रहती है। लौंगी को जब यह पता चलता है कि मनोरमा का विवाह बूढ़े राजा से होने जा रहा है तो वह इसका विरोध करते हुए बहुरूपिए से कहती है, 'लाला अगर तुम्हें धन का लोभ हो तो जितना चाहो मुझसे ले जाओ। मेरी बिटिया को कुएँ में न ढकेलो। क्यों उसके दुश्मन बने हुए हो?' <sup>15</sup>

'गोदान' उपन्यास में धनिया होरी की पत्नी है। वह जीवन भर अन्याय के प्रति विद्रोह के स्वर उठाती रही। लेकिन इसके लिए उसे हमेशा संघर्ष करना पड़ा। धनिया के मन में हमेशा से समाज के अंधरुदियों और परंपराओं के प्रति असंतोष रहा। उसका विचार था कि इन सब ढकोसलो में पड़कर व्यक्ति का व्यक्तिगत आत्मसम्मान बरकरार नहीं रह पाता है। वह कहती है, 'हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। व्याहता न सही, पर उसकी बाँह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने ही।' <sup>16</sup> इस प्रकार धनिया एक स्त्री के अधिकारों के लिए समाज से भी लोहा लेती है।

'मंगलसूत्र' उपन्यास में संतकुमार अपनी पत्नी पुष्पा से कहते हैं, 'जो स्त्री पुरुष पर अवलंबित है, उसे पुरुष की हुकूमत माननी पड़ेगी।' <sup>17</sup> परन्तु पुष्पा संतकुमार की बातों को मानने से इंकार कर देती है। पत्नी पुष्पा का उत्तर हमें तत्कालीन समाज में स्त्री की वास्तविक स्थिति और उसका विरोध व्यक्त करता है। 'अगर मैं तुम्हारी आश्रिता हूँ तो तुम मेरे आश्रित हो। मैं तुम्हारे घर में जितना काम करती हूँ उतना ही काम दूसरों के घर में करूँ तो अपना जीवन निर्वाह कर सकती हूँ या नहीं बोलो ? तब मैं जो कमाऊँगी वो मेरा होगा। यहाँ मैं चाहे प्राण भी दे दूँ पर मेरा किसी भी चीज पर अधिकार नहीं। तुम जब चाहो मुझे घर से निकाल सकते हो।' <sup>18</sup>

'सेवासदन' उपन्यास में प्रेमचंद जी ने दहेज के दुष्परिणाम को व्यक्त किया है। साथ ही साथ स्त्री की उन परिस्थितियों से हमें अवगत कराया है



जिनके चलते सुमन अपने आप को वेश्यावृत्ति में झोंक देती है। बैंक के बाबू और समाज सुधारक विठ्ठलदास से स्वयं सुमन वेश्यावृत्ति अपनाने के वजह पर कहती है, 'मैं जानती हूँ कि मैंने अत्यंत निकृष्ट कर्म किया है, लेकिन मैं विवश थी। इसके सिवाय मेरे लिए कोई रास्ता ना था।'<sup>9</sup> आगे वह कहती है, 'मेरे मन में नित्य यही चिंता रहती थी कि आदर कैसे मिले।'<sup>10</sup>

**निष्कर्ष** - निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में नारी संघर्ष के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त किया है। जहाँ एक ओर लेखक ने वेश्यावृत्ति के कारण स्त्री जीवन में आए परिवर्तन का उल्लेख किया है, वहीं पर वृद्धों के संघर्ष पर भी प्रकाश डाला है। प्रेमचंद के उपन्यासों में नारी अन्याय का विरोध करने में समर्थ दिखाई देती है। स्त्री के कोमल स्वभाव के साथ दृढ़ता का परिचय भी मिलता है। इस प्रकार स्त्री के विभिन्न रूपों का पता चलता है जो अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष करती है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रेमाश्रम, मुंशी प्रेमचंद, पृ. 11
2. वही, पृ. 12
3. कर्मभूमि, मुंशी प्रेमचंद पृ. 16
4. वही, पृ. 17
5. कायाकल्प, मुंशी प्रेमचंद, पृ. 44
6. गोदान, मुंशी प्रेमचंद, पृ. 84
7. मंगलसूत्र, मुंशी प्रेमचंद, पृ. 10
8. वही, पृ. 12
9. सेवासदन, मुंशी प्रेमचंद पृ. 91-92
10. वही, पृ. 60

\*\*\*\*\*

## शिशुपालवध महाकाव्य में 'सत्यं-शिवं-सुन्दरम्' का शाश्वत-स्वरूप

अनिल मुवेल \*

**प्रस्तावना** - संस्कृत-काव्य साहित्य का शाश्वत प्रतिपाद्य स्वर 'सत्यं-शिवं-सुन्दरम्' का परमानन्दमयी रसानुभूति रहा है। काव्य में 'शिवेतरक्षतयेय के प्रयोजनार्थ किया गया साहित्यकारों का अवदान 'आनन्दवाद' की उदात्त परिभाषा से महिमा-मण्डित रहा है। लौकिक एवं पारलौकिक अभ्युदय के लिए कवि का एकमात्र दायित्व 'सामाजिक समरसता' के निहितार्थ 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' की सम्यक् प्रतिष्ठा की स्थापना करना रहा है। लौकिक साहित्य के प्रथम महाकाव्य 'रामायण' के प्रणयन का मुख्य आधार महर्षि वाल्मीकि के हृदय में उत्पन्न करुणा के सञ्चार से इसी 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' का शाश्वत जयघोष करना रहा है। महर्षि वाल्मीकि के पश्चात् परवर्ती कवियों ने इस शाश्वत भावाभिव्यक्ति को अपने-अपने महाकाव्य का उपबीज स्वीकार किया है। महर्षि वेदव्यास ने इसी शाश्वत स्वरूप का श्लाघनीय निरूपण 'महाभारत' महाकाव्य एवं पुराणादि के प्रणयन में किया है। परम्परागत काव्य की विशुद्ध आत्मा 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' का उदात्त विषय महाकवि माघ प्रणीत 'शिशुपालवध महाकाव्य में संवेष्टित हुआ है।

'शिशुपालवध' महाकाव्य का कथानक पौराणिक 'सत्य' पर आधारित है। इस 'सनातन सत्य' का चयन महकवि माघ ने 'श्रीमद्भागवत' महापुराण के दशम स्कन्ध के 74 वें अध्याय से तथा 'महाभारत' के सभापर्व के 33-45 वें तक-कुल तेरह अध्यायों की कथा से उद्धृत किया है। कथानक की दृष्टि से 'शिशुपालवध' महाकाव्य सत्य की सनातनी विचारधारा से अनुप्राणित है। यह सनातन सत्य धर्म और अध्यात्म से समन्वित होकर जहाँ पाठकों को अतीत की घटनाचक्रों का ज्ञानार्जन कराता है वहीं, वह भारतीय संस्कृति का संप्राणमय पुरुषार्थ चतुष्टय का धार्मिक एवं उपदेशात्मक बिम्ब-विधान से साक्षात्कार कराता है।

परम पिता परमात्मा सनातन सत्य एवं विराट पुरुष है। सगुण रूप में उनके विविध अवतार, धार्मिक रूप में 'अवतारवाद' के सनातन सत्य का उद्घाटन करते हैं। द्वापर युगीन घटनाचक्र में भगवान श्रीकृष्ण का अभ्युदय विष्णु भगवान के अवतार के रूप में महाकवि माघ ने वर्णित किया है। धर्म की स्थापना के लिए, अनाचार एवं अत्याचार के विनाश के लिए तथा इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। यह सनातन सत्य हमें 'शिशुपालवध' महाकाव्य में पूर्णरूप से देखने को मिलता है। शिशुपाल के अनाचार से देव-दानव एवं मानव जब सभी आक्रान्त हो गये तब इन्द्र के सन्देश को लेकर महर्षि नारद स्वयं परमात्मा स्वरूप श्रीकृष्ण की नगरी द्वारिकापुरी में आते हैं और शिशुपाल के अत्याचार से अवगत कराते हैं। इस सनातन सत्य का उद्घाटन महाकवि माघ ने 'शिशुपालवध' महाकाव्य के प्रथम सर्ग में वर्णित किया है। 'शिशुपालवध' महाकाव्य में 'सत्य' तत्त्व की अवधारणा - 'शिशुपालवध' महाकाव्य का कथा विन्यास पौराणिक है। स्वयं परमात्मा स्वरूप वासुदेव

श्रीकृष्ण इस महाकाव्य के नायक है। कवि ने श्रीकृष्ण को पुराण-पुरुष, प्रज्ञावतार एवं धर्म-संस्थापक के रूप में चित्रित किया है। महाकाव्य का प्रारम्भ उनके ऐश्वर्य में श्रीविष्णु के सदृश रूप में किया है-

'श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगज्जगन्निवासो वसुदेवसग्ननि।  
वसन्दददर्शावितरन्तमम्बराद्धिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः॥'<sup>1</sup>

अर्थात्, महाकवि माघ ने श्रीकृष्ण को 'श्रियः पतिः' के रूप में निरूपित किया है। शिशुपालवध महाकाव्य में कवि ने विभिन्न स्थलों पर ईश्वर प्रदत्त 'भगवत्कृपा' के सनातन सत्य का वर्णन किया है। मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य आत्मा-स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है। यह यथार्थ ज्ञान ही 'सत्य' है। भगवती श्रुति भी यही कहती है-

'इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः।'<sup>2</sup>

अर्थात् 'हे मानव ! अपने इस जीवन में यदि आपने ज्ञान द्वारा परमात्मतत्त्व को जान लिया, तब तो तेरा जीवन सार्थक है। अन्यथा तेरा (जन्म-मरणलक्षणयुक्त) महान् विनाश ध्रुव है।'

'शिशुपालवध' महाकाव्य में महाकवि ने 'परमात्मतत्त्व' का श्लाघनीय विवेचन महर्षि नारद के मुखारविन्द से 'विराट पुरुष अर्थात् पुरातन पुरुष' श्रीकृष्ण के स्वरूप-सौन्दर्य में उद्घाटित किया है-

'उदासितारं निगृहीतमानसैः,  
गृहीत मध्यात्मदशा कथञ्चन।  
बहिर्विकारं प्रकृतेः पृथग्विदुः  
पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः॥'<sup>3</sup>

अर्थात् 'आप उदासीन महदादि तत्त्वों (पञ्चमहाभूत, पञ्चकर्मन्द्रियाँ, पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्चतन्मात्राएँ, मन, बुद्धि, अहङ्कार) प्रकृति विकारों से भिन्न तथा मूल प्रकृति से पृथक् पुरातन विराट पुरुष के रूप में महिमा मण्डित है।'

वस्तुतः, साङ्ख्यदर्शन का पुरुष विवेकसम्पन्न, निराकार, अविषयी असामान्य, अप्रसवधर्मी, विकार रहित एवं उदासीन है। महाकवि माघ ने भगवान श्रीकृष्ण को इसी 'पुरुष' तत्त्व का स्वरूप कहकर प्रतिष्ठित किया है। अतः श्रीकृष्ण साक्षात् 'आनन्दस्वरूप एवं 'सत्य' है-

'अनन्यगुर्व्यास्तव केन केवलः पुराणमूर्तेर्महिमावगम्यते।  
मनुष्यजन्मापि सुरासुरान्गुणैर्भवान्भवच्छेदकरैः करोत्यथः॥'<sup>4</sup>

महाकवि माघ, महर्षि नारद के मुखारविन्द से विराट पुरुष भगवान् श्रीकृष्ण की महिमा का सत्योद्घाटन करते हुए कहते हैं-

'आप सृष्टि में सर्वोत्तम सत्य हैं, पुरातन पुरुष हैं, और आपकी महिमा दुर्बोध है। योगीजन बड़ी कठिनता से इस सत्य-तत्त्व का आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं।'

पुरातन पुरुष, परमात्मा अखिल ब्रह्माण्ड नायक, परापर परमब्रह्म हैं।

लौकिक और पारलौकिक जगत में एकमात्र 'शाश्वत सत्य' परमपिता परमात्मा ही हैं। उनकी अहैतुकी 'भगवत्कृपा' से समग्र विश्व का भरण-पोषण एवं कल्याण हो रहा है।

'शिशुपालवध' महाकाव्य में भगवान् श्रीकृष्ण का सगुण अवतार सम्पूर्ण जीवों के हित के लिए हुआ है। वे स्वभाव से ही परम कृपालु एवं सुहृदय हैं। साधु पुरुषों का उद्धार, धर्म का प्रचार और दुष्टों का संहार करने के लिए एवं संसार में अपनी पुनीत लीला का विस्तार कर लोगों में प्रेम और श्रद्धा का सन्चार करने लिए उनका लोकोपकारमय स्वरूप वन्दनीय है। महर्षि नारद भगवान् श्रीकृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं-

'लघूकरिष्यन्नतिभारभङ्गुराममू किल त्वं त्रिदिवाद्वातरः।

उद्धूलोकत्रियेन साम्प्रतं गुरुर्धरित्री क्रियतेतरां त्वया॥<sup>5</sup>

अर्थात् 'आप राक्षसों के अत्याधिक भार से स्वयं विदीर्ण होने वाली पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए स्वयं अवतीर्ण हुए हैं। भगवान् के ऊपर प्रकोष्ठ में तीनों लोकों के विराजमान होने के कारण पृथ्वी पर एक कोर तो भगवान् कृष्ण के शक्तिमय व्यक्तित्व का भार है, दूसरी ओर उनमें दिए हुए तीनों लोकों का भार मिलकर यह पृथ्वी और भी अधिक भाराक्रान्त हो रही है।'

जीवन में भाग्य और पुरुषार्थ का विशिष्ट स्थान है। लौकिक पक्ष में भाग्य और पुरुषार्थ की महत्ता का उद्घाटन करते हुए 'सत्य' के सापेक्ष इसे रूपायित करने का सफल प्रयास महाकवि माघ ने किया है-

'नालम्बते दैष्टिकतां न निषीदति पौरुषे।

शब्दार्थो सत्कविरिव द्दयं विद्वानपेक्षते॥<sup>6</sup>

'शिशुपालवध' महाकाव्य में 'शिव' तत्त्व की अवधारणा - 'काव्य-शास्त्रियों ने काव्य के छह प्रयोजनों का उल्लेख किया है, जिसमें 'शिव' तत्त्व की प्रधानता को विशिष्ट स्थान प्रदान किया है-

'काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।

सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मितयोपदेशयुजे॥<sup>7</sup>

'शिशुपालवध' महाकाव्य में काव्य के अभीष्ट प्रयोजन 'शिवेतरक्षयेय' को विशिष्ट स्थान दिया गया है। महाकवि माघ ने 'शिव' तत्त्व को मङ्गलमये-कल्याणकारी तत्त्व के रूप में निरूपित किया है। धर्म की स्थापना तथा अशिव शक्तियों के क्षय के लिए कवि का प्रयास सफल रहा है। शिशुपाल के अत्याचार से आक्रान्त सज्जनों के कल्याण के लिए महर्षि नारद का कथन इसी माङ्गलिक कार्य के स्थापनार्थ हुआ है-

'तदेनमुल्लङ्घितशासनं विधेर्विधेहि

कीनाशनिकेतनातिथिम्।

शुभेतराचारविपक्त्रिमावदो

विपादनीया हि सतामसाधवः॥<sup>8</sup>

अर्थात्, शिशुपाल के द्वारा किए जा रहे, अमङ्गल कार्यों से निदान पाने के लिए तथा साधुजनों के कल्याणार्थ माङ्गलिक कार्यों की प्रतिस्थापनार्थ देवर्षि नारद वासुदेव भगवान् श्रीकृष्ण से आत्मनिवेदन करते हैं-

'संसार के उद्धारक भगवान् आप शीघ्र ही इस शिशुपाल को यमलोक का अतिथि बनाए, क्योंकि उसने अपने पूर्व कर्मों से संसार को हिलाकर रख दिया है। आप दुष्टों के दमन कर्ता हैं, संसार के रक्षक हैं।'

'श्रीमद्भगवत्गीता' में स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन से इसी 'शिव' तत्त्व की स्थापनार्थ कहते हैं-

'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे-युगे॥<sup>9</sup>

वस्तुतः, भगवान् के मङ्गलमयी विधान के अधीन सम्पूर्ण सृष्टि कार्य

कर रही है। उसी मङ्गलमय विधान से मानव को यह स्वाधीनता मिली है कि वह मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य का विवेक के द्वारा सदुपयोग कर सकता है। अनेकता में एकता का दर्शन होने से 'शिवत्त्व' का प्रादुर्भाव होता है, इसके विपरीत एकता में अनेकता का स्वार्थपरक अनुभव करने से अमङ्गल की प्राप्ति होती है। महाकवि माघ ने इसे समय की बलवान् शक्ति के रूप में इसे वर्णित किया है-

'समय एव करोति बलाबलं प्रणिगदन्त इतीव शरीरिणाम्।

शरदि हंसरवाः परुषीकृत स्वमयूर मयूरमणीयताम्॥<sup>10</sup>

महाकवि माघ ने 'शिशुपालवध' महाकाव्य में मङ्गलाचरण प्रकरण में प्रथम सर्ग के प्रथम छन्द में 'श्रियः पतिः' शब्द द्वारा भगवान् की वन्दना की है। काव्य का विषय चिन्तन एवं ईश स्मरण पर अवस्थित होता है। यही चिन्तन और स्मरण द्वारा कवि अपने महाकाव्य का शुभारम्भ करते हुए 'शिव-तत्त्व' की कल्याणमयी उपलब्धि की याचना करता है। 'शिशुपालवध' महाकाव्य का प्रथम श्लोक 'शिव-तत्त्व' से समन्वित है-

'श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं

जगज्जगन्निवासो वसुदेवसन्नि।

वसन्ददर्शावतरन्तमम्बराद्धिरण्य-

गर्भाङ्ग भुवं मुनिं हरिः॥<sup>11</sup>

'शिशुपालवध' महाकाव्य में वर्णित 'शिवत्त्व', लोकमङ्गल की कामनाभिव्यक्ति के रूप में समलङ्कृत है। महाकाव्य के अन्त तक महाकवि माघ का प्रमुख उद्देश्य इसी 'शिवत्त्व' की स्थापना करना रहा है। इस महाकाव्य में वर्णित समग्र धीरोदात्त पात्र शिवत्त्व की भावना से अनुप्राणित हैं। राजसूय यज्ञ के अवसर पर धर्मात्मा युधिष्ठिर माङ्गलिक शिवत्त्व की कामना के संहितार्थ वासुदेव भगवान् श्रीकृष्ण से यज्ञ के शुभारम्भ के लिए अनुग्रह की याचना करते हैं-

'सप्ततन्तुमधिगन्तुमिच्छतः कुर्वन्नुग्रहयज्ञया मम

मूलतामुपगते प्रभो! त्वयि प्रापि धर्ममयवृक्षता मया॥

किं विधेयमनया विधीयतां त्वत्प्रसादजितयाथ सम्पदा

आधिशासक जगत्त्रयस्व मामाश्रवोऽस्मि भवतः सहानुजाः॥<sup>12</sup>

अर्थात्, 'हे प्रभो ! मुझे यज्ञेच्छुक को यज्ञ करने की आज्ञा प्रदान करने का अनुग्रह करें। धर्म रूप वृक्ष के मूलभूत आपकी कृपा से ही मैं धर्मराज पद को प्राप्त हुआ हूँ।'

'आपकी कृपा से प्राप्त इस धन-सम्पदा द्वारा मुझे क्या करना है, कृपा पूर्वक आप ही निर्देश करें। आप तीनों लोकों के शासक हैं। कृपा मुझे भी शिक्षा दीजिए। हम सबान्धव आपके आज्ञाकारी हैं।'

'शिशुपालवध' महाकाव्य में 'सुन्दर' तत्त्व की अवधारणा - महाकाव्य के तत्त्व-विवेचन में 'सुन्दर' कव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है। 'शिशुपालवध' महाकाव्य में इसे रस, छन्द, और अलङ्कार के चारुतम् संयोजन के रूप में आत्मसात् कर सकते हैं। महाकवि माघ ने अपने काव्यत्त्व का सुन्दरतम् बनाने के हितार्थ वेद-वेदान्त, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, एवं श्रीमद्भागवत का आश्रय लिया है। कवि ने अपनी कल्पना की समाहार शक्ति द्वारा तथा अलङ्कारों के नवीनतम् संयोगों के द्वारा 'शिशुपालवध' महाकाव्य को 'सुन्दर' बनाने का सार्थक प्रयास किया है।

(1) भाषा-सौन्दर्य- 'शिशुपालवध' महाकाव्य में भाषा का परिष्कृत एवं प्राञ्जल प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। महाकाव्य की भाषा कहीं लालित्य एवं माधुर्ययुक्त है, कहीं अर्थ-गाम्भीर्य से युक्त है, कहीं भाषा प्रसादगुण युक्त है, तो अन्यत्र सामाजिक बहुलता के दर्शन होते हैं। माधुर्यमयी भाषा के द्वारा मधुरकर के गुञ्जन का सुन्दर उदाहरण दृष्टव्य है-

‘मधुरया मधुबोधितमाधवीमधुसमृद्धिसमेधितमेधया।

मधुकराङ्गनया मुहुन्मदध्वनिभृता निभृताक्षरमुज्जगे।।’<sup>13</sup>

भाषा में ध्वन्यात्मकता महाकवि माघ की अप्रतिम विशेषता है। ध्वन्यात्मक भाषा द्वारा मेखला की ध्वनी का वर्णन मनोहारी एवं रमणीय है-

‘वदनसौरभलोभपरिभ्रमरसम्भ्रमसम्भृत शोभया।

चलितया विदधे कलमेखलाकलकलोऽलकलोऽलान्यया।।’<sup>14</sup>

(2) **भाव-सौन्दर्य** - जिस प्रकार हृदय की पवित्रता उसके विचारों पर अवलम्बित होती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की रमणीयता उसके भावों की शुचिता पर निर्भर होती है। काव्य में वर्णित भावाभिव्यक्ति ही रचनाकार के उद्देश्य को सार्थक करती है। ‘शिशुपालवध’ महाकाव्य में भावों की श्लाघनीयता का सुन्दर, हृदयस्पर्शी एवं मनोहारी विवेचन हुआ है।

महाकवि माघ ने ‘समय’ के वैचित्र्य को चित्रित करते हुए कहा है- ‘भाग्य की क्या विचित्र गति है ? रात्रि के समापन के साथ चन्द्रमा अस्त तथा भास्कर का उदय हो रहा है। कुमुद-वन निस्तेज एवं कमल-वन विकसित हो रहा है। उल्लूक पक्षी खिन्न एवं चकवा आदि पक्षिगण प्रसन्नता से प्रतीत हो रहे हैं।’ कवि का भाव सौन्दर्य दृष्टव्य है-

‘कुमुदवनमपश्चि श्रीमदम्भोजखण्डं त्यजति मुदमुलूकः प्रीतिमांश्क्रवाकः।  
उदयमहिमरश्मिर्याति शीतांशुरस्तं हतविधिलसितानां ही! विचित्रो विपाकः।।’<sup>15</sup>

(3) **रस-सौन्दर्य** - शिशुपालवध महाकाव्य का अङ्गीरस ‘वीर’ रस है। ‘वीररस’ प्रधान काव्य में कवि की सरसता, सरलता एवं सहृदय भाव-विन्यास से अङ्ग स्वरूप ‘शुङ्गार’ भी मुखरित सा प्रतीत हो रहा है। शिशुपालवध महाकाव्य के तृतीय सर्ग में जब श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते हैं उस समय मार्ग में उन्हें रमणियों ने घेर रखा था। भगवान् वासुदेव श्रीकृष्ण जिस स्त्री की ओर दृष्टिपात् करते हैं, वह स्त्री लज्जाशील हो जाती है और जिस स्त्री की ओर वह दृष्टि नहीं डालते हैं, वह ईर्ष्या के वशीभूत होकर उन पर नयनों से कटाक्ष करती थी-

यां यां प्रियः प्रैक्षत कातराक्षीं

स सा द्विया नम्रमुखी बभूव।

निःशङ्कमन्याः सममाहितेर्ष्या-

स्तत्रान्तरे जघनुरमु कटाक्षैः।।’<sup>16</sup>

(4) **अलङ्कार-सौन्दर्य** - चमत्कारवादी कवि एवं आचार्य महाकवि भारवि ने जिस रीति सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया था, वह आचार्य भट्टिसे होते हुए महाकवि माघ में पूर्णता को प्राप्त होता है। कवि माघ ने चित्रालङ्कारों का प्रयोग भारवि से बढ़कर प्रवीणता के साथ प्रस्तुत किया है। उनमें जहाँ एक ओर पारम्परिक उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति एवं अर्थान्तरान्यास आदि अलङ्कारों का प्रयोग है, वहीं चित्रालङ्कार के भेदों-उपभेदों का भी विशदीकरण किया गया है। वर्णों के द्वारा सुन्दर ‘समुद्र’ अलङ्कार की योजना का प्रयोग मनोहारी है-

‘सदैव सम्पन्नवपू रणेषु स दैवसम्पन्नवपूरणेषु।

महो दधेऽस्तारि महानितान्तं महोदधेस्तारिमहा नितान्तम्।।’<sup>17</sup>

1. **उपमा -सौन्दर्य** - उपमा अलङ्कार के प्रयोग में महाकवि माघ शास्त्रीय आचार्य हैं। भाग्य एवं पुरुषार्थ दोनों का जीवन में विशिष्ट स्थान है। जिस प्रकार काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का समान अस्तित्व है उसी प्रकार भाग्य और पुरुषार्थ जीवन में सम्पृक्त रहते हैं-

‘नालम्बते दैष्टिकतां न निषीदति पौरुषे।

शब्दार्थो सत्कविरिवद्धयं विद्वानपेक्षते।।’<sup>18</sup>

2. **यमक-सौन्दर्य** - ‘वसन्त ऋतु’ के वैभव का सुन्दर एवं मनोहारी वर्णन महाकवि माघ ने प्रस्तुत किया है-

‘नवपलाशपलाशवनं पुरः स्फुटपरागपरागतपङ्कजम्।

मृदुलतान्तलताऽन्तमलोकयत्स सुरभिं सुरभिं सुमनोभरैः।।’<sup>19</sup>

3. **श्लेष-सौन्दर्य** - महाकवि माघ ने श्लेष अलङ्कार के माध्यम से भाग्य की प्रतिकूलता का सन्दर्भ देते हुए कहा है कि चन्द्रोदय के समय चन्द्रमा के प्रतिकूल होने पर सहस्रों किरणों वाला सूर्य भी अस्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भाग्य के प्रतिकूल होने पर सभी साधन व्यर्थ हो जाते हैं- ‘प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता ।

अवलम्बनाय दिनभर्तुरभून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि।।’<sup>20</sup>

4. **उत्प्रेक्षा-सौन्दर्य** - रैवतक पर्वत से निकली हुई नदियाँ समुद्र की ओर प्रस्थान कर रही हैं। कवि ने उत्प्रेक्षा अलङ्कार के माध्यम से कल्पना की है कि मानों नदी रूपी पुत्रियों, समुद्र रूपी पति से मिलने जा रही हैं और पिता रूपी पर्वत मानों पक्षियों के कलवर के माध्यम से रुदन कर रहा है-

‘अपशङ्कमङ्कपरिवर्तयोचिताश्चलिताः पुरः पतिमुपेतुमात्मजाः।

अनुरोद्वितीय करुणेन पत्रिणां विरुतेन वत्सलतयैष निम्नगाः।।’<sup>21</sup>

5. **निदर्शन-सौन्दर्य** - निदर्शनलङ्कार के माध्यम से महाकवि माघ ने रैवतक पर्वत के एक ओर सूर्योदय और दूसरी ओर चन्द्रमा को देखकर, हाथी के गले में लटकते हुए दो विशाल घण्टों की कल्पना की है। इस कल्पना की उत्कृष्टता के कारण महाकवि माघ का नाम ही ‘घण्टा माघ’ पड़ गया-

‘उदयति वितोर्ध्वरश्मिरज्जावहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम्।

वहति गिरिरयं विलम्बिघण्टाद्दयपरिवारितवारणेन्द्रलीलाम्।।’<sup>22</sup>

अतः हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि शिशुपालवध महाकाव्य में ‘सत्यं शिवं सुन्दरम्’ के शाश्वत-स्वरूप का निरूपण किया गया है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. शिशुपालवध महाकाव्य प्रथम सर्ग, श्लोक 1
2. केनोपनिषद् द्वितीय खण्ड, श्लोक 5
3. शिशुपालवधम् महाकाव्य प्रथम सर्ग, श्लोक 33
4. शिशुपालवधम् महाकाव्य प्रथम सर्ग, श्लोक 35
5. शिशुपालवधम् महाकाव्य प्रथम सर्ग, श्लोक 36
6. शिशुपालवधम् महाकाव्य द्वितीय सर्ग, श्लोक 88
7. काव्यप्रकाश, प्रथम उल्लास, कारिका 2
8. शिशुपालवधम् महाकाव्य प्रथम सर्ग, श्लोक 73
9. श्रीमद्भगवद्गीता, चतुर्थ अध्याय, श्लोक 8
10. शिशुपालवध, महाकाव्य षष्ठम सर्ग, श्लोक 44
11. शिशुपालवध, प्रथम सर्ग, श्लोक 1
12. शिशुपालवध महाकाव्य चतुर्दश सर्ग, श्लोक 6 व 11
13. शिशुपालवध महाकाव्य षष्ठ सर्ग, श्लोक 20
14. शिशुपालवध महाकाव्य षष्ठ सर्ग, श्लोक 14
15. शिशुपालवध महाकाव्य एकादश सर्ग, श्लोक 64
16. शिशुपालवध महाकाव्य तृतीय सर्ग, श्लोक 16
17. शिशुपालवध महाकाव्य उन्नीसवाँ सर्ग, श्लोक 118
18. शिशुपालवधम् महाकाव्य प्रथम सर्ग, श्लोक 88
19. शिशुपालवधम् महाकाव्य षष्ठ सर्ग, श्लोक 2
20. शिशुपालवध महाकाव्य नवम सर्ग, श्लोक 6
21. शिशुपालवध महाकाव्य चतुर्थ सर्ग, श्लोक 47
22. शिशुपालवध महाकाव्य चतुर्थ सर्ग, श्लोक 20

## विश्वनाथदेव विरचित साहित्यसुधासिन्धु में काव्य प्रयोजन विमर्श

डॉ. आराधना \*

**शोध सारांश** - 'कारणमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्ततेय यह भारतीय शास्त्र परम्परा का चिर परिचित सिद्धान्त वाक्य है। इसका तात्पर्य है कि जब सामान्य जन भी निष्प्रयोजन किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता तो 'कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः' अर्थात् असाधारण व्यक्ति से युक्त कवि काव्य सर्जन में कैसे प्रवृत्त हो सकता है। काव्य के इस काव्य-प्रयोजन का निर्देश समन्य की भावना से किया गया है। पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रतिपादित काव्य-प्रयोजनों का और भी अधिक परिमार्जन करके साहित्यसुधासिन्धुकार ने स्वर्ग और मोक्ष के साथ-साथ यशोलाभ, अर्थप्राप्ति, व्यहार-ज्ञान, अनिष्ट निवारण, परमानन्दप्राप्ति, कान्तासम्मित उपदेश, कीर्ति और प्रीति को काव्य-प्रयोजन के रूप में वर्णन कर मौलिकता का परिचय दिया है। स्वर्ग की चर्चा कर इन्होंने अन्य आचार्यों से स्पष्टतः भिन्नता प्राप्त की है।

**शब्द कुंजी** - धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, स्वर्ग, यशोलाभ, अर्थप्राप्ति, व्यहार-ज्ञान, अनिष्ट निवारण, परमानन्दप्राप्ति, कान्तासम्मित उपदेश, कीर्ति और प्रीति।

**प्रस्तावना** - काव्य सौद्देश्य होता है क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी कार्य में तभी प्रवृत्त होता है, जब उसे उसमें इष्टसाधनता और कृतिसाध्यता का ज्ञान हो। 'इदमिष्टसाधनम्' यह काम मेरे लिए इष्ट का साधन है, अतएव इसके करने में मेरे मनोरथ की सिद्धि होगी अथवा इस कार्य की कृतिसाध्यता भी है, मैं इसे भली-भाँति कर सकता हूँ। इस प्रकार का उभयविध ज्ञान होने पर ही मनुष्य किसी कार्य में प्रवृत्त होता है।

प्रयोजन के बिना तो मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य के लिए उद्यत नहीं होता है 'प्रयोजनं ह्यनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते।' जैसे लौकिक कार्यों को करते समय कर्ता का कोई न कोई उद्देश्य होता है, वैसे ही काव्य के रचयिता के हृदय में प्रयोजन रहता है। जो काव्य के प्रयोजन हैं, वे काव्यशास्त्र के प्रयोजन भी हैं, क्योंकि काव्यशास्त्र काव्य का अंग है।<sup>1</sup> काव्यशास्त्रीय आचार्य काव्य प्रयोजनों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करते हैं। उन्होंने एक से लेकर सात तक काव्य प्रयोजन माने हैं।

वाग्भट प्रथम<sup>2</sup> और आनन्दवर्धन<sup>3</sup> ने एक प्रयोजन माना है। वाग्भट कीर्ति और आनन्दवर्धन प्रीति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। दो प्रयोजन मानने वाले आचार्यों में वामन<sup>4</sup> और भोज<sup>5</sup> हैं। वामन और भोज कीर्ति व प्रीति दोनों को काव्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार करते हैं।

तीन प्रयोजनवादी आचार्य हेमचन्द्र और अग्निपुराणकार हैं, हेमचन्द्र आनन्द, यश और कान्तासम्मित उपदेश को ही काव्य का प्रयोजन मानते हैं-

काव्यमानन्दाय यशसे कान्तातुल्यतयोपदेशाय च।<sup>6</sup>

अग्निपुराण धर्म, अर्थ, काम को काव्य-प्रयोजनों के रूप में स्वीकार करते हैं-

त्रिवर्गसाधनं नाट्यम्।<sup>7</sup>

चार प्रयोजन मानने वाले आचार्य रामचन्द्र-गुणचन्द्र हैं।<sup>8</sup> उन्होंने पुरुषार्थ चतुष्टय - धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को काव्य-प्रयोजन के रूप में स्वीकार कर मोक्ष को गौण प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है। आचार्य

विश्वनाथ<sup>9</sup> भी चार प्रयोजन स्वीकार करते हैं। इन्होंने पुरुषार्थ चतुष्टय-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को काव्य-प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है, ये चारों को ही काव्य का परम प्रयोजन मानते हैं। इनके अनुसार ये परस्पर पूर्णतः एक-दूसरे से जुड़े भी हैं।

रुद्रट पाँच काव्य प्रयोजनों को स्वीकार करते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ-चतुष्टय के साथ-साथ शीघ्र और सरलता पूर्वक ज्ञान को काव्य के प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है-

ननु काव्येन क्रियते सरसानामगमश्चतुर्वर्गो

लघु मृदु च नो रसेभ्यते हि त्रयन्ति, शास्त्रेभ्यः।।<sup>10</sup>

छह प्रयोजनों को मानने वाले आचार्यों में कुन्तक और मम्मट हैं। कुन्तक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, व्यवहार ज्ञान, आनन्दानुभूति को काव्य के प्रयोजन मानते हैं।<sup>11</sup> मम्मट ने यश, अर्थप्राप्ति, व्यवहारिक ज्ञान, अमंगलनाश, परमानन्द तथा कान्तासम्मित उपदेश को काव्य के प्रयोजन कहे हैं-

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।

सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे।।<sup>12</sup>

आचार्य भरत<sup>13</sup> और भामह<sup>14</sup> ने काव्य के सर्वाधिक प्रयोजन सात का वर्णन किया है। भरत के अनुसार काव्य हितकारी उपदेश देने वाला, धैर्य, मनोविनोद और सुख प्रदाता, दुःख पीड़ित तथा शोकसन्तप्त व्यक्तियों को विश्रान्ति देने वाला, धर्म, यश तथा आयु को बढ़ाने वाला है। भामह ने पुरुषार्थ चतुष्टय के अतिरिक्त समस्त कलाओं में नैपुण्य तथा कीर्ति एवं प्रीति को काव्य का प्रयोजन कहा है।

**आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार काव्य-प्रयोजन** - आचार्य विश्वनाथदेव बहुप्रयोजनादी हैं। उन्होंने काव्य को स्वर्ग और मोक्ष का जनक आदि कहकर स्वर्ग और मोक्ष के साथ-साथ अन्य प्रयोजनों की भी प्राप्ति मानी है-

काव्यं स्वर्गापवर्गादिजनकमिति।<sup>15</sup>

अन्य प्रयोजनों में वे मम्मट और भोज के काव्य-प्रयोजन से एकमत



हैं।<sup>16</sup> क्योंकि दोनों के प्रयोजनों को उन्होंने उद्धृत किया है। मम्मट के मत को उद्धृत करते हैं-

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।  
सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे।<sup>17</sup>

भोज के मत को उद्धृत करते हैं-

अदोषं गुणवत् काव्यमलंकारैरलङ्कृतम्।  
रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति।<sup>18</sup>

विश्वनाथदेव द्वारा उद्धृत सरस्वतीकण्ठाभरण की प्रस्तुत कारिका में विश्वनाथदेव के अन्तिम चरण में 'कीर्तिं स्वर्गं च विन्दति' ऐसा पाठ दिया है। अन्यत्र 'कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति' ऐसा पाठ होता है।<sup>19</sup> इनसे स्पष्ट है कि वे स्वर्ग और मोक्ष के साथ-साथ यशोलाभ, अर्थप्राप्ति, व्यावहारिक ज्ञान, अनिष्टनिवारण, परमानन्द, कान्तासम्मित उपदेश, कीर्ति और प्रीति को भी काव्य के प्रयोजन के रूप में स्वीकार करते हैं।

उन्होंने ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रयोजनों को मानकर काव्य को स्वर्ग और मोक्ष से जोड़ा है। वे कहते हैं कि संसार में सामाजिकों के द्वारा भली-भाँति परीक्षा करके परिष्कृत किया गया काव्य ही स्वर्ग और मोक्ष आदि का कारण बनता है।

'इह खलु सामाजिकपरीक्षितमेव काव्यं स्वर्गापवर्गादिन - कमितितत्परीक्षार्थमय- आरम्भः'<sup>20</sup>

**निष्कर्ष** - काव्य-प्रयोजन के विषय में आचार्य एकमत नहीं है। पूर्ववर्ती आचार्यों से प्रभावित होते हुए भी विश्वनाथदेव ने स्वमत स्थापना की है। आचार्य विश्वनाथदेव ने स्वर्ग और मोक्ष के साथ-साथ यशोलाभ, अर्थप्राप्ति, यवहार-ज्ञान, अनिष्ट निवारण, परमानन्दप्राप्ति, कान्तासम्मित उपदेश, कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन के रूप में वर्णन कर मौलिकता का परिचय दिया है। यद्यपि उनके कुछ प्रयोजन पुरुषार्थ चतुष्टय में समाहित प्रतीत होते हैं। तदपि स्वर्ग की चर्चा कर उन्होंने अन्य आचार्यों के मत से स्पष्टतः भिन्नता प्राप्त की है।

#### पाद टिप्पणियाँ -

1. साहित्यदर्पण, प्रथम परिच्छेद, पृ. सं. 7
2. वयं तु कीर्तिमैवैकां काव्यहेतुताया मन्यामहे...।  
काव्यानुशासन, पृ. सं. 2
3. तेन ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम्।  
ध्वन्यालोक, 1.1
4. काव्यं सद्दृष्टार्थं प्रीतिकीर्तिहेतुत्वात्।  
काव्यालंकारसूत्र, 1.1.5
5. निर्दोषं गुणवत्काव्यमंकारैरलङ्कृतम्।  
रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति।  
सरस्वतीकण्ठाभरण, 1.2
6. काव्यानुशासन, पृ. सं. 3
7. अग्निपुराण, 338.7
8. चतुर्वर्गफलां नित्यां जैनी वाचमुपास्महे।  
रूपैहदिशभिर्विश्वं 'I नाटये धृतं पथि।

नाट्यदर्पण, 1.1

9. चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि।  
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निगद्यते।  
साहित्यदर्पण, प्रथम परिच्छेद, कारिका 2
10. काव्यालंकार, 12.1
11. वक्रोक्तिजीवितम्, 1.3-5
12. काव्यप्रकाश, 1.2
13. नाट्यशास्त्र, 1.113-15
14. धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च।  
करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्य-निबन्धनम्।  
काव्यालंकार, 1, 12
15. साहित्यसुधासिन्धु, प्रथम तरंग, पृ. सं. 4
16. साहित्यसुधासिन्धु, प्रथम तरंग, पृ. सं. 6
17. साहित्यसुधासिन्धु, प्रथम तरंग, पृ. सं. 6
18. सरस्वतीकण्ठाभरण, 1/2
19. साहित्यसुधासिन्धु, प्रथम तरंग, पृ. सं. 4
20. साहित्यसुधासिन्धु, प्रथम तरंग, पृ. सं. 4

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्निपुराण - डॉ. घनश्याम त्रिपाठी, तारिणीश झा, हिन्दी साहित्यसम्मेलन, प्रयाग, 2007
2. काव्यानुशासन - हेमचन्द्र, पं. शिवदत्त शर्मा, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, 1901
3. काव्यानुशासन - वाग्भट, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, 1984
4. काव्यप्रकाश - मम्मट, आचार्य विश्वेश्वर, ज्ञानमण्डल प्रकाशन, वाराणसी, 2005
5. काव्यालंकार - भामह, देवेन्द्रनाथ शर्मा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, 1962
6. काव्यालंकार - रुद्रट, श्रीरामशुक्ल, चौखम्बा विद्याभन, वाराणसी, 1966
7. काव्यालंकारसूत्रवृत्ति - वामन, कामधेनु टीका सहित, वाचस्पति प्रेस, कलकत्ता, 1922
8. ध्वन्यालोक - आनन्दवर्धन, कृष्ण कुमार, साहित्य भण्डार, मेरठ, 1973
9. वक्रोक्तिजीवितम् - कुन्तक, आचार्य विश्वेश्वर, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, 1955
10. सरस्वतीकण्ठाभरण - महाराजभोज, द सुपरीडेन्ट गवर्मेन्ट प्रेस, त्रिन्द्रपुर, 1948
11. साहित्यदर्पण - विश्वनाथ, शेषराज रेग्मी, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, 2007
12. साहित्यसुधासिन्धु - विश्वनाथदेव, रामप्रताप वेदालंकार, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली, वाराणसी, 1978

## चित्रकला के कुशल पारखी - जहाँगीर

डॉ. निशा गुप्ता \*

**शोध सारांश** - मुगलकाल की चित्रकला को सर्वोच्च ऊँचाई पर ले जाने वाले जहाँगीर का नाम भारतीय चित्रकला क्षेत्र में अविस्मरणीय है। भारतीय मुगल युग का स्वर्ण युग इन्हीं महान शासक के काल को माना जाता है। इन्होंने चित्रकारों को पूर्ण सम्मान दिया। चित्रकला की ऐसी मजबूत पकड़ थी कि ये अपने दरबार में नियुक्त हर चित्रकार का काम अलग-अलग रूप में पहचान लेते थे। इन्हें शकील लगाने का शौक था। इन्हीं के काल से हाशियों का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। जहाँगीर सुन्दर कलात्मक वस्तुओं के प्रेमी थे। जहाँगीर की जीवन लीला समाप्त होने के साथ-साथ मुगलकालीन चित्रकला की आत्मा भी समाप्त प्रायः हो गयी।

**शब्द कुंजी** - कलाप्रेमी, अनुराग, कलापारखी, शक्तिशाली, प्रभावशाली।

**प्रस्तावना** - भारत वर्ष में जिस मुगल शैली का आरम्भ अकबर के संरक्षण में हुआ, उसका सर्वांगीण विकास जहाँगीर के संरक्षण में हुआ। जहाँगीर को चित्रकला-प्रेम विरासत में प्राप्त हुआ था। वह अकबर के कलानुराग का जीवित रूप था। उसके शासनकाल में मुगल चित्रकला को उत्कृष्टता प्राप्त हुई और वह अपने विकास के चर्मोत्कर्ष पर पहुँची, इसलिए इस युग को मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है।<sup>(1)</sup>

महान कला-रसिक जहाँगीर का जन्म 30 अगस्त सन् 1569 ई0 को हुआ था। उसका बचपन का नाम सलीम था, क्योंकि उसका जन्म अकबर की बड़ी प्रार्थनाओं, तीर्थ यात्राओं तथा फतेहपुर सीकरी के प्रसिद्ध सूफी सन्त शेख सलीम चिश्ती के आर्शीवाद से हुआ था।<sup>(2)</sup> उसकी माता आमेर (जयपुर) के शासक बिहारीमल की बेटी थी, जिसे मुगल हरम में मलिका उजमानी कहा जाता था।<sup>(3)</sup>

सम्राट अकबर ने सलीम का लालन-पालन बड़े प्यार से किया और फारसी, अरबी, तुर्की, हिन्दी, गणित, इतिहास में उसे पर्याप्त शिक्षा दी गई। सन् 1585 ई0 में 16 वर्ष की आयु में सलीम का विवाह आमेर के राजा भगवानदास की पुत्री मानबाई से हुआ। यह विवाह हिन्दु-मुसलमान दोनों ही रीतियों से सम्पन्न हुआ। इसके बाद जहाँगीर ने अनेक विवाह किए।

डॉ0 एस0आर0 शर्मा के अनुसार - 'उसकी कितनी ही उप-पत्नियाँ थी और सब मिलाकर उसके अन्तःपुर में लगभग 380 महिलाएँ थी।'

जहाँगीर का सबसे महत्वपूर्ण विवाह मेहरुनिशा से हुआ। इसको नूरजहाँ के नाम से जाना जाता है। डॉ0 बेनी प्रसाद ने लिखा है - 'मध्यकालीन इतिहास में किसी भी अन्य व्यक्ति का जीवन इतना औपन्यासिक नहीं है, जितना नूरजहाँ का। जहाँगीर के समय की किसी अन्य घटना में उतना आकर्षण नहीं जितना नूरजहाँ के साथ उसके विवाह में। पन्द्रह वर्षों तक यह सुप्रसिद्ध महिला मुगल साम्राज्य में अत्यन्त ही शक्तिशाली एवं प्रभावशाली रही।'

सौन्दर्य जिज्ञासु जहाँगीर ने अपने पिता अकबर की परम्पराओं का बखूबी निर्वाह किया। उसके समय में भी सचित्र ग्रन्थों का निर्माण कार्य चलता रहा। ईरानी चित्रकला में अकबर ने जिस भारतीयकरण का बीजारोपण

किया और यत्नपूर्वक मुगल चित्रकला को समुन्नत किया उसे जहाँगीर ने चरमोत्कर्ष तक पहुँचा दिया। उसने अकबरी चित्रशाला को इलाहाबाद किले में स्थानान्तरित किया और प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार आकारिजा को इस चित्रशाला का अधीक्षक नियुक्त किया। आकारिजा जो ईरानी शैली में कार्य करता था, पूर्णरूप से भारतीय शैली को अपना लिया था। उसके बनाए हुए दो सचित्र ग्रन्थ राजकवार (सन् 1606 ई0) तथा अमीरनज्म-उद-दीन हसन हदलीव की 'गजल एवं रूबाईयाँ' यहीं चित्रित किये गए। ये दोनों ग्रन्थ क्रमशः चेस्टरबरी संग्रहालय एवं बाल्टीमोर के बाल्टर्स गैलरी में संग्रहित हैं।

जहाँगीर महान कलानुरागी और उच्चकोटि का कला पारखी था। वह सौन्दर्योपासक, सहृदय, सुरुचिसम्पन्न, खग-मृग विज्ञानी, प्रकृति प्रेमी, संग्रहकर्ता, महान जिज्ञासु और पहले दर्जे का चित्र प्रेमी था। चित्रकला का वह प्रकाण्ड विद्वान था।

वह उन चित्रों के लिए अच्छी कीमत देता था जो उसकी सौन्दर्य भावना को तथा चित्रकला के अनुराग को संतुष्ट करते थे। वह बहुधा भारत तथा विदेशों के चित्रकारों के सर्वोत्तम चित्रों को खरीदा करता था। वह चित्रकला का प्रेमी होने के साथ-साथ चित्रकला का श्रेष्ठ समीक्षक और पारखी भी था। वह चित्रकला की सूक्ष्मवृत्तियों से भली-भाँति परिचित था और चित्रकारों का ध्यान उनकी त्रुटियों और कमियों की ओर आकर्षित कर सकता था। कहा जाता था कि वह चित्रकला का ऐसा कुशल पारखी था कि चित्र को देखकर चित्रकार का नाम बता सकता था।

चित्रकला सम्बन्धी अपनी योग्यता और परख प्रवृत्ति के विषय में स्वयं जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 'अब रही मेरी बात! मेरी चित्रकला सम्बन्धी रुचि और परखने का अभ्यास इस सीमा तक बढ़ चुका है कि जिस समय किसी मृतक अथवा जीवित चित्रकार का चित्र मेरे सामने आता है तो मैं बिना अधिक सोचे उसी समय बता सकता हूँ कि यह चित्र अमुक व्यक्ति की कृति है और यदि उस चित्र के भिन्न-भिन्न अंग भिन्न-भिन्न चित्रकारों द्वारा चित्रित किए गए हैं तो मैं यह भी बता सकता हूँ कि कौन सा अंग किसने बनाया है। यदि किसी मुखाकृति पर आँखें और पलकें किसी और चित्रकार

द्वारा चित्रित की गयी हो तो मैं समझ लेता हूँ कि वास्तविक मुख किसने बनाया है और आँखे तथा पलकें किसने बनायी है।'

इस कथन से यह भी स्पष्ट होता है कि वह प्रतिदिन चित्रकारों के कार्यों को स्वयं बड़ी रूचि के साथ निरीक्षण किया करता था।<sup>(4)</sup>

17वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जहाँगीर के गद्दी पर बैठने के समय तक मुगल कला बिहजाद (ईरान) के प्रभाव से मुक्त हो गई। अकबर चित्रकला को आमोद और अध्ययन के ध्येय से प्रोत्साहन देता था। राष्ट्रीय सम्राट की अपनी कल्पना के अनुरूप भारतीय संस्कृति के सभी अंगों को संरक्षण देना वह अपना कर्तव्य भी समझता था। किन्तु चित्रकला में जहाँगीर की रूचि स्वभाविक और आन्तरिक थी। वह चित्रकला को एक व्यक्तिगत शौक की तरह से प्रेरणा देता था। उसके संरक्षण में मुगल चित्रकला ईरानी बन्धनों से मुक्त हो गई और नए-नए क्षेत्रों में उसके विकास का मार्ग खुल गया। यद्यपि मुगल चित्रकला का जो अपना निजी व्यक्तित्व था, वह इसमें बराबर बना रहा किन्तु जहाँगीर के कलात्मक युग में चित्रकारों में एक नवीन जागृति पैदा हुई और नए-नए चित्रणों की दिशा में यह कलाधारा चल निकली। विषय और विधि दोनों दृष्टिकोणों से ही मुगल चित्रकला का चर्मोत्कर्ष जहाँगीर के राज्यकाल में हुआ।

अकबर के युग में ऐतिहासिक और अन्य कथानकों का चित्रण हुआ। जहाँगीर के काल में इस चित्रण को उतना महत्व नहीं मिला। प्रकृति-चित्रण चित्रकला की प्रमुख धारा बन गया। जहाँगीर के दरबारी जीवन की विविध घटनाओं का चित्रण भी बड़े व्यापक स्तर पर किया जाने लगा। विषय-परिवर्तन से कला में वैसे ही नव-स्फूर्ति आई जैसे अपभ्रंश के रूढ़िगत विषयों से मुक्त होने पर राजस्थानी शैली में सौन्दर्य निखर उठा था।

जहाँगीर के दरबार में निम्न दस प्रसिद्ध चित्रकार थे, जो अपनी योग्यता एवं निपुणता के कारण प्रख्यात थे।

1. अबुल हसन, नादिर-उल-जमा
2. उस्ताद मंसूर
3. उस्ताद मुराद
4. गोवर्धन
5. दौलत
6. फारूक बेग
7. बिशनदास
8. मनोहर
9. मुहम्मद नादिर
10. सालिवाहन

अबुल हसन जहाँगीर के राज्यकाल में श्रेष्ठतम कलाकार कहे जाते हैं। ये विख्यात ईरानी चित्रकार आकारिजा के पुत्र थे। अबुल हसन की कला की प्रशंसा जहाँगीर ने भी अपनी आत्मकथा में की है। अबुल हसन ने साधारण विषयों को चित्रित किया है, जैसे बैलगाड़ी। किन्तु इन दृश्यों को उसने सूक्ष्म निरीक्षण और भावनात्मक कला के साथ प्रस्तुत किया है। यद्यपि इस जगत प्रसिद्ध चित्र की विधि ईरानी है। किन्तु विषय, छाया, अलंकरण, दृश्य आदि अन्य तत्व भारतीय हैं। उस्ताद सालिवाहन जहाँगीर के दरबार के एक अन्य प्रमुख चित्रकार थे। इन्होंने बड़े बड़े सुन्दर पट्ट और पट्ट चित्रित किए।

सम्राट जहाँगीर अनन्य प्रकृति प्रेमी था। उसने चित्रकला में प्रकृति के सुन्दर-सुन्दर अंगों की अनुकृतियाँ बनवाईं। मंसूर, मुराद और मनोहर ने जीवनधारियों, पशु और पक्षियों के जो चित्र बनाए वे भारतीय दृश्यकला के वाङ्मय में एक अद्भुत जोड़ देते हैं। उस्ताद मंसूर पेड़-पौधों और पक्षियों के

चित्र बनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। वे अत्यन्त सूक्ष्म तत्व भी निपुणता से चित्रण कर लेते थे। उनके चित्रों में नक्काशी जैसा सूक्ष्म चित्रण किया गया है। शायद इसलिए वे अपने आपको 'मंसूर नक्काश' कहते थे। जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है कि मंसूर ने सौ से अधिक ऐसे प्राकृतिक विषयों के चित्र बनाए। इन सभी चित्रों के चारों ओर बेल-बूटदार सुन्दर हाशिए बनाए गए जो मुख्य चित्र के सौन्दर्य में चार चाँद लगा देते हैं।<sup>(5)</sup>

उस्ताद मंसूर पक्षियों और पुष्पों के चित्रण में विशेष निपुण था। उसका बनाया 'टर्की कॉक' तथा 'बाज' के चित्र विश्वविख्यात हैं। वह पुष्पों का चित्रण भी बड़ी कुशलता के साथ करता था। उसके चित्रों में बड़ी कुशलता के साथ करता था। उसके चित्रों में बड़ी बारिकी होती थी और सूक्ष्म विवरण बड़ी कुशलता से अंकित करता है। उसी का बनाया हुआ तुर्की तीतर का चित्र कलकत्ते के इंडियन म्यूजियम में सुरक्षित है। उस्ताद मंसूर के चित्रों के जेवरा, मेंढा तथा शिकरों का चित्र यथार्थपूर्ण है। पुष्प चित्रण में उसका पीले पृष्ठभूमि में बना 'लाल पुष्प' उल्लेखनीय है। सम्राट जहाँगीर के दरबार में ऐसे बहुत से चित्रकार थे जो व्यक्ति-चित्र बनाने में पारंगत थे। बिशनदास नामक सिद्धहस्त चित्रकार थे जो शबीह लगाने में बेजोड़ थे।

उसने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है कि जब उसने अपने राजदूत को ईरान के सुल्तान शाह अब्बास के यहाँ भेजा तो उसके साथ बिशनदास को शाह का व्यक्ति-चित्रण बनाने के लिए भेजा था। उसने शाह अब्बास की ऐसी सच्ची शबीह लगाई कि जब उसे शाह के सेवकों को दिखाया गया तो वे मान गये। जहाँगीर ने उसे एक हाथी और बहुत सारे पुरस्कार दिए।

जहाँगीर के समय में स्त्रियों के व्यक्ति चित्र भी बनवाए। डॉ. हरमन गोएटन के नूरजहाँ के व्यक्ति-चित्र को वास्तविक बताया है। इस काल में स्त्रियाँ भी चित्रांकन करती थीं।

यूरोपीय चित्रों की प्रतिलिपि किए जाने के सन्दर्भ में एक घटना का उल्लेख इंग्लैण्ड के राजदूत सर टॉमस रो ने अपने यात्रावृत्तांत में कहा है- 'बादशाह को मैंने एक चित्र दिया था। मुझे विश्वास था कि भारत में उसकी नकल होना सम्भव नहीं है। एक दिन बादशाह ने मुझे बुलाकर पूछा कि उक्त चित्र की तद्धत प्रतिलिपि तैयार करने वाले चित्रकार को क्या दोगे ? मैंने कहा - चित्रकार का पुरस्कार 50 रूपया है। उत्तर मिला मेरा चित्रकार मनसबदा, उसके लिए यह पुरस्कार बहुत कम है। रात में मुझे पुनः बुलाया गया और मुझे मेरे चित्र जैसे छः चित्र दिखाए गए और कहा गया कि इनमें से अपना चित्र खोज लो। कुछ कठिनता से मैं अपना चित्र पहचान पाया और मैंने प्रतिकृतियों के अन्तर बताया। इसके बाद पुरस्कार का मोल-भाव पुनः आरम्भ हुआ और बादशाह उन्हें अधिक से अधिक पुरस्कार दिलाकर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कोई अवसर नहीं छोड़ता था।

जहाँगीर की चित्रकार में स्वभाविकता है तो जैसा कि कुछ विद्वानों का मत है। किसी यूरोपीय चित्रकला के प्रभाव के कारण नहीं आई है। हमारे सांस्कृतिक इतिहास का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यहीं रहा कि उस पर अधिकांशतः यूरोपीय विद्वानों ने काम किया है।

स्पष्ट ही है कि जहाँ अकबर इमारतों, संगीत और चित्रकला में एक सी रूचि लेता था, जहाँगीर अधिकांशतः चित्रकला पर ही ध्यान देता था। इसी कला के उत्कर्ष का इतिहास हम उसके राज्यकाल में पढ़ते हैं। अन्य कलाओं में उसकी रूचि गौण थी। चित्रकला के लिए जहाँगीर का युग मध्यकाल में स्वर्णयुग था। इसी काल में चित्रों को हाशियों से सजाने की कला प्रारम्भ हुई जिसने चित्रों को अद्भुत सौन्दर्य प्रदान किया। स्पष्टतः ही यह एक मिली-जुली योजना थी और इस पर किसी एक कलाकार की व्यक्तिगत छाप नहीं

होती थी। यह कला संरक्षकों की कला-रुचियों और उस युग की कलाधाराओं का प्रतिनिधित्व करती है।

जहाँगीर कुशल कलाकारों को बड़ा मान-सम्मान देता था और उनकी सब प्रकार से सहायता करता था। तुजके जहाँगीरी में लिखा है कि- 'श्रीमान स्वयं श्रेष्ठ कलाकारों, दस्तकारों व गायकों का चयन उनकी योग्यतानुसार करता था और उनके कौशल को अपनी स्वेच्छानुसार दिशा देता था।' वह सुन्दर कलात्मक वस्तुओं का प्रेमी था और दूर-दूर देशों यथा फारस, तुर्की, ईरान, यूरोप से कलापूर्ण सामग्रियों और कलाकृतियों को मंगवाता रहता था। उसकी चित्रशाला में सैकड़ों की संख्या में चित्रकार कार्य करते थे, जिसमें 90 प्रतिशत हिन्दु थे। ये कलाकार बड़े मनोयोग से उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध रहते थे और एक-दूसरे से होड़ लगाकर चित्रांकन किया करते थे। इस समय मुगल-कला के सर्वश्रेष्ठ चित्र बने जो अपनी मौलिकता एवं उत्कृष्टता के लिए विख्यात है।

जहाँगीर के युग की कला के विकास में नूरजहाँ का भी पूरा योगदान था। सम्राट को राजनीतिक समस्याओं से मुक्त करके नूरजहाँ ने उन्हें कला के विकास की ओर प्रेरित किया। पर्सी ब्राउन के अनुसार - 'जहाँगीर की मृत्यु के साथ-साथ मुगल चित्रकला की आत्मा भी विलीन हो गई।'

जहाँगीर के कार्यकाल में चित्रकला शैलीगत दृष्टि से बहुत उन्नत हुई किन्तु विषय की दृष्टि से उसका क्षेत्र सीमित हो गया। उसने हिन्दुओं की पौराणिक-धार्मिक गाथाओं का चित्रण बन्द करवा दिया। इस समय के चित्रित ग्रन्थों में कलीला दमन (पंचतन्त्र) एवं जहाँगीरनामा ही प्रमुख ग्रन्थ है। इस समय में पुस्तक-चित्रण अधिक न होकर लघु चित्रों की भरमार है।

आमोद-प्रमोद, रानिवास, दरबार, आखेट एवं एकान्तिक दृश्यों का चित्रण इस समय का प्रमुख विषय था। अकबर को लड़ाईयों के दृश्यों को बनवाने की रुचि थी। जहाँगीर को केन्द्र बनाकर कितने ही उत्कृष्ट लघु चित्र बने, कहीं दरबारियों से घिरे हुए, कहीं अन्तःपुर में बेगमों के साथ, कहीं शिकार में व्यस्त, किसी लम्बी यात्रा अथवा प्राकृतिक दृश्यों के बीच।

साधारण जन-जीवन, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, प्रकृति-चित्रण में इस समय कलाकारों ने विशेष रुचि ली। पशु-पक्षियों का चित्रण एक विशेष उच्च कोटि को छू गया था। साधु-संतों के चित्र भी खूब बनाए गए। साधुओं के साथ बैठक, दरवेश, मुल्ला, साधुओं का जीवन, उनका रहन-सहन, ग्रामीण दृश्य आदि विषयों पर चित्र बने। दरबारी तडक-भडक वाले दृश्यों, उत्सवों के चित्र, शादियों के दृश्य, न्याय, दण्ड आदि विषय पर भी चित्र बने।

जहाँगीर काल में चित्रकला का सर्वोत्तम रूप व्यक्ति चित्रों के रूप में उपलब्ध होता है। व्यक्ति-चित्रों में व्यक्ति के बाह्य स्वरूप के साथ उसके आन्तरिक स्वभाव का भी परिचय मिलता है। महत्वपूर्ण व्यक्ति को उनके रुचि के अनुसार वस्त्राभूषण पहनाकर एवं पुष्प आदि को देकर उनके व्यक्तित्व को उभारा गया है। इस समय रानियों, राजकुमारियों एवं गायिकाओं के चित्र भी अंकित किए गए।

इस समय कला में रुढ़ि न रहकर वास्तविकता व यथार्थता आ गई थी। इसलिए इस समय की कला पर ईरानी प्रभाव दिखलाई नहीं पड़ता। फूल-पत्ती, पशु-पक्षियों के चित्रण में बहुत अधिक सजीवता व वास्तविकता है। प्रत्येक वस्तु में कलाकार ही सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का परिचय मिलता है।<sup>(6)</sup>

जिन रंगों का निर्माण हुआ और उसका जिस ढंग से प्रयोग किया गया वह अपूर्व है। रंगों में सूफियानापन परस्पर मिश्रित रंग व एक ही रंग की तीनों का प्रयोग होने लगा था। छाया प्रकाश का प्रयोग बाद वाले चित्रों में काफी मात्रा में आ गया। स्वर्ण रंग का प्रयोग भी बढ़ गया। चेहरों में गोलाई लाने के लिए

छाया या पर्दास का प्रयोग किया गया।<sup>(7)</sup>

इस क्षेत्र में यह शैली अकबरकालीन चित्रों से आगे बढ़ गई है। रेखाएँ बारीक व कोमल हैं और जिस बारिकी से चित्रों का अंकन हुआ है, वह अपूर्व है।

जहाँगीर कालीन मुगल कला में शिकार के चित्र बहुत सुन्दर बने हैं। जहाँगीर शिकार करने जब जाता था तो अपने साथ चित्रकारों को भी ले जाता था तथा उनसे शिकार के दृश्य चित्रित कराता था। इन चित्रों में हाथियों का बहुत ही भव्य चित्रण हुआ है।

जहाँगीर कालीन चित्रों में पशुओं तथा पक्षियों का जैसा भव्य चित्रण हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पक्षियों को चित्रित करने में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार उस्ताद मंसूर था। इनका बनाया हुआ एक बाज का चित्र अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति पा चुका है। इसके अलावा सुन्दर मुर्गियों के चित्र हैं जो मंसूर ने ही बनाये थे।

इस समय चित्रों में प्रकृति चित्रण बहुत सुन्दर हुआ है। खासतौर पर विभिन्न प्रकार के फूलों व पेड़-पौधों का चित्रण इस समय हुआ है। जहाँगीर को प्रकृति से बहुत लगाव था। एक 'चिनार' के वृक्ष का बड़ा सुन्दर चित्र है, एक-एक पत्ती इतनी दक्षता से बनाई गई है कि देखते ही बनता है।

जहाँगीर कालीन चित्रों में सोने-चाँदी के रंगों का प्रयोग बहुत ही सुन्दर हुआ है। अधिकतर हाशियों में इन रंगों का प्रयोग हुआ है।<sup>(8)</sup>

जहाँगीर के समय व्यक्ति चित्र भी बहुत बने। कला-मर्मज्ञों का कहना है कि मुगल शैली का चरमोत्कृष्ट रूप जहाँगीरकालीन व्यक्ति चित्रों में ही उपलब्ध होता है। इन चित्रों में परिमार्जित टेकनिक तथा सुक्ष्म अन्तर्दृष्टि के द्वारा चित्रित व्यक्ति का स्वभाव प्रस्तुत किया गया है। व्यक्ति स्वभाव और भावों के चित्रण में कलाकार बहुत अधिक सफल रहा है। जहाँगीरकालीन व्यक्ति चित्रों में अकबरकालीन चित्रों से अधिक सजीवता है। व्यक्ति चित्रों के पीछे प्रकाश-वृत्त बनाया गया है। इस प्रकार के दिव्य प्रकाश वृत्त भारतीय देवी-देवताओं की मुखाकृतियों के पीछे बनाए जाते रहे हैं। यह कार्य भारतीय प्रभाव का उत्कृष्ट उदाहरण है।

अकबर काल के पुस्तक चित्रों के स्थान पर एक-एक पन्ने के स्वतन्त्र स्थान पर एक-एक पन्ने के स्वतन्त्र चित्र बनने लगे थे जो कि चित्रकारों में रखे जाते थे। अकबरकालीन चित्र इकहरे कागज या कपड़े चिपके कागज पर बने थे। जबकि जहाँगीर समय में अलग-अलग वसलियों पर जमाकर चित्र बनने की स्वतन्त्र परम्परा थी।

इस समय चेहरे प्रायः एकचश्म बनते थे, जबकि अकबर-काल में डेढचश्म चेहरे भी बहुत बने हैं। एकचश्म चेहरे, मुँह का एक रूख, ललाट, नाक, होंठ एवं ठुड़ी का बाह्य आकार बनता है। इस प्रकार के व्यक्ति चित्र बनाना सरल न इनमें सादृश्य अधिक सरलता से दिखाया जा सकता है।

कुछ विद्वानों का कहना है कि इतनी अधिक स्वाभाविकता यूरोपीय प्रभाव के कारण आयी है। उसके समय में यूरोपीयन व्यापारियों के द्वारा चित्र भी आने लगे थे और बादशाह ने इन ईसाई विषय सम्बन्धी चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करायीं। इस प्रकार यूरोपीय कला का प्रभाव मुगल कला पर अवश्य पड़ा लेकिन मुगल कला ने अपनी स्वतंत्र यति व निजत्व की भावना और मौलिकता को नहीं छोड़ा।

इन चित्रों के हाशिए बहुत अधिक अलंकृत हैं। यह अपने में इतने पूर्ण हैं कि कहीं कहीं मूल चित्रों का वैभव इनके सामने फीका पड़ जाता है, इनमें फलों, लताओं, पौधों आदि का अलंकारिक प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं पशु-पक्षियों तथा ऐसे दृश्य जिनका चित्र से सम्बन्ध हो अथवा न हो, बनाये

गये है। कुछ हाशियों पर सोने के वर्क चिपकाए गए है। इन हाशियों की रंग योजना केन्द्रीय रंग योजना के अनुकूल है। सुनहरे रंग का बाहुल्य है। चित्रों को चौड़े सुसज्जित व चित्रित हाशियों वाले चौखटों में जड़ने का प्रचलन मुगल कला में प्रारम्भ से ही था परन्तु जहाँगीर काल में इस कला का एक विशिष्ट विधा के रूप में विकास हुआ। वस्त्राभूषणों की योजना करते हुए भी उनकी दृष्टि यथार्थ पर रही है। वस्त्रों की बनावट आदि में शिकन आदि का विशेष ध्यान रखा गया है। वस्त्रों में वायु के प्रकम्पन का बोध होता है। अब जामा कुछ लम्बा, पाजामा नीचे को जाता हुआ, पगड़ी और स्त्रियों की राजस्थानी वेशभूषा, सलवार तथा ओढ़नी वाली वेशभूषा प्रचलित हुई। इन्हीं चीजों से झाकते धारीदार या बूटीदार पाजामों व पारदर्शी ओढ़नी अंकित की गई है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ० श्याम बिहारी अग्रवाल - भारतीय चित्रकला का इतिहास ।
2. डॉ० ए०के० मित्तल - मध्यकालीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास ।
3. डॉ० वी०एस० भार्गव - मुगलकालीन भारत ।
4. डॉ० बी०एन० लुणिया - मुगलकालीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास ।
5. डॉ० रामनाथ - मध्यकालीन भारतीय कलाएँ एवं उनका विकास ।
6. डॉ० आशा आनन्द - भारतीय चित्रकला डॉ० सीमा सचदेवा ।
7. डॉ० दीप्तिमाल - भारतीय कला वैभव डॉ० रीता सिंह ।
8. डॉ० लोकेश चन्द्र शर्मा - भारतीय चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास ।

\*\*\*\*\*



## चित्रों की नई पृष्ठभूमि - पाल, जैन एवं अपभ्रंश शैली

डॉ. यतीन्द्र महोले \*

**प्रस्तावना** - 10 वीं से 15 वीं शताब्दी के बीच कला को जीवित रखने का श्रेय पाल शैली, जैन शैली एवं अपभ्रंश शैली को जाता है। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों के कारण यहाँ की मानवाकृतियों में भाव व्यंजना की अद्भुत व्यंजना दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन एक विशेष बात यह है कि इस समय कला भित्ति-चित्रों तक ही सीमित नहीं रही बल्कि कला ने सचित्र-पोथियों में अपना स्थान ग्रहण किया। इन पोथियों में तात्कालीन समय की गाथाएँ, कथाएँ एवं धार्मिक देवी-देवताओं के चित्र देखने मिलते हैं।

‘मध्यकाल के आरम्भ में जो ताड़-पत्रों पर लिखने व चित्र बनाने का काम हुआ है, उसे एक ही व्यक्ति करता था। परन्तु बाद में लिखने एवं चित्र बनाने का कार्य अलग-अलग व्यक्तियों ने करना प्रारम्भ कर दिया। ताड़-पत्रों पर लिखित अब तक के ज्ञात ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ ‘अधिनियुक्ति वृत्ति’ माना जाता है, जो जैसलमेर के जैन ग्रंथालय में आज भी सुरक्षित रखा हुआ है, इसमें जो मानव आकृतियाँ अंकित हैं, उनमें कामदेव एवं श्री लक्ष्मीपूर्णघट प्रमुख हैं, इन चित्रों की शैली ‘ठेठ’ अपभ्रंश नहीं है। 14 वीं सदी के ग्रंथ चित्रों में कल्पसूत्र, महावीर चरित्र आदि प्रमुख हैं, जो शाह जैसलमेर के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं।

बड़ी-बड़ी दीवारों पर बनने वाली मानवाकृतियाँ अब लगभग 2 इंच लंबे तथा 2.5 इंच चौड़े ताड़-पत्र पर संकुचित हो गईं। इससे इन मानवाकृतियों के आकार तथा नाप-तौल में काफी अंतर आ गया। चित्रकार को इन मानवाकृतियों में भाव व्यंजना तथा सौंदर्य का समुचित प्रभाव लाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। परिणाम यह हुआ की ये मानवाकृतियाँ कई स्थानों पर गुड़े-गुड़ियों जैसी आकृतियों में दिखाई देती हैं। चेहरे पर आँखों को सवा चश्म दिखाया गया है, और परली आँखें बाहर निकली हुई अधर में लटकी रहती हैं। नाक नुकीली एवं आवश्यकता से अधिक लंबी बनाई गई है, जिसके कारण ये आकृतियाँ निर्जीव और बैडोल प्रतीत होती हैं।

इस युग के चित्रों में मूल रंग लाल, पीला, नीला, सफेद काला तथा मिश्रित रंगों में गुलाबी, हरा, बैंगनी आदि रंगों का प्रयोग मिलता है, सोने का प्रयोग बहुत कम मात्रा में दिखाई देता है। ‘सोमदेव’ व ‘क्षेमेन्द्र’ (11 वीं शताब्दी) कृत कथा सरितसागर के दोनों संस्करणों में यह देखने मिलता है कि तात्कालीन समाज में चित्रकला के प्रति गहरी अभिरुचि जागृत हो चुकी थी। यूँ कहें कि विद्वानों, राजाओं और जनसामान्य में चित्रकला का सर्वत्र प्रसार हो चुका था।

मध्यकाल को शैलीगत रूप में तीन भागों में बांटा जा सकता है -

1. पाल शैली,
2. जैन शैली,

3. अपभ्रंश शैली

**पाल शैली (730-1197 ई.)** - पाल शैली जिसका प्रमुख केन्द्र बंगाल था। अजंता शैली की मानवाकृतियों की तर्ज पर तात्कालीन चित्रकार घीमान तथा उसके पुत्र वित्तपाल ने इस शैली को कलात्मक दृष्टि से शिखर पर पहुँचाने का बीड़ा उठाया। तात्कालीन राजा धर्मपाल तथा देवपाल के संरक्षण में इस शैली का विकास हुआ। देवपाल के पुत्र नारायण पाल के समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ। चूंकि ये सभी सम्राट बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए प्रमुख विषय महायान बौद्ध देवी-देवता तथा जातक कथाओं पर आधारित हैं। श्रेष्ठ मानवाकृति चित्र के अंतर्गत ‘बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन’ इस समय का सर्वोत्तम उदाहरण है।

पाल शैली में भित्ति चित्र भी बनाए गए, इन भित्ति चित्रों में जिन मानवाकृतियों को रूप प्रदान किया गया है, उनमें बौद्ध भिक्षुणियों, नर्तक तथा पूजा करती नारी आदि शामिल हैं।

पाल शैली में अधिकांश मात्रा में जितने चित्र उपलब्ध हुए हैं, वे ताड़-पत्र पर बने हैं, ये ताड़-पत्र लगभग 2 इंच लम्बे तथा 2.5 इंच चौड़े होते थे। इन ताड़-पत्र रूपी पृष्ठों से पोथियाँ तैयार होती थीं। इन पोथियों में बौद्ध धर्म संबंधी कथाएँ, देवनागरी की सुंदर लिपि से लिखी जाती थी। इन पृष्ठों के बीच-बीच में आयताकार या वर्गाकार स्थान खाली छोड़ दिया जाता था। जिनमें कथाओं से संबंधित देवी-देवताओं की मानवाकृतियाँ तैयार की जाती थीं। मानवाकृतियों के अधिकतर चेहरे सवाचश्म हैं, और एक ही तरह से बनाए गए हैं, सिर चपटे, नाक लंबी, आँखें बड़ी तथा कानों को स्पर्श करती हुई बनाई गई हैं। जिससे इन मानवाकृतियों में सजीवता एवं स्वच्छंदता का अभाव झलकता है। ये मानवाकृतियाँ एक दूसरे के अधिक निकट बनाई गई हैं, फलस्वरूप इनके हाथ एवं पैरों की मुद्राओं में अकड़न दिखाई देती है। इन मानवाकृतियों को बनाने में रेखाओं का प्रयोग गतिपूर्ण तो है लेकिन रेखाओं में उतार-चढ़ाव की भी कमी है।

**जैन शैली** - पाल शैली की तरह जैन शैली में भी मानवाकृतियाँ भाव व्यंजना की दृष्टि से निम्न स्तर की बनी हैं। यहाँ भी चेहरे सवा चश्म तथा लंबी नाक, कर्णस्पर्शी आँखें देखने मिलती हैं। जैन शैली के चित्र राजपूत शैली से एक शताब्दी पहले चित्रित किए गए। यहाँ की मानवाकृतियों में जैन धर्म से संबंधित देवताओं - पार्श्वनाथ, नेमीनाथ, ऋषभनाथ तथा तीर्थंकर महात्माओं आदि को दृष्टांत स्वरूप तैयार किया गया, जो जैन चित्रकला के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण हैं, इनका समय लगभग 7 वीं शताब्दी के आस-पास का माना जाता है।

भारतीय चित्रकला में मानवाकृतियों को जीवित रखने का श्रेय जैन कलाकारों को जाता है। जिन्होंने 10 वीं शताब्दी से लेकर 15 वीं शताब्दी

तक इन्हें जीवंत बनाये रखा और ताड़ पत्र से तैयार की गई पोथियों में इन्हें स्थान दिया।

‘इस काल में ग्रंथ चित्रों के साथ-साथ भित्तियों पर भी चित्रकारी हुई है, ताड़ पत्रित ग्रंथों में जो चित्र बने हैं, उनमें मुख्य विषय प्रायः महावीर के जीवन चरित्र एवं शिक्षाओं से लिए गए हैं इनमें सभी आकृतियों को निश्चित मुद्रा में बनाया गया है। उनमें जो आकृतियाँ बनी हैं उनके कंधे चौड़े, पेट का भाग पतला तथा कमजोर दिखाया गया है। संयोजन की दृष्टि से दो या तीन आकृतियाँ ही एक चित्र में बनी हैं, रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनाकर प्रयोग किया गया है, पुरुष आकृतियों में धोती एवं दुपट्टा प्रमुख परिधान तथा स्त्रियों की आकृतियों में अंगिया कसी हुई हैं, तथा वे धोती पहने दिखाई गई है।’ सन् 1357-1500 ई. के बीच तैयार मानवाकृतियों में ‘बाल मित्र और उसकी पत्नी’ चित्र ज्वलंत उदाहरण हैं।



‘जैनियों के पास भी अनेक तांत्रिक देवी-देवताओं के वस्त्र चित्र (व्यक्ति चित्र) उपलब्ध हैं, मुनि कांति सागर के संग्रह में लखनऊ, इलाहाबाद, कलकत्ता आदि संग्रहालयों में इन मूल्यवान व्यक्तियों के नमूने देखने को मिलते हैं।’

जैन शैली में नारी चित्रण भी आकर्षक रूप में मिलता है। ‘ये धर्मानुगत जैन कला में यद्यपि नारी-रूपों का चित्रण एक निश्चित सीमा में हुआ है और उनके द्वारा यद्यपि जैन कला की समृद्धि का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं होता, फिर भी इस प्रकार के कुछ उत्कृष्ट चित्रकला रसिकों को अपनी ओर

आकर्षित करते हैं, नारी चित्रण के क्षेत्र में तीर्थ करने की अधिष्ठाती देवियाँ, अंबिका, पद्मावती, सरस्वती, चक्रेश्वरी, और सौलह विद्यादेवियाँ प्रमुख हैं, इन देवी में उज्ज्वल धूम-वर्ण, लोक शैली की अलहड़ता वस्त्र सज्जा और हस्त मुद्राएँ सभी में कलात्मक शृंगार तथा माधुर्य, ओत-प्रोत है (देखिए चित्र फलक - 26)। इस प्रकार के नारी चित्रों के उत्तम दृष्टांत श्री साराभाई मणिकलाल नवाब के ‘जैन कलपद्रुम’ में देखे जा सकते हैं। ये जैन चित्रकला धीरे-धीरे विकास की ओर बढ़ती गई और अंत में राजपूत शैली में विलीन हो गई।

**अपभ्रंश शैली** - 7वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य जिन चित्रों का निर्माण किया गया, उन्हें हम अपभ्रंश शैली की श्रेणी में रखते हैं। अपभ्रंश शैली कोई विशेष शैली नहीं थी, बल्कि उस समय गुजरात में जिन चित्रों का निर्माण हो रहा था। वह जैनेतर और वैष्णवों सम्बन्धी ग्रंथों से संबंधित थे और वे गुजरात तथा आस-पास के प्रदेशों से संग्रहित हो रहे थे। इन चित्रों को कौन सी शैली में गिना जाए इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। अपभ्रंश शैली के अंतर्गत पाल शैली एवं जैन शैली के चित्रों को भी शामिल किया गया। इस समय के चित्रों में निर्मित मानवाकृतियाँ रूई के गुड्डों अर्थात् गुजरात की कठपुतलियों की भांति प्रतीत होती हैं। इन्हीं कारणों से इस शैली के चित्रों को ‘अपभ्रंश शैली’ के नाम से संबोधित करना उपयुक्त समझा गया।

सन् 1350-1550 ई. के मध्य मुसलमान अपने साथ कागज व कलाकार लेकर आए। फलस्वरूप मानव आकृतियाँ ताड़पत्रों से निकलकर कागज पर दिखाई देने लगीं। ये मानव आकृतियाँ ताड़पत्रों की अपेक्षा कागज पर बड़े आकारों में निर्मित हुईं। मुगल काल के आने तक इन मानव आकृतियों में आनुपातिकता एवं सौंदर्यात्मकता दृष्टिगोचर होती है।

अपभ्रंश शैली के चित्रों में मानवाकृतियों के चेहरे सवा चश्म बनाये गये हैं, नाक अनुपात में अधिक लंबी एवं नुकीली हैं, आँखों की पुतली दो वक्रों के बीच एक छोटी बिंदी की तरह अंकित की गई है। जिनमें सजीवता का अभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। हाथों का रेखांकन कठोर, निर्बल और अत्यधिक अलंकारिक तथा रूढ़ीबद्ध है। इन मानवाकृतियों में कहीं-कहीं रंग योजना आकर्षक रूप से प्रदर्शित की गई है। सोने के रंगों का प्रयोग भी आकृतियों में सुंदरता प्रदर्शित करता है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. गुलाब चंद्र जैन- भारतीय चित्रकला एवं शिक्षण सामग्री - इंटरनेशनल पब्लिसिंग हाउस, मॅरठ- 250002
2. डॉ. रीता प्रताप - भारतीय चित्रकला एवं मूर्ति कला का इतिहास, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर
3. वाचस्पति गैरीला- भारतीय चित्रकला संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली द्वितीय संस्करण, वर्ष 1990

\*\*\*\*\*

# Blending New Innovative Strategies In Teacher Education For Developing Teacher Learner Bond

Anita Sahay\*

**Abstract** - The quality of educational process largely depends upon the quality of teacher. Though teaching is being considered as a science and a skill, basically it is a sublime art. It is the teacher, who is responsible for giving the shape of the child's personality his mind, his interest and his way of thinking. Thus, teaching is not a mechanical process. Indeed, it is a very challenging one. With good leadership and appropriate teaching methodologies, the teacher's effectiveness can be enhanced. Challenges in educational system have no permanent and fixed answers because of the changeable nature of human society. The teachers in the 21st century will have to deal with a world different from that of 20th century in respect of pedagogical and technological advancement. This topic mainly discuss about changing method and strategies of teaching and learning. The traditional "chalk and talk" method of teaching that is persisted for hundreds of years is now acquiring inferior results when compared with the more modern and revolutionary teaching methods that are available for use in schools today. Under a new teaching method, students are urged to engage with the real world, analyze everything that happens in different life spheres. Teachers themselves will have to make the final choices from among many alternatives. Therefore, it is imperative for teachers to constantly reevaluate their choices. This can be achieved through introducing or promotion of innovative ideas and practices in teacher education. Since teachers are of central importance in improving the quality of education; hence, the promotion of innovative practices in teacher education is of utmost importance. This conceptual paper is designed to elicit discussion on new ideas and innovative practices in teacher education. This paper will focus on new ideas and innovative practices like cooperative learning, brainstorming, constructivism, blended learning, reflective teaching etc.

**Key Words:** Blending, Innovative Strategies, Teacher ,Education, Learner-Teacher Bond.

**Introduction** - The progress of a nation to a great extent depends upon the quality of its teachers and for this reason teaching is being considered as the noblest of all professions. The teacher, therefore, occupies a pivotal position in the educational system as well as in the society. But teaching is not a mechanical process. It is an intricate, exacting and a very challenging one. Though teaching is being considered as a science and skill, basically it is a sublime art; because the teacher unconsciously designs the growing plastic young mind of the child. Like an artist the teacher is also responsible for shaping or reshaping the behaviour of the young ones in a socially desirable way. Thus, the teacher cannot give any shape to the young living being he comes in contact with; rather he has to be a very careful artist. Throughout history, people called teachers have played many different roles and they continue to do so today. But, today's world is passing through rapid changes and great advancements. In such a climate, even education system cannot resist change. As a result, the imperatives of new times, new demands and new visions assign more challenging role and responsibility to the teacher.

Now a day, advanced technology has effectively

revolutionized human society. An unexpected byproduct of this revolution has been the emergence of a generation of children weaned on multidimensional, interactive media sources, a generation whose understanding and expectations of the world differ profoundly from that of the generations preceding them. If we are to give these children the education necessary to succeed in our technologically intense, global future, then a new form of educational practice that builds on children's native learning abilities and technological competence must replace our existing methods.

Since, challenges in educational system have no permanent and fixed answers, so, teachers themselves will have to make the final choices from among many alternatives. Therefore, it is imperative for teachers to constantly reevaluate their choices. This can be achieved through introducing or promotion of innovative ideas and practices in teacher education.

**Meaning and Concept of Innovative Practices in Teacher Education** - There is a wide variation among countries with regard to what they believe constitutes an innovation, reform or development in the teaching learning process. For example, the use of colored chalk and basic

audio-visual materials may be regarded as being an educational innovation in some developing regions, whereas in other more affluent countries innovations may refer to the development and use of sophisticated technologies and methods, practices etc. In our country also, this electronic technology has dramatically penetrated into every area of our society and every aspect of our social and cultural lives. Today's children have grown up with remote controls and they spend more time in computers, internet, playing video games etc. than reading books; even toys are now filled with buttons and blinking lights. In such a condition, it is very important to focus on "How can we educate this New Generation?". To answer this, a supportive environment, one in which they can create their own ideas; both individually and collaboratively, must be provided.

Etymologically, the word "Innovation", is derived from the Latin word "Innovare" which means to change something into something new. It is a promotion of new ideas and practices in education and training. There has been seen a tremendous shift in the ways and means of education services over the years. Research and innovations play an important role in improving the quality of teachers and the training imparted to them for all levels of teaching. They demand to introduce new ideas and practices in classroom transaction and other curricular and co-curricular activities. The teacher's effectiveness can be enhanced with good leadership and appropriate teaching methodologies. No teacher education programmer can prepare teachers for all situations that they will encounter. Teachers themselves will have to make the final choices from among many alternatives. The purpose of teacher education is to prepare teachers who have professional competencies, to lead the nation forward through their manifold roles.

#### **Some Innovative Practices In Teacher Education -**

1. Team Teaching,
2. Cooperative Learning
3. Reflective Teaching
4. Constructivism
5. Blended Learning
6. Soft Skills

The innovative ideas that need to be focused -

**1) Team Teaching, Cooperative or collaborative learning process** - When teacher and students have to work under so many constraints, then the practice of "Team teaching or cooperative or collaborative teaching" is always a good option. Team teaching or cooperative learning process is a team work where members support and rely on each other to achieve pre-determined goal.

Cooperative learning is a successful teaching strategy in which small teams, each with students of different levels of ability, use a variety of learning activities to improve their understanding of a subject. Each member of a team is responsible not only for learning what is taught but also for helping teammates learn, thus creating an atmosphere of achievement. Students work through the assignment until

all group members successfully understand and complete it.

**2) Reflective Teaching and Teacher Education** - Reflection on one's own work is a key component of being a professional and is essential to teacher education. Teachers must examine their belief, assumptions and biases regarding teaching and learning and determine how those beliefs influence classroom practice. Reflection is a natural process that facilitates the development of future action from the contemplation of past and current behavior. Reflection refers to the ongoing process of critically examining and refining practice, taking into careful consideration the personal, pedagogical, societal and ethical contexts associated with schools, classrooms and the multiple roles of teachers.

**3) Constructivism and Teacher Education** - The concept of Constructivism has evolved from cognitive psychology. Constructivist paradigm is based on the contributions of Piaget, Vygotsky, Gardner, Dewey, Tolman and many others. Thus, it is a synthesis of many dominant perspectives on learning. It is believed that the key element of constructivist theory is that people learn by actively constructing their own knowledge, comparing new knowledge with their previous understanding and using all these to come to new understanding.

Constructivist learning is based on student's active participation in problem-solving and critical thinking regarding a learning activity. Students construct their own knowledge by testing ideas and approaches based on their prior knowledge and experience, applying them to new situations and integrating new knowledge gained with pre-existing intellectual constructs. The teacher is a facilitator or a coach who guides the student's critical thinking, analysis and synthesis abilities throughout the learning process. The teacher is also a co-learner in the process. Hence, teachers should facilitate cognitive change by presenting difficulties through specific tasks that pose dilemmas to students. In this context, problem-solving teaching procedure is defined as a process of raising a problem in the minds of the students in such a way to stimulate purposeful, reflective thinking in arriving at a rational solution.

**4) Blended-Learning and Teacher Education** - Blended-learning describes an approach to learning where teachers use technology, usually in the form of Web-Based instruction, in concert with and as a supplement to live instruction, or perhaps utilize components of a learner-centered Web course with components that require significant instructor presence and guidance. The strength of a blended-learning approach is that it provides a means to ensure learners are supported and guided as they undertake independent learning tasks. Use of the Web in such settings provides many affordances for the teacher and students in the form of communication channels, information sources and management tools. These aspects appear to make blended-learning particularly well suited to teacher training students, especially those in large groups



where direct instructor support may be difficult to deliver. Blended-learning commonly describes learning that combines traditional teaching and learning approaches with information and communication technologies. It is anticipated that blended learning will enhance the student learning experience, at the same time it also demands that the teachers should be trained as online facilitator.

**5) Soft Skills and Teacher Education** - Development of human capital is an important asset since it drives the development of a nation. Quality human capital comes from quality education process through carefully designed and well-planned education system. Soft skills are personal attributes that enhance an individual's interactions, job performance and career prospects and hard skills which tend to be specific to a certain type of task or activity. Soft skills refer to personality traits, social gracefulness, and fluency in language, personal habits, friendliness and optimism that mark people to varying degrees. Soft skills are broadly applicable in teacher education programme, thus the curriculum of teacher education could contribute to the development of a holistic human capital that can foster economic, social and personal development. Infusing the soft skill in the curriculum of teacher education is the need of the profession for it to be successful.

**Conclusion** - Thus, it can be concluded, in today's era information and knowledge stand out as very important and critical input for growth and survival. Rather than looking at

education simply as a means of achieving social uplift, the society must view education also as an engine of advancement in an information era propelled by its wheels of knowledge and research leading to development. Innovation is the path to progress for any nation and the future of the nation is in its classrooms. It is not necessary that each innovation is structured and invented; it could be even a crude, unstructured, informal method adopted by the teacher for the sake of meaningful learning of the students. Hence, we need to respect such innovations as well and promote innovative methods and new ideas and practices of teaching in our schools, college, universities and other institutions.

**References:-**

1. Bonk, C. and Graham, C.R. (2006). *The handbook of Blended Learning: Global perspectives, local designs*. San Francisco: John Wiley & Sons
2. Clark, R. (2001). *Learning from Media: Arguments, Analysis and Evidence*. Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing..
3. Johnson, D.W. and Johnson. R.T. (1985). The Internal Dynamics of Cooperative Learning Groups. *The Journal of Educational Research*, 90(1), 13-22
4. McSporrán, M. and King, (2005). *Blended Is Better: Choosing Educational Delivery Method*. Available at <http://hyperdisc.unitec.ac.nz/research/kingMcsporránEdmedia2005pdf>.

\*\*\*\*\*



# Teaching For Inclusion And Special Education Needs

Dr. Amita Kumari\*

**Abstract** - This article explores the enduring fissure between general and special teacher education by focusing directly on the issues that divide these two fields. This article examines differences in the disciplinary traditions that influence the work of general teacher educators and special teacher educators as well as issues related to deficit perspectives and access to the general curriculum. The authors suggest that the lack of a common underpinning is the central cross-cutting reason for the continued deep division between the diversity communities in the two fields. Despite this deep divide, the article argues that it is imperative to find collaborative spaces that have the potential to unite the diversity communities and build new synergies in general teacher education and special teacher education. Special needs of students with disabilities- need for the awareness of one's disability, the need for coping with one's disability, need of the being accepted with their disability, need for getting appropriate educational opportunities, need for satisfaction of their special learning capacities, need for proper guidance and counseling, need for getting equal educational opportunities, need for special aids , equipments and assistive devices, need for getting incentives and financial Assistance, need for the being independent in life functioning.

**Key Words** - diversity, general teacher education, special education.

## Introduction - Special Needs of children with disabilities

The disabilities of the children according to their nature and different types are deeply associated in one way or the other with the need of the satisfaction of some of their special needs. These needs felt on the part of the children with disabilities, in general may be categorized as below.

**1. The need for the awareness of one's disability/ disabilities** - What is different or special about a disabled child should come out as early as possible. He is different, it should be known to others and he himself be get acquainted with his disability in a quite clear terms. In other words disabled children need an early detection, diagnosis, assessment and classification of their disabilities. Any delay in meeting out such need of the disabled children may invite a number of complications and problems for them in their adjustment to the self and environment. As a result they may be mistakenly identified , misunderstood and their deviant behavior on account of disability may be taken as deliberately problematic and indisciplinary. For example, a child who is hard of hearing, his inability of rightly responding to a question of the teacher ( on account of his inability to hear) may be taken otherwise by the teacher. Therefore, the prime necessity and a major need of disabled child lies in the demand that his disability, its nature, cause and degree should be clearly identified, assessed, classified and labeled for helping him and others in the subsequent task of providing needed special service to him.

**2. The need of coping with one's disability** - The

disabled children need to be helped in the process of coping with ones disability. The disabled children who deviate negatively may feel the need and necessity of overcoming their deficiencies or may need assistance and help for minimizing for eliminating the negative effects of their impairments or disabilities. For example a child not able to read and write properly on account of his visual disability may feel a strong need of being helped through medical, physical or educational measures to become able to read and write properly. The same may be true with the children suffering from other disabilities like learning disability, hearing impairments, mental retardation, emotional disturbances, etc. These children may certainly require the measure and means either to get rid of these deficiencies or try to learn the ways or means of coping with them for seeking harmony with the self harmony with the self and the environment.

**3. Need for being accepted with their disability** - The disabled children are quite different from others. It is an admitted fact that the differences or deviations from the norms on the negative side are seldom taken easily by others. The disability therefore, is bound to invite so many resistance and negative reactions from the peers, teachers and even from the parents. It is why, there lies an essential need for the disabled children for being accepted by others in their true perspectives of deficits and deficiencies related to growth and development of their personality attributes.

**4. Need for getting appropriate education** - Disabled

children are in great requirement of some appropriate educational measures for helping them in meeting out their exceptionalities and to cope with their deficits or extraordinary abilities. It is therefore essential for having an appropriate way to organize adequate special education services for the disabled children.

**5. Need for being independent in life functioning** - Disabled children on account of their disabilities demand some special measures for meeting out the needs of their being independent and self supportive in carrying out their one or the other life functioning activities. It equally applies to all the disabled children who suffer from one or the other deficits, deficiencies and disabilities in terms of their seeing, listening, sitting, walking. Learning or functioning in their daily lives or world of work. All types of disabled children need to learn the art of living for functioning properly in their day to day social and emotional life, as well as earning their livelihood and becoming economically and becoming economically self sufficient members of their community and the country.

**6. Need for the satisfaction of special learning capacities** - Disabled children deviate too much from their non-disabled peers with regard to their capacities, nature and requirements of learning. Disabled children make up a huge group of children like learning disabled, mentally retarded, sensory, communicationally and emotionally deficient who may have difficulty learning in one way or the other. The redressal of such specific needs of these diversified groups of disabled children thus may become an urgent necessity of any programme and provision for chalking out special measures for them.

**7. Need for proper guidance and counseling** - Disabled children needs timely and proper guidance and counseling for dealing with the situation and consequences resulted through their disabilities. They may become victim of do many social, emotional, physical, mental and moral problem on account of their extreme deviations from the normal course and pattern of life. The visually or aurally impaired thus may be guided to make use of assistive devices for being capable of using their residual sense of sight or hearing. An emotionally disturbed child may be advised to take control of his emotions and channelize his emotional energy in some other useful ways.

**8. Need for getting equal educational opportunities** - Disabled children need, equal educational opportunities for their adequate, adjustment and progress in their life irrespective of their disabilities, deficiencies or limitations with respect to one or other abilities. In their life, they have to remain along with the non disabled human beings, therefore, they must have their education along with their non disabled peers in the normal schools in the integrated settings with some minor adjustments for their proper education and adjustments.

**9. Need for special aids, equipments and assistive devices** - Disabled children need special assistance for meeting out their learning developmental and adjustment

needs. They therefore, always feel the need of being helped through some or other special learning material, aids and equipments, assistive technology and devices in the course of their being brought up and receiving education. It helps them in meeting out their special needs, overcoming their deficiencies and getting due gains for the regular and special education programmes. For example, the hearing impaired may need hearing aids, speech trainer and visual materials etc. The learning disabled may need alternate learning material, blind children may require Braille system and the children with low vision may need magnifiers and large print materials while the orthopedic impaired may require crutches and other supporting material.

**10. Need for getting incentives and financial assistance** - The disabled children require incentives and financial assistance for coping up with their disabilities, needs, problem. In many cases, the deficits and deficiencies are too much impropionate for their parents and family in terms of spending money on the physical treatment, medical expenses and purchasing of assistive devices. In such cases help from the NGO and other community sources as well as from the government agencies is needed for meeting the special requirements of the disabled. Moreover, there is requirement of providing due incentives and financial assistance in terms of scholarships, free learning material, free conveyance, free day meal etc. for sustaining the enrolment of the disabled children in the special schools or regular schools.

**Challenges to the University Role in Teacher Education** - A third collaborative space that has the potential to help unite the diversity communities in general teacher education and special education is the university's currently uncertain role in initial teacher preparation. Fueled by state and national mandates and teacher shortages in certain areas and by market-based reform agendas, "alternate" pathways into teaching and nontraditional teacher education providers have proliferated over the last two decades, including many new providers such as Teach for America, Teacher Project, and urban residency programs, which target particular previously untapped potential teacher populations, as well as online and for-profit certification routes that emphasize speedy and convenient job entry. Encouraged by the Secretary of Education's annual reports to Congress on teacher quality, which concluded that "traditional" (university) teacher education was a "broken system" (U.S.

Department of Education, 2002), alternate routes and pathways now exist in all 50 states and produce at least 20% of the nation's teachers (Feistritzer, 2009). These developments, coupled with intense and unprecedented policy and political attention to teacher quality, have created a crisis situation, and university-recommended teacher education programs now stand at a crossroads. Ironically, this crisis offers a potentially collaborative space for the diversity communities in general teacher education and special education to work together. There are many possibilities for these communities to work together to try

to make it clear what universities are uniquely positioned to offer to initial teacher preparation, given their unparalleled knowledge resources, their expertise in multiple modes of research and inquiry, and their potential for cross-disciplinary and interdisciplinary collaborations of many kinds. These have the potential to prompt new hybrid initial teacher education programs that reject old dichotomies and forge new synergies between general and special education.

**Declaration of Conflicting Interests** - The author(s) declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

**Funding**

The author(s) received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.

**Note** - To be fair, the work of many general educators, especially those working outside a social justice perspective, is also influenced by the same disciplinary traditions that have dominated in special education. The work of many general educators is strongly influenced by behavioral models of learning and psychometrics, for example, and there are many special educators who have rejected the behaviorism and deficit thinking that dominates in special education. However, these special educators often find themselves at odds with the institution of special education and some have gravitated to the field of disability studies which, arguably, stands as a critique of the practice of special education.

**References :-**

1. Adams, G., & Carnine, D. (2003). Direct instruction. In H. L. Swanson, K. R. Harris, & S. Graham (Eds.), *Handbook of learning disabilities* (pp. 403-416). New York, NY: Guilford Press.
2. Adams, G., & Engelmann, S. (1996). *Research on direct instruction: 20 years beyond DISTAR*. Seattle, WA: Educational Achievement Systems.
3. Anastasious, D., & Kauffman, J. (2011). A social constructivist approach to disability: Implications for special education.
4. *Exceptional Children*, 77(3), 367-384.
5. Andrews, J. E., Carnine, D. W., Couthinho, M. J., Edgar, E. B., Forness, S. R., Fuchs, L., . . . Wong, J. (2000). Bridging the
6. special education divide. *Remedial and Special Education*, 21,
7. 258-260, 267.
8. Baglieri, S., Valle, J. W., Connor, D. J., & Gallagher, D. J. (2011). Disability studies in education: The need for a plurality of perspectives on disability. *Remedial and Special Education*, 32,
9. 267-277.
10. *Creating and Inclusive School*, Suman Singh, Sudha Enterprises
11. *Creating and Inclusive School*, S.K.Mangal & Uma Mangal, Todan Publication.

\*\*\*\*\*

## शिक्षा का अधिकार अधिनियम - चुनौतियाँ

डॉ. डी. एन. दानी \* रंजना सालगिया \*\*

**प्रस्तावना** - शिक्षा ही मनुष्य का वास्तविक श्रृंगार है। ईमानदारी, समर्पण, नैतिकता आदि इसके आभूषण हैं। शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है, भारतीय प्राचीन संस्कृति में भी शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था। शिक्षा संवेदनाओं एवं अवधारणाओं को परिष्कृत करती है एवं समाजवाद, धर्म निरपेक्षता तथा लोकतन्त्र के लक्ष्यों को आगे बढ़ती है। भारतीय संविधान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा सभी के लिये अनिवार्य है, अनुच्छेद 45 के अनुसार वर्ष 1960 में 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसी कड़ी और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया एवं 2010 में इसे लागू किया गया।

शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने के पश्चात् 1 अप्रैल 2010 से लेकर आज तक की स्थिति को देखने पर हमारे मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या केवल कानून बना देना ही काफी है। जिस उद्देश्य से इसे लागू किया गया क्या वे प्राप्त कर लिए गए हैं? आर.टी.ई. के क्रियान्वयन में कई तरह की चुनौतियाँ सामने आ रही हैं जिनमें सुधार की संभावनाएं तलाश की जा सकती हैं।

**शोध उद्देश्य** - राजकीय एवं निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का पता लगाना।

**शोध परिकल्पना** - राजकीय एवं निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

**शोध का परिसीमन** - प्रस्तुत शोध उदयपुर जिले के राजकीय व निजी विद्यालयों तक सीमित रखा गया है।

**शोध न्यादर्श** - उदयपुर जिले के उच्च प्राथमिक स्तर के राजकीय व निजी विद्यालयों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया तथा शिक्षकों, संस्था प्रधान एवं जिला शिक्षा अधिकारी का चयन सौद्देश्य विधि द्वारा किया गया।

**न्यादर्श चयन - (देखें आगे पृष्ठ पर)**

**शोध विधि** - प्रस्तुत शोध में विषय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

**शोध उपकरण** - शोध में दत्तों के संग्रहण के लिए स्वनिर्मित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत शोध में शोधकर्त्री द्वारा प्रश्नावली एवं साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया है।

**सांख्यिकीय प्रविधि** - प्रस्तुत शोध में दत्तों के विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय प्रविधि में प्रतिशत का उपयोग किया है।

**सारणीयन एवं व्याख्या -**

**उद्देश्य संख्या 1** - उदयपुर जिले के राजकीय व निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का पता लगाना।

**सारणी 1 (देखें आगे पृष्ठ पर)**

सारणी 1 से स्पष्ट है कि राजकीय विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों में उच्च माध्यमिक स्तर तक अनुत्तीर्ण न करने का प्रावधान एवं अभिभावकों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के विषय में जानकारी का अभाव, शिक्षा की गुणात्मकता में वृद्धि करने के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं।

**सारणी 2 (देखें आगे पृष्ठ पर)**

सारणी 2 से स्पष्ट है कि राजकीय विद्यालय के शत प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार विद्यार्थियों की अनियमित उपस्थिति, शिक्षकों का अन्य विभागीय कार्यों में व्यस्त रहना एवं शिक्षकों की कमी से सभी कारण चुनौतियों के रूप में सामने आ रही है, जबकि निजी विद्यालयों में ऐसी स्थिति नहीं आ रही है।

**सारणी 3 (देखें आगे पृष्ठ पर)**

सारणी 3 से स्पष्ट है कि राजकीय विद्यालयों में मानवीय संसाधनों की कमी भी शिक्षण स्तर को प्रभावित करती है, जबकि निजी विद्यालयों में ऐसी कोई समस्या नहीं दिखाई देती है।

**सारणी 4 (देखें आगे पृष्ठ पर)**

सारणी 4 के अनुसार भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के सम्बन्ध में राजकीय विद्यालयों में छात्र अनुपात में कक्षा-कक्षों का पर्याप्त नहीं होना, छात्र अनुपात में फर्निचर भी उपलब्ध नहीं होना एवं पुस्तकालय का अभाव भी चुनौतियों के रूप में सामने आ रही है। जबकि निजी विद्यालयों की स्थिति ऐसी नहीं है।

**सारणी 5 (देखें आगे पृष्ठ पर)**

सारणी 5 से स्पष्ट है कि राजकीय विद्यालयों में उम्र के अनुसार प्रवेशित अधिकांश विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। जबकि निजी विद्यालय में 25% आरक्षण से प्रवेशित बालक कक्षा में अन्य विद्यार्थियों से समायोजन नहीं कर पाते हैं।

**सारणी 6 (देखें आगे पृष्ठ पर)**

सारणी 6 से स्पष्ट है कि राजकीय विद्यालय के शिक्षकों के अनुसार वेतन समय पर नहीं मिलता है, जबकि निजी विद्यालय के 55.33% शिक्षकों के अनुसार उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता है। राजकीय विद्यालय के लगभग 66% संस्था प्रधान के अनुसार निर्माण कार्य एवं अन्य कार्यों के लिए समय


\* पर्यवेक्षक, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

\*\* शोधार्थी, रामकिशन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

पर बजट की प्राप्ति नहीं होती है। ये भी आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी चुनौतियाँ हैं।  
**निष्कर्ष** – प्रस्तुत शोध द्वारा प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू हुए लगभग 10 वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी उपर्युक्त वर्णित कई चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। जिससे शिक्षा का वैसा स्वरूप प्राप्त नहीं किया जा सका जैसा कि इस अधिनियम के उद्देश्य एवं लक्ष्य में वर्णित किया गया है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. आर.एम.एस.ए. (2008), निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009, रायपुर – राजीव गाँधी शिक्षा मिशन।
2. <http://www.archive.india.gov.in>
3. <http://www.childlineindia.org.in>
4. <http://www.kamat.com>
5. <http://www.mhrd.gov.in>



सारणी 1

शिक्षा में गुणात्मकता प्राप्त करने सम्बन्धी चुनौतियाँ

क्र.सं.	चुनौतियाँ	राजकीय	निजी
1.	उच्च प्राथमिक स्तर तक अनुत्तीर्ण न किए जाने से बालकों का अधिगम स्तर उच्च नहीं हो पाता है।	100.00%	100.00%
2.	उम्र के अनुसार प्रवेश देने से बालक कक्षा के अधिगम स्तर तक नहीं पहुँच पाते हैं।	33.34%	66.66%
3.	अभिभावकों में शि.अ.अ. के प्रावधानों की जानकारी के अभाव से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।	80.00%	86.66%



सारणी 2

अकादमिक क्षेत्र सम्बन्धी चुनौतियाँ

क्र.सं.	चुनौतियाँ	राजकीय	निजी
1.	अनियमित उपस्थिति के कारण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अत्याधिक प्रभावित होती है।	100.00%	40.00%
2.	शिक्षकों के अन्य विभागीय कार्यों व्यस्त रहने से अधिगम प्रभावित होता है।	100.00%	शिक्षकों को अन्य में कार्य नहीं दिया जाता है।
3.	शिक्षकों की कमी के कारण बालकों को कक्षा के अधिगम स्तर तक लाने का प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है।	86.66%	53.33%

सारणी 3

मानवीय संसाधन सम्बन्धी चुनौतियाँ

क्र.सं.	चुनौतियाँ	राजकीय	निजी
1.	छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की	100.00%	शिक्षकों की कमी नहीं है। उपलब्धता नहीं है।
2.	कार्यालय कर्मों की उपलब्धता	20.00%	100.00%
3.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की उपलब्धता	24.00%	100.00%

सारणी 4

भौतिक संसाधन सम्बन्धी चुनौतियाँ

क्र.सं.	चुनौतियाँ	राजकीय	निजी
1.	कक्षा-कक्षों का अभाव	73.00%	पर्याप्त संख्या है।
2.	पुस्तकालय का अभाव	86.00%	60.00%
3.	छात्र अनुपात में फर्निचर की उपलब्धता नहीं है।	66.00%	पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध

सारणी 5  
समायोजन सम्बन्धी चुनौतियाँ

क्र.सं.	चुनौतियाँ	राजकीय	निजी
1.	उम्र के अनुसार प्रवेशित बालक कक्षा में अन्य बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं।	66.00%	60.00%
2.	25% आरक्षण से प्रवेशित बालक कक्षा में अन्य बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं।	प्रावधान नहीं	80.00%

सारणी 6  
आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी चुनौतियाँ

क्र.सं.	चुनौतियाँ	राजकीय	निजी
1.	शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता है।	80.00%	53.00%
2.	निर्माण कार्य हेतु समय पर धन प्राप्त नहीं होता है।	66.00%	40.00%
3.	विद्यालय के अन्य कार्यों के लिये समय पर बजट प्राप्त नहीं होता है।	60.00%	33.00%

\*\*\*\*\*

## जैन शिक्षा पद्धति का आदिकाल

डॉ. रूपेन्द्र मुनि अरोड़ा \*

**प्रस्तावना** - जैन शिक्षा पद्धति का आदिकाल आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव के समय से प्रारम्भ होता है। भगवान् ऋषभदेव ने जिस शिक्षा पद्धति का प्रारंभ किया, उसके पूर्व की परिस्थिति की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक प्रतीत होता है। क्योंकि ऐसी जानकारी प्राप्त करने से यह ज्ञात हो सकेगा कि किन परिस्थितियों के कारण भगवान् ऋषभदेव को शिक्षा पद्धति प्रारंभ करने की आवश्यकता हुई।

जैन धर्म में कालचक्र के दो भेद किए हैं - (1) अवसर्पिणी काल और (2) उत्सर्पिणी काल। प्रथम काल चक्र हासोन्मुखी है, तो द्वितीय कालचक्र विकासोन्मुखी है। अवसर्पिणी काल के प्रथम आरे में स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न होता था। युवा होने पर वह पति-पत्नि के रूप में रहता और उससे पुनः स्त्री पुरुष युगल रूप में उत्पन्न होते। उस समय के लोगों की समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति दस प्रकार के कल्पवृक्षों से हो जाया करती थी। उसी समय आवश्यकताएं अत्यन्त अल्प थीं, संख्यवृत्ति का अभाव था, मनुष्य स्वतंत्र विचरण करते थे, किसी प्रकार की सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मर्यादाएं न थीं। शासक या शासित, शोषक का सर्वथा अभाव था। उस समय की भूमि भी रिनग्ध और कीमल व मधुर थी। धान्य बिना बोए उग आते थे। लोगों के मनोरंजन व आमोद प्रमोद के साधनों की उपलब्धि भी कल्पवृक्षों से हो जाती थी। अवसर्पिणी काल का तीसरा आरा (काल) भी समाप्त होने लगा था। संचय वृत्ति, अहंता ममता का भी प्रभाव प्रारंभ हो गया। सहजता, सरलता, निष्कपटता, पारस्परिक वैमनस्य, घृणा, तनाव व संघर्ष उत्पन्न हुए। अपराधी मनोवृत्ति पनपने लगी। इस प्रकार मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया। ऐसी स्थिति में एक नई व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव होने लगी।

प्रख्यात विचार टामस पेन के अनुसार - 'मानव अपनी बुरी प्रवृत्तियों पर स्वयं नियंत्रण नहीं रख सका, इसलिए शासन का जन्म हुआ। शासन का कार्य है। मानव की दुष्प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना। सुप्रवृत्ति पुष्पलता है, फलरुह है जिसे दुष्प्रवृत्ति की झाड़ियाँ पनपने नहीं देती। शासन का कार्य इन झाड़ियों को काटना है। जब लोगों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होने लगी तो वे परस्पर झगड़ने लगे। इस नई परिस्थिति में मनुष्यों के विवाद और झगड़ों को समाप्त करने के लिए कुलकर्तों की उत्पत्ति हुई। ये कुलकर अपने अपने समय के प्रतापशाली और विद्वान् मनुष्य होते थे। प्रथम कुलकर विमलवाहन के समय अपराधों में न्यूनता रही। विमलवाहन ने कल्पवृक्षों का विभाजन कर दिया। फिर भी मनुष्यों के मध्य संघर्ष विराम नहीं हुआ। अपराधी मनोवृत्ति जब व्यवस्था का भी अतिक्रमण करने लगी, तब अपराधों के निरोध के लिये दण्ड नीति की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इससे पहले कोई दण्ड व्यवस्था नहीं थी।

प्रथम कुलकर के समय हाकार नीति का प्रचलन हुआ। हा तुमने यह क्या किया ? ऐसा दण्ड दिया जाता था। उस समय का मनुष्य स्वभाव से संकोची और लज्जाशील था। हा कह देने मात्र से वह पानी पानी हो जाता था। वह ऐसा समझता मानो उसे मृत्युदण्ड मिल रहा है। दूसरे कुलकर चक्षुष्मान तक नीति सफलतापूर्वक चली। फिर उसके समय में 'माकार' नीति का प्रचलन हुआ। माकार नीति नकारात्मक थीं मत करो ऐसा कहा जाता था। यह नीति सातवें कुलकर नाभि तक चलती रही। इस नीति के असफल होने पर धिक्कार नीति का प्रचलन हुआ। यह नीति तिरस्कार सूचक थी। वह नीति मृत्युदण्ड से अधिक प्रभावशाली थी। इस प्रकार कुलकर्तों ने अपने अपने समय में जो भी समस्या उत्पन्न हुई उसके समाधान के लिए और जनसमय के निराकरण के कार्य किए।

अंतिम कुलकर नाभि हुए। उनके समय में नई सभ्यता का जन्म हो रहा था। यौगलिक सभ्यता क्षीण हो रही थी। कुलकर नाभि के सम्मुख अनेक समस्याएं आईं। कुछ का तो उन्होंने समाधान कर दिया, किंतु जब उन्होंने देखा कि वे सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने अपने पुत्र ऋषभदेव का राज्याभिषेक कर दिया। अब कुलकर का स्थान राजा ने ले लिया। ऋषभदेव प्रथम राजा बने। राजा बनते ही ऋषभदेव ने सषक्त राष्ट्र का निर्माण किया।

**राष्ट्र का निर्माण** - राज्य की सुव्यवस्था के लिए उन्होंने सबसे पहले आरक्षक विभाग की स्थापना कर आरक्षक दल का गठन किया। उसके अधिकारी उग्र कहलाए। फिर राजकीय व्यवस्था के लिए मंत्रीमण्डल का निर्माण किया और मंत्रियों को अलग अलग विभागों का उत्तरदायित्व सौंपा। विभागों के उच्चाधिकारी मंत्रियों को भोग नाम से संबोधित किया जाने लगा। तत्पश्चात् महाराजा ऋषभदेव ने शासन की सुव्यवस्था के लिए राज्य को अलग अलग बावन जनपदों में विभक्त किया और उनका शासन संचालित करने के लिए महामण्डलिक राजाओं के रूप में योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया। इनके अधीन छोटे छोटे राज्यों का गठन कर उनकी शासन व्यवस्था के सुसंचालन के लिए राजाओं को सिंहासन पर बैठाया। महाराजा ऋषभदेव ने सभी बड़े व छोटे राजाओं को उनका उत्तरदायित्व समझाते हुए कहा - जिस प्रकार सूर्य अपनी रश्मियों द्वारा जलाशयों, वनस्पतियों और धरातल में उन्हें बिना किसी प्रकार की प्रत्यक्ष बड़ी हानि पहुंचाए थोड़ा थोड़ा जल वाष्प के रूप में खींचता है, उसी प्रकार राज्य के संचालन के लिए, राष्ट्र की शासन व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिये प्रज्ञा से थोड़ा-थोड़ा कर लिया जाए और जिस प्रकार सूर्य द्वारा वाष्प के रूप में ग्रहण किए हुए जल को वर्षा ऋतु में बाल समान रूप से सर्वत्र बरसा देते हैं, उसी प्रकार प्रजा से कर रूप में ग्रहण किए हुए उस धन को प्रता के हित में कार्यों में खर्च किया

जाए। प्रजा को बिना किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाए, तुम्हें सूर्य की किरणों के समान प्रजा से कर रूप में धन एकत्र करना है और बादल की तरह समष्टि के हित के लिए उस एकत्र धनराशि का व्यय करना है।

उपर्युक्त व्यवस्था करने के पश्चात् महाराजा ऋषभदेव ने राजाओं के एक परामर्श मण्डल की स्थापना की। उन्होंने उन राजाओं को महामाण्डलिक, माण्डजिक और राजन्य, क्षत्रिय आदि उपाधियों से अलंकृत किया। राष्ट्र की रक्षा के लिए महाराज ऋषभदेव ने चार प्रकार की सेना का गठन किया और उनके लिए चार सेनापतियों की नियुक्ति की।

अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए महाराजा ऋषभदेव ने चार प्रकार की दण्ड व्यवस्था का प्रचलन किया। यथा -

- (1) **परिभाषण** - अपराधी को साधारण अपराध के लिए आक्रोषपूर्ण शब्दों से दण्डित करना।
- (2) **मण्डलीबन्ध** - अपराधी को नियत समय के लिए सीमित क्षेत्र मण्डल में रोके रखना।
- (3) **चारक बन्ध** - बंदी गृह में अपराधी को बन्ध रखना।
- (4) **छविच्छेद** - मानवताद्रोही, राष्ट्रद्रोही अथवा पुनः पुनः घृणित अपराध करने वाले अपराधी के शरीर के हाथ, पैर आदि किसी अंग उपांग का छेदन करना।

इन चार प्रकार की दण्ड नीतियों के संबंध में कतिपय आचार्यों का अभिमत है कि अंतिम दो नीतियां भरत चक्रवर्ती के शासनकाल में प्रचलित हुई थी, परंतु नियुक्तिकार आचार्य भद्रबाहु के मतानुसार बंध और घात नीति भी ऋषभदेव के शासनकाल में ही प्रचलित हो गई थी। ऋषभदेव ने अपराधियों को खोजने और दण्डित करने के लिये दण्डनायक आदि पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की।

**खाद्य समस्या का समाधान** - ऋषभदेव के समय कलपवृक्ष नष्ट हो गए। मनुष्य कंद, मूल, पत्र, पुष्प और फलादि का उपभोग करते थे, किंतु जनसंख्या की अभिवृद्धि होने पर कंद, मूल, फल आदि की भी कमी अनुभव हुई। तब मनुष्यों ने स्वयं सम्भूत चावल, गेहूँ, मूंग, चना आदि का उपयोग प्रारंभ किया। उस समय के मनुष्य पकाने के साधनों से अनभिज्ञ थे, इसलिये अपका चना, चावल आदि अन्न दुष्पाच्य हो गए। लोग अपनी समस्या लेकर महाराजा ऋषभदेव के पास गए और उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगा। ऋषभदेव ने हाथ से मलकर छिलके उतारकर सेवन करने की सलाह दी। लोगों ने वैसा ही किया, किंतु कालक्रमानुसार वह भी दुष्पाच्य हो गया। लोग पुनः ऋषभदेव के पास आए और अपनी व्यथा व्यक्त की। उन्होंने अन्न को पानी में भिगोकर खाने की सलाह दी। साथ ही मुट्ठी और बगल में अन्न को रखने का परामर्श भी दिया। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा किंतु फिर समस्या उत्पन्न हो गई। ऋषभदेव अग्नि के विषय में जानते थे, किंतु वह काल एकान्त स्निग्ध था। इस काल में अग्नि उत्पन्न नहीं हो सकती थी।

समय के प्रवाह के साथ एक दिन एक विशेष घटना घटी। वृक्षों के परस्पर टकराने से अग्नि उत्पन्न हुई और उसने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया तथा आसपास के तृण काष्ठ आदि जलाने लगी। लोगों ने उसे रत्न राशि समझा और उसकी ओर हाथ बढ़ाए तो उनके हाथ जलने लगे। लोग ऋषभदेव के पास गए और उन्हें स्थिति से अवगत कराया। ऋषभदेव ने उन्हें कहा कि अब उनकी समस्या का समाधान हो जायेगा। उन्होंने लोगों को अन्न को पकाकर खाने के लिए कहा। लोगों ने अन्न अग्नि में डाला तो वह जलकर भस्म हो गया। लोग पुनः ऋषभदेव के पास गए। ऋषभदेव ने गीली मिट्टी मंगवाकर पात्र बनाना सिखाया। इस प्रकार ऋषभदेव ने सर्वप्रथम

शिल्पों में कुंभकार शिल्प का प्रशिक्षण दिया। पात्र को अग्नि में पकाकर, फिर उस पात्र में अन्न पकाकर खाने के लिए कहा। इस प्रकार लोगों की खाद्य समस्या का समाधान हुआ। इसके साथ ही अन्य कलाओं का प्रशिक्षण दिया गया।

**कलाओं का प्रशिक्षण** - ऋषभदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को पुरुषोचित बहत्तर कलाओं का ज्ञान कराया। कनिष्ठ पुत्र बाहुबलि को प्राणी लक्षणों का ज्ञान कराया। समवायांग सूत्र में बहत्तर कलाओं के नाम इस प्रकार मिलते हैं-

1. लेखनकला
2. गणित कला
3. रूपकला
4. नाट्यकला
5. गीतकला
6. वाद्यकला
7. स्वागतकला
8. पुष्करगत कला
9. समताल कला
10. द्यूत कला
11. जनवाद कला
12. पुष्करगत ला
13. अष्टापदकला
14. दकमृत्तिकाकला
15. अन्नविधिकला
16. पानविधि कला
17. वस्त्रविधि कला
18. शयन विधि
19. आर्याविधि
20. प्रहेलिका
21. मागाधिका
22. गाथा कला
23. श्लोक कला
24. गंध युति
25. मधुसिक्ख
26. आमरण विधि
27. तरुणी प्रतिकर्म
28. स्त्री लक्षण
29. पुरुष लक्षण
30. हय लक्षण
31. गज लक्ष्मण
32. गोण लक्ष्मण
33. कुक्कुट लक्षण
34. मेढ्र लक्षण
35. चक्र लक्षण
36. छत्र लक्षण
37. दण्ड लक्षण
38. असि लक्षण
39. मणि लक्षण
40. काकणी लक्षण

41. चर्म लक्षण
42. चन्द्रचर्या
43. सूर्य चर्या
44. राहु चर्या
45. ग्रहचर्या
46. सौभाग्यकर
47. दौर्भाग्यकर
48. विद्यागत
49. मंत्रगत
50. रहस्य गत
51. सभास
52. चारकला
53. प्रतिचार कला
54. व्यूह कला
55. प्रतिव्यूह कला
56. स्कन्धाकारमान
57. नगरमान
58. वास्तुमान
59. स्कन्धाकार निवेश
60. वस्तु निवेश
61. नगर निवेश
62. इश्वरस्त्रकला
63. उद्यरुप्प्रवाद कला
64. अश्व शिक्षा
65. हरित शिक्षा
66. धनुर्वेद
67. हिरण्यपाक -सुवर्णपाक, मणिपाक, धातुपाक, चाँउदी सोना, मणि और लोहा आदि धातुओं को गलाने, पकराने और उनकी भस्म आदि बनाने की विधि जानना।
68. बाहुयुद्ध, दण्डयुद्ध, मुष्टियुद्ध, यष्टियुद्ध, सामान्य युद्ध, नियुद्ध, युद्धातियुद्ध आदि नाना प्रकार क युद्धों का जानना।
69. सूत्रखेड, नालिकाखेड, वर्तखेड, चर्मखेड आदि अनेक प्रकार के खेलों का जानना।
70. पचच्छेद्य, कटकछेद्य
71. सजीव - निजीर्व और
72. शकुनि निरुत

यह उल्लेख भी मिलता है कि ऋषभदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को अर्धशास्त्र, संग्रह प्रकरण और नृत्य शास्त्र की शिक्षा दी थी। वृषभसेन को गांधर्व विद्या की शिक्षा, अनन्तविजय को चित्रकला, वास्तुशिक्षा और आयुर्वेद की शिक्षा दी तथा बाहुबली को कामनीति, स्त्री पुरुष लक्षण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अश्वलक्षण, गजलक्षण, रत्न परीक्षा और तंत्र मंत्र की शिक्षा दी थी।

ऋषभदेव ने अपने दोनों पुत्रियों को शिक्षित किया। पुत्री ब्राह्मी को दाये हाथ से अठारह लिपियों का अध्ययन कराया और सुंदरी को बाये हाथ से गणित विद्या का परिज्ञान कराया। व्यवहार साधन हेतु मान (माप), उन्मान (तोला, माषा आदि वनज), अवमान (गज, फीट, इंच आदि) व प्रतिमान (छटांक, सेन, मन आदि) सिखाए। मणि आदि पिरोने की कला से भी अवगत

कराया। उन्होंने अपनी पुत्रियों के लिपि संस्कार से समय सुवर्ण पट्ट पर अ, आ, ई, ई, उ, ऊ आदि वर्णमाला लिखकर अक्षर ज्ञान कराया। ऋषभदेव ने जनहित में स्त्रियों को चौंसठ प्रकार की कलाओं का भी परिज्ञान कराया। महिलाओं की चौंसठ कलाओं के नाम इस प्रकार बताए गए हैं -

1. नृत्य
2. औचित्य
3. चित्र
4. वादित्त
5. मंत्र
6. तंत्र
7. ज्ञान
8. विज्ञान
9. दम्भ
10. जलस्तंभ
11. गीतमान
12. तालमान
13. मेघवृष्टि
14. फलावृष्टि
15. आरामरोपण
16. आकारगोपन
17. धर्मविचार
18. शकुन विचार
19. क्रियाकल्प
20. संस्कृतजल्प
21. प्रसादनीति
22. धर्मनीति
23. वर्णिकावृद्धि
24. सुवर्ण सिद्धि
25. सुरभितैलकरण
26. लीलासंचरण
27. हयगज परीक्षण
28. पुरुष स्त्री लक्षण
29. हेमरत्न भेद
30. अष्टादश लिपि परिच्छेद
31. तत्काल बुद्धि
32. वस्तुसिद्धि
33. काम विक्रिया
34. वैद्यक क्रिया
35. कुंभभ्रम
36. सारिश्रम
37. अंजन योग
38. चूर्ण योग
39. हस्तलाघव
40. वचनपाटव
41. भोज्यविधि
42. वाणिज्य विधि
43. मुख मण्डन



44. शालि मण्डन
45. कथाकथन
46. पुष्प गुन्धन
47. वक्रोक्ति
48. काव्य शक्ति
49. स्फारविधिवंश
50. सर्वभाषा विशेष
51. अभिधान ज्ञान
52. भूषण परिधान
53. भृत्योपचार
54. गृहाचार
55. व्याकरण
56. परनिराकरण
57. रन्धन
58. केश बंधन
59. वीणानाद
60. वितण्डानाद
61. अंकविचार
62. लोक व्यवहार
63. अन्त्याक्षरिका और
64. प्रश्न प्रहेलिका

जिन अठाहर प्रकार का लिपि ज्ञान ऋषभदेव ने करवाया, उनके नाम इस प्रकार मिलते हैं -

1. ब्राह्मी लिपि
2. यावनी लिपि
3. दोषउपरिका लिपि
4. खरोष्ठीलिपि
5. खरषाविका लिपि
6. प्रहारातिका लिपि
7. उच्चतरिका लिपि
8. अक्षरपृष्ठिका लिपि
9. भोगवतिका लिपि
10. वैणकिया लिपि
11. निन्हविका लिपि
12. अंक लिपि
13. गणित लिपि
14. गंधर्व लिपि (भूत लिपि)

15. आदर्श लिपि
16. माहेश्वरी लिपि
17. दापिलिपि और
18. पोलिन्दी लिपि

ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि ऋषभदेव ने मनोरंजन के लिए चित्र शिल्प आदि का भी आविष्कार किया। वस्त्र की समस्या उत्पन्न होने पर उन्होंने वस्त्र निर्माण की शिक्षा दी। बाल, नाखून आदि की अभिवृद्धि से जब शरीर अभद्र व अशोभन दिखाई दिया तो उन्होंने नापित शिल्प का प्रशिक्षण दिया। इसके अतिरिक्त ऋषभदेव ने घसियारे का, काष्ठों के क्रय-विक्रय का तथा खेती व व्यापार संबंधी आवश्यक वस्तुओं का प्रशिक्षण दिया। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ऋषभदेव ने असि, मसि और कृषि की शिक्षा प्रदान की। विस्तार से कहे तो उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, व्यापार, व्यावसायिक शिक्षाएं प्रदान की। इतना ही नहीं, उन्होंने विवाह प्रथा, वर्ण व्यवस्था आदि की भी प्रचलन किया। हम ऋषभदेव को संस्कृति का आद्य निर्माता की सकते हैं। उनके समय में जैन शिक्षा पद्धति का जो स्वरूप मिलता है, वही आगे चलकर विकसित हुआ।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ज्ञानोदय, वर्ष 17, अंक दो, अगस्त 1965 सहचिन्तन कन्हैयालाल मिश्र, पृष्ठ 144
2. दण्ड : अपराधिनामनुशासनं तत्र अस्य तस्य वा स एवं वा नीतिः नयो दण्डनीति। स्थानांगवृत्ति पृ. 39071
3. ह इत्यधिकेपार्थस्तस्य करणं हकारः। स्थानांग सूत्र वृत्ति 399
4. जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति कालाधिकार ।
5. 'मा' इत्यस्य निषेधार्थस्य करणं अभिधानं माकार - स्थानांग सूत्र वृत्ति 399
6. जैनधर्म का मौलिक इतिहास भाग-1, पृष्ठ 35, आचार्य श्री हस्तीमल जी म.
7. आवश्यक निर्युक्ति, गाथा 198
8. जैनधर्म का मौलिक इतिहास, भाग-1, पृष्ठ 36
9. ऋषभदेव - एक परिशीलन, पृष्ठ 144-145, आचार्यश्री देवेन्द्रमुनि
10. वही, पृष्ठ 145-146
11. समयवाय, 72/356
12. आदिपुराण, 16/118-125, जिनसेनाचार्य ।
13. ऋषभदेव - एक परिशीलन, पृष्ठ 148
14. वही, परिशिष्ट 2, पृष्ठ 11
15. समवायांगसूत्र समवाय 18/128
16. ऋषभदेव - एक परिशीलन, पृष्ठ 146

\*\*\*\*\*

# A Comparative Study Of Cardiovascular Endurance Between Government And Private High School Boys Of Ujjain Division Madhya Pradesh

Punit Gupta\*

**Abstract** - The purpose of this study was to compare the cardiovascular fitness between government and private high school of Ujjain division. The present study was conducted on a sample of sixty (N=60) students, which includes thirty each, government (N1 = 30, mean  $\pm$  SD) and private school (N2 = 30, mean  $\pm$  SD) selected from different schools affiliated to Madhya Pradesh Board, India. The 12 minute run/walk test was used to assess cardiovascular fitness of subjects. The independent samples t-test was applied to assess the differences between government and private high school. Age ranging from 14 to 16 years was selected as the subject. The results of present study indicated that government school students had significantly greater cardiovascular fitness ( $p < 0.05$ ) than non-athletes. It was also observed that the Government High School going boys have better Cardiovascular Endurance than Private High School going boys. This study will motivate to rural and urban high school girls to participate in physical activities. The purpose of this study was to compare the physical fitness of the rural and urban high school girls of Ujjain division. To achieve this purpose, the data collected in this study were put to statistical analysis and the results of which are presented in this chapter.

**Key Words** - government, private school boys, cardiovascular fitness.

**Introduction** - The importance of cardiovascular fitness to health and wealth for all individuals has been well balance. To achieve high performance in all sports there required five motor qualities- Strength, Speed, Co-ordination, flexibility and Endurance. Aerobic capacity is related to heart. Capacity of heart mean cardio input and output of blood from heart, which increase the VO<sub>2</sub> max in the working muscles. The muscle of the heart and blood vessels must be strong enough to send the required amount of oxygen and nutrition, through the blood. So, it can be said that cardiovascular fitness represents one's whole health. Physical fitness is the capability of heart, blood vessels, lungs and muscles, to function at operative efficiency. Cardiovascular Endurance and Muscular Endurance. Cardiovascular Endurance is the ability of the heart to provide oxygen to muscles during physical activity for a prolong period of time. Cardiovascular system is input and output of the blood from the heart to flow to the working muscles. The world greatest thinkers have stressed the importance of physical fitness in leading a productive and meaningful life, the Greek philosopher Aristotle stated that the body is the temple of soul and to reach harmony among body, mind and spirit a human being must be physically fit. Aerobic power is the highest rate at which a person's body can produce energy in the muscles through the use of oxygen. Aerobic power depends on good lung function to supply oxygen to the blood, a strong heart to pump blood

to the muscles, and muscles that are efficient in using the oxygen sent to them. Great aerobic power is common among endurance athletes, including cyclists, distance runners, rowers and distance swimmers. These athletes may have twice the aerobic power of untrained people. Cardio-vascular endurance and jumping ability are essential qualities required to be developed by all players. Endurance is the ability to keep on exerting force against resistance. Cardiovascular endurance relates to the whole body. Due to regular exercise, athletes tend to have an increase in fitness level when compared to non exercising individuals exercise and physical activity impact on fitness. Low levels of physical activity and cardio endurance are both risk of all disease and heart attack.

**Materials And Methods** - The present study was conducted on a sample of sixty which include 30 each school, government (mean+SD) and private school. all the participate were informed about aim and method of the study. Purposive sampling method was used to select the subjects for the present study.

**Methodolgy** - Cardiovascular fitness was assessed using 12 minutes run/walk test. place point at set intervals around the track and in measuring the complete distance. Subjects were ruined for 12 minutes and total distance covered was note in meters (cooper, 1972).

**Statistical Analyses** - Values are presented as mean values and SD. independent samples T test were used to

test if population means average by two independent samples differed significantly. Data was analyzed using new version.

**Table-1 (See in the next page)**

**Discussion** - In the present study cardiovascular fitness of government and private school boys have been compared with each other. This study indicates the existence government school in cardiovascular fitness. Due to regular exercise government school boys tend to have an increase in respiratory capacity and also beneficial impact on locomotor and fitness level.

**Conclusion** - On the basis result of the study it was conclude that there is insignificant difference in the means of cardiovascular endurance of Government and Private High Schools boys. It was also conclude that the Govt. High School boys have the better cardiovascular endurance than Private High Schools boys (62.66>61.32).The outcomes of the study demonstrates the existence of significant difference between government and private on cardiovascular fitness thereby it implies that the sports has a helpful for wellness.

**References :-**

1. Arvind V Patil,"Comparative Study of Cardiovascular Efficiency between National Cadet Crops and Physical

Education Students at Undergraduate Level", Journal of Sports and Sciences, 2007, Vol.30 No.20.PP. 45-48  
 2. A.K. Uppal, Science of Sports Training, Friends Publication, New Delhi, 2009,  
 3. D.K. Kansal, Test and Measurement in Sports and Physical Education, D.V.S. Publications, Kalkaji, New Delhi-110019, 1st Edition.  
 4. Getchell Bud, Physical Fitness: A way of Life (New York: John Wiley and Son), 1976,  
 5. H. Clark, & D.H. Clarke, "Application of Measurement of physical Education, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc,p147 .1987  
 6. J.H. Willmore & P.R. Stanforth., "Endurance Exercise Training has a Minimal Effect on Resting Heart Rate.The Heritage Study",Medicine and Science in Sports and Exercise 28: 1996, PP.829-835.  
 7. Sinku, s.2012.cardiovascular fitness among sedentary students.journal of exercise science and physiotherapy,8(2),109-112.  
 8. David K. Miller and T. Earl Allen. "Fitness a life time commitment" (Delhi: Sujeet Publication 1982), p 4.  
 9. Brain I.Sharker, "Physiology of Fitness" (Champaign: Human Kinetics Publishers Inc, 1984), and p.55  
 10. Margaret J. Safrit, "Introduction to measurement in physical education and exercise".

Table -1 Comparison of cardiovascular fitness by 12 minutes run /walk test of government and private school boys.

Variables	Government school (N-30)		Private school (N-30)		Mean Difference	SEDM	T- value
	Mean	SD	Mean	SD			
12 min.Run/Walk Test (mtr)	1869	65.45	1821	38.65	48.7	0.45	3.507*

\*Significnat at 0.05 Level

\*\*\*\*\*

## आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा का महत्व

सोनाली सिंह \*

**शोध सारांश -** शारीरिक शिक्षा आधुनिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लगभग हर स्कूल में एक खेल का मैदान होना चाहिए। आधुनिक स्कूल और कॉलेजों में, कक्षा के कार्य के बाद, छात्र विभिन्न खेलों में शामिल होते हैं। छात्रों को आमतौर पर सभी प्रकार की शारीरिक गतिविधियाँ सिखायी जाती हैं और वे उनमें बहुत रुचि लेते हैं। शारीरिक शिक्षा सुनते ही मनुष्य समझ जाता है कि मानव शरीर के विषय में बात होगी। हमारा शरीर ईश्वर का दिया हुआ सब से हसीन तोहफा है। इसकी हिफाजत करना हमारी सब से बड़ी जिम्मेदारी है। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस क्रिया का पालन करते हैं, उसे शारीरिक शिक्षा कहते हैं। हम लोगों ने स्कूलों में सुना और लिखा हुआ देखा है कि स्वास्थ्य ही धन है। यह बिलकुल सही है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ न हो तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता की ऊंचाई तक नहीं पहुँच सकते। शारीरिक शिक्षा से मानसिक शक्ति का विकास होता है, सौंदर्य में निखार तथा रोगों का निवारण होता है। यदि हम इसके महत्व को न समझें और हमें इसका सही ज्ञान न हो तो हम अपने शरीर की देखभाल ठीक से नहीं कर पाएंगे। और हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह पायेगा।

**वर्तमान समय में शारीरिक शिक्षा का महत्व -** वर्तमान समय में पूरी दुनियाँ में शारीरिक शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है। स्कूलों में भी शारीरिक शिक्षा पर बहुत बल दिया जाता है। शारीरिक शिक्षा से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। खेल भी शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। सभी स्कूलों में बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब स्कूलों में खेल के अलावा व्यायाम भी करवाया जाता है। बहुत से स्कूलों में कराटे, जुडो और कुश्ती आदि की अच्छी व्यवस्था की गई है। चुस्त एवं फुर्तीला रहता है। इन शारीरिक शिक्षाओं को ग्रहण करने के बाद बच्चे और बच्चियाँ अपनी आत्मरक्षा करने में सक्षम होते हैं। शारीरिक शिक्षा से बच्चों में आध्यात्मिक और बौद्धिक क्षमताओं का निरंतर विकास होता रहता है। शारीरिक शिक्षा का बहुत महत्व है।

आज के इस व्यस्त जीवन में लोगों को अपना काम ठीक ढंग से करने और अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक शिक्षा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इस शिक्षा का ज्ञान बचपन से ही आरम्भ होना अति आवश्यक है। अब लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। अपने बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब बच्चों को आसानी से शारीरिक शिक्षा का ज्ञान मिल पा रहा है। वयस्कों में अभी भी पूर्ण रूप से इसके लिए जागरूकता नहीं आई है। इसका प्रमुख कारण आज का व्यस्त जीवन है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक शिक्षा के प्रति वयस्कों में जागरूकता की बहुत कमी है। गाँव में व्यायाम के साधनों की बहुत कमी है। न ही जिम की व्यवस्था है और न ही जुडो कराटे सीखने की।

**योग -** आजकल लोग तरह-तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यदि हम निरंतर व्यायाम करें तो बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। शारीरिक शिक्षा में योग का बहुत बड़ा महत्व है। पिछले कुछ वर्षों से योग को बहुत महत्व दिया जा रहा है। योग के द्वारा हम सभी प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। योग के द्वारा बीमारियों का इलाज भी किया जा रहा है। योग सभी उम्र के लोग आसानी से कर पाते हैं। आज कल भारत में बच्चे, वयस्क, वृद्ध एवं महिलाएँ सभी योग के प्रति जागरूक हो रहे हैं और बहुत सारे लोग योग

करना पसंद करते हैं। ना केवल भारत में बल्कि पूरे संसार में योग को बहुत महत्व दिया जा रहा है। इसका श्रेय बाबा रामदेव को जाता है। बाबा रामदेव आज के युग के योग गुरु माने जाते हैं। उन्होंने योग के प्रति सारी दुनिया को जागरूक किया है।

**जुडो-कराटे -** जुडो-कराटे भी शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। बिना किसी उपकरण के जुडो-कराटे के द्वारा शरीर को बलवान बनाया जाता है। यह आत्मरक्षा की एक उच्चतम शैली है। शहरों में इसकी अच्छी व्यवस्था है। हम सबको किसी न किसी रूप में निरंतर व्यायाम करते रहना चाहिए। शारीरिक शिक्षा से मानसिक शक्ति का विकास होता है, सौंदर्य में निखार तथा रोगों का निवारण होता है। यदि हम इसके महत्व को न समझें और हमें इसका सही ज्ञान न हो तो हम अपने शरीर की देखभाल ठीक से नहीं कर पाएंगे और हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा। बच्चा जब छोटा होता है, तब तेल से उसके पुरे शरीर की मालिश की जाती है। बच्चों के शरीर की मालिश करना भी शारीरिक शिक्षा अर्थात् व्यायाम ही है। इसके अतिरिक्त बच्चों का हाथ पकड़ कर चलने का अभ्यास करवाना एक शारीरिक शिक्षा है। छोटे-छोटे खिलौनों से खेलना, हाथ पाँव को हरकत कर खेलना आदि शारीरिक शिक्षा में शामिल है। इन खेलों से बच्चों का शरीर मजबूत तथा मानसिक विकास होता है, प्रचार और प्रसार हो रहा है।

**जिम -** शहरों में जिम की उचित व्यवस्था है। ऐसा हाल जहाँ व्यायाम करने के लिए कई प्रकार के उपकरण होते हैं और लोग वहाँ व्यायाम करते हैं, जिम कहलाता है। शहरों में बहुत सारे लोग जिम जाकर व्यायाम करते हैं जिससे उनका शरीर मजबूत होता है और बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। शहरों में भी ज्यादातर लोग जिम नहीं जा पाते हैं। इसका मुख्य कारण व्यस्त जीवन हो सकता है। लोग अपने जीविकार्जन में इतने व्यस्त होते हैं कि व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। हमारा शरीर भगवान का दिया हुआ एक हसीन तोहफा है, हमें इसकी हिफाजत के लिए समय निकलना चाहिए। खेल भी शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है।

**पुराने जमाने में शारीरिक शिक्षा -** पुराने जमाने में भी शारीरिक शिक्षा को

बहुत महत्व दिया जाता था। उस समय लोग देशी कसरत किया करते थे। प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य केवल शरीर को मजबूत करना होता था। उस समय लोग बोझ ढोने, शिकार करने, लकड़ी काटने, युद्ध करने आदि के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाते थे। तीर अंदाजी, तलवार बाजी, घुड़सवारी, देशी व्यायाम, कुश्ती आदि शारीरिक शिक्षा में शामिल था जैसे-जैसे लोग विकास करते गए शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य भी विकसित होने लगा। सभ्यता के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा के तरीकों में भी विकास हुआ। प्राचीनकाल में साधारण परिवार के बच्चों के साथ ही राजा-महाराजा के बच्चे भी गुरुकुल में शारीरिक शिक्षा प्राप्त करते थे। चीन में बीमारियों का ईलाज के लिए व्यायाम में भाग लिया जाता था। ईरान में युवकों को घुड़सवारी एवं तीरंदाजी की शिक्षा दी जाती थी। यूनान में खेलकूद की प्रतियोगिता को बहुत महत्व दिया जाता था। अरब में तीरंदाजी, घुड़सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी सिखलाई जाती थी। भारत में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय व्यायाम का प्रमुख स्थान है। यह विश्व की सबसे पुरानी व्यायाम प्रणाली है। जिस समय यूनान, स्पार्टा और रोम में शारीरिक शिक्षा की शुरुआत हो रही थी उस समय भी भारत में शारीरिक शिक्षा का ढाँचा बन चुका था और उस ढाँचे का प्रयोग भी हो रहा था। आश्रमों तथा गुरुकुलों में छात्रगण तथा अखाड़ों और व्यायामशालाओं में गृहस्थ जीवन के प्राणी उपयुक्त व्यायाम का अभ्यास करते थे। इन व्यायामों में दंड-बैठक, धनुर्विद्या, इत्यादि प्रक्रियाएँ प्रमुख थीं। भारतीय व्यायाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इससे ध्यान एकाग्र, मन शांत तथा स्मरण शक्ति का विकास होता है। इसी विशेषता से आकर्षित होकर अन्य देशों में इन व्यायामों का बड़ी तीव्र गति से प्रचार और प्रसार हो रहा है।

**निष्कर्ष** - हालांकि यह एक सांसारिक गतिविधि की तरह लग सकता है, पीई एक बच्चे की उचित वृद्धि में महत्वपूर्ण है और जब तक आप इसे और उसके सकारात्मक प्रभावों को समझ न लें, तो आप गलत रणनीतियों को अनदेखा करने या लागू करने की अधिक संभावना रखते हैं। अपने बच्चे को

अधिक सक्रिय और शारीरिक रूप से फिट बनाने के अलावा, शारीरिक शिक्षा भी खाड़ी में रोगों को रखती है। मुझे नहीं लगता कि इसका महत्व ही नहीं है आज सरकार स्कूलों में खाने का प्रबंध कर रही है, उन्हें शिक्षा का अधिकार दे चुकी है लेकिन क्या ये ही तत्व किसी बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है? मेरे विचार से नहीं। छात्रों को शरीर के अंगों का ज्ञान, उनकी रचना और कार्यों का बोध कराने के लिए शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न प्रकार के खेल हैं- जैसे बालीबाल, फुटबाल, हाकी, बास्केटबॉल, टेबिल टेनिस, लान टेनिस, कबड्डी, खो-खो, बेडमिन्टन, क्रिकेट, कैरमबोर्ड, चेस आदि प्रत्येक स्कूल में एक शारीरिक शिक्षक उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना पढ़ाने वाला शिक्षक। शारीरिक शिक्षक से बालक का मानसिक विकास तो होता ही है साथ ही शारीरिक विकास भी सही गति से होता है बच्चों को शिक्षा के साथ में खेलकूद में भाग लेना चाहिए जिससे उनके अन्दर खेल के प्रति पूरा सम्मान उत्पन्न हो परन्तु ऐसा तभी संभव है, जब विद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षक नियुक्त हो। परन्तु ऐसा असंभव है क्योंकि NCERT ने शारीरिक शिक्षा का कोर्स कर रहे बच्चों का अध्यापक भर्तियों में आवेदन पर रोक लगा दी है जिससे वे UPTET, CTET और अध्यापक भर्तियों के लिए मान्य नहीं है शारीरिक शिक्षा का कोर्स NCERT द्वारा ही मान्यता प्राप्त है उत्तर प्रदेश में BPED धारक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वे UPTET में और CTET में वे आवेदन नहीं कर सके आप ही बताए क्या जो इन कोर्सों को किए हुए है, उनका क्या होगा इनकी संख्या एक लाख से भी ज्यादा है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. News Politics Entertainment Social Issues
2. Sports Religious Video Others November 27, 2011
3. edurings.com/Blog
4. <https://www.jagranjunction.com>

\*\*\*\*\*



# An Impact Study On Decisional Jurisprudence Of Supreme Court - With Special Reference To Environmental Protection Laws In India

Anita Parmar\*

**Abstract** - The Main objective of this paper is to demonstrate the importance of decisional Jurisprudence of Supreme Court in India for protection of environment. This paper includes role of law makers and various legislations related to Environment Protection in India. It also talks about the influence of International Law on the domestic legal regime to deal with the problem of environment protection. It further provides an idea about judicial approach with special reference to Public Interest Litigation and cases decided by Hon'ble Supreme Court of India.

**Key Words** - Environment Jurisprudence, Environment Protection, Domestic, International Legislation, Judiciary, PIL.

**Introduction** - The Supreme Court of India has been engaged, in many respects in the protection of environment and playing important role in resolving environmental disputes while conventionally it is the function of the executive and legislature. The reasons for the increasing concern of Court in governance arenas are varied and complex but one major factor has been failure of implementing agencies to discharge their Constitutional and statutory duties.<sup>1</sup> The innovative methods in environmental jurisprudence, however, have both procedural and substantive characteristics. Court entertain petition on behalf of the pollution victim and inanimate objects, and encouraging, petitioners for objects, expanding, making spot visit, appointing expert committees, expansion of fundamental rights, implementation of principle like polluters pay principle in which case the Court may ask the polluter to pay for the damage done to the environment and public thereby ensuring people's right to hereby environment. Nevertheless, these distinctions are useful in identifying patterns in the Court's innovations for environmental jurisprudence.

Under the lights of the international Conventions Rio-de Janeiro, Stock-Holm World Commission on Environment and development India is igniting its potential best.

**Procedural and substantive innovations: PIL** - The most important procedural innovation for environmental jurisprudence has been the relaxation of traditional process of standing in the Court and introducing the concept of Public interest Litigation efforts taken by Justice P.N. Bhagwati and Justice Krishna Iyer. Prior to the emergence of PIL, criminal Law provisions, I.P.C, Torts, C.P.C., Cr.p.c were exercised to provide remedies for public nuisance cases including air, water, noise, soil pollution. However, due to lack of people's awareness there were problems in

drawing the attention of the Court towards environmental problems.

A number of cases on environmental issue have been initiated through PIL Dehradun lime stone quarrying case.<sup>2</sup> PIL followed by Ganga water Pollution case, Delhi vehicular pollution case, Oleum Gas Leak case, Narmada Dam Case, T.N. Godavarman Thirumulpad filed writ petition for protection of Nilgiris forest from deforestation.<sup>3</sup>

In case of Ganga water pollution the newspaper drawing the litigation to the attention of all h the concerned industries and municipal authorities are inviting them to enter an appearance.<sup>4</sup>

Allowing third party to bring environmental problems to Court's notice has also an important bearing on inanimate objects, which cannot represent itself in the litigation process. The polluters have been asked to pay for the damage done of to natural objects and restore the environment to its natural position.<sup>5</sup>

A close look at the history of environmental cases suggests that with the liberalization of the locus Standi principle, there has been a flurry of PILs on environmental.<sup>6</sup> In the Ratlam Municipal Council case,<sup>7</sup> the Court upholding the orders of Sub-Divisional Magistrate, expressed that had the Municipal Council spent half of its litigation Zeal of rushing from lowest to the highest Court, in cleaning up the streets and complied with the orders issued at the local level the civic problem would have been solved a long back.

In Narmada Bachao Andolan v. Union of India. the Court did not allow from making any submissions on the pros and cons case of large dams<sup>8</sup>

The Court even held that if a project is stayed on account of a public interest petition which is subsequently dismissed the petitioner should be made liable to pay for the damages occasioned by the delay in the project.<sup>9</sup>

**Environment as fundamental right to Life** - The

Constitution of India provides six fundamental rights to its citizens (Articles 14-32). In case of infringement of any fundamental right court give protection under Article 32 & 226. Moreover, inconvenient Court decisions on the Constitutionality of state action were simply overturned by amending the Constitution until the 'basic structure' of the Constitution was declared unaltered<sup>10</sup>

The earliest underrating of these provisions had been a narrow procedural one where fundamental rights and other Constitutional provisions were interpreted as procedure established by law.<sup>11</sup> In another case Supreme Court related substantive life as right to life in.

The interpretation of Supreme Court that in right to life environment is also included. In Ratlam Municipal case, the Court has upheld that public nuisance is a challenge to the social justice component of the rule of law.<sup>12</sup> In Doon Valley case, concerning mining environment, the Court has interpreted article 21 to include the right to live in healthy environment with minimum disturbance of ecology, balance and without avoidable hazard to them and to their cattle, house, agricultural land and undue affection of air, water.<sup>13</sup>

**Application of Environmental Principles and Doctrines** - The Court of India, evolve certain principles and doctrines such as polluter pays principle.<sup>14</sup> And public trust doctrine<sup>15</sup>

The Public Trust Doctrine is the principle that certain resources are preserved for public use.

**Expert Committee** - It is also a part of the jurisprudence process. In Doon Valley case, in Godavarman case, the Court asked the state government and the Central government to appoint committees to study several problems, and to oversee implementations of orders relating to forest protection.<sup>16</sup>

**Implementation of Court Directions** - In the Oleum Gas Leak case, the court has evolved the doctrine of absolute liability, clarifying the principle of strict liability which was developed in Ryland v. Fletcher.<sup>17</sup>

**Environmental Ethics** - The first international conference on human environment was held in 1972<sup>18</sup>, and since then it take place after every ten years. The declaration followed by another convention.<sup>19</sup> The Supreme Court has always emphasized n the need to preserve the quality of the various components of environment-vegetation cover<sup>20</sup>. Air<sup>21</sup>, water<sup>22</sup>, fauna<sup>23</sup>, underground water<sup>24</sup> etc. It was from the M.C. Mehta case to till Vellore Tanneries case or even thereafter the approach of the Supreme Court was only on anthropocentricism. But recently there is a paradigm shift from anthropocentricism to eco-centralism. This eco-centric approach stress on the intrinsic values of all the naturally present things and they preserved and protected would preserve and protect other forms of life on earth. The Supreme Court of India has adopted ad implemented this eco-centric approach recently.<sup>25</sup> Thus the apex Court has pronounced various landmark judgments for protecting the environment for the sake of preserving the interest of human beings.

**Extended arm of Judiciary: Judicial Activism** - This activism on the part of judiciary derives its constitutional legitimacy from Art. 141 of the Constitution empower the judges to which lays down that the Supreme Court's declaration of law is final and Art.13 which declares any law null and void if it was found to be against the provisions of part III of the Constitution. Its areas of activity are widening such as Public Interest Litigation, Writ Petitions under Art.32, interpretation of Art.12, 14, 19, 21 etc.

In case of environmental governance, the judiciary also has the difficult role of considering not only environmental instruments, but also economic, developmental and political as well as social instruments.

Judicial awakening and activism started after the 1972 Stockholm Conference on Human Environment and Constitution of India by its 42<sup>nd</sup> amendment in 1974 under Art. 48(A), 51-A (g) as a "fundamental duty" for every state and citizen of India to protect and improve the in India prior to it. The Indian Penal Code 1860, criminal Procedure Code, 1973, The Environmental Protection Act (EPA) 1986 against industrial pollution and the conservation of forest and natural ecosystem Act 1994 to stop deforestation and habitat destruction. It can be seen that the Supreme Court of India has molded a far-reaching and innovative environmental jurisprudence. Which no other constitutional court anywhere in the world has even given shape to. The High Court have also contributed their bit in developing this jurisprudence. By doing so, they have succeeded to a great extent in altering the common man's protection of law court as being mere for a for dispute adjudication thereby carving out a niche for itself as a unique human right friendly institution in justice dispensation.

**Conclusion** - The assessment of effect of Supreme Court's innovations for environmental jurisprudence reveals that it is a deviation from the usual adjudication function of the Court. While the procedural innovations have widened the scope for environmental justice through recognition of citizens' right to healthy environment, entertaining petitions on behalf of affected peoples and inanimate objects and creative thinking of judges to arrive at a decision by making spot visit, substantive innovations have redefined the role of Court in decision-making process through application of environmental principles and expanding the scope of environmental jurisprudence.

**Bibliography :-**

1. Basu Durga Das, *Shorter constitution of India*, Thirteenth Edition, 2003. Wadhwa and Company, Nagpur.
2. Diwan Paras & Diwan Peeyush, *Human Rights and Law*, 1996 edition, Deep & Deep Publications.
3. Sukhvinder Singh Dari & Rangam Sharma *An overview of Environmental Jurisprudence in India*, Journal of General Management Research
5. Sahu Geetanjy, *Implications of Indian Supreme Court's innovations for Environmental Jurisprudence*. Law Environment and development Journal
6. Khalid Shmim *Role of Indian Judiciary in Protection of*

*environmental pollution*

7. Ratlam Municipality v. Vardhichand, air 1980 sc 1622
8. Indian Council for Enviro-Legal Action v. Union of India (1996) SSC 281 at P.302, AIR 1996 SC 1426 at P.1489 that, Human beings ar
9. Narmada Bachao Andolan etc. v. Union of India and others, AIR 2000 SC3751
10. Baxi Upendra, *Environmental Law: Limitations and Potentials for Liberation.*

**References :-**

1. Upendra Baxi," Environmental Law: Limitations and Potentials for Liberation
2. The Dehradun lie stone quarries litigation filed by the
3. N. Godavarman v. Union of India, Supreme Court of India,1996 AIR 1997 SC1228
4. M.C. Mehta v. Union of India, Supreme Court of India, Judgment of 22 September 1987, AIR1988 SC 1037
5. Indian Council for enviro- Legal Action v. Union of India, Judgment of 13 February 1996,1996(3) SCC 212.
6. Jona Razzaqhue, public Interest Environmental litigation in India, Pakistan, Bangladesh, 2004.
7. Ratlam Municipality v. Vardhichand and others, Supreme Court of India, Judgment of 29 July 1980, AIR 1980 SC 1622.
8. Narmada Bachao Andolan v. Union of India and Others, Supreme Court of India, Judgment of 18 )Oct 2000,AIR 2000 SC 3753.
9. Ranauk International v. Construction Ltd. And other, S.C. of India, judgment of 9 Dec 1998,1998(6) SCALE456
10. Keshwanand Bharti V. Union of India, S.C. of India,

- Judgment of 24 April 1973, AIR 1973 SC 1461
11. A.K. Gopalan v. Union of India, S.C. of India, Judgment of 19 May 1950, AIR 1950 S.C. 27
12. Ratlam Municipality v. Vardhichand and others, Supreme Court of India, Judgment of 29 July 1980, AIR 1980 SC
13. RLEK V. State of Uttar Pradesh and others, Supreme Court of India, Judgment of 19 December 1996,AIR 1985 SC 652
14. Precautionary Principle aim to provide guidance for protecting public health and environment in the face of uncertain risk.
15. The Public Trust Doctrine is the principle that certain resources are preserved for public use.
16. M.C. Mehta v. Union of India, Supreme Court of India, Judgment of 22 September 1987, AIR 1988 SC 1037
17. Ryland v. Flatcher91868) is a landmark case.
18. Stockholm Declaration on Human Environment, 1972, also known as Magna Carta on human environment.
19. In Rio Declaration, 1992, Principle 1 declared that, the Human being are the centre of concern for sustainable development.
20. Tarun Bhagat Sangh v.Union of India, AIR 1992 SC 514.
21. M.C Mehta v. Union of India, AIR 2002 SC 1696.
22. M.C. Mehta v. Union of India ,AIR 1998 sc1937,1088,2340.
23. Consumer Education and Research Society v. Union of India, AIR 2000 SC 975.
24. Indian Council for Enviro-Legal Action v. Union of India, AIR 1996 SC 1446.
25. T. N. Godarman Trimulpad case, (2012) 3 SCC 277.

\*\*\*\*\*

## पर्यावरण संरक्षण – चेतना एवं जागरूकता

डॉ. महआ डे \*

**शोध सारांश** – पर्यावरण जीवन का आधार है। जीवन का अस्तित्व व पर्यावरण एक दूसरे के पर्याय है, जो जीवन के अस्तित्व के साथ-साथ रोटी, कपड़ा, कच्चा माल व जीवन-यापन के अधिकतम साधन प्रदान करता है। हमारी उन्नति का प्राथमिक आधार ही प्रकृति है। प्राकृतिक संसाधन, भोजन, आजीविका और पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है किन्तु वर्तमान में इन पर भारी दबाव है, इनके संरक्षण और निरंतर उपयोग की चुनौतियां बड़ी गम्भीर हैं। हालांकि पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा 1992 में रियोडी जेनिरिया के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बाद औपचारिक रूप से शामिल हुआ। किन्तु हमारे देश में यह सत्र के दशक से ही अस्तित्व में रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण संरक्षण व विकास की योजनाओं में तालमेल पर जोर दिया गया।

**प्रस्तावना** – पर्यावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैले वातावरण एवं परिवेश से है जो हमें घेरे रखता है। प्रकृति में विद्यमान समस्त जैविक तथा अजैविक घटक मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जल, वायु, भूमि, वनस्पति, जीव-जन्तु और मानव सभी पर्यावरण के घटक हैं। पृथ्वी पर सजीवों के निवास क्षेत्र को जीवमंडल कहते हैं। 'पर्यावरण' शब्द अंग्रेजी के Environment का अनुवाद है जो दो शब्दों Environ तथा ment से मिलकर बना है। इसका अर्थ क्रमशः घेरना तथा आस-पास होता है अर्थात् पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है, आस-पास से घिरा हुआ जो कुछ भी हमारे चारों ओर है या हम चारों ओर जिन दशाओं में घिरे हुए हैं, वही पर्यावरण है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए अपनायी गयी नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अपनायी निजीकरण, उदासीकरण एवं भूमण्डलीकरण की नीतियों के फलस्वरूप देश में औद्योगिकरण, नगरीकरण, एवं संचारीकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है। जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा का तीव्र बोहन, औद्योगिक कचरे का नदियों में प्रवाह, तीव्र गति से सड़कों का निर्माण, वनों की अन्धाधुंध कटाई, बड़े-बड़े बांधों तथा पुलों का निर्माण, पहाड़ों का तोड़ा जाना, जल स्रोतों कुओं, तालाबों तथा नदियों का समतलीकरण, विध्वंसक हथियारों का निर्माण, मजदूरों का शोषण तथा आर्थिक एवं क्षेत्रीय विषमता आदि ने पर्यावरण असन्तुलन की गति को तीव्र कर दिया है। देश में बढ़ रहे औद्योगिकरण, शहरीकरण, यन्त्रीकरण तथा संचारीकरण के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन ऊर्जा के स्रोत पारम्परिक ही हैं, परन्तु इसका सबसे दुःखद पहलू यह है कि इनसे निकलने वाली जहरीली गैसों तथा धुएँ बादलों में प्रदूषणकारी तत्व शामिल करते हैं। जो गम्भीर रूप से पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। हाल के सर्वेक्षण से यह पता चल रहा है कि ताजमहल जैसी दूधिया इमारतों में भी वायु प्रदूषण के कारण मैलापन आ गया है तथा गंगा जैसी पवित्र नदी का जल भी आचमन योग्य नहीं रहा।

भारत के भुगतान सन्तुलन को दूर करने तथा नवीन आर्थिक नीति अपनाए जाने के कारण देश में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब या अनुपयुक्त होने पर जमा होते जाते हैं। यह पर्यावरण के लिए जल एवं वायु प्रदूषण से भी खतरनाक साबित

होते हैं। प्रायः यह अनुमान लगाया गया है कि एक कम्प्यूटर में 38 पौण्ड सीसा, फास्फोरस, कैडमियम और मरकरी जैसे घातक तत्व विद्यमान होते हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन, टेलीफोन, रेडियो, ट्रांजिस्टर, सी.डी.लापी, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने और अन्य उपकरण देश में प्रतिवर्ष लगभग 500 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न करते हैं, इनमें विकलांगता, कैंसर तथा गर्भपात जैसी समस्याएँ जन्म ले रही हैं। राज्यसभा में 2 मार्च 2007 को यह जानकारी देते हुए केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन्य राज्य मंत्री ने बताया कि येल सेन्टर फार इनवायरमेंटल ला एण्ड पालिसी, येल विश्वविद्यालय और सेन्टर फार अर्थसाइंस इन्फार्मेशन नेटवर्क (कोलम्बिया विश्वविद्यालय) द्वारा आर्थिक फोरम और अन्य सहयोग से प्रतिपादित 2005 एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 146 देशों के लिए तैयार किया गया है जिसमें भारत का स्थान 101वां रहा है, जिसमें कहा गया है कि पर्यावरण हास तीन प्रकार से नुकसान पहुंचाकर प्रभावित कर सकता है -

1. मनुष्य के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता है।
2. यह आर्थिक उत्पादन एवं उत्पादितता को कम कर देता है।
3. यह जन सुविधाओं की उपलब्धता को विपरीत रूप से प्रभावित करता है।

आज पर्यावरण क्षरण एक विश्वस्तरीय समस्या है। वनों का तेजी से विनाश हो रहा है। ईंधन, इमारती लकड़ी, पशुओं के लिए चारागाह जल स्रोतों की निरंतर कमी के कारण प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर खतरा गंभीर स्तर पर मंडरा रहा है, यदि समय रहते इन सब बातों पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया तो हमारा अस्तित्व संकट में आ जाएगा। इन संसाधनों का संरक्षण ही पर्यावरण संरक्षण के दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के सामूहिक प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित कर हमारे अस्तित्व के लिए उत्पन्न हुई चुनौतियों को कम किया जा सकता है। समूहों के माध्यम से उनके सदस्यों में सामुदायिक जागरूकता के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं ताकि सामूहिक संसाधनों का उचित उपयोग कर पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय लघु ऋण वर्ष 2005 में निर्धारित सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (MDG) के लक्षित बिंदुओं में भी



लघुऋण के माध्यम में पर्यावरण स्थायित्व को लक्षित किया गया है।

पाठशाला व्यवस्था में पर्यावरणीय शिक्षा परियोजना के संबंध में पहल 1999 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य औपचारिक स्कूल/संस्थानों में उचित शैक्षणिक वस्तुएं प्रदान कर पर्यावरणीय शिक्षा को मजबूती प्रदान की जाय। व्यावसायिक या प्रबंधन शिक्षा में पर्यावरणीय सिद्धांतों को लागू करना एक या अन्य ध्यान का केन्द्र है। प्रबंधन संस्थानों। AICTE, UGC उद्योगों और MoEF के प्रतिनिधि से मिलकर बनी समिति इन सब मुद्दों पर काम कर रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरणीय शिक्षा प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रम जारी रहा है। इसमें राज्य वन विभाग के प्रचार और जागरूकता तंत्र की भी सहभागिता है। लोक परिवहन व्यवस्था जैसे रेलवे, बस और यहां तक की हवाई जहाज का पर्यावरणीय जागरूकता के लिए व्यापक तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दों पर विद्यार्थियों द्वारा जो सूचना उपलब्ध कराई जाती है। उसे भी राष्ट्रीय पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम (NMNH) नई दिल्ली और तीन अन्य संग्रहालय जो कि मैसूर, भुवनेश्वर, भोपाल में हैं में स्टेट ऑफ द आर्ट्स शिक्षा और व्याख्यात्मक रीति को लाकर प्राकृतिक इतिहास शिक्षा और जागरूकता में मजबूती प्रदान की जा रही है। MoEF ने सवाई माधोपुर में एक नये क्षेत्रीय संग्रहालय की स्थापना का विचार किया है, जो कि क्षेत्र के जीवन के रंग रूपों पर ध्यान केन्द्रित करेगा, इस संबंध में कार्य किया जा रहा है।

थाईलैण्ड में समूह की मीटिंग में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम व जंगलों को जलने से बचाने पर वर्ष व नवीनीकरण के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है साथ ही मिट्टी के अनुकूल फसलों के विकास व उत्पादन, सौर, गैर लकड़ी वाले उत्पादों के उपयोग का प्रचार प्रसार किया जाता है वहीं गोंजाउ चाईना की माइक्रोक्रेडिट संस्थाए वनों के विनिष्पिकरण को कम करना शिकार की चोरी रोकना, प्रवासी पक्षियों के आश्रम स्थल को विकसित करने आदि गतिविधियों को संचालित कर रही हैं। घाना में समूहों के द्वारा हाथियों के बढ़ते शिकार को रोकने का प्रयास करते हैं। वही भारत के MYRADA जैसे लघुवित्तीय संस्थानों के द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं को सामूहिकता के आधार पर उपभोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है वाटर शेड, व वनीकरण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

किसी भी देश में प्रदूषण की रोकथाम तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सबसे बेहतर उपाय हैं। पर्यावरण संबंधी पारम्परिक कानूनों तथा आधुनिक कानूनों को सम्मिलित कर एक बेहतर कानून का निर्माण। किसी भी देश के लिए यह आवश्यक है कि वहां के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय सुरक्षा के बेहतर उपाय किए जाएं तथा इसके लिए सभी सकारात्मक एवं प्रासंगिक उपायों को अपनाया जाय। जहां तक भारत का प्रश्न है यहां केन्द्र स्तर पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो पर्यावरण संबंध प्रोग्राम तथा नीतियों को बनाने, उन्हें लागू करने तथा पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर योजनाओं का निर्माण कर उन्हें विस्तारित करने का कार्य करती है। यह कार्य दूसरे कई प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से किया जाता है, जिन्हें समय-समय पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस तरह के कार्य सौंपे जाते हैं। ज्ञातव्य है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में उद्योगों की अहम भूमिका होती है।

प्रदूषण से बचाव से संबंधित अनेक मामले जनहितवादों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के सामने लाए गए। इनमें वन नाशन, नदियों में प्रदूषण, पर्यावरण संतुलन का विनाश से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण मामले उठाए गए। न्यायपालिका ने पर्यावरण तक जनहितवादों का क्षेत्राधिकार विस्तृत

करने में मूल अधिकारों (अनुच्छेद 21, 22) तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों को आधार बनाया। उदाहरण के लिए सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार दिया गया है, जिसमें जीवन का पूरा सुख प्राप्त करने के लिए प्रदूषण मुक्त पानी तथा प्रदूषण मुक्त हवा पाने का अधिकार भी सम्मिलित है। अच्छे जीवन को हानि पहुंचाने वाले पानी और हवा के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 32 की सहायता ली जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विनाशक गैर टैनरीज विभिन्न प्रकार के कारखानों और फैक्टरियों से उत्पन्न होने वाले पानी, हवा और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित बहुत से मामले जनहितवाद के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। पर्यावरण जागरूकता में **न्यायपालिका के कुछ महत्वपूर्ण फैसले** - उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण के प्रति जागृति एवं पारिस्थितिकीय सन्तुलन के बारे में जानकारी हेतु कई मामलों में निर्देश जारी किया है। एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ 2 मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्न निर्देश जारी किया - सिद्धांत के रूप में हम स्वीकार करते हैं कि शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण के बारे में जागरूकता और प्रदूषण से संबंधित इसकी समस्याओं के बारे में अनिवार्य विषय के रूप में अध्यापन किया जाना चाहिए। महान्यायावादी ने न्यायालय को अवगत कराया कि केन्द्र सरकार उच्च शिक्षा से सम्बन्धित है। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययनों तक ही इसे लागू कर सकती है। इसी प्रकार एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ 3 के बाद में पिटीषनर ने विभिन्न राज्यों अथवा अन्य प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं और उच्चतम न्यायालय के आदेश की भावना एवं ध्येय से संगत नहीं है। उनका तर्क था कि राज्य केवल प्राथमिक शिक्षा स्तर पर ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा तथा स्नातकोत्तर स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में पर्यावरण जागरूकता पर पाठ्यक्रम बनावें। उनका यह सुझाव था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एन.सी.ई.आर.टी. और ए.आई.सी.टी. जो उच्च की मानक को विहित एवं नियन्त्रित करने वाले निकाय हैं, उन्हें निर्देशित किया जाए कि वे पूरे देश में एकरूपता हेतु विभिन्न स्तरों पर अध्यापन हेतु पाठ्यक्रम तैयार करें। उच्चतम न्यायालय ने कम से कम वर्ष 2004-2005 से आवश्यक रूप से लागू करने (यदि पहले से लागू न हो तो) का निर्देश दिया तथा प्राधिकारियों को निर्देशित किया को लागू करने की निगरानी करें तथा अनुपालन करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उच्चतम न्यायालय ने एन.सी.ई.आर.टी. को 18-12-2003 को निर्देशित किया कि वह मापदण्ड पाठ्यक्रम (Module syllabus) तैयार करें। एक दूसरे वाद में एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ 4 मामले में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों से विचार विमर्श कर पर्यावरण पर माप पाठ्यक्रम कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों हेतु अध्ययन के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर किया। उच्चतम न्यायालय ने इसे स्वीकार किया तथा राज्यों को निर्देश दिया कि 8 सप्ताह के अंतर्गत (22-4-2004 से) एन.सी.ई.आर.टी. की रिपोर्ट को लागू करें।

**निष्कर्ष** - सरकार द्वारा कई प्रकार के प्रयासों के बावजूद पर्यावरण संकट का कोई ठोस निदान नहीं मिल सका। वस्तुतः कोई भी पर्यावरण कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें स्थानीय लोगों की सकारात्मक सहभागिता न हो। इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए यह निश्चित है कि लोगों को पर्यावरण संकट के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया जाए। इसको कार्यान्वित इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि इसमें शहरी, शिक्षित एवं



सम्पन्न व्यक्ति के साथ-साथ ग्रामीण, निर्धन एवं उपेक्षित लोग भी सहभागी बन सकें।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. ए.आई.आर. 1991 सु.को. केसेज 420
2. ए.आई.आर. 1992 (1) सु.को. केसेज 358, पृ. 361
3. ए.आई.आर. 2004 (1), सु. को. केसेज 571
4. ए.आई.आर. 2005 (10), सु.को. केसेज 217
5. इण्डियन जर्नल ऑफ ह्यूमन रिलेशन, 2010, वाल्यूम 38 पृ. 163
6. पत्र-पत्रिकाएं - क्रॉनिकल
7. Rahman,A-Microcredit for equitable and sustainable development - who pays? World development (1999)
8. Zeller,Mcnel and Sharma M - Rural finance and poverty alleviation (1998)
9. Anderson, C.L. and Nugent, R.E. - Microcredit : Effects on rural powerty and the environment (2000)
10. कुरुक्षेत्र जून 2012

\*\*\*\*\*

## रियासी दा सिरमोर लेखक 'राज राही'

दर्विंदर सिंह \*

**प्रस्तावना** - एह मेरे आस्तै बड़ी खुशी ते सोभाग्य दी गल्ल ऐ जे डोगरी दे नामवर कहानीकार श्री राज राही हुंदे उप्पर लेख लिखने दा मौका मिलेआ ऐ.....

'हजारो साल नरगस अपनी बेनूरी पर रोती है

बड़ी मुशकिल से पैदा होता है चमन में दीदावर कोई'

ओह दीदावर राजराही होर न, जिन्हें रियासी दी धरती च जन्म लेईयै डोगरी भाषा गी मालामाल करी दिता। ओह डोगरी भाषा दे विकास ते बाद्धे आस्तै निरंतर प्रयत्यनशील न। अज्ज उंदा नांऽ जम्मू दे लखारियें च इक ऐ। जदूं कदें डोगरी दे कहानीकारें दा नांऽ लैता जंदा तां श्री राज राही हुंदी चर्चा जरूर होंदी, भामें ओह थाह दिल्ली होऐ जां बम्बई। राजराही होरें डोगरी च लेखन करियै इतिहास च रियासी दा पैह्ला लखारी ते कहानीकार होने दा गौरव हासल कीता ऐ। राज राही हुंदा असली नांऽ राज कुमार शर्मा ते निक्का नांऽ राजी ऐ। इन्दा जन्म सन् 1959 ई. गी पं. धनी राम ते माता सोमा देवी दे घर ब्रांऽ करैनी च होआ। इसलै एह वार्ड न. 1, हाऊस न. 4, नमीं बस्ती रियासी च र'वा करदे ना। इंदी मुंडली पढाई प्राईमरी स्कूल करैनी, कैम्बल डंगा रियासी ते फही इन्हें डोगरी शिरोमनी दी डिग्री जम्मू यूनीवर्सटी थमां हासल कीती। इ'नेंगी एवर्टिंग दा ते लिखने दा शौक बचपन थमां गै हा। इ'ने लिखना 1976 च शुरु कीता। एह स्टेज पर पैह्ली बारी 1982 च चढे।

इन्हे पैहले हिन्दी च लिखना शुरु कीता पर, डोगरी दे नामवर कहानीकार ते अलोचक श्री ओम गोस्वामी होंदे आक्खने पर इन्हे डोगरी च लिखना शुरु कीता। राही होर इस गल्ले बडे भाग्यशाली रेह जे उ'नेंगी डॉ ओम गोस्वामी हुंदा शिश्यत्व प्राप्त होआ। गोस्वामी होरें राज होरें गी लिखने दी तकनीक दस्सी। ओहदा नतीजा एह होआ जे इंदी पैह्ली कविता (डोगरी) 'खोखले हासे' शिराजा डोगरी च 1985 ई. च छपी जेहड़ी नामवर कहानीकारें च चर्चा दा विशेष बनी गेई ही। कहानी पढ़ियै पद्य श्री प्रो. राम नाथ शास्त्री होरें आखेआ- 'राज राही दी कहानी पढ़ियै मिक्की मुंशी प्रेमचंद दी कहानी कफन चेता आई गेई ऐ। बडे चिरे परेंत इक शैल कहानी पढ़ने गी थहोई, राज राही दी एह कहानी वाकेई नरेन्द्र खजूरिया दी कहानी 'कास्तु दा काला तितर' आंगर मील दा पत्थर साबत होग'।

राज राही रियासी दे पैहले लेखक न जिंदे

1. जींदा शहीद (कहानी संग्रह) 2002
2. असली वारस (कहानी संग्रह) 2009
3. वींसरी दी तान (कहानी संग्रह) 2016
4. नमें टन्नल (कहानी संग्रह) प्रैस च

5. मदारी (डोगरी नाटक) 2012

6. रियासी इक सांस्कृत सर्वेक्षण (डोगरी लेख) 2012

7. जानवर कु'न (डोगरी बाल नाटक) 2013

ते 7 लेख प्रकाशित होई चुके दे ना।

राज राही होर इसले तगर 72 कहानियां लिखी चुके दे न जेहड़ियां शिराजा, नमी चेतना, निम्मा मोहा, कश्मीर टाईम, जम्मू प्रभात जनेहिए पत्रिकाएं च छपी चुकी दियां ना।

इंदिएं किश कहानिएं दे अनुवाद हिन्दी, अंग्रेजी, पंजावी ते वश्मीरी भाशाएं च बी होई चुके दे ना।

राज राही हुंदे कहानी संग्रह 'जींदा शहीद' ते 'असली वारस' उप्पर जम्मू यूनीवर्सटी दे डोगरी विभाग च M.Phil दा शोध कम्म बी होई चुके दा ऐ।

**सम्मान -**

1. त्रिकुटा साहित्य संगम, कटड़ा, 25.02.2003
2. इनोवेटिव एवं क्रियटिव पयूपल मीट 25.05.2003
3. सवरंग कला संगम रियासी 12.07.2003
4. दूर्गा नाटक मंडली रियासी
5. संगम थियेटर ग्रुप रियासी 18.11.2011
6. सनातन धर्म सभा रियासी
7. हाई स्कूल कटड़ा 19.12.2009
8. दैनिक कश्मीर टाईम्स जम्मू 2010
9. डोगरी संस्था जम्मू 2011
10. कटड़ा कल्चर आरगनाईजेसन कटड़ा
11. NHPC रियासी कल्चर फेस्टीवल द्वारा श्री अजय नंदा सावका मंत्री जम्मू व कश्मीर।

खीर च में इन्ना गै आखना चाहग जिन्ने डोगरी भाशा ते रियासी दा मान-सम्मान गी देस ते प्रदेस च बद्धाया, साढा बी फर्ज बनदा ऐ, जे इस म्हान शखसियत उप्पर फुल्ले दी बरखा करचै। प्राथना करचै जे भगवान उ'नेंगी लम्मी उग्र देऐ तां जे ओह लगातार लिखदे र्होन ते रियासी दे मान-सम्मान गी इन्ना उच्चा लेई जान ते लोग रियासी गी उंदे नांऽ कन्नै जान्ना। एह बी आखना बधीक नेई होग जे जित्थे इस बेल्ले राज राही खडोई गेदे न, हुन औने आह्ने रियासी दे लखारियें दी लाईन उत्थूं दा गै शरु होनी ऐ।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. व्यक्तिगत शोध दे आधार उप्पर।

## वेदों का सामान्य परिचय

दुर्गेश लता भगत\*

**प्रस्तावना** - वेद हमारे ग्रह के सबसे पुराना लिखित पाठ है। वे भारतीय सभ्यता के शुरुआत के पहले के हैं माना जाता है कि वे 100,000 वर्षों से मौखिक पम्परा से गुजरे हैं वे 4-6,000 साल पहले लिखित रूप में हमारे पास आये थे। वेद विद् धातु धन प्रत्यय से बनता है जिसका मतलब विदित होना। या ज्ञान प्राप्त होना।

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेद की उत्पत्ति इस प्रकार की है।

'विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति।'

अर्थात् जिसके द्वारा व्यक्ति सत्य विद्या को जानते हैं अथवा प्राप्त करते हैं उसी का नाम वेद है वेद शब्द को परिभाषित करते हुये सायणाचार्य ने कहा है कि 'इष्टप्राप्तनिष्ठ परिहारयोर लौकिक मुपाय यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः।' अर्थात् जो इष्ट प्राप्ति का तथा अनिष्ट निवारण का आलौकिक उपाय बतलाता है उसी का नाम वेद है इसे श्रुति नाम से भी पुकारा जाता है।

वेदों को चार समूहों में विभाजित किया गया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रत्येक समूह में एक मूल पाठ (मन्त्र) और एक भाष्य भाग (ब्राह्मण) है। ब्राह्मण में फिर दो भाग होते हैं एक व्याख्या अनुष्ठान और दूसरा दर्शन। मूल ग्रन्थों के दर्शन की व्याख्या का गठन करते हैं। सम्पूर्ण ऋग्वेद और अधिकांश अथर्ववेद काव्य या देवताओं और तत्त्वों के भजन के रूप में है।

सामवेद और यजुर्वेद दोनों का सम्बन्ध दर्शन के बजाय कर्म काण्ड से है। **ऋग्वेद** - ऋग्वेद सहित सबसे पुराना महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रन्थ है इसमें ऋचाओं का संग्रह है जिसकी उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है इसमें ज्ञान की महत्ता को समझाया गया है यह 1028 वैदिक संस्कृत भजनों और सभी के 10600 छन्दों का संग्रह हो जो दस मण्डलों में व्यवस्थित है भजन और ऋग्वेदिक देवताओं को समर्पित है इसका निर्माण कम से कम 500 वर्षों की अवधि में विभिन्न पुजारी समूहों के सन्तों और कवियों द्वारा किया गया था जो 1400 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के रूप में मिलते हैं। ऋग्वेद का अर्थ है वेद की आराधना और ज्यादातर छन्दों में देवताओं का पालन करना शामिल है ऋग्वेद के लगभग दो तिहाई भाग के अग्नि और इन्द्र का वर्णन प्राप्त होता है अन्य ऋग्वेदीय देवताओं के रुद्र, दो अश्विन, सूर्य, वरुण, भारुत और रियु शामिल हैं ऋग्वेद के समय में लोगों के पास एक बसे हुये घर, जीवन की निश्चित विद्या, विकसित सामाजिक रीति-रिवाज, राजनीतिक संगठन और यहाँ तक कि कला और मनोरंजन भी थे।

**ऋग्वेद का संक्षिप्त वर्णन** -

शाखाएँ - ऋग्वेद की 21 शाखाएँ हैं किन्तु वर्तमान में 4 शाखाएँ ही उपलब्ध हैं। (1) शाकल शाखा (2) वाष्कल शाखा (3) शांखायन शाखा (4) माण्डूकायनी शाखा इसमें दो आरण्यक हैं (1) ऐतरेयाण्यक (2)

शांखायनारण्यक। दो ब्राह्मण- (1) ऐतरेया ब्राह्मण (2) कौषीतिक या शांखायन ब्राह्मण।

ऋग्वेद में तीन उपनिषद् पाये जाते हैं- (1) ऐतरोपनिषद् (2) कौषीतिक उपनिषद् (3) वाष्कलोपनिषद्

ऋग्वेद का प्रारम्भ अग्नि सूक्त से तथा अन्न संज्ञान सूक्त से होता है।

**यजुर्वेद** - इसे यज्ञ के सूत्रों का वेद भी कहा जाता है। पुरातन गद्य मंत्र और ऋग्वेद से छन्द के हिरसे भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य व्यवहारिक था, जिसमें प्रत्येक मन्त्र को यज्ञ में एक क्रिया के साथ होना चाहिये, लेकिन सामवेद के विपरीत यह केवल अपर्ण के लिये नहीं बल्कि सभी यज्ञों पर लागू होता है। इस वेद के दो प्रमुख प्रसंग हैं जिन्हें (शुक्ल) 'श्वेत' और 'काले कृष्ण' यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। इन पद नामों की उत्पत्ति और अर्थ बहुत स्पष्ट नहीं है। श्वेत यजुर्वेद में केवल छन्द और यज्ञ के लिये आवश्यक बातें शामिल है जबकि स्पष्टीकरण एक अलग ब्राह्मण कार्य में मौजूद हैं। यह कृष्ण यजुर्वेद से व्यापक रूप से भिन्न है जो इस तरह के स्पष्टीकरण को कार्य में शामिल करता है अक्सर छन्द के तुरन्त बाद। यजुर्वेद में अग्नि की उपासना जैसे कृत्यों का उल्लेख है। यजुर्वेद का साहित्यिक मूल्य: अधिकांशतः इसके गद्य के लिये है। जिसमें अर्थ ताल से भरे छोटे-छोटे वाक्य शामिल हैं। यजुर्वेद का वर्ण्य विषय ज्ञान है।

यजुर्वेद का सामान्य परिचय-यजुर्वेद की दो शाखाएँ

(1) शुक्ल यजुर्वेद - इसकी दो शाखाएँ हैं

(1) माध्यान्दिन या वाजसनेही शाखा (2) काण्व शाखा

(2) कृष्ण यजुर्वेद - इसकी चार शाखाएँ हैं

(1) तैत्तिरीय शाखा (2) मैत्रायणी शाखा (3) कठ शाखा

(4) कपिष्ठल शाखा

(2) कृष्ण यजुर्वेद - तैत्तिरीय ब्राह्मण

इसके 3 आरण्यक हैं। शुक्ल यजुर्वेद - (1) वृहदायक

कृष्ण यजुर्वेद - (1) तैत्तिरीयाण्यक (2) मैत्रायणी आरण्यक

यजुर्वेद के 6 उपनिषद् हैं- (1) शुक्ल यजुर्वेद- ईशोपनिषद्

(2) वृहदारण्यकोपनिषद् (2) कृष्ण यजुर्वेद -

(1) कठोपनिषद् (2) तैत्तिरीयोपनिषद्

(3) श्वेताश्वतरोपनिषद् (4) मैत्रायणीयोपनिषद्।

शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिन संहिता में 40 अध्याय 303 अनुवाक् 1975 मन्त्र

काण्व संहिता - 40 अध्याय 328 अनुवाक् 2086 मन्त्र

कृष्ण यजुर्वेद - तैत्तिरीय में 7 काण्ड 44 प्रपाठक 631 अनुवाक् 2198 मन्त्र हैं।

मैत्रायणी में - 4 काण्ड 54 प्रपाठक 634 अनुवाक् 2144 मंत्र हैं।  
कठोपपिषद् में - 40 स्थानक 843 अनुवाक् 3091 मंत्र  
कपिष्ठल में - 6 अष्टक 48 अध्याय

**सामवेद** - सामवेद वैदिक 'मंत्रों का वेद' या धुनों का ज्ञान है। इस वेद का नाम संस्कृत शब्द 'सायन्' से है जिसका अर्थ है एक भजन या प्रशंसा की गीत। इसमें ऋग्वेद से 1549 श्लोक शामिल हैं। सामवेद का ऋत्विक् उद्गाता तथा देवता सूर्य है। ऋग्वेद के कुछ छन्द एक से अधिक बार दोहराये गये हैं। पुनरावृत्ति सहितसामवेद में कुल 1875 छन्द हैं। इसका उद्देश्य व्यवहारिक था, जिसने 'गायक' पुजारियों के लिये एक गीत पुस्तक के रूप में सेवा की। एक पुजारी जो अनुष्ठान के दौरान सामवेद से भजन गाता है, उसे उडगत कहा जाता है, यह शब्द संस्कृत मूल उद-गय ('गाने के लिये' या 'जप करने के लिये') से लिया गया है। कुछ निश्चित धुनों के अनुसार भजन गाये जाने थे इसलिये संग्रह का नाम सामवेद है। सामवेद में मुख्य रूप से ऋग्वेद से कविता का चयन और कुछ मूल शामिल हैं। इसके दो भाग हैं, (1) पूर्वाचिक (2) उत्तरार्चिक पूर्वाचिक में अग्नि इन्द्र से सम्बद्ध मन्त्र है।

उत्तरार्चिक में प्रत्येक मन्त्र की लय तान को याद करने का वर्णन विद्यमान है। यज्ञ के अवसरों पर उद्गाता द्वारा मन्त्रों का सस्वर गायन किया जाता है। सामवेद सहिता के पूर्वाचिक में 650 ऋचाएँ हैं जिनमें यज्ञानुष्ठान पर प्रयोग में लाने वाले विभिन्न साम संगृहित हैं। पूर्वाचिक के प्रथम प्रपाठक में अग्नि से सम्बन्धित ऋग्वेदीय मन्त्र है। इसलिये इसे आग्नेय काण्ड कहा जाता है दूसरे से चतुर्थ प्रपाठक तक इन्द्र सम्बन्धी मन्त्र है। अतः यह 'ऐन्द्र पर्व' कहलाता है। पंचम में सोम से सम्बन्धित मंत्र है। इसलिये इसे 'पवमान' पर्व कहा जाता है। सामवेद की सहस्रों शाखाएँ बतलायी गयी हैं- 'सहस्रवर्त्म सामवेद'। लेकिन वर्तमान में केवल तीन शाखाएँ विद्यमान हैं। (1) कौथुमीय (2) राणायणीय (3) जैमिनीय। सामवेद में समविकार भी पाये जाते हैं, ये छः प्रकार के होते हैं। (1) विकार (2) विश्लेषण (3) विकर्षण (4) अभ्यास (5) विराम (6) स्तोभा इसके अलावा यज्ञ सम्पादन के समय पाँच प्रकार से साम मन्त्र भी गाये जाते हैं। (1) प्रस्ताव (2) उद्गीथ (3) प्रतिहार (4) उपद्रव (5) निधन। इसके अतिरिक्त गान भी चार प्रकार के होते हैं (1) ग्रामया गेय गान (2) अरण्य गेय गान (3) ऊर्ध्वगान (4) ऊर्ध्व गान। सामवेद का संक्षिप्त परिचय - सामवेद की तीन शाखाएँ वर्तमान में उपलब्ध हैं (1) कौथुमीय शाखा (2) अरण्य गेय गान (3) ऊर्ध्व गान (4) ऊर्ध्व गान।

**सामवेद का संक्षिप्त परिचय** - सामवेद की तीन शाखाएँ वर्तमान में उपलब्ध हैं (1) कौथुमीय शाखा (2) राणायणीय शाखा (3) जैमिनीय शाखा। सामवेद के प्रमुख ब्राह्मण - (1) पंचविंश ब्राह्मण (2) वंश ब्राह्मण (3) षडविंश ब्राह्मण (4) छन्दोग्य ब्राह्मण (5) सामविधान ब्राह्मण (6) आर्षेय ब्राह्मण (7) देवताध्याय ब्राह्मण (8) संहितोपनिषद् ब्राह्मण (9) जैमिनीय ब्राह्मण सामवेदीय आरण्यक - (1) तवलकार आरण्यक (2) छान्दोग्यारण्यक। सामवेदीय उपनिषद् - उसके प्रमुख दो उपनिषद् हैं (1) केनोपनिषद् (2) छान्दोग्य उपनिषद् सामवेद में ऋत्विक् उद्गाता, 1875 मन्त्र, ऋग्वेद से 1771 मन्त्र है। इसके दो भाग हैं (1) पूर्वाचिक (2) उत्तरार्चिक

(1) पूर्वाचिक में - 4 काण्ड, 6 अध्याय और 650 मन्त्र हैं।  
(2) उत्तरार्चिक में - 21 अध्याय और 1225 मन्त्र हैं।

**अथर्ववेद** - अथर्ववेद का ऋत्विक् ब्राह्मण है। अथर्ववेद प्राचीन कवि अथर्वन के नाम से जुड़ा है। इसे दूसरे ऋषि अंगिरस से जुड़े होने के कारण अथर्व-अंगिरसा भी कहा जाता है। अथर्ववेद में ऋग्वेद की तुलना में अधिक आदिम संस्कृति का पता चलता है। इसमें लगभग 6 हजार श्लोक हैं जिनमें 731 कविताएँ हैं। इसका एक छोटा हिस्सा गद्य भी है। इसका लगभग सातवाँ भाग ऋग्वेद से है।

अथर्ववेद के देवता सोम तथा आचार्य सुमन्तु है। अथर्ववेद को अनय नामों से भी पुकारा जाता है जैसे - (1) अंगिरसवेद (2) अथर्वारंगिरस (3) ब्रह्म वेद (4) क्षत्रवेद (5) भृग्वडिग्रस (6) भैषज्य वेद (7) छन्दो वेद (8) महीवेद आदि।

अथर्ववेद के उपवेद निम्न है - (1) सपवेद (2) विशाच वेद (3) असुर वेद (4) इतिहास वेद (5) पुराण वेद आदि। अथर्ववेद के उपवेद भी जाने जाते हैं - सपवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद, पुराण वेद आदि।

अथर्ववेद के प्रथम काण्ड में विविध रोगों की निवृत्ति का वर्णन तथा बीसवें काण्ड में सोमभाग का वर्णन तथा इन्द्र-स्तुति से सम्बन्धित मन्त्र है। अथर्ववेद में प्रयुक्त प्रमुख सूक्तों का वर्णन इस प्रकार है -

- (1) भैषज्य सूक्त - इसमें रोगों की उत्पत्ति के साथ-साथ रोगों को दूर करने के उपायों का भी वर्णन किया है जैसे- क्षय, खाँसी, गण्डमाला, दंतपीड़ा आदि रोगी की औषधि का वर्णन किया गया है।
  - (2) दीर्घायु सम्बन्धी सूक्त - इसमें मुण्डन, संस्कार, उपनय संस्कार, गोदान संस्कार आदि दीर्घायु सम्बन्धी प्रयोग विद्यमान हैं।
  - (3) पौष्टिक सूक्त - पौष्टिक सूक्तों में गृह निर्माण के लिये, हल जोतने के लिये, अनाज उत्पन्न करने के लिये, पुत्र प्राप्ति के लिये प्रार्थना की गयी है।
  - (4) प्राश्चित सूक्त - इसमें धार्मिक विरोध, चारित्रिक त्रुटि तथा अन्य विधिहीन आचरणों को क्षमा करने की प्रार्थना से सम्बन्धित सूक्त हैं।
  - (5) स्त्री कर्म सूक्त - इसमें विवाह, वैवाहिक प्रेम से सम्बन्धित विषयों का वर्णन प्राप्त होता है।
  - (6) राजकर्म सूक्त - इसमें शत्रु को परास्त करने की प्रार्थनाओं के साथ साथ संग्राम तथा उससे उपयोगी साधनों का वर्णन मिलता है, इसके अलावा भूमिसूक्त, प्रसाद सूक्त, याज्ञिक सूक्त था दार्शनिक सूक्तों का वर्णन प्राप्त होता है। अथर्ववेद में वर्णित विषयों का संक्षिप्त वर्णन- अथर्ववेद की प्रमुख शाखाएँ - (1) पिप्पलाद (2) शौनक (3) मौद (4) स्तोद (5) जलद (6) जाजल (7) ब्रह्मवेद (8) देव दर्श (9) चारण वैद्य शाखाएँ हैं।
- अथर्ववेद के ब्राह्मण - गोपथ ब्राह्मण  
अथर्ववेद के प्रमुख आरण्यक - इसका कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है।  
प्रमुख उपनिषद् - अथर्व वेद के प्रमुख उपनिषद् निम्न है - (1) प्रश्नोपनिषद् (2) माण्डूक्योपनिषद् (3) मुण्डकोपनिषद्  
अथर्ववेद के ऋत्विक् - ब्रह्मा है इसमें 20 काण्ड, 730 सूक्त, 5987 मंत्र है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

## सन्त सिंगाजी की दीक्षा और निर्वाण से संबंधित मतों का विवेचन

डॉ. मधुसूदन चौबे \*

**प्रस्तावना** - निमाइ के कबीर कहे जाने वाले सन्त सिंगाजी सर्वकालिक महान सन्तों की पंक्ति में सम्मिलित हैं। जनश्रुतियां तो उन्हें श्रृंगी ऋषि का अवतार निरूपित करती है। 'लोक मान्यता है कि श्रृंगी ऋषि ने सिंगाजी के रूप में जन्म लिया था।<sup>1</sup> वे सोलहवीं सदी में हुए थे। यह भारत के इतिहास का वह दौर था, जब भक्ति आन्दोलन चरमोत्कर्ष पर था। वे 1517 ई. या 1519 ई. में जन्मे थे तथा 1559 ई. या 1607 ई. में उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई। जिस तरह उनके जन्म और देहावसान के संबंध में दो तिथियां प्रचलित हैं, वैसे ही उनकी दीक्षा और समाधि ग्रहण के संबंध में भी मत-मतांतर हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में इन्हीं का विवेचन किया गया है।

**सन्त सिंगाजी की दीक्षा** - सन्त सिंगाजी ने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा गृहस्थ के रूप में व्यतीत किया। उनका विवाह हुआ। संतानों का जन्म हुआ। आजीविका के संचालन के लिए उन्होंने नौकरी भी की। 40 वर्ष की उम्र में सिंगाजी ने दीक्षा ग्रहण की। लौकिक जीवन को त्यागकर आध्यात्मिक जीवन अपनाने के लिये सिंगाजी को एक घटना ने प्रेरित किया। सिंगाजी अपने कर्तव्य के निष्पादन हेतु राह से गुजर रहे थे। खेमदास कृत परचरी के अनुसार 'वे अपने जाति बंधु के निमंत्रण पर उसके यहाँ आयोजित होने वाले मंगल कार्य में जा रहे थे।<sup>2</sup> उन्हें भोंसावा ग्राम में एक भजन की कुछ पंक्तियां सुनाई दी। भजन के बोल तथा भजन गायक सन्त मनरंगीर (सन्त मनरंग स्वामी) ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया।<sup>3</sup> उस सुप्रसिद्ध भजन की पंक्तियां हैं-

समझी लेओ रे मना भाई अन्त ना होय आपणा।

आप निरंजन निरगुणा सगुण तट ठाड़ा।

यही रे माया का फंदा में नर आण भुलाणा।

मनरंग स्वामी से गुरु मन्त्र प्राप्त होने के सम्बंध में सिंगाजी ने अपने एक भजन में इस प्रकार व्यक्त किया-

मास्या बाण कसी, सतगुरु मास्या बाण कसी।

अन्न नहीं भावे नींद नहीं आवे, तन पर विपत कसी।।

तन का घाव नजर नहीं आवे, कहाँ लगाऊ दवा घसी।

छुरी नहीं मारी, कटारी नहीं मारी, सबद की फल घसी।।<sup>4</sup>

इसका अर्थ यह हुआ कि सतगुरु ने कसकर बाण मारा। सतगुरु ने गुरुमन्त्र (ज्ञान) का बाण सबसे कसकर मारा है, तबसे अन्न अच्छा नहीं लग रहा है। नींद नहीं आ रही है। शरीर पर विपत्ति कसती जा रही है। शरीर पर घाव दिखाई नहीं दे रहा है, अतः दवा घिसकर कहाँ लगाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरु ने छुरी नहीं मारी, कटारी भी नहीं मारी, परन्तु गुरु शब्द की फाल भीतर तक धंस यी है। सिंगाजी कहते हैं कि गुरु मनरंग ने मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है। गुरु मन्त्र देकर ज्ञान का दीपक जलाया

है।

सिंगाजी ने मनरंगीर स्वामी से दीक्षा ग्रहण कर ली और आध्यात्मिक साधना में लीन हो गये। यह भजन शब्द शक्ति के चमत्कार का परिणाम है।

'इसमें व्याप्त भाव ने सिंगाजी के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। इसने सिंगाजी को एक साधारण गवली से महान सन्त बना दिया।<sup>5</sup> परचरी में उनके गुरु, पितामह और आराध्य के संबंध में लिखा है :-

सुमरयो राम कियो संघाती,

मनरंग को सिष, जगन्नाथ को नाती।<sup>6</sup>

सिंगाजी द्वारा दीक्षा ग्रहण करने के संबंध में 'परचरी' में आये उल्लेख के अनुसार संध्या के समय निर्गुण हरि का भजन गाते हुये मनरंग स्वामी के दर्शन सिंगाजी को हुये। मनरंग स्वामी की मूर्त सिंगाजी के हृदय में समा गई और उनकी वाणी ने कान में पड़ते ही सिंगाजी के मन में ज्ञान उत्पन्न कर दिया। उन्होंने मनरंग स्वामी से निवेदन किया कि वे उन्हें अपनी शरण में ले लें। प्रथम मुलाकात में मनरंग स्वामी ने सिंगाजी से जो वचन कहे थे, वे इस प्रकार हैं- 'हे भाई, उपदेश कहने से नहीं लगता है, मोह माया सहज ही मरती नहीं है, फिर राम से सगाई करना तो बहुत ही कठिन है।<sup>7</sup> सिंगाजी पर इन शब्दों का गहरा प्रभाव हुआ। उन्होंने भामगढ़ की नौकरी त्याग दी और तीर तरकश फेंक दिये। समस्त विकारों को छोड़कर मन, वचन और कर्म से समस्त हथियार डालकर गुरु करने का निश्चय किया।


मनरंग स्वामी के निवास स्थल रामनगर में सिंगाजी ने उनसे दूसरी भेंट की और दीनतापूर्वक उपदेश देने तथा शिष्य के रूप में स्वयं को स्वीकार किये जाने के लिये निवेदन किया। इस अवसर पर मनरंग स्वामी ने ये वचन कहे थे- 'प्रेम और भक्ति क्षण भर भी स्थिर नहीं रहती है। यदि तुम्हें उपदेश की इच्छा है, तो मोह-माया त्याग कर उदासी बनकर घूमो। रात-दिन राम की सेवा करो और सबको छोड़कर आत्मदेव को पूजो। समस्त आत्माओं को अपने समान समझो तब ही साईं की सच्ची सेवा होगी।<sup>8</sup>

प्रत्युत्तर में सिंगाजी ने विनम्रता से कहा- 'मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो अब तुम्हारी शरण में आ गया। मैं मूर्ख और दीन-हीन मति हूँ। आपकी ये रहस्यपूर्ण वाणी कैसे समझ सकता हूँ? आप मेरे लिये मुक्ति के दाता हो और मुझ जैसे अनार्थों के नाथ हो। मैं तो केवल यह जानता हूँ कि नामदेव और कबीर जैसे महापुरुष भी गुरु की शरण में आकर ही धन्य हुये हैं। आप मेरे स्वामी हैं, मुझे दीक्षा दीजिये और अपना सेवक समझकर अपना लीजिये।<sup>9</sup>

दीर्घ वार्तालाप के उपरान्त मनरंग स्वामी ने सिंगाजी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें गोद में लेकर दीक्षा प्रदान की। जनश्रुति में प्रचलित है कि सिंगाजी की प्रेम विह्वलता और त्याग की भावना को देखते हुये गुरु ने दीक्षा के समय एक भजन की रचना की, जिसमें शिष्य को



गुरु से बढ़ा बताया गया है।



### सन्त सिंगाजी

**सन्त सिंगाजी को निर्वाण की प्राप्ति** - सिंगाजी को निर्वाण की प्राप्ति विक्रम सम्वत् 1616 (ईसवी सन् 1559) में श्रावण सुदी नवमी के दिन हुई थी। उन्होंने स्वेच्छा से देह त्यागकर समाधि ली थी। उनकी समाधि सिंगाजी ग्राम में है।

सिंगाजी द्वारा समाधि लिये जाने के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। प्रथम मत का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, अपितु यह लोक विश्वास में प्रचलित है। इसके अनुसार विक्रम सम्वत् 1615 (ईसवी सन् 1558) में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन सिंगाजी अपने गुरु के सान्निध्य में थे। गुरु को नींद आ रही थी। उन्होंने सिंगाजी को यह निर्देश दिया कि उन्हें श्रीकृष्ण जन्म के समय अर्द्धरात्रि में चन्द्रमा के उदित होते समय जगा देना ताकि वे पूजा-अर्चना कर सकें। निर्धारित समय पर सिंगाजी ने यह देखते हुये कि गुरु गहन निद्रा में हैं, उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा और स्वयं आरती आदि का कार्य निष्पादित कर दिया। प्रातः गुरु की नींद खुली, तो वे बहुत नाराज हुये और उन्होंने क्रोधित होकर सिंगाजी से कहा- 'जाओ! अगली जन्म अष्टमी तक मुझे अपना मरा मुँह दिखाना।'<sup>10</sup> सिंगाजी गुरु आज्ञा के बाद अपने गाँव पिपल्या आ गये। इसके ठीक ग्यारह माह बाद अर्थात् अगली जन्म अष्टमी के एक माह पूर्व विक्रम सम्वत् 1616 (ईसवी सन् 1559) में सावन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को जीवित समाधि ले ली।

द्वितीय मत लिखित साक्ष्य पर आधारित है। खेमदास कृत परचरी में इसका उल्लेख है। इसके अनुसार सिंगाजी ने स्वयं ही समाधि लेने का निर्णय लिया। गुरु मनरंग स्वामी ने भी सन्देश दिया था कि अब सिंगाजी को देह त्यागकर सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को देह त्यागकर समाधि ले लेना चाहिये। सिंगाजी ने गुरु आज्ञा को मानते हुये गुरु द्वारा तय किये गये समय के पूर्व ही अपने समस्त परिजनों की उपस्थिति में नवमी को समाधि ले ली।

परचरी में इस सम्बंध में निम्नानुसार उल्लेख है-

गुरुभाई संदसो लायो, सिंगाजी स्वामी आनन्द पायो।

श्रावण पून्यो छूटे देही, गुरु ने लिख पठायो एही।

श्रावण सुदी नवमी सार, ता दिन स्वामी न कियो विचार।

भयो स्वामी अन्तरध्यान, निकसी जोत मे जात समान।

रोय कुटुम कवेलो छ नार, सिष, सखा आदिक अपार।<sup>11</sup>

परचरी में उल्लेखित विवरण अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है। स्वामी मनरंग अत्यंत कोमल स्वभाव के और मितभाषी सन्त थे। वे अपने शिष्य को कटु वचन नहीं बोल सकते हैं।

सिंगाजी का एक भजन भी मिलता है, जिसमें उनके द्वारा समाधि लिये जाने का निश्चय है। यह भजन इस प्रकार है-

रामनौमी पावे आज हम रामनौमी पावें।

गुरु के वचन आशीष भई भारी, रामही नाम समावे।

अन्तःकरण की तुम ही जानो, मसाण साहब की जावें।

सन्त मंडली कुटुम्ब कबीला, सिंगा आप बुलावे।

दान पुत्र जिनने सब कर पायो, न कोई दुख सतावे।

पोथी पुराण ग्यारस बतलावे, मुक्ति को जोग न आवे।

नौमी देह या छू जायेगी, आनन्द परमपद पावे।

जहाँ का माल तहाँ रह जावे, मोती गाँठ बाँधावे।

कहे जन सिंगा सुनो भाई साधू, जोत म जोत समावे।<sup>12</sup>

अर्थात् हम सावन शुक्ल नवमी को राम को पा लेंगे। समाधि लगा लेंगे। गुरु के आशीर्वाद से हम राम में समाहित हो जायेंगे। हृदय की बात तो स्वयं ईश्वर जानता है। मैं साहब की शरण में जा रहा हूँ। सन्त मण्डली, कुटुम्ब, समाज, सगे-सम्बंधियों को बुला लिया है। वे दान पुण्य कर रहे हैं, पर मुझे कोई दुःख नहीं सता रहा है। पोथी, पुराण समाधि का दिन ग्यारस को बतला रहे हैं, परन्तु मुक्ति का योग नहीं मिल पा रहा है। नवमी के दिन यह शरीर छूट जायेगा। मैं आनन्द पूर्वक परमपद प्राप्त करूँगा। उसके बाद जहाँ का माल वहीं रह जाएगा। यह शरीर पृथ्वी लोक का है। यहीं रह जायेगा और जीव जहाँ से आया है, वहीं चला जायेगा। मैं अपनी गाँठ में ब्रह्मरूपी मोती बाँध लूँगा। सिंगाजी कहते हैं कि इस तरह ज्योति में ज्योति मिल जायेगी।

सिंगाजी के समाधि स्थल पर प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में कुँवार मास की शरद पूर्णिमा से दस दिवसीय विशाल मेले का आयोजन होता है। इस मेले के आयोजन की शुरुआत सन्त सिंगाजी के शिष्य नारायण दास ने सिंगाजी के समाधि ग्रहण करने के वर्ष में ही अर्थात् विक्रम सम्वत् 1616 (ईसवी सन् 1599) की शरद पूर्णिमा से ही कर दी थी। तब से आज तक मेले का आयोजन अनवरत् रूप से हो रहा है।

निमाइ तथा मालवा अंचल में विभिन्न गाँवों की असंख्य भजन मण्डलियों के समूह भक्तिपूर्ण भजनों का गायन करते हुये पैदल ही समाधि स्थल पर आते हैं और 'निशान' चढ़ाते हैं। समाधि पर अपार मात्रा में खोपरा और मिठाइयों का प्रसाद चढ़ाया जाता है, किन्तु एक भी चींटी वहाँ नजर नहीं आती है। कुँवार माह में मेला स्थल पर आम की कैरी के दर्शन भी होते हैं, जबकि यह आम का मौसम नहीं होता है।

**उपसंहार** - इस प्रकार स्पष्ट है कि सिंगाजी एक गृहस्थ से सन्त में रूपांतरित हुए और गृहस्थ रहते हुए ही उन्होंने साधना की। सिंगाजी द्वारा निर्माण प्राप्ति के संबंध में प्रचलित किंवदंती अतिरंजित है। परचरी का मत अधिक प्रामाणिक प्रतीत होता है, जिसके अनुसार सिंगाजी ने स्वयं ही समाधि ग्रहण करने का निर्णय लिया था। एक सन्त के रूप में सिंगाजी ने तत्कालीन समाज को तो प्रभावित किया ही था, सैकड़ों वर्षों बाद आज भी निमाइ तथा आसपास के क्षेत्रों के जनमानस पर उनका गहरा प्रभाव है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. **नर्मदाचल के सन्त कवि**, लेखक- बाबूलाल सेन, प्रकाशक- इतिहास संकलन समिति, महेश्वर, संस्करण- प्रथम, 1995ई., पृष्ठ-06.
2. **सिंगाजी की परचरी**, लेखक- सन्त खेमदास, प्रकाशक- व्यंकटेश्वर प्रेस, बम्बई (मुम्बई), संस्करण- विक्रम संवत, 1751, पृष्ठ- 08
3. **निमाइ के सन्त कवि सिंगाजी**, लेखक- रमेशचन्द्र गंगराड़े, प्रकाशक- हिन्दी साहित्य भण्डार, लखनऊ, संस्करण- 1967, पृष्ठ-37.
4. **भजन**, रचयिता- सन्त सिंगाजी, संकलन एवं अनुवाद-डॉ. श्रीराम परिहार, प्रकाशक- आदिवासी लोक कला परिषद्, भोपाल, 1996., पृष्ठ- 11
5. **सन्त सिंगाजी-एक अध्ययन**, लेखक- पं. रामनारायण उपाध्याय, प्रकाशक- निमाइ लोक संस्कृति न्यास, खण्डवा, संस्करण- 1965, पृष्ठ- 13.
6. **सिंगाजी की परचरी**, लेखक- सन्त खेमदास, प्रकाशक- व्यंकटेश्वर प्रेस, बम्बई (मुम्बई), संस्करण- विक्रम संवत, 1751, पृष्ठ- 10.
7. **सिंगाजी दर्शन**, लेखक- सखाराम देवकरण पटेल, प्रकाशक- भगवान भाई गंगराड़े एवं सिंगाजी भक्तजन, पंधाना, संस्करण- द्वितीय, 2003, पृष्ठ- 14.
8. **सिंगाजी दर्शन**, लेखक- सखाराम देवकरण पटेल, प्रकाशक- भगवान भाई गंगराड़े एवं सिंगाजी भक्तजन, पंधाना, संस्करण- द्वितीय, 2003, पृष्ठ- 16.
9. **वही**, पृष्ठ- 16.
10. **कहे जन सिंगा**, लेखक- डॉ. श्रीराम परिहार, प्रकाशक- मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद्, भोपाल, संस्करण- 1996, प्रस्तावना, पृष्ठ- 07.
11. **सिंगाजी की परचुरी**, लेखक- सन्त खेमदास, प्रकाशक- व्यंकटेश्वर प्रेस, बम्बई (मुम्बई), संस्करण- विक्रम संवत, 1751, पृष्ठ- 31, 37 एवं 38.
12. **भजन**, रचयिता- सन्त सिंगाजी, संकलन एवं अनुवाद-डॉ. श्रीराम परिहार, प्रकाशक- आदिवासी लोक कला परिषद्, भोपाल, 1996., पृष्ठ-93-90.

\*\*\*\*\*

## निःशक्तजनों के विकास में सामाजिक न्याय मंत्रालय की भूमिका : एक राजनैतिक अध्ययन

डॉ. गायत्री मिश्रा\* सरदार कुमार चौधरी\*\*

**शोध सारांश** - सामाजिक न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे योजना अन्तर्गत जैसे कृत्रिम अंग निःशक्त पेंशन वृद्धजनों के समग्र विकास पर सामाजिक न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनेक योजना का संचालन हो रहा है। इनकी विकास समीक्षा के रूप में जिले में जिलाधीश द्वारा इस योजना की अध्यक्षता किया जाता है। भारत सरकार द्वारा वृद्धजनों के समग्र कल्याण पुनर्वास एवं वरिष्ठ नागरिकों एवं अभिभावकों को समर्थता प्रदान करने वाली व्यवस्था हेतु माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण ताकि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा अधिनियम 2007 लागू किया गया है। इसके उक्त अधिनियम प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2008 से प्रभावशील किया गया है। इन योजनाओं के द्वारा निःशक्तजनों के विकास हेतु उन्हें सायकल का वितरण, कृत्रिम अंग आदि प्रदान किया जाता है। इससे समाज में वो भी सही मायने में जीवन जी सकें। इस उद्देश्य को लेकर भारत सरकार कारगर कदम उठा रही है। इन्हें राजनीति में भाग लेने में भारतीय संविधान द्वारा आम नागरिकों की भाँति चुनाव लड़ सकते हैं। इन्हें सरकार द्वारा प्रोत्सहन भी किया जाता है।

**शोध प्रविधि** - इस शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक शोध सामाग्री के द्वारा अध्ययन किया गया है। इसके साथ-साथ गुरुजनों, विद्वानों, समाज चिन्तक आदि का सहयोग प्राप्त हुआ। द्वितीय स्त्रोतों के रूप में पुस्तकालय द्वारा प्राप्त पत्र-पत्रिका और पुस्तकों का अध्ययन समाहित है।

**मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :**

1. वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक जो कि अपनी आय अथवा अपनी सम्पत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है। इस प्रकार के वयस्क बच्चों अथवा संबंधियों से भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन को प्राप्त किया जा सकता है। इस हेतु भरण-पोषण में समुचित भोजन, आश्रय, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधायें आदि सामिल किया गया है।<sup>1</sup>
2. प्रशासन ने अभिभावकों में सगे और दत्तक माता-पिता और सौतेले माता और पिता सम्मिलित है। चाहे वे वरिष्ठ नागरिक हो या आम जनता हो।
3. इस प्रकार से प्रशासनिक दायित्वों के द्वारा प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के है। वह अपने संबंधियों से भी भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं जिनका उनकी सम्पत्ति पर स्वामित्व है अथवा जो उनकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं।
4. प्रत्येक जिले में वृद्धजनों के प्रकरणों के निराकरण और अधिकरण (ट्रिब्यूनल) का गठन किया गया है।
5. अधिकरण और आदेशों के विरुद्ध अपील हेतु प्रत्येक जिले में अपील अधिकरण (ट्रिब्यूनल) का गठन किया गया है।
6. वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा अथवा परित्याग एक संज्ञेय अपराध माना गया है, जिसके लिये 5,000 रुपये जुर्माना या तीन महीने की सजा का प्रावधान किया गया है।
7. राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को संरक्षण और भरण-पोषण

प्रदान करने हेतु वृद्धाश्रमों की स्थापना की गई है। इस प्रकार से प्रशासन के दायरे में कार्य किया जाना अतिआवश्यक कार्य माना गया है। इससे विकलांग व्यक्तियों के संरक्षण और भरण-पोषण हेतु कार्य किया जाना उचित समझा जाता है। इस हेतु सामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर या शारीरिक रूप से असक्षम दोनों स्थितियों में शासन अपनी निगरानी रखता है।<sup>2</sup>

**प्रशासनिक की मानसिकता** -राज्य शासन द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्राभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की गई है -

1. अधिनियम की धारा 32 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई 2009 द्वारा म.प्र. शासन द्वारा जारी परिपत्र में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम, 2009 प्रदेश में लागू होंगे।
2. धारा 7 (1) के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई 2009 के द्वारा सभी जिलों में भरण पोषण अधिकरण समिति का गठन किया जा कर। प्रशासन उस पर पूर्णतः निगरानी रखती है।
3. धारा 15 (1) के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई 2009 द्वारा भरण पोषण अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने हेतु प्रत्येक जिले में अपील अधिकरण की समिति का गठन सुनिश्चित है।
4. धारा 18 (1) के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई 2009 द्वारा सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा समस्त जिला अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत भरण पोषण का उत्तरदायित्व पदाभिहित किया गया है।

इस प्रकार से प्रशासन द्वारा विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को प्रदान करने में भरसक प्रयास करता है। इससे विकलांग व्यक्ति को पूर्णतः उन्हें भी आवश्यक जरूरतों और कृत्रिम सामाग्री मिल

\* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत  
\*\* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

जाती है। उससे उनके जीवन में अनेक परिवर्तन आते हैं। उससे प्रशासनिक दायित्व और व्यक्ति की मानसिकता में स्वच्छता के भाव दिखाई देते हैं।<sup>3</sup>

**समस्या** - विकलांगता को लेकर अनेकों समस्याएँ उत्पन्न होती है। इन्हें आम व्यक्तियों की तरह सम्मान नहीं प्राप्त होता है। इससे सामाजिक व्यवस्था आदि के लिए भी अधिक कठिनाई होती है। आने-जाने, हेतु सुख-सुविधाओं का अभाव रहता है। इससे इनके जीवन में अनेक कठिनाईयाँ भी होती है। कभी-कभी प्रशासन भी इनकी समस्याओं को नजर अन्दाज कर देता है।

**समाधान** -समाज, वैज्ञानिकों ने मानसिक-शरीरगत विकलांगता के लिए नया सम्मानजनक शब्द 'विशेष दक्षतावान' नाम दिया है। जिससे किसी भी तरह की विकलांगता का बोध कराने वाला दाग व्यक्ति के मन में न रहे। यह आधुनिक विचार भारतीय संस्कृति की पुनरावृत्ति पर आधारित है। वैदिककाल से शरीरगत विकृति के बावजूद महर्षि अष्टावक्र और असुरों के आचार्य शुक्राचार्य की 'अष्टावक्र शुक्राचार्य नीति' अध्यात्म और नीति की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक मानी जाती है। महर्षि अष्टावक्र ने ज्ञान और अध्यात्म को नई दिशा प्रदान की है। उनके शरीर के टेढ़े-मेढ़े पर नर हंसने वाले उनके शरणागत हुए।

आदि ग्रंथों-वेदों-पुराणों-स्मृतियों-उपनिषदों- श्रुतियों में किसी भी प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्ति को हेय नहीं माना गया बल्कि उन्हें सम्मान का अधिकारी माना गया है।<sup>4</sup>

विश्व के आध्यात्मिक गुरु भारतीय संस्कृति में विकलांगों को सृष्टि के प्रारंभ से ही विशेषतावान का दर्जा प्रदान किया गया था। इस हेतु इक्कीसवीं शताब्दी में सदियों के शोध से समाज वैज्ञानिक ने भी इसी निष्कर्ष पर आ पहुंचे हैं। हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में इन विशेषदक्षतावानों के प्रति सहयोग और मानवीय करुणा का भाव रखने में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार की नीतिगत मानसिकता प्रशासन की भी इन विकलांग व्यक्तियों के प्रति है।

**प्रशासनिक सक्रियता व सहयोग** - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक अधिकरण, धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन सुलह अधिकारी के रूप में नियुक्ति किया जाता है। इसके लिये योग्य व्यक्तियों का एक समिति तैयार करेगा, जिसमें धारा 18 के अधीन पदाभिहित किये गये अधिकारी भी सम्मिलित किया जायेगा। इसी के अधीन निर्दिष्ट व्यक्तियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करना होता है।

**ऐसा कोई भी व्यक्ति जो** किसी ऐसे संगठन से जुड़ा हो जो वरिष्ठ नागरिक तथा कमजोर वर्ग के कल्याण हेतु कार्य कर रहा हो। यहाँ तक शिक्षा-स्वास्थ्य-गरीबी उन्मूलन-महिला सशक्तिकरण-समाज कल्याण-ग्रामीण विकास जैसी संस्थाओं में कम से कम 2 वर्ष से कार्य कर रहा हो। उसे ही इस समिति का सदस्य बनाया जा सकता है।<sup>5</sup>

वह संगठन व वरिष्ठ पराधिकारी हो; और उसे विधि की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इससे उस व्यक्ति को भी संगठन से जुड़ा न हो, ऐसी स्थिति में उन नियमों के (1) में वर्णित पैनाल में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

**शासकीय व गैर शासकीय संस्थानों के बीच समन्वय** - सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के बीच अच्छे सम्बन्ध होने पर ही उन्हें किसी भी कार्य को सौंपा जा सकता है। इस हेतु किसी को आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा अपील अधिकरण

के समक्ष प्ररूप 'झ' में अपील प्रस्तुत की जाएगी एवं इसके साथ भरण-पोषण अधिकरण के अक्षेपित आदेश की एक प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।

**शासन व आम नागरिकों के बीच स्वतंत्रता का स्थापना - धारा 19 के अधीन स्थापित वृद्धाश्रमों के प्रबंधन के लिये योजना**

निर्धन वरिष्ठ नागरिकों हेतु वृद्धाश्रमों के प्रबंधन की योजना (1) धारा 19 के अधीन स्थापित किए गए वृद्धाश्रम निम्नलिखित मानदंडों तथा मानकों के अनुसार चलाये जाएंगे -

1. आश्रम भौतिक सुविधाओं से युक्त होगा और ऐसे प्रचालन संबंधी मानकों के अनुसार चलाया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे।
2. आश्रम के अंतःवासियों का चयन निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा।

(क) अधिनियम की धारा 198 में यथा परिभाषित आश्रम में रहने के इच्छुक निर्धन वरिष्ठ नागरिकों से युक्त अन्तरालों पर किन्तु प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार आवेदन मंगायें जायेगे।

एस. आर. ट्रस्ट के ट्रस्टियों द्वारा हैदराबाद में विश्व में पहली आध्यत्मिकता पर विधानसभा में भाग लिया गया, जिसमें एक सत्र दिनांक 19.12.2012 को Spirituality & Disability Management था, जिसका आयोजन वर्ल्ड युनाइटेड द्वारा किया गया।

**निष्कर्ष** - विकलांग को आध्यात्मिकता का आधार सिर्फ परमात्मा के प्रति आस्था है। यहाँ तक विकलांगों को आध्यात्मिकता द्वारा कैसे लाभ दिलाया जावे। यह एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना रहा है। आध्यात्मिकता कहती है कि हम एक आत्मा है न कि शरीर और जब विकलांग भाई बहन इस सत्यता पर निश्चय करेंगे कि हम आत्मा है तो जो उनके शरीर के अंग न होने की हीनभावना है वह समाप्त होगी। जो उनके लिए महत्वपूर्ण लाभ है जिसके मानसिक स्तर पर, कार्य एवं व्यवहार में भी उन्नति होगी। सत्र में विशेष वक्ताओं द्वारा श्रोताओं के प्रश्नों के सहल भाव में प्रति उत्तर देकर जिज्ञासाओं को शांत किया। निकट भविष्य में एस. आर. ट्रस्ट द्वारा आध्यात्मिक एवं विकलांगता पर म.प्र. में एक सेमिनार का अयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. प्रो. के विजय कुमार, भारतीय सामाजिक विकास में शिक्षा का अधिकार के क्रियान्वयन, आकांक्षा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2012, Volume-I, PP. 297
2. पी. मूर्ति, 21 वीं सदी की चुनौती, कान्सेप्ट पब्लिकेशन्स साउथ एशिया बुक स्टोर, दिल्ली, 2011, Volume-I, PP 36
3. डॉ. हरिवंश तरुण, मंदबुद्धि, दबू और अपराधी बच्चों की सही शिक्षा (प्रभावी एवं मनोवैज्ञानिक शिक्षण-विधियाँ), ग्रंथकेतन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2010, पृष्ठ 89
4. विनोद कुमार मिश्र, विकलांगता की समस्याएँ व समाधान, जगताराम एण्ड संस अंसारी रोड, दरियागंज नयी दिल्ली, संस्करण 2010, पृष्ठ 65
5. विनोद कुमार मिश्र, विकलांगों के अधिकार, कल्याणी शिक्षा परिषद्, संस्करण 2008, पृष्ठ 28



# Mauryas-Were They Shudras or Kshatriyas

Sunil Sharma\*

**Abstract** - The opinions about whether the Mauryas were Shudras or Kshatriyas have been discussed in the research paper on the basis of sources available on the history of Mauryan period.

**Key Words** - Puranas, dynasty, description,, shudras,Mahavamsa,literary tradition.

**Introduction** - The political condition of India was not stable when Alexander left India in 325 B.C. There was a great discontent among the people of India. Meanwhile, the Mauryan dynasty replaced the Nanda kings. Chandragupta was the founder of Mauryan dynasty. As far as the origin of Mauryas and the early life of Chandragupta Maurya are concerned, a good deal of controversy prevails among the historians. There are two opinions about the origin of Mauryas:-

1. The Mauryas were Shudras.
2. The Mauryas were Kshatriyas.

## 1. Were the Mauryas Shudras?

In the Puranas, it is written, "After this, the country will be ruled by Shudras." This sentence has been mentioned with reference to the destruction of Shishunanga dynasty and the establishment of Nanda dynasty. So this statement of Puranas seems to be applicable to the Nanda kings only, because there were many Brahmin dynasties which rose in India after the destruction of Shishunanga dynasty. As Puranas are regarded as an important source of history of Mauryas, it can be said that Chandragupta Maurya was not a Shudra. Vishakhadatta, writer of the drama 'Mudrarakshasha' has used the word 'Vrishala' for Chandragupta Maurya. Some writers are of the view that the word 'Vrishala' has been used for 'Shudra' and thus, the Mauryas belonged to the 'Shudra' family. But a deep and critical study of all sources leads to the conclusion that the word 'Vrishala' does not stand for 'Shudra'. According to the new researches, this word is used for those persons whose social status is inferior and who can condemn the caste system. Manu is of the opinion that the word 'Vrishala' should be used for a false Brahmin. So it is clear that Vishakhadatta did not use this word in the sense that Chandragupta Maurya was 'Shudra' but he used the word 'Vrishala' for Chandragupta Maurya because he recognized him as inferior in the society. Besides, the word 'Kulahina' has also been used for Chandragupta Maurya. According to some writers this word 'Kulahina' stands for Shudra origin of Chandragupta Maurya. But this view is not accepted by

modern scholars of history. Dr.Radha Kumud Mookerjee does not agree with the view that the word 'Kulahina' means Shudra. He is of the opinion that the writer of 'Mudrarakshasha' used this word in the sense of inferiority. Justin, a prominent Historian, Gives his opinion in this regard. He says:

"This man [Chandragupta] was of humble origin, but was stimulated to aspire to regal power by supernatural encouragement; for having offended Alexander by his boldness of speech and orders being given to kill him, he saved himself by swiftness of foot."

In Kautilya's 'Arthashastra' no concrete description is found regarding the origin of Maurya. However, according to a critical estimate of this book Chandragupta Maurya was not Shudra. There is a passage in this book stating, "Arthashastra has been compiled by one who forcibly and quickly achieved the liberation of the mother country, of its culture and learning, its military power, from the grip of the Shudra kings." Kautilya played a prominent role in destroying the unlawful role of Shudra [Nanda] king. He established the reign of Chandragupta Maurya. Kautilya was a Brahmin and he followed the 'Varnashram' system strongly. It can be concluded from the above fact that Kautilya would not give his consent to enthrone a Shudra king in place of the Nandas. According to Dr.Radha Kumud Mookerjee,

"It is thus quite absurd to suppose that Kautilya, who was out to rescue this Dharma or system from the outrage inflicted upon it by a shudra sovereign, could have chosen as his agent in the fulfillment of his sacred mission a person of the same disqualification. He could not consecrate to sovereignty one Shudra in place of another."

Thus it can be said that the Mauryas were not Shudra. Were the Mauryas Kshatriyas?

According to Buddhist Literature, the Mauryas have been described as Kshatriyas. 'Mahavamsa', one of the prominent Buddhist texts, clearly states that Chandragupta Maurya was a Kshatriya. He was born in the Maurya family and he was crowned by Chanakya as the king of Magadha.



In the same way, 'Mahabodhivamsa' describes that Chandragupta Maurya was a prince of royal dynasty of Moriyana. Another book, 'Divavandana' mentions that Bindusara son of Chandragupta Maurya was a Kshatriya king and his appointment was made lawfully. Besides this, there is a reference in Mahaparinirvana that at the time of the attainment of salvation by Lord Buddha, The Maurya of Pippalivana sent a message to the Malavas: You and we are Kshatriyas and so we also enjoy a right to have a share in the remains of Lord Buddha. This reference also confirms that the Mauryas were Kshatriyas. Moreover it has been mentioned in 'Digha Nikaya' that there existed a Kshatriya clan in Pippalivana known as Mauryas. In Jain literature some references are available which support the view that the Mauryas were Kshatriyas. 'Parishishthaparvana' is recognized as an authentic book of Jain literature. Hem Chandra mentions in this book that Chandragupta was born in the family of the chief of a village community. The members of this community were known as 'rearers of royal peacocks'. The same reference is available in another Jain book, 'Haribhadra Tikay'. Thus Jain literature connects the Mauryas with Mayurya [peacock]. The archaeological evidences confirm the opinion of Jain literature. An emblem of peacock is found at the pillar of Ashoka at Nandan Garh. This figure is also available in several sculptures on the Stupa at Sanchi.

In the light of the above discussion, it can be concluded that the Mauryas were not Shudras. Most of the evidences confirm the view that the Mauryas were Kshatriyas. The

low origin of Chandragupta Maurya cannot be proved on the basis of the account of foreigners. These accounts throw ample light on the base origin of the Nanda dynasty, but nothing has been said about the low origin of the Mauryas. Justin also mentions the humble birth of Chandragupta Maurya. But this phrase does not indicate Shudra origin of the Mauryas. It indicated that the economic condition of the family of Chandragupta Maurya was weak. Thus the Maurya dynasty can be proved to be a Kshatriya family. Dr. Ray Chaudary, an eminent historian, has rightly remarked on this issue:

"The ancestry of Chandragupta is not known for certain. Hindu literary traditions connect him with the Nanda dynasty of Magadha. Tradition recorded in medieval inscriptions, however, represents the Maurya family as belonging to the solar race.....Again, in the 'Mahaparinibhana Sutta', the Mauryas are represented as the ruling clan of Pippalivana, and as belonging to the Kshatriya caste. As the above composition is the most ancient of the works referred to above, its evidence should be preferred to that of later compositions. It is, therefore, practically certain that Chandragupta belonged to a Kshatriya community, viz., the Maurya clan."

**References : -**

1. Ancient India by K.L. Khurana
2. Indian history by Krishna Reddy
3. NCERT Textbook of Ancient India
4. Pratiyogita darpan
5. Indian History by Agnihotri

\*\*\*\*\*

## यात्री की रचनाओं में सामाजिक परिवर्तन के स्वरो का विश्लेषण

अमलेन्दु शेखर पाठक\*

**प्रस्तावना** – मैथिली के 'यात्री' हों या हिन्दी के नागार्जुन, दोनों ही संवेदना के स्तर पर एक ही धरातल पर खड़े मिलते हैं। अपनी मिट्टी की खुशबू को सांसों में भरते और गांव के खेत-खलिहानों के सौंदर्य को निहारते हुए दिल की गहराइयों में उतारते यात्री-नागार्जुन विभोर हो जाते हैं। उस मिट्टी और खेत-खलिहानों में सिंचित श्रम-विन्दुओं की खुशबू से उनका मन-मयूर नाच उठता है। उनकी आंखों में चमक भर जाता है। अपने जन्मभूमि की गौरव-गाथाओं को स्वाभिमान से भर उठते हैं। लेकिन जैसे ही मिट्टी में घुले पसीने की सिसकियां उनके कानों तक पहुंचती हैं, आत्मीय स्नेह से भरी आंखें लाल हो जाती हैं। उन आंखों से विद्रोह की लपटें उठने लगती हैं। उनकी धमनी में प्रवाहित रक्त लावा सा खौलने लगता है। और फिर वे परिवर्तन की मशाल लेकर पथरीली राहों पर निकल पड़ते हैं। इसके साथ ही मिथिला के लाल यात्री-नागार्जुन 'बाबा' हो जाते हैं। हर किसी के बाबा। साहित्यिकों के लिए आदरणीय, पथ-प्रदर्शक, प्रेरणा-पुंज बाबा, तो गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, उपेक्षितों, दबे-कुचलों, मजलूमों के लिए तारणहार बाबा, क्रान्तिकारी बाबा। यात्री वह बाबा नहीं हैं जो किसी गांव में दालान पर खटिया बिछाये, उस पर लेटे या बैठे खांसते-हांफते समय-समय पर उपदेश सुनाते या टुकुर-टुकुर देखते भर रहते हैं। वे सामाजिक विषमताओं के खिलाफ अपनी गर्जना करते हैं। इसमें कोई लाग-लपेट नहीं होती। जो कुछ कहते हैं, दो टूक कहते हैं। उनकी लेखनी से निकलने वाले शब्द शोलों की तपिश लिए शोषकों-अत्याचारियों को आकुल कर देती है, तो दबे-कुचलों की आंखों से निकलने वाले आंसुओं को अंगारे में तब्दील कर देती हैं। उनका स्वर विस्तार लेता है। मिथिला से उठनेवाली उनकी यह आवाज यह किसी क्षेत्र विशेष तक सिमटी हुई नहीं रहती है और राष्ट्रीयस्तर पर व्याप्त हो जाता है। इसमें कोई पूर्वाग्रह भी नहीं होता। यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी नहीं उठती। यह समग्र मानव-जाति के कल्याण-कामना से लबरेज होती है। यात्री की लेखनी कोई भेदभाव नहीं करती। यात्री जैसा देखते हैं, जैसा महसूसते हैं, सामने रख देते हैं। वे यह इसकी परवाह नहीं करते कि इसके लपेटे में कौन आ रहा है।

यात्री-नागार्जुन के नाम से ख्यात बाबा का मूल नाम है बैद्यनाथ मिश्र, जिन्हें अपने गांव में लोग ठकन मिश्र के नाम से पुकारते थे। इनकी जीवन-यात्रा मिथिला के दरभंगा जिला अन्तर्गत तरौनी गांव में 1911 ई. को ज्येष्ठ पूर्णिमा से आरम्भ हुई। जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। पिता गोकुल मिश्र स्वयं शिक्षित नहीं थे, लेकिन एकमात्र पुत्र को उन्होंने गांव के ही टोल पाठशाला में संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने के लिए दे दिया। मध्यमा की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर गांव के ही पं. अनिरुद्ध मिश्र का ध्यान इनकी ओर गया और उन्होंने बालक बैद्यनाथ को बुलाकर अपने स्तर से छन्द और काव्य का

ज्ञान देना आरम्भ कर दिया। यही अनिरुद्ध मिश्र इनके प्रथम काव्यगुरु हुए।<sup>1</sup> इन्होंने बालक बैद्यनाथ को इतना निपुण कर दिया कि वे संस्कृत में समस्यापूर्ति भी करने लगे। इनकी पहली समस्यापूर्ति थी- 'बालानां रोदनम् बलम...'<sup>2</sup> बाद में गनौली, पचगछिया होते हुए शिक्षा पाने काशी पहुंच गये, जहां इन्हें कविवर सीताराम झा का साहचर्य प्राप्त हुआ। उन्होंने इनकी काव्य-प्रतिभा को प्रखर-मुखर बनाने साथ ही इन्हें मैथिली की ओर प्रेरित-प्रोत्साहित किया।<sup>3</sup> कविवर का यह प्रयास रंग लाया और 1929 में मैथिली मासिक 'मिथिला' में इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई। इसमें इनका नाम 'विद्यार्थी बैद्यनाथ मिश्र तरौनी निवासी' छपा था।<sup>3</sup> फिर तो साहित्य के क्षेत्र में इनका यह पहला कदम आगे ही आगे बढ़ता ही चला गया। उसमें निरन्तरता आती गयी और 'विद्यार्थी' उपनाम के साथ साहित्य क्षेत्र में कदम रखने वाले बैद्यनाथ मिश्र, कभी पण्डित बैद्यनाथ मिश्र तो कभी बैद्यनाथ मिश्र 'वैदेह' आदि उपनामों को धारण करते-करते अन्ततः 'यात्री' हो गये। 'यात्री' हुए तो मात्र नाम के ही 'यात्री' नहीं रहे। यह जीवन का और साहित्य-सर्जन का अभिन्न अंग बन गया। देश भर के विभिन्न इलाकों का परिभ्रमण करते हुए इन्होंने बौद्ध-दर्शन का अध्ययन करने के लिए लंका की भी यात्रा की। वहां बौद्धधर्म की दीक्षा ली तो नाम मिला 'नागार्जुन', जिसे इन्होंने हिन्दी साहित्य में अपना स्थायी नाम बना दिया। मैथिली में 'यात्री' ही रहे। बाद में दोनों नाम साथ-साथ युग्म की भांति प्रयुक्त होने लगा- 'बाबा यात्री-नागार्जुन'।

मैथिली में इन्होंने गद्य-पद्य दोनों ही विधाओं में लिखा। मैथिली में इनके दो कविता-संग्रह 'चित्रा' और 'पत्रहीन नव्न गाछ' तथा तीन उपन्यास 'पारो', 'नवतुरिया' और 'बलचनमा' प्रकाशित हैं। इसमें तीसरा उपन्यास 'बलचनमा' मैथिली की रचना होते हुए भी पहले हिन्दी में प्रकाशित हुई और बाद में मैथिली में अनूदित होकर आई। हालांकि बहुत से विद्वान 'बलचनमा' को हिन्दी की ही सामग्री मानते हैं, लेकिन विषय-वस्तु और उसकी उपस्थापना तो यह बताती ही है कि वह मैथिली की सामग्री है, स्वयं यात्री ने ही इसे मैथिली में लिखने की बात कही है। रामविलास शर्मा को उत्तर देते हुए उन्होंने आर्यावर्ता में लिखा है कि अपना प्रख्यात उपन्यास 'बलचनमा' मूलतः मैंने मैथिली में ही लिखा था। प्रकाशन की सुविधा हुई, अतः उसका हिन्दी रूपमें पान्तर ही लोगों के सामने पहले आ गया। मौलिक 'बलचनमा' भी इस वर्ष प्रकाशित होगा।<sup>4</sup> यह सच है कि मैथिली की तुलना में उन्होंने हिन्दी में काफी ज्यादा लिखी, जिसका कारण प्रकाशन का सौविध्य और आर्थिक उपार्जन रहा।<sup>5</sup> लेकिन अपनी त्वरा और प्रभाव के साथ ही सामाजिक परिवर्तन का बिगुल फूंकने की दृष्टि से मैथिली की रचनाएं कभी भी कमतर नहीं रहीं। मैथिली में ये छन्दमुक्त काव्य-सर्जन के प्रथम प्रयोक्ता रहे तो विशोभ-विद्रोह से भरी कविताओं और उपन्यासों के माध्यम से नये समाज की ठोस

\* विद्यापति चौक, कटहलबाड़ी, लालबाग, दरभंगा (बिहार) भारत

आधारशिला भी रखी।

अपने 28 कविताओं के पहले मैथिली काव्य-संग्रह 'चित्रा' में कवि यात्री 'मां मिथिले' की गुण-गरिमा का स्मरण करते हुए आत्मगौरव से भर उठते हैं, लेकिन जब इन सभी की विस्मृति और समाज में व्याप्त विभेद की गहरी खाई से उपजे दुःख-दैन्य की ओर इनकी दृष्टि जाती है तो यह भाव तिरोहित हो जाता है और फिर तनिक भी देर किये परिजन-पुरजन को त्याग कर कवि यात्री 'मां मिथिले' को 'अन्तिम प्रणाम' कर विदा हो जाते हैं- 'हे मातृभूमि अन्तिम प्रणाम!'

यात्री की यह यात्रा दुःख के समुद्र में डूबे समाज को उससे उबारने, विस्मृत अतीत के पुनर्स्मरण और सुप्तावस्था में चली गयी सृष्टि के जागरण के लिए होती है-

दुःखोदधिसँ संतरण हेतु  
चिरविस्मृत वस्तुक स्मरण हेतु  
सूतल सृष्टिक जागरण हेतु  
हम छोड़ि रहल छी अपन गाम  
माँ मिथिले ई अन्तिम प्रणाम।<sup>6</sup>

यह यूँही नहीं हुआ। उन्होंने सामाजिक विभेद के कारण समान व समुचित अवसर नहीं मिलने के कारण बागमती नदी के किनारे घास छीलते तानसेन व रविवर्मा सरीखी प्रतिभाओं को नष्ट होते देखा था तो जीवन पर्यन्त अमृत-मन्थन करनेवाले श्रमिक समाज को प्यास से मरते हुए काफी करीब से देखा था-

जिन्दगी भरि जे अमृत मंथन करए  
जिन्दगी भरि जे सुधा संचित करए  
ओ पियासँ मरि रहल अछि, ओकरे  
अमृत पीबासँ जगत वंचित करए।<sup>7</sup>

और इससे खिन्न यात्री विद्रोह का स्वर मुखर करते हुए उद्धोष करते हुए उद्धोष करते हैं कि अब सामाजिक विषमताएं दूर होंगी और दरभंगा महाराज भी समता की परिधि में आएंगे-

पढ़ता गुनता करताह पास-  
जूगल कामति, छीतन खबास  
जे काजुल से भरि पेट खएत  
ककरो नहि बड़का धोधि हएत  
कहबओता आजुक महाराज  
केवल कामेश्वरसिंह काल्हि  
हमरालोकनि जे खाइत छी  
खएताह ओहो से भात-दालि।<sup>8</sup>

फिर यात्री पसीने के गुण-धर्म पर चिन्तन मनन करते हुए प्रश्न कर बैठते हैं कि श्रमजीवी रिक्शावाले की पीठ की खाल और कितनी सूखी और काली पड़ेगी-

रिक्शाबलाक पीठक चाम  
आओर कते शुष्क-श्याम हेतइ?<sup>9</sup>

इन परिस्थितियों से उबरने के लिए साहित्य अकादेमी, दिल्ली से पुरस्कृत अपने काव्य-संग्रह 'पत्रहीन नग्न गाछ' में 'यात्री' पुरानी पीढ़ी को उपेक्षित कर आगे बढ़ने के लिए नया मन्त्र देते हैं कि युवा आगे आये-

जुनि करी परबाहि बूढ़-बहीर कानक  
टटका मन्त्र थीक,  
नबतुरिए आबओ आगाँ!!<sup>10</sup>

सामाजिक परिस्थितियों के आकलन और उसमें आमूलचूल परिवर्तन के लिए किये गये विमर्श में यात्री की नजर कभी एकपक्षीय नहीं होती है। वे जातीय विषमताओं की चक्की में पिस रहे समाज के सभी पक्षों को देखते हैं। उपेक्षित-प्रताड़ित जन-जीवन को समग्रता में देखते हैं। तभी तो उनके कानों में गरीब और जातीय आधार पर दबे-कुचले समाज के साथ ही तथाकथित उच्च वर्ग की उस बालिका बधू का 'विलाप'<sup>11</sup> भी पड़ता है जो परम्परा की दहकती भट्टी में झोंक दी गयी है।

और कवि यात्री सामाजिक परिवर्तन के स्वर को और प्रभावी बनाने के लिए अपने साहित्य को हथियार बना कर ऐसी परिस्थितियों पर जमकर प्रहार करते हैं। इसके लिए कविता के साथ ही औपन्यासिक रचनाओं को सबल आधार बनाते हैं। लेकिन 'यात्री' समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को छिन्न-भिन्न करने के लिए उतावलापन नहीं दिखाते। वे कदम-दर-कदम आगे बढ़ते हैं। उनके तीनों मैथिली उपन्यास इसके प्रमाण हैं।

यात्री अपना पहला उपन्यास 'पारो' लेकर मैथिली साहित्यांगन में आते हैं कि एक आंधी सी उठ पड़ती है। यह एक तरफ मैथिली साहित्य के क्षेत्र में क्रान्ति का सूत्रपात भी करता है तो सम्बन्धों की मर्यादा पर आघात मान कर विरोध के बवण्डर भी उठता है। लेकिन मूल कथ्य से प्रकट होता है एक ऐसी अनकही यथार्थ सचाई का तेज-पुंज जिसके सामने तमाम विरोध घुटने टेकने को विवश हो जाते हैं। 'पारो' उपन्यास की काया लघु है, किन्तु उसमें जिस विषय को उठाया गया है उसकी परिधि इतनी विशाल है कि उसने मानवीय संवेदनाओं झकझोर डालता है। यह कहानी है केरवनिया गांव की पार्वती की जिसे पारो कह कर पुकारा जाता है। यह कहानी है पारो और उसके ममरे भाई बिरजू के पारस्परिक स्नेह की। यह उपन्यास बघांत के चुल्हाइ चौधरी सरीखे की कथा भी कहती है जो शारीरिक भूख में अन्धे होकर अपनी उम्र का भी खयाल नहीं रखता और बार-बार शादियां करता है। नारी-संवेदनाओं से उसका कोई लेना-देना नहीं होता। वह हर उस चीज को पैसे से तोलता है जिसे पाने की उसकी इच्छा होती है।

पारो और बिरजू की उम्र में महज चार वर्ष का फासला है। बिरजू से उसकी फुफेरी बहन पारो छोटी है। बालपन से ही दोनों साथ-साथ खेलते-कूदते बड़े होते हैं और यही दोनों के बीच पारस्परिक स्नेह का कारण भी बनता है। इतना कि किशोरावस्था में भी यह बरकरार रहता है। सिर्फ बरकरार ही नहीं रहता धीरे-धीरे यह अपना स्वरूप भी बदल लेता है। पारो की आयु कम है, लेकिन परिस्थिति ने उसे बिरजू से अधिक चिन्तनशील और दुनिया को समझने वाली बना दिया है। यही वजह है कि बिरजू व पारो के बीच के भाई-बहन के स्नेह ने रूप बदलकर प्रेमी-प्रेमिका का रूप अखितयार कर लिया। बिरजू के मन में यह भाव प्रत्यक्ष रूप से कभी मुखर नहीं होता, लेकिन परोक्ष रूप से उसके भीतर भी यही भावना है। रोती हुई पारो के आँसू पोंछते-पोंछते कब उसके मन में यह भाव घर गया, यह खुद उसकी समझ में नहीं आती है, लेकिन अपने मामा के साथ पढ़ाई के लिए जब वह मोतिहारी जाता है और वहां उसे पारो की चिट्ठी मिलती है तो उसमें कोई भी अनावश्यक बात नहीं होने पर भी नानी से झूठ बोल जाता है पत्र उसके गांव से आया है। उस पत्र को वह बार-बार छुपछुप कर पढ़ता है, गोया वह प्रेम-पत्र हो। लेकिन सामाजिक परिस्थितियों ने पारो को कम उम्र में ही वैचारिक रूप से चेतन बना दिया है। वह अपने इस प्रेम का प्राकट्य भी करती है। वह बिरजू से कह बैठती है कि भाई-बहन के बीच ही यदि शादी होती तो कितना अच्छा होता- 'भाइये बहिन मे जँ विआह-दान होइतैक तँ केहेन दिव होइतै ! कत कहाँदनक अनठियाकेँ जे लोक उठाक लऽ अबैये से कोन बुधियारी?'<sup>12</sup>

पारो के इस कथन पर बिरजू चिहुंक उठता है और उसे डांटता है। वह कैसे न चिहुंके, जहां अबोध बिरजू और पारो के बालपन में दुलहे-दुल्हन के खेल को भी बुआ नहीं पचा पाती हैं और पारो को खोपा पकड़ कर और बिरजू का कान पकड़ कर खींचती है, वहां इस तरह के सम्बन्धों की कल्पना भी असम्भव है। सामाजिक मर्यादा भी इसकी इजाजत नहीं देती है। यात्री ने इस मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं होने दिया है, लेकिन पारो के हृदय में इस बंधन के प्रति विक्षोभ है। यह विक्षोभ परिस्थिति ने उत्पन्न किया है। अगर उसकी शादी वयस्का होने पर किसी युवा से होती तो शायद यह भाव नहीं पनपता। लेकिन ऐसा होता नहीं और पारो के मन की भावना दिन-ब-दिन आसक्ति के रस में इस कदर भीगने लगती है कि शादी के बाद भी इसे बरकरार रखती है। उसकी शादी अपने से तिगुने उम्र के 45 वर्षीय चुल्हाइ चौधरी से होती है। इस बेमेल विवाह से पारो का अन्तर्मन हाहाकार कर उठता है। उसी की आयु की ममेरी बहन अपर्णा की शादी में किसी को देर नहीं हो रही है, लेकिन पारो की विधवा मां इस चिन्ता में घुलती रहती है कि कैसे बेटी के हाथ पीले हों। पारो की मां को इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि उसका दाम्पत्य जीवन कैसे गुजरेगा? उन्हें तो बस इतनी भर चिन्ता है कि बेटी के दायित्व से मुक्ति मिल जाये। इसी का परिणाम है कि पारो का विवाह उस चुल्हाइ चौधरी से हो जाता है जो उसका शरीर पाने के लिए पारो के सामने पहली रात को ही दस के दस नोट रख देता है। पारो उसे अपना पति नहीं मानती। भला माने भी कैसे? चुल्हाइ चौधरी उसका शरीर पाने के लिए जोर-जबर्दस्ती पर उतारू हो जाता है और पारो खून से रंगे अपने वस्त्र पर बिरजू का हाथ रख कर इससे अवगत कराने से भी गुरेज नहीं करती। उसको क्यों गुरेज हो, उसे तो परिस्थिति ने बिरजू के प्रति आसक्ति के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया है। इसको वह विवाह के बाद भी व्यक्त करती है। पारो की शादी के बाद जब बिरजू उसके गांव आता है तो वह साफ कहती है कि वह तो उसी रात जहर खा लेती, लेकिन उसकी खातिर ही खुद को रोक लिया- 'हम ओही राति माहुर खा लेने रहितहुँ मुदा तोरे खातिर अपनाकेँ रोकि लेल।'<sup>13</sup>

और बिरजू जब पारो की ससुराल बघांत पहुंचता है तो वहां से उसके विदा होने के समय पारो साफ-साफ बोल उठती है- '...हमरा तोरा बीचमे पिसियौत-ममियौतक सम्बन्ध नहि, ओहि जन्म मे हम आ तो...'<sup>14</sup>

इससे आगे के कथन को यात्री ने बिरजू द्वारा पारो का मुंह बन्द कर दिये जाने से रोक लिया है। पारो एक बच्चे को जन्म देकर गुजर जाती है। इसी के साथ उपन्यास का दुखान्त होता है। लेकिन कथा यही विराम नहीं लेती है। इसका समापन होता है इस जानकारी के साथ कि चुल्हाइ चौधरी ने पुनः विवाह कर लिया है। यानी दुखान्त कथानक को भी यात्री ने उस पुरुष मानसिकता और सामाजिक कुप्रथा के प्रति विक्षोभ से भरने की चेष्टा की है जो इन तमाम परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है।

'पारो' पूर्णतः मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। यात्री ने इसमें नारी के मनोव्यथा को पारो के भीतर चल रहे अन्तर्द्वन्द्व के माध्यम से सफलतापूर्वक उकेरा है। समाज के दोहरे चरित्र को सामने रखा है जो पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग-अलग पैमाना रखता है। एक तरफ पारो की शादी की उम्र नहीं होने पर भी उससे तिगुने उम्र के चुल्हाइ चौधरी से कर दी जाती है तो पारो से चार साल बड़े बिरजू के विवाह का प्रसंग उठने पर बिरजू की बहन अपर्णा बोल उठती है कि वह महिला थोड़े ही है कि अभी शादी की चिन्ता की जाय।<sup>15</sup>

इसी मानसिकता के कारण पारो यह कहने को विवश होती है कि महिला होकर उसका जन्म मिथिला में नहीं हो- 'हे भगवान ! लाख प्रत्यवाय

करी, फेर स्त्रिगण भऽ कऽ एहि देश में जन्म नहि दिअ...छिया ! पैतालीस वर्षक नपिशाच एक अबोध कन्याक आगाँ मे दसटकही लोटक पथार एहि खातिर लगावै कि...'<sup>16</sup> (पारो, पृ. 49)

'पारो' के उपन्यासकार यात्री का उद्देश्य कहीं से भी भाई-बहनों के बीच प्रेमी-प्रेमिका का रूप निरूपत करना नहीं है, बल्कि बेमेल विवाह को इस कदर चिन्तनीय बताना रहा है जो इस पवित्र सम्बन्ध का स्वरूप भी बदलने को आतुर हो उठा है। कुछ प्रसंगों को छोड़ उपन्यास कहीं भी सामाजिक मान्यता और सम्बन्धों का अतिक्रमण नहीं करता है। यह अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल होता है।

'पारो' के बाद यात्री मैथिली उपन्यास के क्षेत्र में अपना दूसरा सधा हुआ कदम 'नवतुरिया' के साथ बढ़ाते हैं। यह 'पारो' के बाद का ठोस और सुविचारित कदम है। उन्होंने 'पारो' में जिस समस्या को उठाया उसका समाधान इसमें तलाशते हैं। समाज के समक्ष अनमेल विवाह, बाल विवाह सरीखी सड़ी-गली कुप्रथाओं के खात्मे के लिए नया मार्ग प्रशस्त करते हैं। 'नवतुरिया' की कहानी उस नौगछिया गांव की कहानी है जिसमें खोखाइ पण्डित जैसे लोग बसते हैं और चन्द रुपयों की खातिर अपनी बेटियों को जानवर की तरह बेचने से नहीं हिचकते। बेटियों का हाथ बूढ़ों के थरथरते हुए हाथों में थमाते हैं और मां के श्राद्ध में जयवारी भोज करना शान समझते हैं। उनकी सात बेटियां हैं। इनमें से छह की शादियां गूंगे या बूढ़ों से करते हैं। इनमें चार विधवा हैं। एक पागल है और एक की हत्या उसकी ससुराल में की जा चुकी है। एक पुत्री है रामेसरी। यह भी विधवा है, लेकिन इसे पण्डित ने बेचा नहीं था। यह भाग्य की मारी है। इसी रामेसरी की पुत्री है उपन्यास की नायिका विश्वेसरी जिसे सभी बिसेसरी या बीसो कह कर सम्बोधित करते हैं। पितृहीन बिसेसरी अपने ननिहाल में मां के साथ रहती है। नाना खोखाइ पण्डित उसकी शादी गढ़िया मानिकपुर के जमिन्दार साठ साल के चतुरा चौधरी से कराना चाहते हैं। चतुरा चौधरी की चार शादियां पहले हो चुकी है और यह पांचवीं होगी। पांच-पांच वयस्क पुत्रों के पिता चतुरा चौधरी पैसे की बढौलत नाबालिग बिसेसरी से विवाह के लिए पण्डित को 900 रुपये देता है। वह अपने भांजे के साथ विवाह करने नौगछिया पहुंच भी जाता है, लेकिन गांव के युवक दिगम्बर, माहे, बूलो, हेहुआ और गोनउड़ा उसे सफल नहीं होने देते। वे सभी चतुरा चौधरी को गांव से खदेड़ देते हैं। यह युवा वर्ग काफी सजग है। गम्भीर और निर्भीक है। खोखाइ पण्डित जब माहे को परेशान करने के लिए अपने घर के पीछे गहरी खाई खुदबा देते हैं तो थाना में केस दर्ज करने से भी यह दल गुरेज नहीं करता। साथ ही अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास करते हुए मुखिया और स्कूल के मास्टर्स तक भी पण्डित की कारगुजारी पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं काव्य-रचना कर उसके माध्यम से पण्डित का ऐसा बुरा हाल कर देते हैं उनका गांव में रहना तक दूभर हो जाता है और इससे बचाने और नवतुरिया दल के कोप से बचने के लिए पंडिताइन उन्हें बाहर भेज कर खाई को भर कर समस्या पर विराम लगाती है। नवतुरिया दल, जिसे गांव के लोग गरम दल के नाम से जानते हैं, मात्र उत्साह से लबरेज भर नहीं है। वह चतुरा चौधरी से बिसेसरी की शादी रुकवा भर कर अपने कर्तव्य का इतिश्री नहीं करता है, बल्कि वाचस्पति सरीखे सुयोग्य वर से उसकी शादी भी कराता है।

उपन्यास 'नवतुरिया' अंग्रेजों की दासता से स्वतंत्र भारत के युवाओं में आ रहे परिवर्तन को बखूबी रेखांकित करता है। यह सही है कि बिसेसरी की शादी बूढ़े चतुरा चौधरी से नवतुरिया गरम दल के सदस्य नहीं होने देते। वे लड़ने-भिड़ने को तैयार हैं, लेकिन यह भी सच है कि चतुरा चौधरी के हाथों



अपनी नतनी को 900 रुपये में बेचने वाले खोखाइ पण्डित के पुत्र भी गरम दल को अपना सक्रिय मौन समर्थन देते हैं। पण्डित के तीन बेटे सौराठ सभा में चतुरा चौधरी को वर के रूप में पिता के चयन के समय साथ होते हैं। इसका विरोध नहीं करते, लेकिन जब गरम दल विवाह रोकता है तो पिता को आंगन में पकड़े रह कर मदद भी करते हैं। पण्डित का लड़का टुनाइ तो अपनी बहनों के हाल से दुखी भी रहा करता है। और पण्डित के पुत्रों के मौन सहयोग की बदौलत ही गरम दल बिना किसी हिंसक घटना के विवाह रोकने में कामयाब होता है। चतुरा चौधरी का भांजा भले ही मामा का विवाह कराने साथ आया हो, पर उसके मन में भी यह बात है कि मामा अनर्गल करने पर आमादा हैं। वह इसे मामा का पागलपन तक समझता है- '...मामा कैं ई भऽ की गेलन्हिए ? अइ अवरथा मे आ सेहो की तँ पुत्र पौत्रवला भऽ कऽ विवाह करबाक ई बतहपनी हिनका कहिओ ने कहिओ समासे कऽ देतइन...।'<sup>17</sup>

यात्री ने इस उपन्यास के माध्यम से युवाओं के चिन्तन में आ रहे परिवर्तन को स्पष्ट करने के साथ ही समाज के व्यवस्थित विकास के लिए युवाओं की भूमिका को भी सामने रखा है। इस भूमिका को रखते समय यात्री की दृष्टि एकांगी नहीं है। लिंग के आधार पर मिथिला की महिलाओं के साथ हो रहे घोर अपराध का विरोध कर उन्हें भी पुरुषों के समान जीने की वकालत करने वाले यात्री ने परिवर्तन के महाभियान में महिला वर्गों की भी सक्रिय सहभागिता को अपेक्षित माना है। 'नवतुरिया' की महिला पात्र भी इसमें बराबर की भूमिका का निर्वाह कर रही है। हां, उनके स्वर थोड़े मन्द अवश्य हैं, लेकिन मुखर होने शुरू हो गये हैं। बिसेसरी की शादी चतुरा चौधरी जैसे वृद्ध से नहीं होने देने के लिए तैयार नवतुरिया दल का सहयोग बूलो की भाभी करती है तो बिसेसरी स्वयं भी इसमें आंशिक रूप से सहभागी है। बिसेसरी की मां रामेसरी को भी यह विवाह स्वीकार्य नहीं है। वह परिस्थितियों से विवश है और बेमन से तैयारियों में जुटी है। बिसेसरी की मामी और रामेसरी की मझली भाभी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बोल उठती है- 'गे मइयो ! बीसो सन सोनछडीकेँ ठुट्टा पिपरक ठारिमे लटका दइत जेथिन !'<sup>18</sup>

अनमेल विवाह, वृद्ध विवाह की इस प्रथा का विरोध करने में यात्री समष्टिगत सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। बिसेसरी की शादी चतुरा चौधरी सरीखे वृद्ध कराने की तैयारी से सिर्फ नवतुरिया दल या खोखाइ पण्डित के घर की महिलाओं, प्राचीनता की प्रतीक पण्डिताइन को छोड़ कर, में ही विक्षोभ नहीं है, बल्कि पूरे गांव की हर वर्ग की महिलाएं इस समस्या को लेकर एक ही वैचारिक धरातल पर खड़ी हैं। पूरे गांव में यह बेमेल विवाह चर्चा का विषय बना है- 'कतक बूढ़ बड़द उठा अनलनिए पंडित?', '-सउंसे गामक नाक छोपलक पंडितबा...।'<sup>19</sup>

'कोकनल डेड कतऽ सँ पंडित उठा अनलन्हिए ?'<sup>20</sup>

बिसेसरी भी प्रतिरोध करना चाहती है। चिल्ला कर सभी से कहना चाहती है कि विवाह से अच्छा है कि उसे बलि दे दिया जाय। वह सोचती है- 'हे भगवान! कोना कऽ ई जहर-माहुरी पीब हम?' वह सोचती है कि कुआं में जा कर डूब मरे। बीच आंगन में खड़ी हो कर चिल्लाये- 'काली माइक पीड़ी पर लऽ जा कऽ बलि चढ़ा दइ जो हमरा !...'<sup>21</sup>

यात्री ने कुप्रथाओं की शूली पर टांग दी जाने वाली नारी संवेदनाओं के साथ ही महिलाओं की अभिलाषा को भी बखूबी रखा है। बिसेसरी के मनोभावों को उकेरते हुए यात्री बताते हैं कि बिसेसरी के विवाह के लिए चिन्तित उसकी नानी ने जहाँ ब्रह्मबाबा को छाग-बलिदान और पूजा का और मां ने सुल्तानगंज से पैदल चलकर बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक का संकल्प लिया है, वहीं बिसेसरी बीस-बाइस साल का दूल्हा होने पर राधा-

कृष्ण को चांदी की बांसुरी चढ़ाने की मनौती मानती है।<sup>22</sup>

'नवतुरिया' का अन्त सुखान्त है और यह भी अपने मूल उद्देश्य में पूरी तरह कामयाब है। वहीं यात्री का तीसरा मैथिली उपन्यास 'बलचनमा' यूं तो 1952 में ही हिन्दी में प्रकाशित हो गया था, किन्तु मैथिली में इसका प्रकाशन 1967 में मिथिला सांस्कृतिक परिषद् कोलकाता से हुआ। विषय-वस्तु की दृष्टि से यह भी मिथिला की ही पूरी कहानी है। लेकिन इस बार कथावस्तु ने नई करवट ली है। जहां दो मैथिली उपन्यास मिथिला में प्रचलित बेमेल विवाह पर केन्द्रित रहे और नारी-संवदानाओं का उसमें गम्भीरता से अध्ययन किया गया, वहां 'बलचनमा' जमिन्दारी प्रथा और कथित निम्न वर्ग पर उनके द्वारा किये जाने वाले अत्याचार से रू-ब-रू कराता है। जैसे इसमें भी नारी-संवेदनाओं को चित्रित किया गया है, लेकिन वह अंग रूप में नहीं आ कर अंगी रूप में आया है। इस उपन्यास का नामकरण इसके नायक बलचनमा के नाम पर किया गया है। पिता की मृत्यु के बाद घर में भोजन के लाले पड़ने लगते हैं और बलचनमा को गांव के जमिन्दार के यहां नौकरी करनी पड़ती है। उसके परिवार के सारे सदस्य मजदूर हैं। वह मेहनती और दृढ़ चरित्र का है। अत्याचार-अनाचार से उसके मन में इससे निजात के लिए अन्तर्द्वन्द्व चलता रहता है। वह कभी नहीं भूलता कि जमिन्दार द्वारा उसके पिता की क्रूरता से पिटाई होती है। वह इस भावना को मरने नहीं देता, बल्कि सहेज कर रखता है और विरोध में डट कर खड़ा भी होता है। जब उसके सामने खेत, फसल और किसान-हित के लिए विद्रोह का सवाल उठ खड़ा होता है तो वह कदम पीछे नहीं खींचता, बल्कि जमिन्दारी अत्याचार, शोषण के खिलाफ अन्त होते-होते हथियार उठाने को प्रस्तुत हो जाता है। परिस्थिति ने बलचनमा को भी काफी चिन्तनशील बना दिया है। वह स्वतंत्रता के बाद बाबू-भैया द्वारा आपस में ही दही-मछली बांट लिये जाने और गरीब-गुरबों और मजलूमों के हिस्से में सिर्फ सीठी मिलने की सचाई पर भी सोचता है, वह विमर्श करता है कि जिस तरह बाबू-भैया लोग अंग्रेजों से मुक्ति के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं, उसी तरह मजदूरों को भी एक साथ मिलकर बाबू-भैया के विरुद्ध लड़ना होगा।

'बलचनमा' के माध्यम से यात्री ने अपने मूल चिन्तन को नई दिशा दी है और यह माना है कि शोषण से मुक्ति के लिए संघर्ष का रास्ता अखितायार करना अत्यावश्यक है। यह यात्री के चिन्तन विशेष की परिणति है जो पहले उपन्यास से ही अंकुरित होने लगता है। पहले यह पारोय में बिरजू के लाल भैया के रूप में सामने आता है तो 'नवतुरिया' में कामरेड जयानन्द झा के रूप में पुष्पित होता है। वे सोराज आश्रम के पक्षधर हैं। स्वाधीनता आन्दोलन में सक्रिय लाल भैया इस सोराज आश्रम की स्थापना करते हैं। नमक कानून तोड़ते हैं। देश सेवा को सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन यात्री इसके लिए अपने सगे-सम्बन्धियों की चिन्ता करने को भी बुरा नहीं मानते। लाल भैया की पत्नी मोहनपुर वाली प्रश्न करती हैं कि कोई देश सेवा में लगा रहे और अपने परिजनों का भी खयाल रखे तो क्या वह बुरा कहा जायेगा- 'जे क्यो देशक आ कि देशक उपकार मे लागल रहै ओ अपनो लोक-वेदक परवाहि जँ किछु राखै त से बेजाए कहौते ?'<sup>23</sup>

आगे चलकर यात्री का चिन्तन 'बलचनमा' के रूप में आकार ग्रहण करता है जिसे सामाजिक समरसता के लिए वे शोषितों-पीड़ितों द्वारा शरत्र उठाने से भी परहेज नहीं है।

यात्री-साहित्य को समग्रता में देखने पर स्पष्ट होता कि उन्होंने अपनी कविताओं व उपन्यासों में मूल उद्देश्य के साथ ही तमाम स्थितियों को समेटा है। वे 'पारो' में लेखनकला में सुन्दर अक्षर पर सोचते हैं तो छात्रों पर बढ़ रहे



बस्तों के बोझ के साथ संस्कृत और अंग्रेजी शिक्षा के अन्तर को भी स्पष्ट करते हैं। समाज में आ रहे परिवर्तन को गांव से बाहर जाकर कमाने वाले मजदूरों द्वारा अपने कथित मालिकों को महत्त्व नहीं दिये जाने के माध्यम से रखते हैं। यात्री पारम्परिक कलाओं से विमुख नई पीढ़ी के हुनरों की चर्चा कर आधुनिकता की वकालत भी करते हैं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि उन्हें अपनी कला और संस्कृति से प्रेम नहीं है। जब आंगन में आलिम्पन होता है तो उसकी सुन्दरता का वर्णन करते यात्री तनिक भी नहीं अघाते। लेकिन अलग-थलग कर दिये गये समाज के समग्र विकास के लिए अपने शब्दों को अंगारे का शक्ल देने में कभी पीछे नहीं रहते। भले ही इसका माध्यम कविता हो उपन्यास, वे समाज के साथ ही राष्ट्रीय चेतना से भी खुद को जोड़कर रखते हैं और नेहरू की लंदन यात्रा पर भी तंज कसने से नहीं चूकते-

नेहरू जी जाइत छथि लन्दन  
रानिक महफा उठबक लेल  
ताहू पर ठी-ठी करैत छी  
हम सभ छी भारी बकलेल<sup>24</sup>

उनकी लेखनी हर उस विषय पर चलती है जो उन्हें समाजोत्थान के लिए उचित प्रतीत होती हैं। इसके लिए वे उस 'वाद' विशेष की भी चिन्ता नहीं करते जिसके साथ जुड़े होते हैं। वे अपनी रचनाओं में अखिल विश्व की चिन्ता करते हैं, पर जन्मभूमि को, उसकी गरिमा को, उसके प्राकृतिक सौन्दर्य को कभी भी नहीं भूलते। तभी तो निज देश को सबसे प्रिय बताते हुए बोल उठते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी सुखद या दुखद सबसे पहले उन्हें अपनी भूमि के लोग ही याद आते हैं-

यश-अपयश हो, लाभ-हानि हो, सुख हो अथवा शोक  
सभसँ पहिने मोन पड़ई अछि अपने भूमिक लोक।<sup>25</sup>

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चित्रा, श्रीयात्री, भूमिका, अ. भा. मैथिली साहित्य परिषद, प्रयाग,

- 1394 साल, पृ. 1
2. यात्री समग्र, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली पटना, 2003, भूमिका, पृ. 5
  3. चित्रा, पृ. 1
  4. नागार्जुन : चुनी हुई रचनाएं-3, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1985, पृ. 61
  5. चित्रा, पृ. 2
  6. वहीं, पृ. 4
  7. वहीं, पृ. 8
  8. वहीं, पृ. 66-67
  9. नवतुरिया, यात्री समग्र, पृ. 79
  10. वहीं, पृ. 93
  11. चित्रा, पृ. 16
  12. पारो, यात्री, पृ. 13
  13. वहीं, पृ. 95
  14. वहीं
  15. वहीं, पृ. 37
  16. वहीं, पृ. 49
  17. नवतुरिया, पृ. 271
  18. वहीं, पृ. 265
  19. वहीं, पृ. 255
  20. वहीं, पृ. 256
  21. वहीं, पृ. 260
  22. वहीं, पृ. 294
  23. पारो, पृ. 61
  24. यात्री समग्र, पृ. 133
  25. वहीं, पृ. 145

\*\*\*\*\*

## व्यावसायिक लेन-देन में ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान का महत्व इन्दौर (म.प्र.) की अर्थव्यवस्था के सदर्थ में

डॉ. दीपक जैन \*

**शोध सारांश** - हम जानते हैं कि इन्दौर म.प्र. की व्यावसायिक राजधानी है। इन्दौर में प्रतिदिन बहुत अधिक मात्रा में लेन-देन होता है। कुछ असामाजिक लोग नकली नोट छापकर चतुराई से इसे बाजार में चलाते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस समस्या का सबसे उपयुक्त समाधान ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान है।

**प्रस्तावना** - प्राचीनकाल में भारत व्यावसायिक दृष्टि से विश्व में सोने की चिड़ियाँ नाम से प्रसिद्ध था। प्राचीनकाल में भारत में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। कुछ बढमाश लोग सीधे-साधे एवं अशिक्षित लोगों का शोषण करते थे। वस्तु विनिमय में अनेक दोष थे। जैसे-

1. दोहरे सहयोग का अभाव, अर्थात् जब दो व्यक्तिया को एक दुसरे की वस्तु की आवश्यकता नहीं होती तो वस्तु विनिमय नहीं हो पाता था।
2. अविभाज्य वस्तु की स्थिति में, अर्थात् ऐसी वस्तु जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता वस्तु विनिमय नहीं हो पाता था। उदाहरण एक व्यक्ति के पास दो गाय हैं जबकि दुसरे व्यक्ति के पास दो किताबें हैं तो पहला व्यक्ति किताब लेकर गाय को विभाजित करके नहीं दे सकता क्योंकि शेष गाय व्यर्थ हो जायेगी।
3. भारी भरकम वस्तु को एक स्थान से दुसरे स्थान तक लाने-लेजाने की समस्या उदाहरण एक व्यक्ति के पास दो गाय हैं वह इन्दौर में रहता है, जबकि दुसरे व्यक्ति के पास दो घोड़े हैं वह भोपाल में रहता है, तो पहला व्यक्ति को वस्तु विनिमय के लिए गाय को भोपाल ले जाना पड़ेगा या दुसरे व्यक्ति को घोड़े को लेकर इन्दौर लेकर आना पड़ेगा। जो बहुत कठिन कार्य था। इसी प्रकार वस्तु विनिमय की अनेक समस्याओं के समाधान हेतु मुद्रा का अविष्कार एवं चलन प्रारंभ हुआ और लेन-देन में मुद्रा में भुगतान एक सुविधाजनक माध्यम बन गया परन्तु कुछ असामाजिक लोग नकली नोट छापकर इसे चलाने लगे जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। इसके अलावा कागज के नोट शीघ्र ही खराब होने लगते हैं। इस प्रकार लेन-देन में कटे-फटे एवं जले नोट के चलन में विवाद होने लगे। खुल्ले पैसे की समस्या होने लगी तथा बाजार से 25 पैसे एवं 50 पैसे चलन से बाहर हो गये। अब उपभोक्ता को 7.50 रु के स्थान पर 8 रु का भुगतान करना पड़ता है। अब 299 रु के मोबाईल रिचार्ज पर दुकानदार 300 रु काट लेता है तथा ग्राहक संकोच के कारण 1 रु वापस नहीं मांगता। इन सभी जटिल समस्याओं के निदान हेतु हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदीजी ने लेन-देन में ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान को प्रोत्साहित किया है। यह काफी हद तक सरल, सुविधाजनक एवं लाभदायक उपाय है।

**शोध अध्ययन का औचित्य**- यह आधुनिक ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान लोगों के लिए कितना सरल, सुविधाजनक एवं लाभदायक है एवं

इसे और कितना सरल, सुविधाजनक एवं लाभदायक बनाया जा सकता है, इसके अध्ययन हेतु जिज्ञासावष मैने शोध का उद्देश्य - इस विषय व्यावसायिक लेन-देन में ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान का महत्व इन्दौर (म.प्र.) की अर्थव्यवस्था के सदर्थ में का चयन किया है।

**शोध का उद्देश्य** - ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान से उपभोक्ता, व्यापारी एवं अन्य वर्गों को होने वाली सुविधा एवं लाभ का अध्ययन करना।

**शोध परिकल्पनाएं** - प्रस्तुत शोध में उपरोक्त उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाएं रही हैं जिनका परीक्षण एवं अध्ययन किया जावेगा।

1. ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान से नकली नोट कटे-फटे एवं जले नोट की समस्याओं का निवारण हो रहा है या नहीं।
2. ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान से खुल्ले पैसे की समस्याओं का निवारण हो रहा है या नहीं।
3. ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान से उपभोक्ता, व्यापारी एवं अन्य वर्गों को लाभ हो रहा है या नहीं।

**शोध की विधि** - इस शोधपत्र में द्वितीय समकों का अध्ययन एवं विश्लेषण कर सुझाव प्रस्तुत किये गए हैं। शोधपत्र में इंटरनेट, समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं एवं पुस्तकों में प्रकाशित समकों का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला गया है।

**व्यावसायिक लेन-देन में ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान का महत्व का अध्ययन**- दिन-प्रतिदिन नगद लेनदेन के स्थान पर ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान का प्रचलन बढ़ रहा है। वर्तमान में अधिकांश लोग छोटे से छोटा एवं बड़े से बड़ा लेनदेन ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान के माध्यम से करने लगे हैं। शासकीय एवं प्रायवेट कर्मचारियों को वेतन उनके एकाउन्ट में जमा किया जाता है। लोग सम्पति कर, जलकर, बिजली बिल, मोबाईल एवं डिसटीवी रिचार्ज घर बैठे ही ऑनलाईन जमा करने लगे हैं। लंबी लाईन में घंटों खड़े रहकर नगद भुगतान के स्थान पर ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान करने से समय, श्रम एवं धन तीनों की बचत होती है। ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान के अनेक प्रमुख लाभ हैं

1. नकली नोट की समस्या का निदान।
2. कटे-फटे, गंदे, कुतरे एवं जले नोट के लेनदेन एवं पुनः चलाने की

समस्या का निदान।

3. अधिक मात्रा में नोट को सही गिनने की समस्या का निदान।
4. खुल्ले पैसे देने या वापिस लेने की समस्या का निदान।
5. नोट छापने हेतु कच्ची सामग्री जैसे कागज, रंग, वाटर मार्क एवं अन्य आवश्यक सामग्री तथा कर्मचारियों को देने वाला पारिश्रमिक में होने वाले धन के खर्च की बचत।
6. नकली नोट चलन पर रोक लगने से आतंकवाद पर नियंत्रण।
7. ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान में प्रमाण हेतु प्राप्ति रसीद से मुक्ति, जो नगद भुगतान हेतु आवश्यक है।
8. ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान से रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचारी से मुक्ति, जो नगद भुगतान में होती है।
9. ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान से नगद राशि युक्त पर्स से मुक्ति मिल जाती है जिससे नोट के गुम जाने, गिर जाने चोरी हो जाने एवं लूट जाने के भय से मुक्ति मिल जाती है।
10. ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान से रोज बैंक जाकर रुपये जमा एवं निकालने से मुक्ति मिल जाती है।
11. ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान से व्यापारी एवं अन्य लोगों को नगदी राशि संभालने, घर या बैंक ले जाना नहीं पड़ता जिससे उसके लूट जाने या चोरी होने का भय नहीं रहता।
12. ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान से बैंक कर्मचारियों के कार्य में कमी से कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है जिससे बैंक के खर्च कम हुए हैं।
13. उधार बेचे गये माल की राशि लेने हेतु पहले व्यापारी या उसके प्रतिनिधि को अन्य शहरों में जाना पड़ता है और राशि साथ में लाना पड़ती थी, जिससे उसके लूट जाने या चोरी होने का भय बना रहता था। ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान से इस समस्या का निदान हो गया है।
14. ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान हम कहीं भी, कभी भी 247 कर सकते हैं।
15. ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान से अब रेखांकित चेक का प्रचलन कम होने लगा है जिससे चेक बाउंस होने की समस्या का निदान हो गया है।

इस प्रकार ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान से उपभोक्ता, व्यापारी एवं अन्य वर्गों को लाभ हो रहा है इससे समय, श्रम एवं धन तीनों की बचत होती है।

प्रधानमंत्री आदरणीय मोदीजी ने ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान को बढ़ावा देने हेतु भीम योजना लागू की है। अनेक कम्पनियाँ जैसे गुगल पे, फोन पे, पेटीएम, एमेजन पे एवं ऐयरटेल बैंक आदि ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान की सुविधा दे रही है। ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान से लूट या चोरी जैसे अपराधों में कमी आई है।

**ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान को बढ़ावा देने हेतु इन्दौर नगर निगम द्वारा किया गया प्रयास-** इन्दौर नगर निगम ने ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान को बढ़ावा देने हेतु लोगों में जनजागरूकता लाने हेतु मुख्य बाजारों में तैयारी कर ली है इसमें व्यापारियों एवं ग्राहकों से आग्रह किया जायेगा कि वे नगर निगम संबंधित सभी कर जैसे सम्पत्ति कर, जलकर, बिजली बिल एवं सभी प्रकार के भुगतान ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान

के माध्यम से करें।

### भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल भुगतान का विश्लेषण

भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थव्यवस्था में नगद के स्थान पर अन्य माध्यम से ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान को बढ़ावा देने के प्रयासों का असर दिखने लगा है।

इसके चलते पिछले पाँच वर्षों के दौरान देश में डिजिटल भुगतान कई गुना बढ़ा है। डिजिटल भुगतान मार्च 2016 में 593.6 करोड़ था जो मार्च 2017 में बढ़कर 969.12 करोड़ हो गया जबकि इस लेनदेन का मुल्य बढ़कर 1120.99 लाख करोड़ हो गया। इस प्रकार साल दर साल आकड़ों में इजाफा होता रहा। भारतीय रिजर्व बैंक कोरोना काल में ग्राहकों को डिजिटल लेनदेन हेतु प्रेरित करता आया है।

**निष्कर्ष एवं सुझाव-** व्यावसायिक लेन-देन में ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान का महत्व इन्दौर (म.प्र.) की अर्थव्यवस्था के सर्द्धर्भ में के विषय का अध्ययन एवं मुल्यांकन करने पर यह ज्ञात हुआ है कि नगद लेन-देन के स्थान पर ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान करने से नकली नोट, कटे-फटे एवं जले नोट, खुल्ले पैसे की समस्या एवं आतंकवाद पर काफी हद तक रोक लगाने में सफलता मिली है। फिर भी इसे और अधिक सफल बनाने हेतु प्रमुख सुझाव निम्नानुसार हैं-

1. सरकार को उपभोक्ता द्वारा सम्पत्ति कर, जलकर, बिजली बिल, कचरा संग्रह राशि एवं जीएसटी और सभी प्रकार के भुगतान ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान करने पर विशेष छूट दी जाना चाहिए।
2. ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान को बढ़ावा देने हेतु सरकार को तेज नेट सुविधा सस्ती करनी चाहिए जिससे गरीब लोग भी मोबाईल के माध्यम से घर से ही भुगतान कर सकें।
3. सरकार को ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान में होने वाले क्राईम को सख्ती से रोकना चाहिए।
4. उपभोक्ता को ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान में आने वाली समस्याओं का शीघ्र निवारण करना चाहिए।
5. एलपीजी गैस, बिजली बिल, मोबाईल एवं टीवी रिचार्ज ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान करने पर कम्पनियों को विशेष छूट देना चाहिए।
6. सरकार को ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान में होने वाले क्राईम से बचने हेतु उपभोक्ताओं को समय-समय पर जागरूक करना चाहिए।
7. ऑनलाईन (डिजिटल) भुगतान को बढ़ावा देने हेतु इसे और अधिक सरल, सुविधाजनक एवं लाभप्रद बनाना चाहिए।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उद्यमिता विकास, प्रथम सेमेस्टर, कोठारी डॉ. मिलिन्द, रमेश बुक डिपो, जयपुर, नई दिल्ली, 2006-07
2. उद्यमिता विकास, प्रथम सेमेस्टर, चंदेल डॉ. योगिता, देवी अहिल्या प्रकाशन, इन्दौर, 2006-07
3. प्रतियोगिता दर्पण, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली
4. प्रतियोगिता निदेशिका, प्रकाशन विभाग, वैशाली नगर, इन्दौर
5. दैनिक भास्कर, प्रकाशन विभाग, प्रेस कम्पलेक्स इन्दौर
6. नई दुनिया, प्रकाशन विभाग, बाबु छजलानी मार्ग, इन्दौर
7. दैनिक जागरण, नई दिल्ली
8. पत्रिका राजस्थान

## बघेलखण्ड में राजनीतिक दलों का राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवहार का अध्ययन

रामसिया चर्मकार\*

**शोध सारांश** – किसी भी देश की राजनीति, राजनीतिक दलों के राजनीतिक व्यवहार ही उस देश की दशा और दिशा का निर्धारण करती है। लोकतंत्र में जनता की शक्ति का उपयोग या दुरुपयोग राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता रहा है। सामंतवाद, फासीवाद और राजशाही की व्यवस्था शायद दोबारा न आये। किन्तु इस बात से इंकार भी नहीं किया जा सकता है कि उक्त व्यवस्था अपने मूल रूप में न दिखे मगर इन्हीं के सिद्धांतों का अनुसरण कर लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा अपने नीतियों के माध्यम से पूंजीपतियों के कुनबे का निर्माण शनैः शनैः किया जा रहा है, जो कि शोषण के सिद्धांत पर आधारित है, और पूंजीवाद का अंतिम स्वरूप साम्राज्यवाद है जो एकाधिकार के सिद्धांतों पर चलता है। इस व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए इनके द्वारा कुछ राजनीतिक व सामाजिक कार्यों को संपादित करते रहते हैं।

**शब्द कुंजी** – बघेलखण्ड, राजनीतिक-सामाजिक व्यवहार, नीतियां।

**राजनीतिक दलों के व्यवहार की अवधारणा** – किसी भी देश की राजनीति, राजनीतिक दलों के राजनीतिक व्यवहार ही उस देश की दशा और दिशा का निर्धारण करती है। लोकतंत्र में जनता की शक्ति का उपयोग या दुरुपयोग राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता रहा है। सामंतवाद, फासीवाद और राजशाही की व्यवस्था शायद दोबारा न आये। किन्तु इस बात से इंकार भी नहीं किया जा सकता है कि उक्त व्यवस्था अपने मूल रूप में न दिखे मगर इन्हीं के सिद्धांतों का अनुसरण कर लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा अपने नीतियों के माध्यम से पूंजीपतियों के कुनबे का निर्माण धीरे से कर लिये हैं, जो कि शोषण के सिद्धांत पर आधारित है, और पूंजीवाद का अंतिम स्वरूप साम्राज्यवाद है जो एकाधिकार के सिद्धांतों पर चलता है। जिसमें जनता मजबूर और शोषित रहती है। ये जनता की अंतिम दशा होगी जो कि राजनीति व सामाजिक कार्यों के रास्ते ही लायी जा रही है।

भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल अब लोकतंत्र के सिद्धांतके विपरीत अपना एक सिद्धांत का निर्माण कर चुके है, और वह है पहले देश की जनता से और फिर देश से सेवा करा ली जायेगी। लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था में राजनैतिक दलों का स्थान केन्द्रीय अवधारणा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तीन दशकों से राजनीतिक दलों के व्यवहार में बहुत बदलाव नजर आने लगा है। इसकी मुख्य वजह भारतीय राजनीति के केन्द्र में दो ही बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भाजपा है। इन पार्टी के अलावा केन्द्रीय राजनीति में कोई पार्टी टिक नहीं पा रही है, जो इस अवधारणा को और अधिक मजबूती प्रदान कर रही है कि जनता के इच्छाओं को महत्व देने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता अपने मताधिकार का उपयोग इन्हीं दोनों पार्टियों के इर्द-गिर्द ही करे। इसके साथ ही वोटों का धुवीकरण करते हैं।

बघेलखण्ड के शहडोल संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्ञान सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जो कि सात बार विधायक, तीन बार सांसद व तीन बार मंत्री रह चुके हैं। राजनीति के क्षेत्र में लम्बा समय रहने से वे नेताओं के व्यवहार को भली भांति समझते हैं। सांसद ज्ञान सिंह ने नेताओं के व्यवहार के बारे में कहा है कि नेता बराबर बेईमान संसार में कोई और नहीं होता है। इतना ही

नहीं उन्होंने नेताओं को मादा प्रेमी भी बताया है। सांसद ज्ञान सिंह एक राजनीतिक अनुभवी व्यक्ति है। राजनीति में उनका अधिकांश समय गुजरा है। कांग्रेसी नेत्री अंबिका चौधरी ने कहा था कि सांसद भी इससे अछूती नहीं है। ज्ञान सिंह की राजनीति बघेलखण्ड, राज्य और केन्द्र की भी रही है।

**बघेलखण्ड में राजनीतिक दलों का व्यवहार** – बघेलखण्ड की राजनीति राज्य सरकार के व्यवहारों का कुछ इस तरह से विश्लेषण करती है। जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एड अशोक कुमार कोरी ने कहा है कि विगत 11-12 वर्षों से लगातार मध्यप्रदेश में बीजेपी की सरकार है लेकिन प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सिर्फ हवा हवाई लुभावने भाषण के अलावा प्रदेश की जनता को कुछ नहीं मिला। किसी जिले को सिंगापुर तो किसी जिले को शिक्षा का हब बनाने की बात करते हैं लेकिन ये बातें चुनावी भाषणों तक सीमित रहती है। मध्यप्रदेश में चपरासी से लेकर अधिकारियों, मंत्रियों तथा नेता तक करोड़पति हो गये हैं। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां विधानसभा व संसद में भेजने के लिये पहले से ही बने अधिकतम करोड़पतियों को भेजने का काम कर रही है, जो नेता करोड़पति नहीं है चुनाव जीतने के बाद करोड़पति बन जाते हैं। राजनीति में यह समृद्धि यूं ही नहीं आई है। फिर भी हर सरकार का भरकस प्रयास रहता है कि उनके कार्यकाल में किये भ्रष्टाचार को जनता तक न पहुँचने दें, छोड़ा बहुत जनकल्याण से संबंधित कार्य किये हैं उन्हीं कार्यों को जनता अधिकतम मान कर चले, सच्चाई चाहे इसके इतर कुछ भी हो।

**जब पक्ष-विपक्ष एक हो जाए** – पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका पर सांसद विवेक तन्खा ने जो कुछ कहा है वह सर्वथा उचित है। नेता प्रतिपक्ष का यह कहना कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया उस पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। कतई उचित नहीं है। ऐसे में लोगों को यह संदेह होने लगता है कि शासन और विपक्ष में मिली भगत है। नेता प्रतिपक्ष का पद एक संवैधानिक पद है जिसका उपयोग संविधान में उल्लिखित नियमों के अनुसार होना चाहिये। यहां पर लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में जो तरीका अपनाया गया एवं नेता प्रतिपक्ष द्वारा

\* रिसर्च स्कॉलर (राजनीति विज्ञान) शासकीय टी. आर. एस. कॉलेज, रीवा (म.प्र.) भारत



सहमति दी, वह अनुचित है। नेता प्रतिपक्ष अपने पद का समुचित उपयोग करने में असफल रहे। विपक्ष का मतलब ही होता है कि वह सत्ताधारी पार्टी के कार्यप्रणाली से जनता को अवगत कराये। पर यहां सरकार से आन्तरिक रूप से लोकायुक्त की नियुक्ति पर कोई मतभेद ही नहीं है या फिर सत्तापक्ष और विपक्ष इस मामले में एक मत है। यदि ऐसा है तो प्रदेश व प्रदेश की जनता का राजनीतिक भविष्य अंधेरे में है।

जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरुमीत सिंह की मांग पर राहुल सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर रीवा शहर समझाया मुक्त होगा व जो जमीनें दी गई है, उसकी जांच होगी कोई बच्ये नहीं जायेंगे। 2018 के विस चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। जिला पंचायत अध्यक्ष व कांग्रेसीनेता अभय मिश्रा ने बताया कि करोड़ों के भूमि घोटाले की अब तक जांच नहीं हो पाई है, इससे में कांग्रेस सरकार से असंतुष्ट हूँ। हमारी सरकार के बाद भी उनकी जांच तीव्र नहीं हो रही है। भाजपा की सरकार में बालू-पत्थर का जो अवैध करोबार हो रहा था वह अभी भी जारी है। भाजपा राज में जो लूट कर रहे थे वह अभी भी जमे हुए हैं। समझाया के खिलाफ सरकार कार्यवाही नहीं कर रही। कांग्रेस नेता अभय मिश्रा अपने ही कांग्रेस पार्टी के कार्य व्यवहार से असहमत है।

नेता दो अलग-अलग पार्टियों में रह कर किस तरह व्यवहार करता है और साथ ही राजनीति पार्टियां भी किस तरह का व्यवहार करते नजर आने लगती है। भाजपा के पूर्व विधायक व वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गये हैं और वह म.प्र. विधानसभा 2018 का कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी के रूप में रीवा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अकाली में दो आदिवासियों की मौत के बाद... कांग्रेस नेताओं पर दर्ज प्रकरण के मामले में शहर कांग्रेस कमेटी ने मंगू सिंह के नेतृत्व में 285 कांग्रेसियों ने सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया। अभय मिश्रा के..... दर्ज प्रकरण में 20 हजार रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानतें दी गई। अभय मिश्रा जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे तो कांग्रेस द्वारा विभिन्न प्रकार के आरोप लगाया करते थे और भाजपा उनका बचाव करती थी। अब ठीक उसका उल्टा हो गया है। अब कांग्रेस पार्टी द्वारा अभय मिश्रा का बचाव करती है और भाजपा आरोप लगाती है। क्योंकि अभय मिश्रा अब कांग्रेस पार्टी के नेता है।

पूर्वमंत्री राजेन्द्र शुक्ला ने चूना भट्टा और रानी तालाब के विस्थापितों से चुनाव के वक्त अपने मांग पत्र में लिखित रूप से यह वादा किया था उन्हें मुक्त में जमीन के बदले में मकान दिया जायेगा। इसके बाद 2015 में बने मकानों पर तत्कालीन कार्यपालन यंत्री शैलेन्द्र शुक्ला के द्वारा हितग्राहियों को मकान आवंटित कर दिये, जबकि उनसे निकाय की वसूली की जानी थी। हितग्राहियों द्वारा मकान आवंटन की राशि नहीं दिये जाने पर नगर निगम प्रशासन के द्वारा वर्तमान में रीवा विधायक राजेन्द्र शुक्ला से यह राशि वसूलने का आदेश जारी किया है। निगमायुक्त ने विधायक राजेन्द्र शुक्ला से करीब चार करोड़ 95 लाख रुपये का मांग पत्र जारी किया गया। रीवा ननि आयुक्त की कार्यवाही से नाराज बीजेपी सांसद जर्नादन मिश्रा अमरदीप गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में आम जनता से अपील की कि कमिश्नर सभाजीत यादव अतिक्रमण हटाने आये तो गड्डा खोदकर गाड़ दो, औजारों में धार लगाकर रख लो, आरोप में अपने उपर ले लूंगा। सभाजीत यादव पाकिस्तान से भी खतरनाक है। भाजपा सांसद जर्नादन मिश्रा राष्ट्रीय राजनीति के साथ ही स्थानीय राजनीति से अधिक प्रेरित नजर आ रहे हैं।

**सामाजिक व्यवहार- भाजपा-** सतना जिले में आयोजित कराटे

प्रतियोगिता में प्रदेश के उर्जा एवं खनिज साधन मंत्री तथा सतना जिले के प्रभारी मंत्री राजेन्द्र शुक्ल इस कार्यक्रम में उपस्थित हुये। यह कार्यक्रम सामाजिक दृष्टि से लड़कियों और महिलाओं को अत्यंत आवश्यकता होती है। समस्या पड़ने पर वह अपनी रक्षा करने में सक्षम रहती है। कराटे प्रतियोगिता के समापन के दौरान प्रभारी मंत्री राजेन्द्र शुक्ल खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए बताया कि समाज में बढ़ रहे अपराधों को देखते हुये आज कराटे की शिक्षा अनिवार्य हो गई है। मंत्री इस सत्य से वाकिफ है कि समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ रही है। महिलाएं या लड़कियां अपने आपको कहीं पर भी सुरक्षित महसूस नहीं करती। स्वयं की सुरक्षा के लिये कराटे का गुण प्रत्येक लड़कियों के पास होना चाहिए।

रीवा शहर के वार्ड नं. 15 पठकन टोला में एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल और रीवा सांसद जर्नादन मिश्रा उपस्थित हुये। इस सामाजिक कार्यक्रम में उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल द्वारा वार्ड कमांक 15 पठकन टोला में संत रविदास सत्संग भवन का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर राजेन्द्र शुक्ल बोले कि मन को अच्छा रखने के लिये भाईचारा, करुणा और प्रेम की आवश्यकता होती है जो कि संत रविदास के अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान थी। ऐसे ही गुणों से परिपूर्ण धनी व्यक्ति को संत उपाधि दी जाती है। संत रविदास को सभी समाज के लोग आदर्श के रूप में याद करते हैं। क्योंकि आपका जीवन मानव उत्थान के लिये समर्पित रहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घोषणा परिपालन में संत रविदास सत्संग भवन का निर्माण 204 वर्गमीटर में 25 लाख रुपये की लागत से बनाया जायेगा। कार्यक्रम में सांसद जर्नादन मिश्रा ने कहा कि संत रविदास सत्संग भवन का निर्माण हो जाने से समाज निर्माण का कार्य होगा।

**अपना दल-** मा. बुद्धसेन पटेल सामाजिक क्षेत्र में अपने विचारों को स्पष्ट करते हुये कहते हैं कि मानव जाति में समाज की सबसे बड़ी समस्या शैक्षिक सामाजिक और आर्थिक, गैर बराबरी इसी के कारण भूख, कुपोषण, गरीबी, वैश्यावृत्ति उग्रवाद जैसी दूसरी कई समस्याओं का जन्म होता रहा है। इन सारी समस्याओं से निजात दिलाने के लिये ई.पू. काल में भारत में गौतम बुद्ध से लेकर ज्योतिबा फुले, साहू जी, पेरियार, अम्बेडकर, सरदार पटेल, लोहिया, जगतदेव, काशीराम, डॉ. सोनेलाल पटेल, ई. बलिहारी पटेल जैसे महामानवों का उदय हुआ। मा. बुद्धसेन डॉ. अम्बेडकर के विचारों से प्रभावित होकर उनके विचारों को स्पष्ट करते हुये कहते हैं कि हमें शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विषमता को खत्म कर दिया जाए अन्यथा विषमता से पीड़ित जनता लोकतंत्र में असमान प्रतिनिधित्व को नष्ट कर सकती है।

**आप-** सीधी जिले के अमहा गांव में आम आदमी पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान कार्यक्रम के दौरान ग्रामवासियों ने बताया कि नपा के वार्ड क्र. 21 अमहा में सार्वजनिक हैण्डपम्प में सड़क निर्माण एजेसी के ठेकेदार द्वारा अपना निजी पम्प डालकर सड़क का निर्माण किया जा रहा है साथ ही उस पम्प में बिजली का कनेक्शन भी लिया गया। स्थानीय शासन के सहयोग के बिना संभव नहीं है कि सार्वजनिक हैण्डपम्प में किसी ठेकेदार के द्वारा अपना निजी स्वामित्व बना लिया जाये। बताये गये समस्या को लेकर जब आप के कार्यकर्ताओं ने नपा व पीएचई में उस क्षेत्र के विद्युत कार्यालय के उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर उक्त समस्या से अवगत कराने के साथ उसका जल्द निराकरण करने की मांग की।

**निष्कर्ष-** लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका होती है। सत्ता प्राप्ति के लिए चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता का गठन किया जाता है।



किन्तु भारतीय राजनीति में लोकतंत्र का विकास जिस स्तर का होनी चाहिए उस स्तर का नहीं है। यह दायित्व भारतीय राजनीतिक दलों को दिया गया है कि वह लोकतंत्र को उसके विकसित स्वरूप तक ले जाए और इस लोकतंत्र को सफल बनाये रखने के लिए आम जनमानस में राजनीति की शिक्षा का प्रसार करते हुए राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव आदि का सृजन राजनीतिक दलों के व्यवहार पर निर्भर करता है। मुख्य दलों के अतिरिक्त क्षेत्रीय दल भी राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में यदा-कदा नजर आते रहते हैं।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. श्रीवास्तव, डॉ. विभा- बघेलखण्ड का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, ख 2008, विद्या भारतीय पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
2. सिंह, डॉ. प्रताप कुमार- भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल, ख 2015, आर्या पब्लिकेशन दरियागंज, नई दिल्ली।
3. खत्री, हरीश कुमार- भारतीय शासन एवं राजनीति, 2014, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।
4. सिन्हा, सच्चिदानंद- लोकतंत्र की चुनौतियां, 2012, नवोदय सेल्स दिल्ली।
5. स्टार समाचार - 28/03/2018, पृ. 13
6. दैनिक जागरण - 15/04/19/07/2019, पृ. 02, 12

\*\*\*\*\*

## भील जनजाति में बहुविवाह एवं गरीबी का परिप्रेक्ष्य

डॉ. धीरज मेघवाल\*

**प्रस्तावना** – प्रस्तुत लेख समाजशास्त्र की विवाह और नातेदारी की शाखा से सम्बन्धित है। बहुविवाह-प्रथा एक समय में एक से अधिक साथी होने का घोटक है और इसमें या तो बहुपत्नी-प्रथा; एक पति और दो या अधिक पत्नियाँ अथवा बहुपति-प्रथा; एक पत्नी और दो या अधिक पति रूप होता है। समाज के अभिजात वर्ग में, सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा के प्रदर्शन और रति-सुख की मानसिक प्रवृत्ति के कारण, 18 वीं एवं 19 वीं शताब्दी में बहुविवाह प्रथा तथा रखैल रखने की प्रथा का भी प्रचलन रहा। मेवाड़ के राजघराने में महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय से महाराणा स्वरूपसिंह के काल तक औसतन 8 पत्नियाँ और 9 उप-पत्नियाँ रहीं थी। मेवाड़ के सामंतों में भी बहु-पत्नियाँ रखने का प्रचलन था, किंतु सामंतों को प्रत्येक विवाह के लिये महाराणा से पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती थी। भील जाति में भी श्रमशक्ति की आवश्यकता के कारण एक से अधिक पत्नियाँ रखने का प्रचलन था तथा मुस्लिम वर्ग में भी चार पत्नियाँ तक रखने की धार्मिक स्वीकृति थी। समाज के अन्य वर्गों में भी दूसरी पत्नी रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन अधिकांशतः संपन्न लोग ही रखने थे। बहुविवाह प्रथा पुरुषों का स्त्रियों के प्रति दलित दृष्टिकोण स्पष्ट करता है।

**भारत में जनजातियाँ** – जनजातियाँ वह मानव समुदाय हैं जो एक अलग निश्चित भू-भाग में निवास करती हैं और जिनकी एक अलग संस्कृति, अलग रीति-रिवाज, अलग भाषा होती है तथा ये केवल अपने ही समुदाय में विवाह करती हैं। सरल अर्थों में कहें तो जनजातियों का अपना एक वंशज, पूर्वज तथा सामान्य से देवी-देवता होते हैं। ये अमूमन प्रकृति पूजक होते हैं। भारतीय संविधान में जहाँ इन्हें 'अनुसूचित जनजाति' कहा गया है तो दूसरी ओर, इन्हें अन्य कई नामों से भी जाना जाता है मसलन- आदिवासी, आदिम-जाति, वनवासी, प्रागैतिहासिक, असभ्य जाति, असाक्षर, निरक्षर तथा कबीलाई समूह इत्यादि। हालाँकि भारतीय जनजातियों का मूल स्रोत कभी देश के संपूर्ण भू-भाग पर फैली प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड तथा मंगोल जैसी प्रजातियों को माना जाता है। इनका एक अन्य स्रोत नेग्रिटो प्रजाति भी है जिसके वंशज अण्डमान- निकोबार द्वीपसमूह में अभी भी मौजूद हैं।

गौरतलब है कि अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति की पहचान है और इसी के मूल में निश्चित रूप से भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्थित जनजातियाँ हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए अपनी संस्कृति के जरिये भारतीय संस्कृति को एक अनोखी पहचान देती हैं।

वर्तमान में भी भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक जनजातियों के साथ-साथ संस्कृति का विविधीकरण देखने को मिलता है। भारत भर में जनजातियों की स्थिति का जायजा उनके भौगोलिक वितरण को समझकर आसानी से लिया जा सकता है।

**भील जनजाति का इतिहास** – भीलों का अपना एक लंबा इतिहास रहा है, कुछ इतिहासकारों ने भीलों को द्रविड़ों से पहले का भारतीय निवासी माना तो कुछ ने भीलों को द्रविड़ ही माना है। मध्यकाल में भील राजाओं की स्वतंत्र सत्ता थी। करीब 11 वीं सदी तक भील राजाओं का शासन विस्तृत क्षेत्र में फैला था। छठी शताब्दी में एक शक्तिशाली भील राजा का पराक्रम देखने को मिलता है जहाँ मालवा के भील राजा हाथी पर सवार होकर विंध्य क्षेत्र से होकर युद्ध करने जाते हैं। भील राजा का वर्णन इडर से मिलता है जहाँ राजा मांडलिक का शासन रहा। राजा मांडलिक ने ही गुहिल वंश अथवा मेवाड़ के प्रथम संस्थापक गुहादित्य को अपने इडर राज्य में रखकर संरक्षण किया। गुहादित्य राजा मांडलिक के राजमहल में रहता और भील बालकों के साथ घुड़सवा, री करता, राजा मांडलिक ने गुहादित्य को कुछ जमीन और जंगल दिए, आगे चलकर वही बालक गुहादित्य इडर साम्राज्य का राजा बना। गुहिलवंश की चौथी पीढ़ी के शासक नागादित्य का व्यवहार भील समुदाय के साथ अच्छा नहीं था इसी कारण भीलों और नागादित्य के बीच युद्ध हुआ और भीलों ने इडर पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। बप्पा रावल का लालन-पालन भील समुदाय ने किया और बप्पा को रावल की उपाधि भील समुदाय ने ही दी थी। बप्पारावल ने भीलों के साथ मिलकर अरबों से युद्ध किया। बाबर और अकबर के खिलाफ मेवाड़ राजपूतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करने वाले भील ही थे। मेवाड़ और मुगल समय में भील समुदाय को उच्च ओहदे प्राप्त थे, तत्कालीन समय में भील समुदाय को रावत, भोमिया और जागीरदार कहा जाता था। राणा पूंजा भील और महाराणा प्रताप की आपसी युद्ध नीति से ही मेवाड़, मुगलों से सुरक्षित रहा। हल्दीघाटी का युद्ध में राणापूजा जी और उनकी भील सेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी कारण मेवाड़ चिन्ह में एक तरफ महाराणा प्रताप जी और एक तरफ राणापूजा भील जी अर्थात् राजपूत और भील का प्रतिकचिन्ह अस्तित्व में आया। मुगलों के बाद जब मराठों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तब भी भील मेवाड़ के साथ खड़े रहे। भील, मराठा शासक वीर शिवाजी के साथ खड़े रहे। भील और राजपूतों में खान-पान होता रहा।

**गरीबी** – वर्तमान संदर्भों में गरीबी को आंकना भी एक नई चुनौती है क्योंकि लोक नियंत्रण आधारित संसाधन लगातार कम हो रहे हैं और राज्य व्यवस्था इस विषय को तकनीकी परिभाषा के आधार पर समझना चाहती है। संसाधनों के मामले में उसका विश्वास केन्द्रिकृत व्यवस्था मंच ज्यादा है इसीलिए उनकी नीतियाँ मशीनीकृत आधुनिक विकास को बढ़ावा देती हैं, औद्योगिकीकरण उनका प्राथमिक लक्ष्य है, बजट में वे जीवनरक्षक दवाओं के दाम बढ़ा कर विलासिता की वस्तुओं के दाम कम करने में विश्वास रखते हैं, किसी गरीब के पास आंखें रहें न रहें परन्तु घर में रंगीन टीवी की उपलब्धता

सुनिश्चित करने में सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है। हमारे सामने हर वर्ष नित नये आंकड़े और सूचीबद्ध लक्ष्य रखे जाते हैं, व्यवस्था में हर चीज को, हर अवस्था को आंकड़ों में मापा जा सकता है, हर जरूरत को प्रतिशत में पूरा किया जा सकता है और इसी के आधार पर गरीबी को भी मापने के मापदण्ड तय किये गये हैं। ऐसा नहीं है कि गरीबी को मिटाना संभव नहीं है परन्तु वास्तविकता यह है गरीबी को मिटाने की इच्छा कहीं नहीं है। गरीबी का बने रहना समाज की जरूरत है, व्यवस्था की मजबूरी है और सबसे अहम बात यह है कि वह एक मुद्दा है। प्रो. एम. रीन का उल्लेख करते हुये अमर्त्य सेन लिखते हैं कि 'लोगों को इतना गरीब नहीं होने देना चाहिये कि उनसे धिन आने लगे, या वे समाज को नुकसान पहुंचाने लगे। इस नजरिये में गरीबों के कष्ट और दुखों का नहीं बल्कि समाज की असुविधाओं और लागतों का महत्व अधिक प्रतीत होता है। गरीबी की समस्या उसी सीमा तक चिंतनीय है जहां तक कि उसके कारण, जो गरीब नहीं हो, उन्हें भी समस्यायें भुगतनी पड़ती है।'

गरीबी भूख है और उस अवस्था में जुड़ी हुई है निरन्तरता। यानी सतत् भूख की स्थिति का बने रहना। गरीबी है एक उचित रहवास का अभाव, गरीबी है बीमार होने पर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले पाने में असक्षम होना, विद्यालय न जा पाना और पढ़ न पाना। गरीबी है आजीविका के साधनों का अभाव और दिन में दोनों समय भोजन न मिल पाना। छोटे-बच्चों की कुपोषण के कारण होने वाली मौतें गरीबी का वीभत्स प्रमाण है और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शक्तिहीनता, राजनैतिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व न होना और अवसरों का अभाव गरीबी की परिभाषा का आधार तैयार करते हैं। मूलतः सामाजिक और राजनैतिक असमानता, आर्थिक असमता का कारण बनती है। जब तक किसी व्यक्ति, परिवार, समूह या समुदाय को व्यवस्था में हिस्सेदारी नहीं मिलती है तब तक वह शनैः-शनैः विपन्नता की दिशा में अग्रसर होता जाता है। यही वह प्रक्रिया है जिसमें वह शोषण का शिकार होता है, क्षमता का विकास न होने के कारण विकल्पों के चुनाव की व्यवस्था से बाहर हो जाता है, उसके आजीविका के साधन कम होते हैं तो वह सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था में निष्क्रिय हो जाता है और निर्धनता की स्थिति में पहुंच जाता है।

**गरीबी से जुड़े तथ्य** – प्रस्तुत तथ्य अवलोकन के द्वारा संकलित किए गए हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की भौपाल सागर पंचायत समिति के पारी ग्राम तथा आस-पास के क्षेत्र से 50 महिलाओं के साथ वार्ता करके आँकड़ें जुटाए गए हैं। उक्त 50 महिलाओं का दूसरी बार विवाह हुआ है।

बहुविवाह के कारण भीलों में परिवार भी का आकार बड़ा ही रहता है क्यों की इनमें बच्चे भी ज्यादा होते हैं। भील समाज में प्रकृति के साथ रिश्ते का आधार लिंग, वर्ग पर आधारित है। परिवार के लिए भोजन जुटाने की जिम्मेवारी महिलाओं की होती है। उन्हें फल-फूल तो जंगल से लाने ही होते हैं, साथ ही जलावन, बाँस, जड़ी-बूटी, चारा, पत्ता, खाद आदि के लिए भी जंगल पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रकृति के साथ यही हिंसा, स्त्री जाति के प्रति पुरुषों द्वारा होने वाली हिंसा के रूप में दिखाई पड़ती है। ज्ञात रहे कि, दूसरा विवाह गृहकार्य और अधिक बच्चे पैदा करने की मानसिकता से ही किया जाता है। आदिवासी महिलाओं को ही घर में पीने के लिए पानी लाना पड़ता है। जानवरों को चराने के लिए जंगल ले जाना पड़ता है। फसल बोने से लेकर काटने तक की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। ऐसे में ग्रामीण आदिवासियों को बहला-फुसलाकर वनों की कटाई का सीधा खामियाजा तो स्त्रियों को ही उठाना पड़ रहा है। आदिवासी समुदाय के घर-परिवार से जुड़े और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसकी जिम्मेदारी का बोझ वे लड़कियाँ

एवं महिलाएँ भी उठाती हैं जिनका दूसरा विवाह हुआ है। जैसे छोटी-मोटी आय के लिए चटाई, झाड़ू और पंखा आदि बनाने का काम भी महिलाओं के जिम्मे होता है जिसके लिए उन्हें जंगलों से पत्तो लाने पड़ते हैं। ऐसे में वनों के लगातार खात्मे से आदिवासी महिलाओं की कमाई भी काफी प्रभावित हुई है जिससे ये लोग गरीब होते चले गए।

भील आदिवासी समाज में एक तरह से भोजन उपलब्ध कराने का काम घर की महिलाओं पर ही है। इसलिए उससे संबंधित सारे काम उन्हें ही करने पड़ते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि भील कृषि आधारित समाज रहा है और यहाँ जल, जंगल, जमीन का उस समाज से अटूट संबंध रहा है। भीलों के के खाद्य पदार्थ जुटाने के दो प्रमुख स्रोत थे-जमीन और जंगल। जंगल से वे कटहल, आम, बेल, ताड़, खजूर, जामुन आदि कई तरह के फल कंद-मूल इकट्ठा किया करते थे और ये काम स्त्रियाँ ही किया करती थीं। गौरतलब है कि इस स्थिति की मार पुरुष कम स्त्री जाति यानि लड़कियाँ व महिलाएँ ज्यादा झेलती हैं। प्रकृति के साथ स्त्री जाति के विशिष्ट रिश्ते का उनकी जानकारी के भंडार पर भी असर पड़ता था। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जंगल और पेड़ों के साथ रोजमर्रा के सम्पर्क के कारण स्त्री जाति ऐसे कई प्रकार की जड़ी-बुटियों के बारे में जानकारी प्राप्त करती थी या पहचानती थी जो कई तरह की बीमारियों का निदान कर सकती है। इसके कारण कई बीमारियों का इलाज जो पहले वे खुद से कर लिया करती थी, अब इसके लिए उन्हें नीम-हकीम, झोला छाप डॉक्टरों या फिर बड़े डॉक्टरों से इलाज के लिए दूर चलकर शहर जाना पड़ता है। मुद्दे की गहराई में जाकर देखें तो इसके और भी कई पहलू हैं। पहले वन आधारित कई कुटीर उद्योग भी इस इलाके में चला करते थे जिसमें बड़े पैमाने पर लड़कियाँ शामिल रहती थीं। आज वे कुटीर उद्योग लुप्त हो रहे हैं। इन उद्योगों के बर्बाद होने से आदिवासी महिलाओं के सामने बरोजगारी की समस्या भी खड़ी हो गई है।

**निष्कर्ष** – उपरोक्त वर्णन से यह ज्ञात होता है कि भील जनजाति में बहुविवाह की प्रथा स्वार्थपरक है जिसमें महिलाओं के अधिकारों को और कम कर दिया जाता है। दूसरे विवाह के बाद महिलाओं पर घर एवं घर खर्च चलाने की भी जिम्मेवारी आ जाती है जिससे अधिक कार्य करना होता है तथा खर्च अधिक हो जाता है। बार-बार बच्चे पैदा करने से बीमारी तथा अस्वच्छता के कारण इलाज की लागत भी बढ़ती है और गरीबी के चक्र में ये महिलाएँ फंसती चली जाती है। सरकार को चाहिए की बहुविवाह की प्रथा के साथ महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और परिवार नियोजन की योजनाओं का बारीकी से मूल्यांकन करें।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. गुप्ता कमलेश कुमार, महिला सशक्तिकरण, बुक एनक्लेव, जयपुर
2. सिंह करण बहादुर, महिला अधिकार व सशक्तिकरण, कुरुक्षेत्र, मार्च 2006
3. शैलजा नागेन्द्र, वोमेन्स राइट्स, ए डी वी पब्लिशर्स जयपुर, 2006
4. आहुजा, राम (1999) भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत प्रकाशन जयपुर, नई दिल्ली।
5. अल्टेकर, ए0एस0 (1956) द पोजीशन ऑफ वोमेन इन हिन्दु सिविलाइजेशन, मोतीलाल बनारसी लाल, वाराणसी।
6. हसनैन, नदीम (2004) समकालीन भारतीय समाज, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ।
7. श्रीनिवास, एम0एन0 (1978) द चेन्जिंग पोजीशन ऑफ इण्डिया वूमन, आक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी प्रेस, बाम्बे।

# Hydrocarbons from Plants as Renewable Source of Energy

Dr. Jolly Garg\*

**Abstract** - Systematic search for plants with hydrocarbon contents was carried out during present investigation and a large number of plants were surveyed for their hydrocarbon contents. A total of 9 species; two species of family Asclepiadaceae and seven of Euphorbiaceae were screened for their organic extractables using acetone-benzene and hexane-methanol extraction products. The hydrocarbon yields were calculated on percent dry weight basis. Suitable species were determined for mass production through the development of agro technology.

**Keywords**- Asclepiadaceae, Hydrocarbons, Renewable Energy.

**Introduction** - Systematic search for plants with hydrocarbon contents has been made sporadically in the past. Initial studies on latex bearing plants were confined to the rubber yielding plants. However, during the Second World War considerable interest was generated for alternative energy sources for fuel and rubber (Hall, 1980). Buchanan et al. (1978a, 1978b) surveyed 100 plants species from Illinois, for natural rubber as well as oil content and developed selection criteria for identifying potential plant species. Species were rated in four categories on the basis of their uses such as fibre, protein, oil, and rubber production. Oil and rubber contents were determined by extraction of dried plant material with various solvents. In this survey 14 species were identified, which were judged to have good potential as hydrocarbon and rubber-producing crops according to the criteria of Buchanan and co-workers (1979).

The most promising species belonged to Euphorbiaceae, Asclepiadaceae and Compositae. In the United States Department of Agriculture (USDA), researchers screened 6,500 species of wild plants as oil producing plant species (Earle and Jones, 1962 and Stewart et al., 1981). McLaughlin and Hoffman (1982) conducted a survey of over 400 samples of plants from the south U.S.A. The plant collection encompassed considerable taxonomic diversity; 195 species belonging to 107 genera and 35 families were examined for hydrocarbon or chemical feedstock. Ten species were identified by the Arizona selection criteria as having high potential for further development: *Pedilanthus macrocarus* (Euphorbiaceae); *Asclepias albicans*, *A. subulata* and *A. erosa* (Asclepiadaceae); *Amsonia grandiflora* and *A. kearnevama* (Apocynaceae); *Crysothamnus paniculatus*, *C. nauseous*, *Grindelia camoorum*, and *Xanthocephalum gymnospermoides* (Compositae). Two species in the family

Asclepiadaceae: *Calotropis procera* and *Asclepias syriaca* have been investigated as potential sources of hydrocarbon like materials. *C. procera* has been reported as hydrocarbon yielding crop by several workers (Erdman and Erdman, 1981; Williams, 1981; Williams and Home, 1983; Williams et al., 1981 and Peoples and Lee, 1982) Campbell (1983) assessed the chemical and agronomic variations present in *Asclepias syriaca*, the common milkweed in Maryland and northern Virginia. Earlier Adams (1982) had reported on the yield of *A. syriaca*. A project on *Euphorbia tirucalli* was also initiated in Kenya (Leaky, 1982 and Dosaji, 1983). Bhatia and Srivastava (1983) screened 386 indigenous laticiferous plants belonging to families Euphorbiaceae, Asclepiadaceae, Apocynaceae, Urticaceae (Moraceae), Convolvulaceae and Sapotaceae and resulted in selection of sixteen potential plants for further studies.

The present investigations were undertaken to screen locally occurring hydrocarbon yielding plants. Some plants were also collected from National Botanical Research Institute (NBRI) Lucknow. *Euphorbia lathyris* plants were raised from seeds obtained from Spain. Methodology During the present investigation, a total of 9 species; two species of family Asclepiadaceae and seven of Euphorbiaceae were screened for their organic extractables using acetone-benzene and hexanemethanol extraction products. The hydrocarbon yields were calculated on percent dry weight basis. The selected plants were collected as follows: *Calotropis gigantea* (Linn.) R. Br. from Chittorgarh, *C. procera* (Ait.) R. Br. from Jaipur, *Euphorbia antisiphilitica* Zucc. from NBRI, Lucknow, *E. neriifolia* Linn. from Chandwaji region, Jaipur, *E. nivulia* Buch Ham. from Jaipur, *E. tirucalli* Linn. from Maharaja's College, campus, Jaipur and *E. hirta* Linn. from the University campus, Jaipur. *E. lathyris* Linn. was raised from the seeds, received from Prof. Ayerbe, Spain. Three varieties of *Padilanthus*

\*Associate Professor & Head (Botany) D.A.K. P.G. College, Moradabad (U.P.) INDIA



tithymaloides (Linn.) Poit - *P. tithymaloides* var-green, *P. tithymaloides* var. variegatus, and *P. tithymaloides* var. cuculatus were obtained from Jaipur. Results and Discussion The detailed characteristic features of selected species are given below: *Calotropis gigantea* (Linn.) R. Br. (Asclepiadaceae). It is commonly called as Kapal-Kapal (Philippines), Ivory plant (English), Widori (Indonesia) AK (India). The species is common in India, Ceylon, Malaya Islands, South China, Philippines, Indonesia, Singapore, Thailand and the Lesser Sunda Islands. In India, it occurs in tropical Himalayas, usually growing in open waste lands. It is found in Khasia hills, Konkan, Deccan, Gujarat, Rajasthan, Karnataka, and on the foot hills of Siwalik and Tarai plains. The plant has medicinal importance. All parts of the plant when dried and taken with milk act as a good tonic, expectorant and anthelmintic. The milk is acrid, useful in leprosy, scabies, ringworm of the scalp, and eruption on the body. Oil, in which the leaves have been boiled, is applied to paralyzed parts. A powder of the dried leaves is dusted upon wounds to destroy excessive granulation and to promote healthy action.

The plant is a popular remedy for snake-bite and scorpion sting. A proteolytic enzyme, somewhat similar to papain, has also been found in the milky juice (Anonymous, 1982). *Calotropis procera* (Ait.) R.Br. (Asclepiadaceae) It is commonly called as Safed Aak (India). It is widely distributed in arid to semi-arid regions of the Caribbean, Central America, South America (Little et al., 1974), Africa and South-east Asia (Mahmoud et al., 1979; 1979b) and Israel (Karschon, 1970). In India it occurs throughout the country, grows abundantly without management and survives well under harsh conditions such as high temperature and limited surface water supply (Karschon and Pinchas, 1969). The plant is also very resistant of fire (Karschon, 1970). *C. procera* is a source of fibre (Chevalier, 1946), ruminant feedstuff (Canella et al., 1966 and Mahmoud et al., 1979a), medicinal drug preparation (Garg, 1979), and microbial inhibitor (Shukla and Murti, 1961 and Khurana and Singh, 1972). Williams et al. (1981) worked on yield of *C. procera* in the semi-tropical areas of northern Australia and estimated that up to 20 tonnes per hectare of dry biomass may be obtained from natural plants with established root systems and using two cuttings per annum. With an average yield of 20 tonnes of dried material/annum/ha having around 5 per cent hydrocarbons, seven barrels of hydrocarbon fuel per hectare may be obtained (Williams et al., 1981). Peoples and Johnson (1980) reported a production of 14,800 kg dry matter/ha and 6.6 bbl. biocrude/ha from four-year plantation of *C. procera* with planting density of 10,000 plants/ha. *Euphorbia antisiphilitica* Zucc. (Euphorbiaceae) It is commonly called candelilla and is native to Mexican desert. It is a source of commercial candelillawax found as thin film on stem surface giving it whitish look.

The latex content of the plant is rich in hydrocarbons. It can be easily multiplied in arid and semi-arid regions for

wax. Refined wax can be used for polishes, creams, leatherwear, furniture, sealing waxes, and chewing gums. It has been introduced from Mexico and is successfully established in arid parts of Rajasthan. The wax content varies from 2 to 5 percent and can be harvested any time during the year (Paroda et al., 1986). *Euphorbia hirta* Linn. (Euphorbiaceae) It is commonly called as Bambanilag, Botobotonis saika, Bolobotonis, Magatas, Malis-malis, Sisiohan, Bobi Totaba, Pansi-pansi, Soro-soro, Patik-patik, Piliak, Tairas, Tauataua, Teta (Philippines); asthma weed (Australia); snake weed, cat's hair (English); Patikan (Indonesia); Golondrina (Spanish) and Dudhi (India). It is pantropical species that grows abundantly throughout the India in waste lands and open grasslands. It is also abundant in Sri Lanka, Thailand, Indonesia, Malaysia, Nepal and Philippines.

The plant has some medicinal properties. *Euphorbia lathyris* Linn. (Euphorbiaceae) It is commonly called as caper spurge, gopher plant and mole plant (English). This plant grows throughout the temperate regions of the world, preferring open, relatively mesic habitats. In California, it grows along the coast. In Australia, it has naturalized in the vicinity of Sydney and Melbourne, in the humid south-east, but occurs in the arid south-west. Some byproducts of the plant have commercial and medicinal importance. *Euphorbia nerifolia* Linn. (Euphorbiaceae) It is commonly called as Indian sugare, suda-suda (Philippines), and susura (Indonesia). It grows throughout the Philippines in waste lands, open grass lands and is usually very abundant. It is also abundant in Sri Lanka, Thailand, Indonesia, Malaysia, Nepal and India. In India, it grows throughout and extends to Malaya. Occasionally, it is cultivated for ornamental purposes. It is very common on rocky places of Rajasthan, Konkan and Deccan peninsula, in the Siwalik tract of north-western Himalayas and Gujarat, Ahmadnagar and Bijapur districts in western peninsula. Poor looking plants also occur in dry barren soils in Bengal (Srivastava, 1986). It can grow in semi-arid regions. It also has medicinal importance (Anonymous, 1982). *Euphorbia nivulia* Buch. - Ham. (Euphorbiaceae) It is found in North-west Himalayas, on dry rocky hills of Gujarat and Deccan peninsula. It occurs in barren and rocky places of Rajasthan, Bihar, U.P., Gujarat and Southern states of Mysore, Madras and Kerala. *Euphorbia tirucalli* Linn. (Euphorbiaceae) It is commonly called as Stick plant, African milkbush (English); Consuelda (Spanish); Suerda, Pobreng Kahoy (Philippines); Kayu-urip (Indonesia); Paya-raibia (Thailand); Sehund and Konpal (India).

The species is native of Africa, but now planted in most of tropical countries. It is common in Brazil, Africa, Israel, some semi-arid lands and in the drier western parts of Bengal, Bihar, Punjab, Puri and South India (Srivastava, 1986). It does not require good soil and grow well in uncultivated areas which are not suitable for food crops (Anonymous, 1982). It is vegetatively propagated through cuttings. It can grow in semi-arid regions where rain fall is



about 25 to 50 cm per year (Anonymous, 1982). It yields many components which may have higher values as pharmaceuticals.

*Pedilanthus tithymaloides* Poit. (Euphorbiaceae) It is commonly called as Zig-zag plant (English); Patah (Indonesia) and Solsoldong (Philippines). The plant is a native of Mexico, now cultivated for ornamental purposes in most tropical and sub-tropical countries (Anonymous, 1982). In India, it is also known as red bird cactus or slipper flower. The species is hardy and adaptable to wide variety of soils and tolerate various degrees of water application (Srivastava et al., 1985). It does not require good soil and grows well in uncultivated areas and dry locations (Anonymous, 1982). It is vegetatively propagated. In India 7 different varieties of *Pedilanthus* are cultivated as ornamental or hedge plants. Considerable differences were recorded in percentage dry weight and hydrocarbon contents in various plant species investigated, which ranged from 8.8 percent (*E. tirucalli*) to 22.63 percent (*E. lathyrus*). In others the yield was *Calotropis gigantea* (22.0 percent), *Euphorbia hirta* (20.0 percent), *Calotropis procera* (16.8 percent), *Pedilanthus tithymaloides* var. *culcatus* (15.7 percent), *P. tithymaloides* var. *variegatus* (15.5 percent), *P. tithymaloides* var. *green* (14.7 percent), *Euphorbia neriifolia* (11.59 percent), *E. nivulica* (11.3 percent), and *E. antisiphilitica* (10.57 percent).

#### References :-

- Arnon, D. I. 1949. Copper enzymes in isolated chloroplasts. Polyphenoloxidase in *Beta vulgaris*. *Plant Physiol.* 24: 1-15.
- Bernstein, L. & Hayward, H. E. 1958. Physiology of salt tolerance. *Ann. Rev. Plant Physiol.* 9: 25-46.
- Bhatia, V. K., Mittal, K. G., Mehrotra, R. P. & Mehrotra, M. 1986. Hydrocracking of biocrudes for maximising middle distillates. In *Proc. Petrocrops workshop*. Dec. 20-21., New Delhi.
- Bhatia, V. K. & Srivastava, G. S. 1983. Introduction, screening and cultivation of potential petro-crops and their conversion to petroleum hydrocarbons. *Progress Report phase-I*, pp. 94.
- Bhatia, V.K., Srivastava, G.S., Garg, V.K., Gupta, Y.K. & Rawat, S.S. 1984. Petro-crops for fuel, *Biomass.* 4: 151-154.
- Buchanan, R. A., Cull, I. M., Otey, F. H. & Russell, C. R. 1978b. Hydrocarbon and rubber producing crops. Evaluation of 100 U.S. Plant species, *Econ. Bot.* 32: 146-153.
- Calvin, M. 1977. Hydrocarbons via photosynthesis. *Energy Res.* 1: 299-327. Calvin, M. 1978a. Green factories. *Chem. Eng. News.* 50: 30-36.
- Calvin, M. 1979a. Petroleum plantations for fuel and materials. *Bioscience.* 29: 533-537. Calvin, M. 1979b. Petroleum plantations. In, Hautalona, R. R., King, A. B. & Kutal, C. (Eds.), *Solar Energy: Chemical conversion and storage*. Human Press, Clifton, N.J.
- Calvin, M. 1980. Hydrocarbons from plants: analytical methods and observations. *Die Naturwissen.* 67: 525-533.
- Calvin, M. 1983a. New sources for fuel and materials. *Science.* 219: 24-26. Calvin, M. 1983b. Oil from plants. *Photochem. Photobiol.* 37: 349-360.
- Calvin, M. 1984. Renewable fuels for the future. *J. Appl. Biochem.* 6: 3-18. Calvin, M. 1985. Fuel oils from higher plants. *Ann. Proc. Phytochem. Soc. Eur.* 26: 147-160.
- Clavin, M., Nemethy, E. K., Redenbaugh, K. & Otvos, J. W. 1981. Plants can be direct source of fuel. *Petroculture.* 2: 26.
- Clavin, M., Nemethy, E. K., Redenbaugh, K. & Otvos, J. W. 1982. Plants as a direct source of fuel. *Experientia.* 38: 18.
- Chopra, R. W., Nayar, S. L. & Chopra, I. C. 1956. Glossary of Indian medicinal plants. Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi, India.
- Coffey, S. G. & Halloran, G. M. 1979. Higher plants as possible sources of petroleum substitutes. *Search*, 10: 423.
- Coffey, S. G. & Halloran, G. M. 1981. Euphorbia perspectives and problems. In *Proc. Nat. Conf. on Fuels from Crops*, Melbourne, Australia Sep., 2829.
- Dalal, M. 1984. Bio-energy: present status and future prospective. In, Sharma, R. N., Vimal, O. P. & Tyagi, P. D. (Eds.), *Proc. Bio-Energy Soc. first convention and symposium 84*. Bio-Energy Soc. of India, New Delhi, pp.12-24.
- Khoshoo, T. N. 1984. Bio-energy: Scope and limitations. In, Sharma, R. M., Vimal, O. P. & Tyagi, P. D. (Eds.), *Proc. Bio-Energy Soc. I Convention and symposium, 84*. Bioenergy Society of India, New Delhi pp. 4-11.
- Kingsolver, B. E. 1982. Euphorbia lathyris reconsidered its potential as an energy crop for arid lands. *Biomass.* 2: 281-298.
- Kumar, A. 1984. Hydrocarbon from plants in arid and semi-arid regions. In, *Proc. National Seminar on Application of Science and Technology for Afforestation*. ACT. pp. 81-86.
- Kumar, A. & Kumar, P. 1985. Agronomic studies on growth of *Euphorbia lathyris*. In, Egneus, H. & Ellegard, H. (Eds.), *Bio-energy 84. II*. Biomass. Elsevier Applied Science. Publishers, London, pp. 170-175.
- Kumar, A. & Kumar, R. 1986. Improving the productivity of petro-crops in Rajasthan. In, Sharma, R. N. & Vimal, O. P. (Eds.), *Proc. BioEnergy Soc. II Convention and Symposium 85*. Bio-Energy Soc. of India. New Delhi, pp. 125-129.
- Lewis, C. W. 1981. Biomass through the ages. *Biomass.* 1: 5-15. Lipinsky, E. S. 1981. Chemicals from biomass: petrochemicals substitution options. *Science.* 212: 1465.
- McLaughlin, S. P., Kingsolver, B. E. & Hoffman, J. J.

1983. Biocrude production in arid lands. *Eon. Bot.* 37: 150-158.
25. Metcalfe, C. R. 1967. Distribution of latex in plant kindom. *Econ. Bot.* 21: 115-127.
  26. Murty, K. S. 1985. Bioenergy programme in India. In, Egneus, H. & Ellegard, A. (Eds.), *Bio-Energy* 84. IV. Elsevier Applied Science, Publishers, London, pp. 385-393.
  27. Nemethy, E. K. 1984. Biochemicals as an energy source. *CRC Critical Reviews in Plant Sciences*, 2: 117129.
  28. Nemethy, E. K., Otvos, J. W. & Calvin, M. 1978. Analysis of extractables from one Euphorbia. *J. Amer. Oil Chem. Soc.* 55: 647.
  29. Nemethy, E. K., Otvos, J. W. & Calvin, M. 1979. Analysis of extractables from one Euphorbia. *J. Amer. Oil Chem. Soc.* 56: 957-960.
  30. Nemethy, E. K., Otvos, J. W. & Calvin, M. 1981a. Hydrocarbons from Euphorbia lathyris. *Pure Appl. Chem.* 53: 1001.
  31. Nielsen, P. E., Nishimura, H., Otvos, J. W. & Calvin, M. 1977. Plant Crops as a source of fuel and hydrocarbon-like materials. *Science.* 198: 942944.
  32. Paroda, R. S., Thomas, T. A. & Singh, R. 1986. Genetic Resources of Petro-Crop in India. In, *Proc. Petro-crop workshop. Dec. 20-21, New Delhi.*
  33. Peoples, T. R. & Johnson, J. E. 1980. Crop alternatives in semi-arid regions. In, *Proc. Nat. Res. and Regional Dev.: The Care of the Semi-arid Region. Cocoyoc, Mexico, October 6-8. Prokhanove, Y. E. 1949. Euphorbia. Flora U.S.S.R.* 14: 233-378.
  34. Raychaudhuri, S. P. 1978. Soils of India with special Reference to Arid-zone. In, *Proc. Arid zone Research in India. Cazri.* pp. 109-116.
  35. Sachs, R. M., Low, C. B., McDonald, J. B., Award, A. R. & Sully, M.J. 1981. Euphorbia lathyris: A potential source of petroleum like products. *California Agriculture.* July-August, pp. 29-32.
  36. Sachs, R. M. & Mock, T. 1980. Euphorbia lathyris: A preliminary guide to planting. *Agri. Expt. Station Service. University of California, Davis, Report No. 103.*
  37. Singh, N. T. & Tomer, V.S. 1982. Soil-water plant relationship. In, *Proc. 12th International Congress of Soil Science: Review of soil research in India, Part I:* pp. 3-27.
  38. Srivastava, G. S. 1985. Availability and production of petro-crops in India. In, Behl, H. M. & Srivastava, O. P. (Eds.), *Proc. Nat. Seminar-cum-workshop on Bio-Energy Education. Vimal. Rahul and Co.,* pp. 68-89.
  39. Srivastava, G. S. 1986. Petro-Crops, their availability and cultivation. In, *Proc. Petro-crop workshop. Dec. 20-21, New Delhi.*
  40. Srivastava, G. S. & Bhatia, V. K. 1986. Potential petrocrops in India - a critical review. In, Sharma, R. N. & Vimal, O. P. (Eds.), *Proc. Bio-Energy Soc. II Convention and Symposium 85.* pp. 119-124.
  41. Srivastava, G. S., Bhatia, V. K., Dubey, K. C. & Baghel, S. S. 1981. Potential of plant biomass as a source of hydrocarbons. In *National Seminar on materials for advanced energy systems. IIT, Kanpur, 1719Dec.*
  42. Srivastava, G. S., Bhatia, V. K., Dubey, K. C. & Garg, V. K. 1985. Potential of Pedilanthus tithymaloides as a petro-crop. *Fuel.* 64: 720-721.
  43. Stewart, G. A., Hawker, J. S., Nix, H. A., Rawlins, W. H. M. & Williams, L. R. 1982. The potential for production of hydrocarbon. *Fuel from crops in Australia, A report,* pp. 86.
  44. Szego, G. C. & Kemp, C. C. 1973. Energy forests and fuel plantations. *Chem. Tech.* 3: 275.
  45. Tebicke, H.L. 1985. Bio-Energy research and development in developing countries. In, *BioEnergy 84. V. Bio-Energy in developing countries. Elsevier Applied Science. Publishers, London,* pp. 186-191.
  46. Tideman, J. and J. S. Hawker, 1981. The hydrocarbon content of some latex bearing plants in Australia. *Search.* 12: 364.
  47. Vergagara, W. & Pimental, D. 1978. Fuels from Biomass : comparative studies of the potential in five countries USA, Brazil, India, Sudan and Sweden. *Adv. Energy Syst. Technol.* 1: 125.
  48. Vimal, O. P. 1986. Strategies for use of petro-crops. In, *Proc. workshop on Petro-crops. Dec. 20-21, Delhi.*
  49. Vimal, O. P. & Tyagi, P. D. 1984. *Energy from biomass. Agricole Publishing Academy, New Delhi,* pp. 440.
  - Waird, R. F. 1982. Euphorbia is it the source of hydrocarbons in the future? *Solar Energy.* 29: 83-863.

\*\*\*\*\*